



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
राजस्व क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पर

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-1

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

राजस्व क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-1

अनुक्रमणिका

विषय	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		vii
विहंगावलोकन		ix-xiii
भाग-'क' (राजस्व क्षेत्र)		
अध्याय-1		
सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1-5
राजस्व बकाया का विश्लेषण	1.2	5-6
निर्धारण में बकाया	1.3	6
कर का अपवंचन	1.4	7
प्रतिदाय मामले	1.5	7
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	8-9
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.6.1	9
प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया	1.6.2	9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति	1.6.3	9
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई: परिवहन विभाग की विस्तृत स्थिति	1.7	10
निरीक्षण प्रतिवेदन	1.7.1	10
स्वीकृत मामलों की वसूली	1.7.2	10
आन्तरिक लेखापरीक्षा	1.8	11
लेखापरीक्षा योजना तथा लेखापरीक्षा परिणाम	1.9	11
प्रतिवेदन में सम्मिलित राजस्व अध्याय	1.10	11

अध्याय-2		
अनुपालना लेखापरीक्षा (राजस्व क्षेत्र)		
कर प्रशासन	2.1	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	13-17
बिक्री तथा व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर		
रियायती दर पर कर की अनुमति	2.3	18-19
फार्म- आई पर कर की रियायती दर की अनुमति	2.4	19-20
संविधिक फार्मों के बिना रियायत प्रदान करना	2.5	20-22
टर्न ओवर का गलत निर्धारण	2.6	22
ब्याज का अल्प उदग्रहण	2.7	23
प्रवेश कर का अल्प उदग्रहण	2.8	23-24
बिक्री एवं स्टॉक को छिपाना	2.9	25-26
ठेकेदार का निर्धारण	2.10	26-27
मजदूरी प्रभारों की अधिक अनुमति	2.11	28
राज्य आबकारी		
लाइसेंस फीस की अल्प वसूली	2.12	29-30
न्यूनतम गारंटीकृत कोटे से कम शराब उठाने पर अतिरिक्त फीस एवं शास्ति का अनुदग्रहण	2.13	30-31
अनुबंधित गोदामों/मद्यशालाओं पर तैनात आबकारी कर्मचारी के वेतन की अल्पवसूली/वसूली न करना	2.14	31-32
बॉटलिंग शुल्क की वसूली न करना	2.15	32
विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनुदग्रहण	2.16	32-33
स्टाम्प शुल्क		
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का उदग्रहण एवं संग्रहण	2.17	34-39
बाजारी मूल्य के गलत निर्धारण के कारण पट्टा राशि, स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की अल्प वसूली	2.18	39-40
वाहन, यात्री एवं माल कर		
टोकन कर की अवसूली	2.19	41-43
आबकारी एवं कराधान विभाग में वाणिज्यिक वाहनों का पंजीयन न होना	2.20	43-44
यात्री एवं माल कर की अवसूली	2.21	44-45
ग्रीन टैक्स (हरित कर) तथा उपकर की अवसूली	2.22	46
वन प्राप्तियां		
रेजिन एवं लकड़ी पर रॉयल्टी का उदग्रहण तथा संग्रहण	2.23	47-52
जब्त लकड़ी का निपटान न करना	2.24	52
रेजिन ब्लेजों का निःस्त्रवण न होना	2.25	52-53

भाग-'ख' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)		
अध्याय-3		
परिचय		
सामान्य	3.1.1	55
लेखादायित्व की रूपरेखा	3.1.2	56
संविधिक लेखापरीक्षा	3.1.3	56
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	3.1.4	56-57
सरकार तथा विधान मण्डल की भूमिका	3.1.5	57
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल प्रदेश सरकार का निवेश	3.1.6	57-59
अध्याय-4		
राज्य के विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति		
परिचय	4.1	61-62
राज्य में बिजली की मांग, उपलब्धता एवं आपूर्ति की स्थिति	4.2	62
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन/निर्माण	4.3	62-63
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन, निर्जीकरण एवं विनिवेश	4.4	63-64
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	4.5	64-65
हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान	4.6	65
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	4.7	65-66
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन	4.8-4.19	66-72
उज्जबल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता	4.20	72-74
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियां	4.21	74-75
अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद	4.22	75
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.23	75
लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा	4.24	75-76
लोक उमक्रम समिति की रिपोर्टों की अनुपालना	4.25	76
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित		
जल विद्युत परियोजना का परिचालन, रखरखाव एवं मरम्मत	4.26-4.26.8	77-91
विद्युत का अनधिकृत उपयोग	4.27	91-92
निर्धारित मांग प्रभारों की अवसूली	4.28	93-94
उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ	4.29	94-95

अध्याय-5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की कार्यपद्धति

परिचय	5.1	97
राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान	5.2	97
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	5.3-5.4	98
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनःसंरचना तथा निजीकरण	5.5	98
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	5.6	98-99
हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान	5.7	99-100
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों की प्रस्तुति	5.8	100-101
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण	5.9	101
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप न देने का प्रभाव	5.10	101
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन	5.11-5.23	101-108
राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बन्द होना	5.24	108-109
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियां	5.25-5.26	109
अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद	5.27	110
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	5.28-5.30	110-111
हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड		
प्रणालीगत कमियों के कारण अवसूली	5.31	111-112
हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड		
कर्मचारी भविष्य निधि में अधिक अंशदान	5.32	112-113
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित		
कर्मचारियों को वित्तीय लाभ	5.33	113-114
हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम		
₹ 47.19 लाख का अतिरिक्त व्यय	5.34	114
हिमाचल पथ परिवहन निगम		
फास्टैग का न लगाना - नगद वापसी का लाभ न उठाना	5.35	115
छूट का लाभ न उठाना	5.36	116-117

परिशिष्ट		
भाग 'क' (राजस्व प्रतिवेदन)		
परिशिष्ट संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट 1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	119
परिशिष्ट 1.2	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	120
परिशिष्ट 1.3	निरीक्षण प्रतिवेदन	121
परिशिष्ट 1.4	स्वीकृत मामलों की वसूली	122
परिशिष्ट 2.1	सांविधिक फार्म-सी के बिना रियायत प्रदान करना	123
परिशिष्ट 2.2	सांविधिक फार्म-एफ के बिना रियायत प्रदान करना	124
परिशिष्ट 2.3	रॉयल्टी-रेजिन के विलंबित भुगतान पर रॉयल्टी एवं ब्याज का दावा न करना	125
परिशिष्ट 2.4	रॉयल्टी के विलंबित भुगतान पर रॉयल्टी एवं ब्याज का दावा न करना-लकड़ी	126
भाग 'ख' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)		
परिशिष्ट 3.1	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम अंतिम रूप दिये वित्तीय विवरणों/लेखाओं के अनुसार सारांशित वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम	127-128
परिशिष्ट 4.1	नवीनतम वर्ष हेतु विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के सारांशित वित्तीय परिणाम जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया गया	129
परिशिष्ट 4.2	आरम्भ से 31 मार्च 2019 तक विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों को प्रदर्शित करने वाले विवरण	130
परिशिष्ट 4.3	22 जल उत्पादन केन्द्रों की स्थापित क्षमता एवं स्थापना वर्ष को प्रदर्शित करने वाले विवरण	131
परिशिष्ट 4.4	अधिक अतिरिक्त खपत दर्शाने वाले विवरण	132
परिशिष्ट 4.5	उपभोक्ता द्वारा विद्युत के अनधिकृत उपयोग को दर्शाने वाले विवरण	133
परिशिष्ट 4.6	मूल अनुबंध मांग के मांग प्रभारों की वसूली एवं उदग्रहण करने में विफलता को दर्शाने वाले विवरण	134
परिशिष्ट 5.1	31 मार्च 2019 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बन्धित इक्विटी एवं बकाया ऋणों की स्थिति प्रदर्शित करने वाले विवरण	135-136
परिशिष्ट 5.2	31 मार्च 2019 तक शेष इक्विटी, ऋण तथा गांरटी के सम्बन्ध में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के मध्य अंतर प्रदर्शित करने वाले विवरण	137
परिशिष्ट 5.3	राज्य के कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके लेखे बकाया थे, में राज्य सरकार के निवेश को प्रदर्शित करने वाले विवरण	138
परिशिष्ट 5.4	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम वर्ष हेतु अंतिम रूप दिये गए लेखाओं का सारांशित वित्तीय परिणाम	139-140
परिशिष्ट 5.5	1999-2000 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों को दर्शाने वाले विवरण	141-143

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के दो भाग हैं।

भाग-क: राजस्व क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के राजस्व एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

भाग-ख: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

इस भाग में मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा जांच के परिणाम वर्णित हैं।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कम्पनियां समझी जाने वाली कम्पनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 व कम्पनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 139 और 143 के साथ पठित नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सम्बन्धित विधायिका के अंतर्गत संचालित की जाती है।

सरकारी कम्पनियों अथवा निगमों के लेखों से सम्बन्धित प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19-के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम जो कि एक सांविधिक निगम है, के सम्बन्ध में, नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक एकमेव लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के सम्बन्ध में निगम द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा संचालित लेखापरीक्षा के अतिरिक्त लेखाओं की लेखापरीक्षा संचालन करने का अधिकार नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के पास है। इन निगमों के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पृथक रूप से राज्य सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वे वर्णित उदाहरण हैं जो वर्ष 2018-19 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा में पाये गए और इसके साथ-साथ वे हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे। जहां कहीं अनिवार्य है। 2018-19 से उत्तरवर्ती अवधि से सम्बन्धित मामले भी सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों में है। भाग 'क' में राजस्व क्षेत्र के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है तथा भाग 'ख' में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

भाग 'क' राजस्व क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस, यात्री एवं माल कर तथा वन प्राप्तियों के अनुदग्रहण/अल्प उदग्रहण से सम्बन्धित ₹ 173.63 करोड़ के राजस्व निहितार्थ 23 परिच्छेदों को सम्मिलित हैं।

सामान्य

राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष के ₹ 27,367.06 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 30,950.28 करोड़ रही। इनमें से 34 प्रतिशत राज्य द्वारा कर राजस्व (₹ 7,575.61 करोड़) एवं कर भिन्न राजस्व (₹ 2,830.04 करोड़) के माध्यम से जुटाई गई, अवधि जबकि 66 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹ 5,426.97 करोड़) एवं सहायता अनुदानों (₹ 15,117.66 करोड़) के रूप में भारत सरकार से प्राप्त की गई।

(परिच्छेद 1.1.1)

वर्ष 2018-19, के दौरान, बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, यात्री एवं माल कर तथा वन प्राप्तियों की 166 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना-जांच में अव-निर्धारण/अल्पोदग्रहण/राजस्व की हानि, उत्पाद शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क के अल्पोदग्रहण, टोकन कर, विशेष कर एवं रॉयलटी इत्यादी की अल्प वसूली के 1168 मामलों में समग्र ₹ 297.10 करोड़ उजागर हुए। सम्बन्धित विभागों ने 860 मामलों में ₹ 18.59 करोड़ के लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया, जिसमें ₹ 3.92 करोड़ के 188 मामले पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थे। विभाग ने 195 मामलों में ₹ 2.72 करोड़ की वसूली की, जिसमें 188 मामलों के ₹ 2.69 करोड़ विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थे।

(परिच्छेद 1.9)

बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

विनिर्मित वस्तुओं की प्रकृति का उचित वर्गीकरण करने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता, कर की रियायती दर की अनुचित अनुमति में परिणत हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.42 करोड़ के कर का अव-निर्धारण हुआ। ₹ 1.67 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहणयोग्य था।

(परिच्छेद 2.3)

निर्धारण प्राधिकारी ने 19 मामलों में फार्म-I के बिना अथवा अनुचित फार्म-I कर की रियायती दर अनुमत की जो ₹ 3.87 करोड़ के कर के अल्प उदग्रहण में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 4.03 करोड़ के ब्याज को उदग्रहित किया जाना अपेक्षित था।

(परिच्छेद 2.4)

निर्धारण प्राधिकारियों ने दोषपूर्ण/ अमान्य फार्म स्वीकृत किए तथा अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर अनुमत की, जो ₹ 1.43 करोड़ के कर के अल्पोदग्रहण में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.79 करोड़ का ब्याज की उदग्रहित किया जाना अपेक्षित था।

(परिच्छेद 2.5)

राज्य आबकारी

निर्धारण प्राधिकारियों ने 23 लाइसेंसधारियों से ₹ 82.32 करोड़ की कम जमा/लाइसेंस फीस की वसूली हेतु लाइसेंस की पुनर्बिंक्री के लिए न तो बिक्री केन्द्र सील किए, न ही परमिट रद्द/निलंबित करने हेतु कोई कार्रवाई की।

(परिच्छेद 2.12)

निर्धारण प्राधिकारियों ने त्रैमासिक आधार पर न्यूनतम गारंटीकृत कोटा उठाने की प्राप्ति की समीक्षा नहीं की, जो 1130 बिक्री केन्द्र के लाइसेंसधारियों द्वारा 62,87,807 प्रूफ लीटर कम शराब उठाने पर ₹ 20.28 करोड़ की अतिरिक्त फीस के अनुदग्रहण में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त कम कोटा उठाने पर ₹ 2.48 करोड़ की शास्ति उदग्रहित की जानी भी अपेक्षित थे।

(परिच्छेद 2.13)

लाइसेंस फीस/ बॉटलिंग शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ₹ 3.75 करोड़ राशि के ब्याज की 134 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से विभाग द्वारा मांग न करने के परिणामस्वरूप इतने ब्याज का अनुदग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 2.16)

स्टाम्प शुल्क

713 बिक्री नामे मामलों में, उप-पंजीयकों ने विलेख (नामे) पंजीकृत करने के पूर्व पुनरीक्षित दरों के संदर्भ में सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य पर विचार नहीं किया, भूमि की सर्किल दरों को सत्यापित नहीं किया एवं सड़क से भूमि की दूरी के शपथ-पत्रों की प्रति-जांच नहीं की। 96 पट्टे नामे मामलों में, उप पंजीयकों ने सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य पर विचार नहीं किया तथा एक समान प्रक्रिया नहीं अपनाई। परिणामतः राज्य को ₹ 10.53 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, पंजीयन हेतु प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन सिस्टम हिमरिस सुदृढ़ नहीं था चूंकि इसमें अभिग्रहण (केप्चरिंग), वैधता तथा डाटा सुरक्षा से संदर्भित कई प्रवाह थे। सॉफ्टवेयर अन्य डिजिटल भू-राजस्व एप्लिकेशनों से भी परस्पर जुड़ा नहीं था। हिमरिस बिना किसी केन्द्रीकृत सर्वर के उप-पंजीयकों में स्वचलित सिस्टमों में चल रहा था।

(परिच्छेद 2.17)

विभाग द्वारा सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ तक के पट्टे किराए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 2.18)

वाहन, यात्री व माल पर कर

वर्ष 2015-18 हेतु 21,107 वाहनों के संदर्भ में ₹ 7.72 करोड़ के टोकन कर की न तो विभाग द्वारा मांग की गई न ही उसे व्यवसायिक वाहन मालिकों द्वारा चुकाया गया।

(परिच्छेद 2.19)

पंजीयन एवं लाइसेंस प्राधिकरणों/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों एवं सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण, व्यवसायिक वाहनों के मालिकों ने सम्बन्धित आबकारी एवं कराधान कार्यालयों में अपने वाहन पंजीकृत नहीं किए जो ₹ 2.38 करोड़ की राशि के यात्री एवं माल कर की अवसूली में परिणत हुआ।

(परिच्छेद 2.20)

2016-17 से 2017-18 की अवधि हेतु ₹ 1.97 करोड़ राशि का यात्री एवं मालकर न तो 2,472 व्यवसायिक वाहनों के मालिकों द्वारा चुकाया गया न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई।

(परिच्छेद 2.21)

वन प्राप्तियाँ

₹ 31.70 करोड़ की वन प्राप्तियों की वसूली इन कारणों से नहीं की गई:

- लकड़ी के दोहन एवं रेजिन ब्लोजों के निःस्वरूपण पर रॉयलटी का दावा न करना तथा रॉयलटी दरों में कटौती,
- रॉयलटी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज संग्रहण में विफलता,
- चीड़ के वृक्षों की विश्वसनीय एवं स्थाई सूची का रखरखाव न करना,
- दोहन के पर्यवेक्षण में कमी तथा विस्तार फीस का उद्ग्रहण न करना।

(परिच्छेद 2.23)

भाग 'ख' सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

इस भाग में ₹ 437.17 करोड़ के कुल वित्तीय निहितार्थ युक्त 10 परिच्छेद समाविष्ट हैं। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर मुख्य बिन्दु निम्न हैं:

1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

3.1 विद्युत क्षेत्र की कम्पनियां

हिमाचल प्रदेश राज्य में 31 मार्च 2019 तक 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। इसमें दो सांविधिक निगम एवं 25 सहकारी कम्पनियां (तीन अकार्यशील कम्पनियों सहित) समाविष्ट हैं। कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने उनकी नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार ₹ 9,181.99 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2018-19 हेतु वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 5.97 प्रतिशत के बराबर थी।

31 मार्च 2019 तक, 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कुल निवेश ₹ 20,338.66 करोड़ था जिसमें राज्य सरकार का अंशदान ₹ 15,287.60 करोड़ था।

(परिच्छेद 3.1.1 एवं 3.1.6)

2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन

विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम

चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों ने अक्टूबर 2018 से सितम्बर 2019 के दौरान विगत वर्षों हेतु चार लेखें (दो लेखें 2016-17 हेतु एवं दो लेखें 2017-18 हेतु) प्रस्तुत किए थे। नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार एक विद्युत क्षेत्र के उपक्रम का नेट वर्थ पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। 2018-2019 के दौरान किसी भी विद्युत क्षेत्र के उपक्रम ने लाभ अर्जित नहीं किया था।

(परिच्छेद 4.7, 4.13 एवं 4.14)

विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों के अतिरक्त

20 कार्यशील राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अक्टूबर 2018 से सितम्बर 2019 के दौरान 14 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया जिसमें 2018-19 हेतु एक वार्षिक लेखा भी सम्मिलित था। उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नेट वर्थ पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। लाभ अर्जित करने वाले सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में केवल तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ₹ 2.25 करोड़ का लाभांश घोषित किया/चुकाया।

(परिच्छेद 5.8.1, 5.17 एवं 5.18)

3. विद्युत क्षेत्र

अध्याय 4 में ₹ 421.69 करोड़ के कुल वित्तीय निहितार्थ युक्त अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा की गई है तथा विद्युत क्षेत्र में राज्य की सरकारी कम्पनियों के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित

31 मार्च 2019, तक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी) के पास 487.45 मेगावॉट की कुल स्थापित क्षमता वाली 22 जल विद्युत परियोजनाएं थीं। वर्ष 2016-19 के दौरान इन परियोजनाओं से 5,599.49 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ। वर्ष 2016-19 की अवधि हेतु सात जल विद्युत परियोजनाओं, तीन वृहद, दो लघु एवं दो अति लघु जल परियोजनाएं सम्मिलित थीं, की लेखापरीक्षा में संवीक्षा की गई। ये परियोजनाएं कुल स्थापित क्षमता की 69 प्रतिशत थीं तथा समस्त जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित कुल विद्युत का 65 से 73 प्रतिशत उत्पादन कर रही थीं। लेखापरीक्षा में निम्नवत् पाया गया:-

(परिच्छेद 4.26)

- कम्पनी द्वारा संचालन व मरम्मत में परिहार्य चूकों के परिणामस्वरूप संचालन व मरम्मत पर ₹ 265.94 करोड़ खर्च करने के बावजूद ₹ 393.97 करोड़ के बराबर 715.64 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि हुई।

(परिच्छेद 4.26.4)

- चारों परियोजनाओं में संयंत्र उपलब्धता कारक सतत् कम थे (10 व 62 प्रतिशत के मध्य), जबकि संयंत्र भार कारक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 60 प्रतिशत मानदण्ड से कम था।

(परिच्छेद 4.26.5)

- बार-बार ब्रेकडाउन होने एवं कम उत्पादन (रौगटौंग व रूकति परियोजना) ने सीमावर्ती क्षेत्रों के लाभार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण व बाधा रहित विद्युत प्रदाय से वंचित रखा। गिरी जल विद्युत परियोजना में जलाशय में गाद हटाने के अभाव से भण्डारण क्षमता में महत्वपूर्ण गिरावट हुई तथा इसकी उत्पादन क्षमता बूरी तरह से प्रभावित हुई।

(परिच्छेद 4.26.6 (iii) एवं 4.26.7(i))

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने विद्युत के अनधिकृत उपयोग हेतु ₹ 3.80 करोड़ के प्रभारों का उद्ग्रहण नहीं किया।

(परिच्छेद 4.27)

आपूर्ति संहिता के प्रावधानों का पालन न करने से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने निर्धारित प्रभारों के उद्ग्रहण हेतु कार्रवाई करने का उसका अधिकार खो दिया, स्वरूप ₹ 3.76 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 4.28)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयुक्त द्वारा अप्रैल 2013 व अगस्त 2014 में जारी टैरिफ आदेशों को लागू नहीं किया, जो ₹ 1.78 करोड़ के अल्प वसूली में परिणत हुआ।

(परिच्छेद 4.29)

4. विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त

अध्याय 5 में ₹ 15.48 करोड़ के कुल वित्तीय निहितार्थ युक्त अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा की गई है तथा विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में राज्य की सरकारी कम्पनियों के प्रबंधन की कमियों पर प्रकाश डाला गया है, जो महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ से युक्त थीं। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत् हैं:

हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड

लाइसेंसधारियों द्वारा जमा की गई राशि के दैनिक/मासिक मिलान के लिए तंत्र का अभाव और कंपनी के पास भुगतान जमा किए बिना नकली/छेड़छाड़ युक्त यूनीक ट्रांजेक्शन रेफरेंस (यूटीआर) का उपयोग कर के इनके एवज में शराब के स्टॉक (₹ 3.79 करोड़) का उठाव और उधार आधार पर शराब (₹ 5.90 करोड़) की बिक्री के परिणामस्वरूप ₹ 9.69 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 5.31)

हिमाचल प्रदेश राज्य बन विकास निगम सिमित

हिमाचल प्रदेश राज्य बन विकास निगम लिमिटेड ने अंशदान की निर्धारित दर से अधिक दर पर कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.87 करोड़ का अधिक योगदान हुआ।

(परिच्छेद 5.32)

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम

तेल कंपनियों द्वारा दी जा रही वास्तविक छूट की निगरानी में प्रबंधन की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(परिच्छेद 5.36)

भाग ‘क’
राजस्व क्षेत्र

अध्याय- 1

सामान्य

अध्याय-1

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2018-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाए गए कर एवं कर भिन्न राजस्व, राज्य के समनुदेशित विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का राज्यांश तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)						
क्रम संख्या	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 ¹
1.	राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व					
	कर राजस्व	5,940.16	6,695.81	7,039.05	7,107.67	7,575.61 ²
	कर भिन्न राजस्व	2,081.45	1,837.15	1,717.24	2,363.85	2,830.04
	कुल	8,021.61	8,532.96	8,756.29	9,471.52	10,405.65
2.	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का अंश	2,644.17	3,611.17	4,343.70	4,801.31	5,426.97 ³
	सहायता अनुदान	7,177.67	11,296.35	13,164.35	13,094.23	15,117.66 ⁴
	कुल	9,821.84	14,907.52	17,508.05	17,895.54	20,544.63
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 व 2)	17,843.45	23,440.48	26,264.34	27,367.06	30,950.28
4.	1 की 3 से प्रतिशतता	45	36	33	35	34

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य वास्तव में राजस्व घाटे में है तथा सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹ 8,206 करोड़ के राजस्व घाटा अनुदान के हस्तांतरण के बाद हुई प्राप्ति के कारण राजस्व अधिशेष को दर्शा रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व (₹ 10,405.65 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 34 प्रतिशत था। प्राप्तियों का शेष 66 प्रतिशत भारत सरकार के विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय के राज्यांश तथा सहायता अनुदान के रूप में था। 2014-2019 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष राज्य सरकार की उसके स्वयं के संसाधनों से हुई राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 45 से 34 प्रतिशत तक गिर गया। 2014-15 से 2018-19 तक राजस्व प्राप्तियों की समग्र प्रवृत्ति चार्ट 1.1 में दर्शाई गई है:


¹ राज्य सरकार के वित्त लेखे।

² इसमें मुख्य प्राप्ति शीर्ष 0006 राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 3,342.68 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

³ विवरण परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

⁴ इसमें वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के कारण भारत सरकार से हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त ₹ 2,037 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

चार्ट-1.1



स्रोत: वित्त लेखे

1.1.2 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.2: कर राजस्व प्राप्तियों का विवरण

क्रम संख्या	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	कर राजस्व प्राप्तियां (कुल कर राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता)					2018-19 से 2017-18 की वास्तविक प्राप्तियों के प्रति वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1.	बिक्री एवं व्यापार पर मूल्य वर्धित कर	3,660.57 (61.62)	3,992.99 (59.63)	4,381.91 (62.25)	2,525.87 (35.53)	1,185.43 (15.64)	-
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर				1,833.16 (25.79)	3,342.68 ⁵ (44.12)	-
2.	राज्य आबकारी	1,044.14 (17.58)	1,131.22 (16.89)	1,307.87 (18.58)	1,311.25 (18.45)	1,481.63 (19.55)	13
3.	मोटर वाहन कर	220.10 (3.71)	317.05 (4.74)	279.58 (3.97)	367.16 (5.17)	408.01 (5.39)	11
4.	स्टाम्प शुल्क	190.58 (3.21)	205.52 (3.07)	209.16 (2.97)	229.18 (3.22)	250.55 (3.31)	09
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	332.82 (5.60)	551.06 (8.23)	371.67 (5.28)	360.79 (5.08)	487.08 (6.43)	35
6.	अन्य	491.95 (8.28)	497.97 (7.44)	488.86 (6.94)	480.26 (6.76)	420.23 ⁶ (5.55)	-12
	कुल	5,940.16	6,695.81	7,039.05	7,107.67	7,575.61	07
	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि	16	12.72	5.13	0.97	6.35	
	पांच वर्षों हेतु वृद्धि दर तथा समग्र औसत वृद्धि दर						6,871.66/ 8.23


स्रोत: वित्त लेखे

⁵ राज्य वस्तु एवं सेवा कर के ओंकड़े वर्ष 2017-18 के केवल नौ मास के लिए तथा वर्ष 2018-19 के 12 मास हेतु हैं। अतः तुलना नहीं की गई है।

⁶ अन्य प्राप्तियां भू-राजस्व: ₹ 8.39 करोड़, माल एवं यात्री पर कर: ₹ 104.38 करोड़ तथा अन्य वस्तु एवं सेवाओं पर कर एवं शुल्क: ₹ 307.46 करोड़।

वर्ष-वार कर राजस्व प्राप्तियों को प्रवृत्ति के चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट - 1.2



वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 8.23 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ कर राजस्व में ₹ 1,635.45 करोड़ (27.53%) की वृद्धि हुई। यद्यपि 2018-19 हेतु 6.35 प्रतिशत की वृद्धि दर मुख्यतः 2018-19 के दौरान बिक्री कर की वार्षिक वृद्धि दर 3.87 प्रतिशत तक घटने के कारण हुई जो कि वस्तु व सेवा कर लागू होने से पूर्व 9.08 प्रतिशत थी।

वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:-

- राज्य आबकारी:** वृद्धि मुख्यतः लाइसेंस फीस एवं आबकारी शुल्क का त्रैमासिक संग्रहण तथा आबकारी नीति 2018-19 को अच्छे ढंग से लागू करने के कारण हुई।
- मोटर वाहन कर:** संग्रह में वृद्धि मुख्य रूप से अधिक संख्या में वाहनों के पंजीकरण, बेहतर प्रवर्तन, समग्र शुल्क के पुनरीक्षण तथा ड्राइविंग लाइसेंस व जारी किए गए पसंदीदा नम्बरों में वृद्धि के कारण हुई।
- विद्युत पर कर एवं शुल्क:** वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि का कारण हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा बकाया करों/राशि का भुगतान करना है।
- यात्री एवं माल कर:** कमी मुख्यतः जुलाई 2018 से हिमाचल प्रदेश माल एवं यात्री कर अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सभी प्रकार के धागे (ऊनी धागे को छोड़कर), इस्पात एवं स्टील तथा प्लास्टिक सामान पर अतिरिक्त माल कर में 25 प्रतिशत की कटौती के कारण थी।

1.1.3 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर-भिन्न राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है:


तालिका 1.3: जुटाया गया कर-भिन्न राजस्व के विवरण

क्रम संख्या	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां (कुल कर-भिन्न प्राप्तियों की प्रतिशतता)					2018-19 में 2017-18 की वास्तविक प्राप्तियों से अधिक वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1.	विद्युत	1,121.51 (53.88)	923.68 (50.28)	650.93 (37.91)	687.61 (29.09)	1,134.34 (40.08)	65
2.	ब्याज प्राप्तियां	100.93 (4.85)	93.84 (5.11)	145.56 (8.48)	340.54 (14.41)	385.88 (13.64)	13
3.	अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग	161.52 (7.76)	155.08 (8.44)	176.22 (10.26)	441.46 (18.68)	221.05 (7.81)	-50
4.	वानिकी एवं बन्य जीवन	115.78 (5.56)	34.47 (1.88)	18.50 (1.08)	46.87 (1.98)	76.32 (2.70)	63
5.	लोक निर्माण कार्य	34.13 (1.64)	43.00 (2.34)	54.60 (3.18)	55.87 (2.36)	69.92 (2.47)	25
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	35.57 (1.71)	32.81 (1.79)	42.63 (2.48)	40.45 (1.71)	51.34 (1.81)	27
7.	पुलिस	39.83 (1.91)	48.53 (2.64)	50.50 (2.94)	63.33 (2.68)	72.89 (2.58)	15
8.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां ⁷	472.18 (22.69)	505.74 (27.53)	578.30 (33.68)	687.72 (29.09)	818.30 (28.91)	19
	योग	2,081.45	1,837.15	1,717.24	2,363.85	2,830.04	20

स्रोत: वित्त लेखे

2014-15 से 2018-19 के दौरान कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति को नीचे दिये गये चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट - 1.3



स्रोत: वित्त लेखे

⁷ अन्य कर-भिन्न राजस्व के विवरण परिशिष्ट-1.2 में दिया गया है।

2017-18 में ₹ 2363.85 करोड़ की समग्र कर-भिन्न राजस्व प्रपत्तियां 2018-19 में बढ़कर ₹ 2,830.04 करोड़ (20 प्रतिशत) हो गई। कर-भिन्न राजस्व में मुख्यतः विद्युत (40.08 प्रतिशत) ब्याज प्राप्तियां (13.64 प्रतिशत) तथा अलौह, खनन एवं धातु कर्म उद्योग (7.81 प्रतिशत) मुख्य योगदानकर्ता हैं तथा समग्र रूप में कर भिन्न राजस्व में 61.53 प्रतिशत योगदान करते हैं।

सम्बन्धित विभागों द्वारा वर्ष के दौरान भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:-

- **वानिकी एवं वन्य जीवन:** वृद्धि मुख्यतः राज्य वन निगम द्वारा इमारती लकड़ी/लकड़ी आदि की बिक्री पर रायलटी की अधिक राशि की वसूली के कारण थी।
- **लोक निर्माण कार्य:** आवासीय एवं गैर आवासीय तथा विश्राम गृह/परिधि गृह के किरायों में बढ़ोतरी के कारण वृद्धि हुई।
- **गृह सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा:** विभाग के पुराने वाहनों को अनुपयोगी घोषित करने के कारण वृद्धि हुई।
- **पुलिस:** सुरक्षा हेतु रेलवे पुलिस द्वारा भाखड़ा व्यास प्रबन्धन परिषद् से वसूली तथा शिमला में प्रतिबंधित मार्गों पर वाहनों को चलाने के लिए परमिट जारी करने के कारण वृद्धि हुई।
- **शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति:** प्राप्तियों में कमी मुख्यतः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राज्य परियोजना निदेशक से प्रतिपूर्ति की प्राप्ति न होने तथा अधिक अदायगियों की कम वसूली के कारण थी।
- **अन्य प्रशासनिक सेवाएं:** उप-मुख्य शीर्ष निर्वाचन (47 प्रतिशत) में अधिकतर वृद्धि राज्य सरकार द्वारा करवाए गए लोकसभा चुनाव 2019 हेतु अधिक प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के कारण थी।
- **अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग:** 2017-18 की तुलना में 2018-19 में कमी का कारण यह है कि मैसर्ज अल्ट्राईक सीमेंट कम्पनी द्वारा 2017-18 में खनन पट्टे के ₹ 208.92 करोड़ जमा करवाए थे।

अन्य विभागों ने विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए (नवम्बर 2020)।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2019 को कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों में वसूली योग्य राजस्व बकाया की राशि ₹ 4,216.87 करोड़ थी जिसमें से ₹ 415.22 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

क्रमांक	राजस्व प्राप्तियों का मुख्य शीर्ष	31 मार्च 2019 को बकाया राशि	31 मार्च 2019 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर	₹ करोड़ में
1.	बिक्री तथा व्यापार पर कर/मूल्यवार्ता कर	3,390.36	145.91	हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिकतर मामलों को भू-राजस्व बकाया के रूप में घोषित किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों एवं निर्धारण प्राधिकारियों को बकाया राशि की वसूली हेतु त्वरित प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में राशि की वसूली हेतु कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। बकाया राशि की वसूली हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं।	
2.	राज्य आबकारी	256.25	12.70		
3.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	84.35	24.83		
4.	माल एवं वाहन पर कर	7.07	6.60		
5.	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं लघु सिंचाई	310.28	198.79	₹ 229.64 करोड़ नगर निगम शिमला से बकाया है। विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। ग्राम राजस्व अधिकारी तथा फील्ड स्टाफ की कमी के कारण बकाया राशि की वसूली नहीं की गई थी।	

6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	16.95	0	देय विद्युत शुल्क का समायोजन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर हुई प्राप्तियों के साथ किया जा रहा है।
7.	बानिकोएवं बन्य प्राणी	116.45	18.78	₹ 113.68 करोड़ हिमाचल प्रदेश राज्य विकास निगम सीमित एवं अन्य सरकारी विभागों से वसूल योग्य थे। ₹ 2.77 करोड़ ठेकेदारों से वसूली योग्य थे जिसमें से कुछ मामलों में मुकदमे चल रहे थे तथा अन्य राज्य सरकार को बट्टे खाते में डालने हेतु प्रेषित किए थे।
8.	पुलिस	24.26	4.91	₹ 14.15 लाख का बकाया मैसर्ज अल्ट्राइक सीमेंट लिमिटेड बगा जिला सोलन, ₹ 3.86 लाख का बकाया मैसर्ज पटेल इंजीनियर कुल्लू से सम्बन्धित था तथा शेष सरकारी विभागों/उपक्रमों को पुलिस बल प्रदान करने से सम्बन्धित था।
9.	ग्राम एवं लघु उद्योग	0.05	0.02	बकाया, वर्ष 1980-81 से संचित था। बकाया शेड के किराए (औद्योगिक सम्पद), सरकारी आवास के किराए व शहतूर के पौधों की बिक्री से प्राप्त आदि से सम्बन्धित था।
10.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5.18	0.38	₹ 1.16 करोड़ का बकाया निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य महिला एवं बाल विकास, ₹ 1.07 करोड़ राज्य परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, लाल पानी, ₹ 32.46 लाख मुख्य अभियन्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा ₹ 2.62 करोड़ का बकाया अन्य उद्योगों/विभागों/निगमों से वसूली से सम्बन्धित था।
11.	अलौह, खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	0.93	0.61	बकाया वर्ष 1970-71 से संचित था। बकाया खनन कार्यालयों एवं भू-वैज्ञानिक विंग निदेशालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (मुख्यालय) से रॉयलटी की वसूली/डिलिंग प्रभारों आदि से सम्बन्धित थे।
12.	लोक निर्माण कार्य	0.23	0.15	बकाया आवासीय व गैर आवासीय भवनों के किराए से सम्बन्धित था।
13.	उद्योग	4.52	1.54	बकाया वर्ष 1989-90 से संचित था। बकाया भू-खण्ड (औद्योगिक क्षेत्र) के प्रीमियम आदि से सम्बन्धित था।
योग		4,216.87	415.22	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

1.3 कर निर्धारण में बकाया

बिक्री कर, मोटर स्प्रिट कर, विलास कर तथा कार्य-संविदाओं पर करों के सम्बन्ध में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित मामले, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय मामले, निपटाए गए मामले तथा वर्ष के अन्त में अन्तिम रूप देने के लम्बित मामलों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: निर्धारणों में बकाया

राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	अथशेष	2018-19 के निर्धारण हेतु बकाया नए मामले	कुल बकाया निर्धारण	2018-19 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अन्त तक शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	2,15,448	13,134	2,28,582	57,193	1,71,389	25
विलास कर	3,971	870	4,841	1,029	3,812	21
निर्माण कार्यों पर कर	1,124	493	1,617	482	1,135	30
मोटर स्प्रिट कर	28	27	55	25	30	45

स्रोत: विभागीय आंकड़े

बकाया की विशाल तथा बढ़ती हुई मात्रा के कारण निपटान (21 प्रतिशत विलास कर और 25 प्रतिशत मूल्य वर्धित कर के मामले में) की निम्न प्रतिशतता एक गंभीर चिंता का विषय था। विभाग ने बताया कि प्रत्येक जिले द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करके मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर व्यवस्था के अन्तर्गत लम्बित मामलों के निपटान हेतु विश्व बैंक के साथ हुए करार के अनुसार निर्धारण के बकाए प्रक्रियाधीन/पूर्ण किए जाएंगे।

विभाग मूल्य वर्धित कर निर्धारण के तहत निपटान हेतु आवश्यक कदम उठाए क्योंकि अब इनका विलय वस्तु एवं सेवा कर में हो गया है।

1.4 कर का अपवंचन

विभिन्न विभागों द्वारा उजागर किए गए कर अपवंचन के मामले, निर्णीत मामले तथा विभाग द्वारा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.6: कर का अपवंचन

क्रमांक	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	1 अप्रैल 2018 तक लम्बित मामले	2018-19 के दौरान उजागर मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई	मामलों की संख्या राशि (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2019 तक अंतिम रूप देने हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या		
1.	बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	111	954	1,065	1,000	9.96	65
2.	राज्य आबकारी	27	779	806	734	2.02	72
3.	यात्री एवं माल कर	28	14,035	14,063	14,027	5.41	36
4.	पदार्थी एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	5	872	877	870	1.25	7
5.	भू- राजस्व	1,852	125	1,977	528	49.49	1,449
कुल		2,023	16,765	18,788	17,159	68.13	1,629

स्रोत: विभागीय आंकड़े

आबकारी एवं कराधान विभाग में वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अंतिम रूप देने के लिए कुल 171 लम्बित मामले वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक बढ़कर 180 हो गए। विभाग ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लम्बित मामलों को कम करने हेतु सभी प्रयास किए जा रहे थे। तथापि, राज्य में जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवाकर प्रभावी रूप से लागू करने के कारण राज्य में वस्तु एवं सेवा कर को शुरू करने पर अधिक जोर दिया गया था।

1.5 प्रतिदाय मामले

वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ में लम्बित प्रतिदाय मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिदाय तथा वर्ष 2018-19 के अन्त तक लम्बित मामलों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.7: लम्बित प्रतिदाय मामले

क्रमांक	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	41	4.95	15	1.03
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	124	34.77	107	19.04
3.	वर्ष के दौरान किया गया प्रतिदाय	117	28.21	99	18.99
4.	वर्ष की समाप्ति पर शेष बकाया	48	11.51	23	1.08

स्रोत: विभागीय आंकड़े

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्त तक बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर तथा राज्य आबकारी दोनों से संबंधित बकाया मामलों की संख्या में, उन मामलों की तुलना में जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में बकाया थे, वृद्धि हुई थी, जो कि पिछले वर्ष के दौरान 81.45 प्रतिशत के निपटान की तुलना में 75.26 प्रतिशत की कम निपटान दर के कारण थी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश लेन-देनों की नमूना-जांच करने तथा महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करता है जैसा कि नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित है। इन निरीक्षणों पर अनुर्वर्ती कार्रवाई निरीक्षण के दौरान उजागर की गई अनियमिताओं को सम्मिलित किए जाने वाले तथा मौके पर न निपटाए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा की जाती है जिन्हें अगले उच्च प्राधिकारियों को इसकी प्रतियों सहित निरीक्षण कार्यालयों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु भेजा जाता है। कार्यालयाध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट अभियुक्तियों की अनुपालना करना आवश्यक है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

मार्च 2019 तक जारी किये गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चलता है कि 2,742 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 8,439 लेखापरीक्षा आपत्तियों में जून 2019 के अन्त में ₹ 2209.43 करोड़ से अन्तर्ग्रस्त राशि बकाया थी, जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए तत्सम्बंधी आंकड़ों सहित तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2017	जून 2018	जून 2019
निपटान हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,582	2,660	2,742
बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	7,764	7,924	8,439
अन्तर्ग्रस्त राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	1,817.56	1,958.98	2,209.43

स्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदन

पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या, समायोजन हेतु लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियों तथा कुल मुद्रा मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता है।

30 जून 2019 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागवार विवरण तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि तालिका 1.9 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.9: लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	प्राप्तियों का स्वरूप	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री तथा व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर	146	1,055	453.90
		राज्य आबकारी	64	308	333.45
		यात्री व माल कर	186	426	231.89
		पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	126	159	6.70
		मनोरंजन एवं विलास कर	65	124	21.80
2.	राजस्व	भू-राजस्व	219	413	169.05
		स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	675	1,532	64.09
3.	परिवहन	मोटर वाहन कर	716	2,709	303.8
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	वन प्राप्तियां	545	1,713	624.75
कुल			2,742	8,439	2,209.43

स्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19 के दौरान जारी किए गए 164 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 57 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्षों से चार सप्ताह की निर्धारित अवधि के बाद लेखापरीक्षा को प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांच करना कि क्या निर्धारित नियमों, कानूनों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है तथा गैर-अनुपालना, व्यवस्थागत कमियों एवं विफलताओं के मामलों को उजागर करना है। निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा निपटान हेतु लम्बित

लेखापरीक्षा आपत्तियों की बढ़ती प्रवृत्ति लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया को इंगित करती है। इन लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर कार्रवाई का अभाव जबाबदेही को कमज़ोर बनाता है तथा राजस्व की हानि के जोखिम को बढ़ाता है। लेखापरीक्षा द्वारा लगातार उठाए जा रहे मामलों के निपटान तथा लम्बित लेखापरीक्षा परिच्छेदों की बढ़ती प्रवृत्ति हेतु सरकार का तत्काल ध्यान आकर्षित करती हैं।

1.6.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों के पर्यवेक्षण तथा निपटान में तीव्रता लाने के लिए लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया था। वर्ष 2018-19 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए परिच्छेदों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.10: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

क्रमांक	विभाग	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	लम्बित परिच्छेदों की संख्या	निपटाये गये परिच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	1	1,826	167	0.36
	राजस्व	1	1,826	32	0.2
	यातायात	1	2,598	47	1.04
2.	वन	1	1,633	9	0.43
	कुल	4	7,883	255	2.03

स्रोत: राजस्व एवं आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र, शिमला

2018-19 के दौरान आयोजित राजस्व एवं वन विभागों की चार लेखापरीक्षा समिति बैठकों में लम्बित 7,883 परिच्छेदों में से ₹ 2.03 करोड़ से अन्तर्गत 255 परिच्छेदों (3.23 प्रतिशत) का समायोजन किया गया।

सरकार सभी विभागों में नियमित अन्तराल पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करें।

1.6.2 प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों को सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए इस अनुरोध के साथ भेजा जाता है कि वे छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करें। विभागों/सरकारों से उत्तरों की प्राप्ति न होने के मुद्दे को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे परिच्छेदों के अन्त में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाता है।

27 प्रारूप परिच्छेद जुलाई 2019 तथा जुलाई 2020 के मध्य सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को भेजे गये थे, जिसमें से 23 परिच्छेदों को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। स्वीकृत मामलों में वसूली की प्रगति बहुत धीमी थी जिसे चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है।

1.6.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - सारांशित स्थिति

लोक लेखा समिति ने अधिसूचित किया (दिसम्बर 2002) कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात विभाग लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर कार्रवाई शुरू करेगा तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन मास के भीतर सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी। तथापि, इन प्रावधानों के बावजूद भी प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियों में असाधारण विलम्ब था। हिमाचल प्रदेश सरकार के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राजस्व क्षेत्र पर 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017 तथा 2018 को समाप्त वर्षों के लिए प्रतिवेदनों में सम्मिलित कुल 112 परिच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) 10 अप्रैल 2015 तथा 14 दिसम्बर 2019 के मध्य राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। तथापि, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु सम्बन्धित विभागों से इन परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां क्रमशः 12,24,12 एवं 16 मास के औसत विलम्ब सहित बहुत देर से प्राप्त हुई थीं। लोक लेखा समिति ने वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2013-14) से सम्बन्धित 7 परिच्छेदों पर चर्चा की थी।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई: परिवहन विभाग की विस्तृत स्थिति

मुख्य प्राप्ति शीर्ष '0041-मोटर वाहन कर' के अन्तर्गत परिवहन विभाग हेतु पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया तथा अनुवर्ती परिच्छेदों 1.7.1 से 1.7.3 में विवरणित हैं।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदन

पिछले 10 वर्षों के दौरान परिवहन विभाग से सम्बन्धित जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति, 31 मार्च 2019 तक इन निरीक्षण प्रतिवेदनों, में सम्मिलित परिच्छेद तथा उनकी संक्षिप्त स्थिति को **परिशिष्ट-1.3** में दर्शाया गया है:

वर्ष 2009-10 के प्रारंभ में 1,910 परिच्छेदों सहित 619 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की तुलना में 2018-19 के अन्त तक 2,694 परिच्छेदों सहित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या बढ़कर 722 हो गई। निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित किया गया तत्सम्बन्धी मुद्रा मूल्य ₹ 28.53 करोड़ से बढ़कर ₹ 312.29 करोड़ हो गया।


1.7.2 स्वीकृत मामलों की वसूली

परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा वसूल की गई राशि की स्थिति **परिशिष्ट 1.4** में दर्शायी गई है:

वसूली की प्रगति स्वीकृत मामलों में भी बहुत धीमी थी, क्योंकि 31 मार्च 2019 तक स्वीकृत परिच्छेदों में ₹ 179.88 करोड़ के कुल वसूली योग्य राजस्व के प्रति केवल ₹ 84.25 करोड़ (47 प्रतिशत) ही वसूल किए गये थे।

परिवहन विभाग द्वारा स्वीकार किए गए मामलों की वसूली तथा वसूल की गई राशि को नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:

चार्ट: 1.4



स्रोत: लोक लेखा समिति, राजस्व क्षेत्र, शिमला

1.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के प्रभार के अधीन आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष को अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों के तथा समय-समय पर जारी किए गए विभागीय निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार निर्धारण के मामलों की नमूना जांच करना अपेक्षित था।

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा योग्य कुल इकाईयां	लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी
आबकारी एवं कराधान	13	9	03	06
राजस्व	169	20	15	05
परिवहन	06	06	06	0
वन	आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष नहीं था।			

स्रोत: विभागीय आंकड़े

आबकारी एवं कराधान विभाग तथा राजस्व विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी का कारण स्टॉफ की कमी बताया। परिवहन विभाग द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई जबकि वन विभाग ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष का विभाग में गठन नहीं किया गया था।

1.9 लेखापरीक्षा योजना तथा लेखापरीक्षा परिणाम

हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल 383 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां थीं जिनमें से वर्ष 2018-19 के दौरान अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल व यात्री कर तथा वन प्राप्तियों की 166 इकाईयों⁸ की लेखापरीक्षा की गई थी। इकाईयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

विभागों की कार्य पद्धति में पाई गई मुख्य कमियों में छिपाई गई बिक्री एवं खरीद का पता लगाने में विफलता; निवेश कर क्रेडिट का अवनिर्धारण/गलत छूट देना; कर की गलत दर को लागू करना; निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आबकारी शुल्क, लाइसेंस फीस तथा ब्याज की अल्प वसूली; स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अल्प उद्ग्रहण, उप-पंजीकारों द्वारा सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण; परिवहन विभाग द्वारा टोकन कर, विशेष सड़क कर, समेकित फीस की अल्प वसूली; आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा यात्री एवं वस्तु कर की वसूली न करना तथा वन विभाग द्वारा रोयलटी एवं विस्तार फीस की अल्प वसूली शामिल थी। 2018-19 के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा उजागर कमियों के कारण 1,168 मामलों में कुल ₹ 297.10 करोड़⁹ की राशि के राजस्व की हानि हुई थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान, सम्बन्धित विभागों ने 860 मामलों में ₹ 18.59 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार किया, जिसमें से 188 मामलों में ₹ 3.92 करोड़ गत वर्ष की लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थे। विभाग ने 195 मामलों में ₹ 2.72 करोड़ की वसूली भी की जिनमें से पिछले वर्ष के 188 मामलों के ₹ 2.69 करोड़ तथा शेष राशि चालू वर्ष के निष्कर्षों से सम्बन्धित थी।

1.10 प्रतिवेदन में सम्मिलित राजस्व अध्याय

इस प्रतिवेदन के राजस्व अध्याय में कुल ₹ 173.63 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ युक्त 23 परिच्छेद शामिल हैं। विभागों/सरकार ने ₹ 77.45 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया जिसमें से 09 मामलों में ₹ 0.40 करोड़ वसूल किए गए थे।

⁸ इन इकाईयों में आबकारी, परिवहन व राजस्व विभाग की सर्वोच्च स्तर की तीन इकाईयां, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के कार्यालय की एक इकाई आर्थिक खुफिया इकाई (ये चार निरीक्षण प्रतिवेदन जारी नहीं किए गए), विलासिता कर इकाई, मनोरंजन कर, टोल कर एवं बहुउद्देशीय चुंगी तथा वन विभाग।

⁹ बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर: राशि ₹ 71.15 करोड़: मामले: 316; राज्य आबकारी: राशि: ₹ 109.66 करोड़: मामले: 72; स्टाम्प शुल्क: राशि: ₹ 10.65 करोड़: मामले: 305; वाहन यात्री एवं माल: राशि ₹ 86.87 करोड़, मामले: 411; वन प्राप्तियां: राशि: ₹ 18.77 करोड़: मामले: 64

अध्याय-2

अनुपालना लेखापरीक्षा (राजस्व क्षेत्र)

अध्याय-II

अनुपालना लेखापरीक्षा (राजस्व क्षेत्र)

क. सामान्य

2.1 कर प्रशासन

2.1.1 बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर/राज्य आबकारी

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) सरकारी स्तर पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा राज्य उत्पाद शुल्क का व्यवस्था करता है। राज्य आबकारी व कराधान आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग का अध्यक्ष होता है तथा तीन अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, दो संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त व पांच उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त इसके सहायक होते हैं। क्षेत्र में जिला स्तर पर 12 उपराज्य आबकारी एवं कराधान आयुक्त हैं जिन्हें 119 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित कर कानूनों एवं नियमों की व्यवस्था हेतु विभाग एवं अन्य कर्मचारियों की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में राज्य आबकारी एवं कराधीन अधिकारी व सहायक राज्य आबकारी एवं कराधान अधिकारी होते हैं।

2.1.2 स्टाम्प शुल्क

राज्य सरकार अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व के माध्यम से सरकारी स्तर पर प्रलेखों के पंजीयन पर नियंत्रण रखती है। महानिरीक्षक पंजीयन, राजस्व विभाग का प्रमुख (अध्यक्ष) होता है जिसे क्रमशः उप-आयुक्तों (कलेक्टर) एवं उप-पंजीयकों द्वारा सहायता दी जाती है। उसे पंजीकरण-कार्यों के अधीक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार सौंपा गया है। स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस का उद्ग्रहण करने एवं संग्रहण के लिए राज्य में 12 कलेक्टर एवं 117 तहसीलदार/नायब तहसीलदार हैं जो कि क्रमशः पंजीयक व उप-पंजीयक के रूप में कार्यरत हैं।

2.1.3 वाहनों, यात्रियों एवं माल पर कर

प्रधान सचिव (परिवहन) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होता है। विभाग में एक राज्य परिवहन प्राधिकरण, एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विशेष पथ कर), 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और 63 पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण होते हैं, जो केंद्र व राज्य मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत विभाग की प्राप्तियों को विनियमित करते हैं। आयुक्त (उत्पाद शुल्क और कराधान) के प्रशासनिक नियंत्रण में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त यात्रियों एवं माल कराधान अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्राप्तियों को विनियमित करता है।

2.1.4 वन प्राप्तियाँ

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग का अध्यक्ष है। प्रधान मुख्य अरण्यपालको 37 क्षेत्रीय मण्डलों के आठ वन अरण्यपाल सहयोग प्रदान करते हैं। प्रत्येक अरण्यपाल वन मण्डल अधिकारियों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन किये जा रहे वन दोहन कार्यकलापों एवं पुनरुत्पत्ति का नियंत्रण करता है। प्रत्येक वन मण्डल अधिकारी अपने क्षेत्रीय मण्डल में वन सम्बन्धी सौंपे गये कार्यकलापों का प्रभारी होता है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2018-19 के दौरान बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क, वाहन, यात्री व माल कर तथा वन प्राप्तियों के अंतर्गत कुल 383 इकाईयों में से 166 इकाईयों की नमूना जांच संचालित करने पर 1,168 मामलों में ₹ 297.10 करोड़ के सकल राजस्व का अवनिर्धारण/अल्प उद्ग्रहण उजागर हुआ, जैसा कि तालिका 2.1 में वर्णित है।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा परिणाम


		₹ करोड़ में	
क्रम संख्या	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर			
1.	कर का अवधारण	16	1.5
2.	दोषपूर्ण सांविधिक फार्म सी.डी.ई व एफ की स्वीकृति	24	13.29
3.	बिक्री/खरीद को छिपाने के कारण कर का अपवंचन	43	10.86
4.	निवेश कर क्रेडिट की अनियमित/गलत/अधिक छूट	36	8.08
5.	कर की गलत दर लागू करना	37	24.83
6.	अन्य अनियमिताएं	115	11.99
		कुल	271
			70.55
अन्य कर एवं भिन्न कर			
1.	मोरंजन कर	10	0.47
2.	बहुउद्देशिय चुंगी एवं विलासिता कर	35	0.13
		कुल	45
			0.60
राज्य आबकारी			
1.	उत्पाद शुल्क की अल्प/वसूली	07	4.71
2.	लाइसेंस फीस/ब्याज/शास्ति आदि की अल्प/अवसूली	35	103.55
3.	अन्य अनियमिताएं	30	1.40
		कुल	72
			109.66
स्टाम्प शुल्क			
1.	सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण तथा आवास ऋण पर अनियमित छूट	04	0.33
2.	स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस का अल्प/उद्ग्रहण	133	7.65
3.	पट्टानामे पर स्टाम्प शुल्क की अल्प/अवसूली	32	2.67
4.	अन्य अनियमिताएं	136	0.00
		कुल	305
			10.65
वाहन, यात्री एवं माल कर			
1.	निम्न की अल्प/अवसूली		
	● टोकन कर व समग्र शुल्क	117	6.34
	● विशेष पथ कर	38	25.86
	● यात्री व माल कर	14	1.77
2.	निम्न का अपवंचन		
	● टोकन कर	33	1.83
	● यात्री व माल कर	21	50.10
3.	अन्य अनियमिताएं		
	● वाहन कर	171	0.97
	● यात्री व माल कर	17	0.0007
		कुल	411
			86.87
वन प्राप्तियां			
1.	रॉयल्टी की अल्प/अवसूली	25	11.22
2.	ब्याज/विस्तार शुल्क का अनुद्ग्रहण	06	0.10
3.	जब्त की गई लकड़ी की बिक्री न करने के कारण राजस्व का ठहराव/हानि	09	2.76
4.	अन्य अनियमिताएं	24	4.69
		कुल	64
		सकल योग	1,168
			297.10

स्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदन


2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 1,168 मामलों में ₹ 297.10 करोड़ राशि की सकल राजस्व हानि उजागर की गई (2017-18 के दौरान सकल कर व कर भिन्न राजस्व ₹ 9,471.52 करोड़ का 3.14 प्रतिशत) । वर्ष 2018-19 के दौरान, विभाग ने 860 मामलों में ₹ 18.59 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया जिसमें से 188 मामलों के ₹ 3.92 करोड़ विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थे । विभाग ने वर्ष 2018-19 के दौरान 195 मामलों में ₹ 2.72 करोड़ राशि की वसूली की (₹ 18.59 करोड़ की स्वीकृत राशि का 14.63 प्रतिशत) ।

बिक्री, व्यापार मूल्य वर्धित कर इत्यादि पर कर राज्य उत्पाद, स्टाम्प शुल्क/पंजीयन फीस, वाहन, यात्री व माल कर तथा वन प्राप्तियों पर पाए गए श्रेणी-वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष क्रमशः चार्ट 2.1, 2.2, 2.3 व 2.4 में दर्शाए गए हैं:


चार्ट 2.1: बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर/बहुउद्देशीय चुंगी




चार्ट 2.2: राज्य आबकारी




चार्ट 2.3: स्टाम्प शुल्क



चार्ट 2.4: वाहन, यात्री एवं माल कर



चार्ट 2.5: वन प्राप्तियाँ



स्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदन

कुल राजस्व निहितार्थ समस्त ₹ 173.63 करोड़ से युक्त महत्वपूर्ण मामलों पर अनुवर्ती 23 परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

ख. लेखापरीक्षा परिणाम

आबकारी एवं कराधान विभाग

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर

2018-19 के दौरान मूल्य वर्धित कर/वस्तु एवं सेवा कर, विलासिता तथा बहुउद्देशीय चुंगी के तहत ₹ 2,274.70 करोड़ की प्राप्ति से अंतर्गत 87 इकाईयों में से 40 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से कर का अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताएं उजागर हुई तथा 316 मामलों में ₹ 71.15 करोड़ के कर के अल्प उदग्रहण को इंगित किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग ने पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित 45 मामलों में ₹ 70.25 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा वसूली की। विभाग ने 2018-19 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित 31 मामलों में ₹ 03.84 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को भी स्वीकार किया गया।

₹ 9.18 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ से युक्त महत्वपूर्ण (9) मामलों पर अनुवर्ती परिच्छेदों 2.3 से 2.11 में चर्चा की गई है।

2.3 रियायती दर पर कर की अनुमति

विनिर्मित वस्तुओं की प्रकृति का सही तरीक से वर्गीकरण करने में निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के कारण रियायती दर की अनुचित अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹ 2.42 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। ₹ 1.67 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहण योग्य था।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2013 में जारी अधिसूचना के माध्यम से औद्योगिक इकाईयों द्वारा विनिर्मित निषेधात्मक सूची में निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़ कर (औद्योगिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित उन मदों की सूची जो दो प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर को आकर्षित करेंगी) शेष वस्तुओं के अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान हुई बिक्री के सम्बन्ध में एक प्रतिशत के बजाय कर की डेढ़ प्रतिशत की रियायती दर लगाई थी।

सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा उक्त अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों का किसी भी समय किसी प्रकार का उल्लंघन करने के मामले में उसे भविष्य में कोई रियायत अनुमत नहीं की जाएगी तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार कर की दो प्रतिशत दर उदग्राहय होगी।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर की धारा 19 में यह प्रावधान है कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह एक महीने की अवधि के लिए एक प्रतिशत की दर से तथा उसके बाद जब तक बकाया जारी रहे तब तक डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर ब्याज का भुगतान करेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के तीन कार्यालयों¹⁰ में, निर्धारण प्राधिकारियों ने निषेधात्मक सूची में आने वाले क्राफ्ट व प्रिंटिंग पेपरों एवं प्लास्टिक सामग्रियों के विनिर्माण में संलग्न 17 विक्रेताओं को 27 मामलों में कर की रियायती दरें अनुमत की। ये विक्रेता कर अवधि 2013-14 से 2016-17 हेतु ₹ 406.90 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की किसी भी प्रकार की रियायती दर का लाभ उठाने के हकदार नहीं थे। तथापि, निर्धारण प्राधिकारियों ने अप्रैल 2017 व मई 2018 के मध्य इन विक्रेताओं के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय विनिर्मित वस्तुओं की प्रकृति के उचित वर्गीकरण में असफल रहे और दो प्रतिशत की दर से ₹ 8.14 करोड़ राशि का कर उदग्रहित करने के बजाय कर की एक अथवा डेढ़ प्रतिशत रियायती दर अनुमत करते हुए ₹ 5.72 करोड़ का कर उदग्रहित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.42 करोड़¹¹ के कर का अल्प उदग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.67 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहण योग्य था।

¹⁰ बद्री, नाहन, सोलन

¹¹ बद्री: ₹ 1.35 करोड़, नाहन: ₹ 23.32 लाख व सोलन: ₹ 83.94 लाख

विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि 15 मामलों में नौ विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। सात मामलों में विभाग ने कहा कि मदें निषेधात्मक सूची में नहीं आती हैं परन्तु उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि मदें उद्योग विभाग द्वारा जारी निषेधात्मक सूची के अंतर्गत शामिल थी। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

सरकार विभाग को निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय अधिनियम/नियमों तथा अधिसूचनाओं के प्रावधानों का पालन करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।

2.4 फार्म-आई पर कर की रियायती दर की अनुमति

निर्धारण प्राधिकारियों ने 19 इकाईयों को अनुचित रूप से अथवा फार्म-आई के बिना कर की रियायती दर अनुमत की जो ₹ 3.87 करोड़ के कर के अल्प उद्ग्रहण में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 4.03 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहित किया जाना भी अपेक्षित था।

नव औद्योगिक इकाईयों जो प्रभावी रूप से उत्पादन करते हुए प्रथम अप्रैल, 2013 से या उसके बाद परिचालन में आई हो अथवा वे मौजूदा औद्योगिक इकाईयां, जिन्होंने या तो 5 वर्षों की अवधि में या वस्तु एवं सेवा कर लागू होने तक, जो भी पहले हुआ हो, स्थापित क्षमता व श्रमशक्ति दोनों में पर्याप्त विस्तार (25 प्रतिशत) किया हो, उनके अतिरिक्त अन्य पर आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2013 की अधिसूचना के माध्यम से कर की रियायती दर को एक प्रतिशत से बढ़ा कर डेढ़ प्रतिशत कर दिया था।

कर की रियायती दर का लाभ उठाने की शर्तों में से एक यह है कि इकाई को हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग से फार्म-आई में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा जिनमें यह प्रमाणित हो कि इकाई श्रेणी 'सी' क्षेत्र में स्थित है, इसकी कुल श्रम शक्ति के न्यूनतम 70 प्रतिशत कर्मी मूल हिमाचली है तथा यह प्रमाण-पत्र निर्धारिण प्राधिकारी को भी प्रस्तुत किया है।

सम्बन्धित औद्योगिक इकाईयों द्वारा इस शर्त का किसी भी समय किसी प्रकार का उल्लंघन करने की स्थिति में उसे भविष्य में कोई रियायत अनुमत नहीं की जाएगी तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार कर की दो प्रतिशत दर उद्ग्राहय होगी। इन अधिनियमों/नियमों में निर्धारण प्राधिकारी को अपने विवेकाधिकार से कर की रियायती दर अनुमत करने का कोई प्रावधान नहीं है।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 19 में प्रावधान है कि यदि विक्रेता निर्धारित देय तिथि तक कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक माह की अवधि हेतु देय कर पर एक प्रतिशत की दर से तथा उसके बाद जब तक बकाया जारी रहे तक तक डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹² ने उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के तहत आए मामलों को लक्षित नहीं किया, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- I. अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2009-10 से 2017-18 हेतु 11 इकाईयों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 के मध्य) निर्धारण प्राधिकारियों ने वे फार्म-आई स्वीकार किए जो इस निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित नहीं थे। इसी वर्ष से सम्बन्धित फार्म-आई के अभाव में, 70 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार देने की शर्त को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 421.95 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की एक तथा डेढ़ प्रतिशत की रियायती दर लगाई। निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा स्वविवेकाधिकार से इकाईयों को कर की दो प्रतिशत की प्रयोज्य दर के बजाय कर की रियायती दर अनुमत करना, अधिसूचना के प्रावधान के विरुद्ध था जो ₹ 3.38 करोड़ के कर के अवनिर्धारण में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.39 करोड़ राशि का ब्याज भी उद्ग्राहण योग्य था।
- II. इसी भाँति, लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2009-10 से 2016-17 हेतु ₹ 50.49 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री करने वाली 8 इकाईयों के निर्धारण को अंतिम रूप दिया (जुलाई 2017 से फरवरी 2018 के मध्य)। निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय दो प्रतिशत की दर से ₹ 1.01 करोड़ राशि के उद्ग्रहण योग्य कर

¹² बद्री और सोलन

के बजाय कर की एक व डेढ़ प्रतिशत दर लागू की तथा ₹ 52.09 लाख का कर उद्ग्रहित किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अभिलेखों में यह प्रमाणित करने के लिए कुछ नहीं था कि इकाईयों ने ‘फार्म-आई’ जमा किया है अथवा इन्होंने 1 अप्रैल, 2013 तक या उसके बाद पर्याप्त विस्तार किया है तथा इस प्रकार ये इकाईयों कर की रियायती दर का लाभ उठाने की हकदार नहीं थी। अतएव, निर्धारण प्राधिकारियों ने उक्त अधिसूचनाओं के प्रावधानों की जांच-पड़ताल किए बिना कर की गलत दर लागू की जो ₹ 48.89 लाख तक के कर के अवनिर्धारण में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 63.98 लाख राशि का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारणों का निपटान अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.87 करोड़ के कर तथा ₹ 4.03 करोड़ के ब्याज का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2020) कि चार मामलों में विक्रेताओं को पुनर्निर्धारण हेतु नोटिस जारी किए गए थे तथा 15 मामलों में इकाईयों को प्रति वर्ष फार्म-आई प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा का आशय चालू वर्ष हेतु फार्म-आई को प्रस्तुत न करने से है और विभाग ने मामलों के पुनर्निर्धारण की कार्रवाई नहीं की और तो और तत्कालीन वर्ष हेतु उचित फार्म-आई के अभाव में न्यूनतम 70 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार देने की शर्त भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं करधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

सरकार विभाग को यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें कि विक्रेता रियायती दरों का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य फार्म-आई को निश्चित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अधिसूचना की अधिदेशित शर्तों को पूरा कर रहे हैं। किसी भी समय इस निगम के उल्लंघन के मामले में सम्बन्धित औद्योगिक इकाई को भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं की जाएगी।

2.5 सांविधिक फार्मों के बिना रियायत प्रदान करना

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अमान्य एवं दोषपूर्ण सांविधिक फार्म स्वीकार करने तथा अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़ के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.79 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहित करना भी अपेक्षित था।

व्यापार अथवा व्यवसाय की अंतर्राज्यीय बिक्री के क्रम में कर की आंशिक अथवा पूर्ण छूट का प्रयास करने की स्थिति में विक्रेताओं के निर्धारण को अंतिम रूप देने के पूर्व केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कर में छूट का दावा करने हेतु सांविधिक फार्म ‘सी’ व ‘एफ’ पूर्वापेक्षित है। फार्म-सी क्रेता द्वारा विक्रेता को अंतर्राज्यीय व्यापार या व्यवसाय के दौरान रियायत के दावे हेतु प्रदान किया जाता है। ये फार्म तीन भागों अर्थात् मूल, प्रतिलिपि तथा प्रतिवर्ण में जारी किए जाते हैं। न्यायिक आदेशानुसार¹³ कर की रियायती दर का दावा करने हेतु मूल फार्मों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिनमें जारी करने की तिथि, लेन-देन का ब्यौरा, क्रेता व विक्रेता का नाम, फार्म का मूल्य तथा इन फार्मों से संबद्ध अवधि का पूर्ण विवरण हो।

2.5.1 फार्म-‘सी’

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में निर्धारित है कि अंतर्राज्यीय व्यापार या व्यवसाय के दौरान कर की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए विक्रेता को क्रेता से फार्म-‘सी’ प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा अन्यथा पूर्ण दरों पर कर का भुगतान करना होगा।

¹³

बिक्री कर आयुक्त विरुद्ध मेसर्स प्रभु दयाल प्रेम नारायण (1988) 71 एसटीसी (एससी) एवं दिल्ली ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध बिक्री कर आयुक्त (1997) 104 एसटीसी 75 (एससी)

11 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹⁴ में निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 143.52 करोड़ की अंतर्ज्यीय बिक्री करने वाले 6 विक्रेताओं के निर्धारणों को जून 2017 व सितम्बर 2017 के मध्य अंतिम रूप दिया (वर्ष 2009-10 से 2013-14 हेतु) जिनमें से ₹ 12.23 करोड़ मूल्य की बिक्री मान्य फार्म-'सी' से समर्थित नहीं थी। ये अमान्य फार्म या तो निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित नहीं थे अथवा महत्वपूर्ण जानकारी एवं प्रविष्टियों पर कांट-छांट या उपरिलेखन किया गया था अथवा मूल फार्म के स्थान पर प्रतिलिपि/प्रतिपर्ण प्रस्तुत किए गए थे (परिशिष्ट-2.1)। इन फार्मों को निर्धारण के समय अस्वीकृत किया जाना चाहिए था परन्तु निर्धारण प्राधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। निर्धारण प्राधिकारियों ने अमान्य फार्म-'सी' जिसमें ₹ 12.23 करोड़ शामिल थे पर एक व दो प्रतिशत की रियायती दर में ₹ 23.07 लाख का कर उदग्रहित किया गया जबकि पांच, 12.50 व 13.75 प्रतिशत की दर से ₹ 74.39 लाख का कर उदग्रहित किया जाना था। यह ₹ 51.32 लाख के कर के अल्प उदग्रहण में परिणत हुआ। ₹ 53.94 लाख का ब्याज उदग्रहित किया जाना भी अपेक्षित था।

2.5.2 फार्म-'एफ'

केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली, 1957 के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 में प्रावधान हैं, कि शाखा हस्तांतरण/खेप की बिक्री की स्थिति में पंजीकृत विक्रेता को कर में छूट दी जाएगी यदि वह घोषणा फार्म-'एफ'द्वारा समर्थित हो। आगे, एक फार्म-'एफ' केवल एक केलण्डर मास के लेन-देन को शामिल करने के लिए होता है। इसके अतिरिक्त, चुकाए न गए कर पर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दर पर ब्याज भी उदग्रहण योग्य है।

11 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन में निर्धारण प्राधिकारी ने कर अवधि 2009-10 से 2014-15 हेतु दो विक्रेताओं के निर्धारणों को अक्टूबर 2017 व मार्च 2018 के मध्य अंतिम रूप देते समय ₹ 6.75 करोड़ राशि के स्टॉक के स्थानांतरण पर घोषणा फार्म-'एफ' के विरुद्ध ₹ 84.40 लाख के कर की छूट अनुमत की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण के समय 'फार्म-एफ' को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि इनमें एक से अधिक केलण्डर मास के लेन-देनों को शामिल किया गया था अथवा इनकी मूल प्रति नहीं थी। तथापि, सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारियों ने इन फार्मों की समूचित छानबीन नहीं की तथा रियायत अनुमत की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 84.40 लाख के कर का अल्प उदग्रहण हुआ। ₹ 1.20 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहित किया जाना अपेक्षित था (परिशिष्ट-2.2)।

2.5.3 फार्म-'एच'

केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन व टर्न ओवर) नियमावली 1957 के नियम 12 (10) के अनुसार, भारतीय भूखण्ड के बाहर वस्तुओं का निर्यात करने पर यदि विक्रेता उन वस्तुओं के निर्यात के प्रमाण के साथ विधिवत् रूप से भरा एवं निर्यातक द्वारा हस्ताक्षरित फार्म-'एच' जमा करता है, तो उसे कर का भुगतान नहीं करना होगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान सोलन के अभिलेखा की संवीक्षा से उजागर हुआ कि कर अवधि 2013-14 से 2015-16 हेतु दो विक्रेताओं के निर्धारणों को मार्च 2017 व दिसम्बर 2017 के मध्य अंतिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारियों ने घोषणा फार्म-'एच' के बिना ₹ 57.78 लाख राशि के स्टॉक के निर्यात पर ₹ 7.94 लाख के कर में छूट अनुमत की। यह ₹ 7.94 लाख के कर के अनुदग्रहण में परिणत हुआ जिस पर ₹ 4.91 लाख का ब्याज उदग्रहित करना भी अपेक्षित था।

अधिनियम/नियम में निर्धारण प्राधिकारियों को दोषपूर्ण फार्म स्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, अमान्य तथा दोषपूर्ण सांविधिक फार्मों को अस्वीकार न करना ₹ 1.43 करोड़ के कर की रियायती दर की अनियमित अनुमति में परिणत हुआ।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि 6 मामलों में ₹ 0.12¹⁵ लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी तथा वसूल की गई थी जबकि विक्रेताओं के शेष मामले (चार) पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया में थे। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

¹⁴ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी (तीन विक्रेता: ₹ 47.98 लाख), सोलन (दो विक्रेता: ₹ 2.08 लाख) एवं ऊना (एक विक्रेता ₹ 1.26 लाख)

¹⁵ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोलन: छ: विक्रेता: ₹ 0.12 लाख

सरकार विभाग को यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें कि निर्धारण प्राधिकारी विक्रेताओं के निर्धारणों को अंतिम रूप देने एवं कर की रियायती दर अनुमत करने के पूर्व यह सत्यापित करें कि विक्रेता सम्बन्धित अनिवार्य फार्मों को निश्चित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अधिसूचना में अधिदेशित शर्तों को पूरा कर रहे हैं।

2.6 टर्न ओवर का गलत निर्धारण

निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रेताओं के सकल टर्न ओवर को उनके प्रमाणित लेखाओं में दर्शाए गए वास्तविक टर्नओवर से कम निर्धारित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 58.43 लाख के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 64.17 लाख का ब्याज उद्ग्रहित करना भी अपेक्षित था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 2(V)(Zd) के अनुसार टर्न ओवर से तात्पर्य विक्रेता द्वारा की गई बिक्री, खरीद अथवा बिक्री एवं खरीद के किसी भाग तथा वस्तुओं वितरण के पूर्व या वितरण के समय विक्रेता द्वारा लगाया गया भाड़ा, भण्डारण, विलम्ब शुल्क, बीमा जो भी किया गया हो के कुल प्रभार को जोड़ कर बनी सकल राशि से है। इसके अतिरिक्त, धारा 32(1) में प्रावधान है कि आयुक्त या आबकारी एवं कराधान अधिकारी आवश्यकतानुसार किसी बही, दस्तावेज अथवा लेखे का निरीक्षण, जांच कर सकता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने 11 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना-जांच की एवं यह पाया गया कि कर अवधि 2011-12 से 2015-16 हेतु 9 मामलों में 9 विक्रेताओं/ठेकेदारों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (अप्रैल 2017 व फरवरी 2018 के मध्य) चार निर्धारण प्राधिकारियों¹⁶ ने विक्रेताओं/ठेकेदारों के प्रमाणित लेखाओं में अथवा उनके फार्म STXI-B में दर्शाए गए ₹ 253.41 करोड़ के वास्तविक निर्धार्य सकल टर्नओवर के प्रति ₹ 244.26 करोड़ का सकल टर्नओवर निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त, निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के दौरान प्रयोज्य कर दरों पर देय कर, शास्ति व ब्याज की गणना हेतु सकल टर्न ओवर को सत्यापित करने के लिए ना तो बहियों, दस्तावेजों/लेखाओं की जांच की ना ही विक्रेताओं/ठेकेदारों के प्रमाणित लेखाओं या फार्म STXI-B के साथ विवरणियों की प्रति-जांच की। यह राज्य के राजस्व की कीमत पर विक्रेताओं/ठेकेदारों को मिले अनुचित लाभ की ओर ले गया। इसके विक्रेताओं/ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिला तथा राज्य के राजस्व की हानि हुई। इस प्रकार, ₹ 9.15 करोड़ के सकल टर्नओवर/कर योग्य टर्नओवर के अल्प निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 58.43 लाख¹⁷ के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 64.17 लाख का ब्याज उद्ग्रहित करना भी अपेक्षित था।

विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2020) कि पांच मामलों के पुनर्निधारण हेतु नोटिस जारी किए गए थे जबकि शेष मामलों में विभाग द्वारा पुनर्निर्धारण किया गया था। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं।

सरकार विक्रेताओं के टर्नओवर की निगरानी हेतु एक तंत्र तथा उनके प्रमाणित लेखाओं के साथ वार्षिक रिटर्नों (विवरणियों) को सम्बन्धित करने हेतु एक व्यवस्था स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

¹⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: बद्दी: दो विक्रेता, नाहन में सिरमौर: तीन विक्रेता, शिमला: एक विक्रेता तथा सोलन: तीन विक्रेता

¹⁷ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी: 24.38 सिरमौर नाहन में ₹ 24.05 लाख, शिमला ₹ 4.84 लाख और सोलन ₹ 5.16 लाख

2.7 ब्याज का अल्प-उदग्रहण

निर्धारण प्राधिकारियों ने अतिरिक्त उत्पन्न मांग पर ₹ 32.18 लाख के उदग्रहण योग्य ब्याज के स्थान पर ₹ 1.16 लाख का ब्याज उदग्रहित किया जो ₹ 31.02 लाख के ब्याज के अल्प उदग्रहण में परिणत हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार यदि कोई विक्रेता निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल होता है तो वह एक माह की अवधि हेतु एक प्रतिशत की दर से, तथा उसके बाद जब तक बकाया जारी रहे तब तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

तीन आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹⁸के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि कर अवधि 2007-08 से 2015-16 हेतु 15 मामलों में 11 विक्रेताओं के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (अप्रैल 2017 व जनवरी के मध्य 2018) निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 32.93 लाख की अतिरिक्त कर मांग निर्मित की तथा निर्धारण की तिथि तक अतिरिक्त उत्पन्न मांग पर ₹ 32.18 लाख के उदग्रहण योग्य ब्याज के प्रति ₹ 1.16 लाख का ब्याज उदग्रहित किया। अधिनियम में निर्धारण प्राधिकारियों को कोई विवेकाधिकार न दिए जाने के तथ्य के बावजूद निर्धारण आदेशों में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ब्याज के अल्प उदग्रहण का कोई कारण दर्ज नहीं था। लेखापरीक्षा विगत 5 वर्षों से अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी प्रकार की चूकों को इंगित करता रहा है परन्तु सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए निर्धारणों की समीक्षा नहीं की। विभाग ने विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई गलत गणना के कारण इसके राजस्व में हुई हानि की सुरक्षा हेतु अपने तंत्र के सशक्तिकरण के लिए न तो कोई कार्रवाई की न ही निर्धारणों की नियमित समीक्षा संचालित की जो यह चिन्हित करें कि विभाग के पास करदाताओं द्वारा चुकाए गए कर एवं देय कर के निर्धारण हेतु प्रभावी तंत्र नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.02 लाख¹⁹ के ब्याज का अल्प उदग्रहण हुआ।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी ने 6 मामलों में चार विक्रेताओं को नोटिस जारी किए थे जो प्रक्रियाधीन हैं जबकि 9 मामलों में विक्रेताओं का पुनर्निर्धारण किया गया था एवं ₹ 1.80 लाख की अतिरिक्त मांग निर्मित की गई थी तथा ₹ 1.40 लाख की वसूली की गई थी। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

सरकार विभाग को किसी भी निर्धारण को अंतिम रूप देने के पूर्व अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने एवं उचित रूप से जांच करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।

2.8 प्रवेश कर का अल्प-उदग्रहण

निर्धारण प्राधिकारियों ने 2013-16, की अवधि के दौरान न तो अंतर्राज्यीय खरीद-फरोख्त को सत्यापित किया न ही प्रवेश कर के उदग्रहण हेतु सरकार की अधिसूचनाओं का संज्ञान लिया, जो ₹ 24.14 लाख के प्रवेश कर तथा ₹ 17.92 लाख के ब्याज के अल्प उदग्रहण में परिणत हुई।

अनूसूची-2 के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर हिमाचल प्रदेश कर अधिनियम, 2010 में प्रावधान है कि राज्य में निजी साथ ही सरकारी विभागों/निगमों/बोर्डों इत्यादि द्वारा निष्पादित जल विद्युत एवं ताप विद्युत परियोजनाओं तथा अन्य सभी प्रवर्तनशील परियोजनाओं सहित निर्माण-कार्यों के अनुबंध में प्रयोग किए जाने वाली वस्तुएं (माल) वस्तुओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से प्रवेश कर को आकर्षित करेंगी। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग की दिनांक 25 फरवरी 2014 को जारी अधिसूचनानुसार राज्य के भीतर प्रशासित होने पर, 1 मार्च 2014 से सभी औद्योगिक उत्पादन सामग्री (इनपुट), कच्चे माल

¹⁸ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: बद्दी, मण्डी और सोलन

¹⁹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी: ₹ 26.44 लाख, मण्डी: ₹ 1.80 लाख एवं सोलन: ₹ 2.78 लाख

एवं पैंकिंग सामग्री पर प्रवेश कर दो प्रतिशत की दर से (पूर्व के एक प्रतिशत के स्थान पर) देय होगा। यह उन विक्रेताओं पर लागू है जो राज्य के बाहर पंजीकृत हैं तथा हिमाचल प्रदेश में वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, उक्त हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 19 में प्रावधान है कि यदि विक्रेता निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल होता है तो वह एक माह की अवधि हेतु देय कर पर एक प्रतिशत की दर से तथा उसके बाद जब तक बकाया जारी रहे तब तक डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने 11 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना-जांच की तथा यह पाया गया कि कर अवधि 2013-14 हेतु एक विक्रेता के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी के एक मामले में विक्रेता ने ₹ 131.80 करोड़ मूल्य का कच्चा माल क्रय किया था जिसमें से ₹ 13.13 करोड़ मूल्य का माल 2014 के मार्च माह के दौरान राज्य में लाया गया था। निर्धारण प्राधिकारियों ने दिनांक 25 फरवरी 2014 की अधिसूचना का संज्ञान नहीं लिया तथा प्रवेश कर पर दो प्रतिशत की प्रयोज्य दर के बजाय एक प्रतिशत की दर से ₹ 1.28 करोड़ राशि का गलत प्रवेश कर उद्ग्रहित किया। जो ₹ 11.39 लाख राशि के कर के अल्प उद्ग्रहण में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 10.03 लाख का ब्याज उद्ग्रहित करना भी अपेक्षित था।

इसी भांति, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला²⁰ में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 हेतु (11.01.2018 को अंतिम रूप दिया गया) आयातित माल के विक्रेता-वार विवरण (मूल्य वर्धित कर XXVI-A से) एवं विक्रेता के निर्धारण आदेश की संवीक्षा में यह पाया गया कि विक्रेता ने दो वर्षों में ₹ 3.91²¹ करोड़ मूल्य का माल आयात किया जबकि निर्धारण प्राधिकारी ने आयातित माल का मूल्य मात्र ₹ 1.36²² करोड़ निर्धारित किया। इस प्रकार, निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 2.55 करोड़ मूल्य के आयातित माल पर 5 प्रतिशत कर दर से ₹ 12.75 लाख राशि के बराबर प्रवेश कर उद्ग्रहित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.75 लाख के बराबर राशि के कर का अल्प उद्ग्रहण होने के अतिरिक्त ₹ 7.89 लाख का ब्याज उद्ग्रहित करना भी अपेक्षित था।

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के दौरान कर की प्रयोज्य दरों पर देय कर, शास्ति व ब्याज की गणना हेतु फाइल की गई रिटर्न (विवरणियों) की छानबीन शुरू नहीं की थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के दौरान प्रवेश कर की गणना हेतु अंतर्गत्य खरीद को सत्यापित नहीं किया था जो ₹ 24.14 लाख²³ के कर एवं ₹ 17.92 लाख के ब्याज के अल्प उद्ग्रहण में परिणत हुआ।

विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2020) कि एक मामले (शिमला) में ₹ 5,000 की अतिरिक्त मांग निर्मित की गई थी एवं वसूली की गई थी जबकि दूसरे मामले (बद्दी) में विभाग ने विक्रेता के विरुद्ध वर्ष 2011-12 से 2013-14 हेतु प्रवेश कर देयता का भुगतान न करने के लिए कार्रवाई शुरू की थी तथा ₹ 50.40 लाख की वसूली की। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

सरकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने एवं किसी निर्धारण को अंतिम रूप देने के पूर्व समुचित नियंत्रण हेतु विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। सरकार विक्रेताओं के वार्षिक लेखाओं के साथ उनके द्वारा फाइल किए गए रिटर्न (विवरणियों) को प्रति-सत्यापित भी करें।

²⁰ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: शिमला: (एक विक्रेता: ₹ 20.64 लाख)

²¹ 2014-15: ₹ 2.70 करोड़; 2015-16: ₹ 1.2 करोड़

²² (₹ 3.91 करोड़ - ₹ 1.36 करोड़ = ₹ 2.55 करोड़) के स्पष्टीकरण/कर के उद्ग्रहण के सम्बन्ध में अभिलेखों में कुछ नहीं था।

²³ ₹ 11.39 लाख + ₹ 12.75 लाख

2.9 बिक्री एवं स्टॉक को छिपाना

15 मामलों में 12 विक्रेताओं ने ₹ 1.51 करोड़ की बिक्री एवं शेष माल को छिपाया जो निर्धारण से बच गया, परिणामतः ₹ 12.96 लाख के कर की चोरी हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 9.58 लाख का ब्याज व न्यूनतम ₹ 3.24 लाख की शास्ति उद्ग्रहित करना भी अपेक्षित था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16(8) में प्रावधान है कि यदि कोई विक्रेता अपने माल की बिक्री, खरीद या स्टॉक को छिपाने की दृष्टि से गलत लेखे बनाता है अथवा अपनी किसी बिक्री या खरीद के किसी विवरण को छिपाता है अथवा अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी को गलत लेखा प्रस्तुत करता है तो उसे शास्ति का भुगतान करना होगा जो देय कर के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी। धारा 32(1) में प्रावधान है कि आयुक्त या आबकारी एवं कराधान अधिकारी आवश्यकतानुसार किसी भी बही, दस्तावेज अथवा लेखे का निरीक्षण, जांच कर सकता है। आगे, उक्त अधिनियम की धारा 19 में प्रावधान है कि यदि विक्रेता निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल होता है तो उसे एक माह की अवधि हेतु देय का पर एक प्रतिशत तथा उसके बाद जब तक बकाया जारी रहे तब तक डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁴ के अभिलेखों की नमूना-जांच की तथा यह पाया गया कि कर अवधि 2010-11 से 2015-16 के दौरान 12 मामलों में ₹ 537.48 करोड़ का सकल टर्नओवर करने वाले 10 विक्रेताओं ने वार्षिक रिटर्न (विवरणी) में ₹ 1.47 करोड़ की बिक्री का खुलासा नहीं किया जिन्हें अन्य प्रकार से सम्पत्तियों (वाहन, संयंत्र अथवा मशीन) की बिक्री के रूप में उनके व्यापार, लाभ व हानि लेखाओं में दर्शाया गया। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त चम्बा के अन्य मामलों में लेखापरीक्षा संवीक्षा में उजागर हुआ कि कर अवधि 2011-12 व 2014-15 के मध्य तीन मामलों में ₹ 2.12 करोड़ के टर्नओवर वाले दो विक्रेताओं ने ₹ 16.15 लाख का आरप्तिक स्टॉक प्रदर्शित किया जबकि उनके गत वर्ष के प्रमाणित लेखाओं में ₹ 20.35 लाख का अंत स्टॉक दर्शाया गया था। इस प्रकार, कर अवधि के दौरान आरप्तिक व अंत स्टॉक में ₹ 4.20 लाख का अन्तर था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के दौरान कर एवं ब्याज की गणना हेतु विक्रेताओं की बहियों, दस्तावेजों/लेखों की जांच नहीं की साथ ही सकल टर्नओवर को सत्यापित करने के लिए उनके प्रमाणित लेखाओं से विवरणियों रिटर्नों की प्रति-जांच भी नहीं की। निर्धारण प्राधिकारियों ने सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रमाणित प्राप्तियों की तुलना करते समय सकल प्राप्तियों का संज्ञान नहीं लिया तथा निर्धारण प्राधिकारियों/सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विगत पांच वर्षों से बारम्बार इंगित करने के बावजूद नियमों की एक समान प्रयोज्यता हेतु कमियों की जांच/समीक्षा नहीं की। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि विभाग के पास अभिलेख उपलब्ध होने के बावजूद निर्धारण प्राधिकारियों ने सकल टर्नओवर की गणना नहीं की जो अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने में उनकी उपेक्षा अथवा अकर्मण्यता का परिचायक है। इस प्रकार, वार्षिक लेखाओं के साथ वार्षिक रिटर्न को प्रति-जांच करने की जिम्मेदारी निभाने में निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के कारण विक्रेता ₹ 1.51 करोड़ के सकल टर्नओवर/कर योग्य टर्नओवर (₹ 1.47 करोड़ + ₹ 4.20 लाख) को छिपा सके जो निर्धारण से बच गया, परिणामस्वरूप ₹ 12.96²⁵ लाख के कर की चोरी हुई तथा विक्रेताओं को राज्य के राजस्व की कीमत पर अनुचित लाभ मिला। ₹ 9.58 लाख का ब्याज एवं न्यूनतम ₹ 3.24 लाख की शास्ति उद्ग्रहित करना भी अपेक्षित था।

²⁴ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, चम्बा, सिरमौर(नाहन) और सोलन

²⁵ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, चम्बा: दो विक्रेता ₹ 0.21 लाख, सिरमौर(नाहन): आठ विक्रेता: ₹ 12.46 लाख और सोलन: दो विक्रेता: ₹ 0.29 लाख

विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2020) कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁶ ने तीन विक्रेताओं के प्रति ₹ 0.39 लाख की मांग निर्मित की थी जबकि शेष मामलों में पुनर्निर्धारण हेतु नोटिस जारी किए गए जो प्रक्रियाधीन थे। सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

सरकार विक्रेताओं का निर्धारण करते समय मूल्य वर्धित कर अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने हेतु प्रणाली निर्मित करें तथा राज्य में ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारियों के विस्तृद्वं उचित कार्रवाई करें।

2.10 ट्रेकेदार का निर्धारण

निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रेता के वार्षिक रिटर्न की संवीक्षा नहीं की जिसके कारण ₹ 11.11 लाख तक के कर का अवनिर्धारण हुआ। ₹ 15.78 लाख का ब्याज उद्घरित करना भी अपेक्षित था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 18 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत विक्रेता हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम में संलग्न अनुसूची (5) में निर्दिष्ट कर की दर के आधार पर उसके बिक्री के कर योग्य टर्नओवर का वर्गीकरण करेगा। नियम 44 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 60 में प्रावधान है कि निर्धारण प्राधिकारी किसी कर अवधि के दौरान अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फाइल किए गए रिटर्नों की छानबीन, उस रिटर्न के अनुसार कर की दर, गणना, कर के भुगतान, चुकाने योग्य व देय शास्ति व ब्याज की प्रयोज्यता की शुद्धता की जांच करने हेतु कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, उक्त हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 19 में प्रावधान है कि यदि विक्रेता निर्धारित तिथि तक देय कर के भुगतान में विफल होता है तो उसे एक माह की अवधि हेतु देय कर पर एक प्रतिशत की दर से तथा उसके बाद जब तक बकाया जारी रहे तब तक देढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी में, ₹ 7.93 करोड़²⁷ के सकल टर्नओवर वाले एक विक्रेता ने कर अवधि 2010-11 हेतु दो पृथक वार्षिक रिटर्न²⁸ फाइल किए। लेखापरीक्षा ने विक्रेता द्वारा जमा किए गए रिटर्न एवं निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बनाए गए निर्धारण आदेशों की प्रति-जांच की तथा निम्नलिखित पाया:

तालिका 2.2: निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बनाए गए निर्धारण एवं विक्रेता द्वारा फाइल किए गए रिटर्नों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष
(₹ रुपये में)

विवरण	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बनाए गए निर्धारण	फाईल किए गए वार्षिक रिटर्न के अनुसार सकल टर्न ओवर/कर योग्य टर्न ओवर		लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
		व्यापार	कार्य-संविदा	
सकल टर्न ओवर	7,92,86,325	5,80,91,930	2,11,94,395	--
अंतर्राज्यीय बिक्री (-)	18,62,783	0	0	निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 18.63 लाख की अंतर्राज्यीय बिक्री अनुमति की तथा इसे नियांत बिक्री के रूप में छूट दी जबकि विक्रेता ने किसी अंतर्राज्यीय अथवा नियांत बिक्री का दावा नहीं किया था।
मजदूरी प्रभार (-)	198,21,581	--	43,69,535	विक्रेता ने ₹ 2.11 करोड़ (कार्य संविदा), के सकल टर्न ओवर पर ₹ 0.44 करोड़ का दावा मजदूरी प्रभार के रूप में किया जो कि कर मुक्त था जबकि निर्धारण प्राधिकारी ने मजदूरी प्रभार व मजदूरी प्रभार पर लाभ के रूप में ₹ 2.18 करोड़ (₹ 1.98 करोड़ + ₹ 0.20 करोड़) अनुमति किए। यह मजदूरी प्रभार व मजदूरी प्रभार पर लाभ में ₹ 1.74 ²⁹ करोड़ की अधिक अनुमति में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, मजदूरी प्रभार व लाभ की अनुमति से कार्य संविदा के
मजदूरी पर लाभ (-)	19,82,158	--	--	

²⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, चम्बा: ₹ 0.16 लाख और सिरमौर(नाहन): ₹ 0.23 लाख

²⁷ व्यापार एवं निर्माण कार्य अनुबंध

²⁸ सकल टर्न ओवर: 7.93 करोड़ (व्यापार के वार्षिक रिटर्न के अनुसार खाता ₹ 5.81 करोड़ + निर्माण कार्य का वार्षिक रिटर्न ₹ 2.12 करोड़)

²⁹ मजदूरी प्रभार की अधिक अनुमति एवं मजदूरी प्रभाव पर लाभ (₹ 1.98 करोड़ + ₹ 0.20 करोड़ - ₹ 0.44 करोड़ = ₹ 1.74 करोड़)

				सकल टर्न ओवर में ₹ 7.00 लाख तक बढ़ौतरी हुई जिसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनदेखा किया गया।
बर्तमान स्टॉक (-)	48,34,896	--	--	₹ 7.93 करोड़ के कुल सकल टर्न ओवर में से निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 48.35 लाख के अंत स्टॉक में कटौती की जो अधिनियम के प्रावधान के विरुद्ध है। इसके परिणामस्वरूप गलत कटौती एवं कर योग्य टर्न ओवर का कम निर्धारण हुआ।
कर योग्य टर्न ओवर @ 5% कर @ 5%	4,58,80,070 22,94,003	5,80,91,930 29,04,596	41,48,056 2,07,402	निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रेता का निर्धारण करते समय निर्धारण आदेश में उल्लेखित किया कि विक्रेता ने कर अवधि के दौरान 5 प्रतिशत की दर से ₹ 6.22 करोड़ (₹ 5.81 करोड़ का व्यापार व ₹ 41.48 लाख की कार्य संविदा) की बिक्री की। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 4.59 करोड़ का कर योग्य टर्नओवर निर्धारित किया एवं ₹ 6.22 करोड़ पर 5 प्रतिशत की दर से ₹ 31.12 लाख के उद्याहय कर (₹ 29.04 लाख + ₹ 2.08 लाख) के प्रति ₹ 22.94 लाख का कर लगाया। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 8.18 लाख (₹ 31.12 लाख - ₹ 22.94 लाख) तक के कर का अल्प निर्धारण हुआ। ₹ 11.62 लाख का ब्याज उद्याहित करना भी अपेक्षित था।
वार्षिक रिटर्न में कुल वर्गीकृत बिक्री		5,80,91,930	74,07,243 ³⁰	
मजदूरी प्रभार			(+) 43,69,535	
मजदूरी प्रभार पर लाभ		--	(+) 4,36,954	
मशीन प्रभार		--	(+) 16,45,650	
		5,80,91,930	1,38,59,382	₹ 2.11 करोड़ के कार्य संविदा टर्नओवर की तुलना में मजदूरी प्रभार, मजदूरी प्रभार पर लाभ व मशीन प्रभार सहित कुल वर्गीकृत बिक्री पर ₹ 1.38 करोड़ की वसूली की गई। यह ₹ 73.00 लाख तक कम थी जो ₹ 2.93 लाख राशि के @ 4% कर (कर की न्यूनतम दर) के अल्प उद्याहण में परिणत हुई। ₹ 4.16 लाख का ब्याज उद्याहित करना भी अपेक्षित था।
			73,35,013	

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस मामले में निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के दौरान कर की दरों की प्रयोज्यता की शुद्धता को जांचने, कर योग्य शास्ति व देय ब्याज की गणना के लिए फाईल किए गए रिटर्नों की छानबीन नहीं की जो अधिनियम/नियम के प्रावधानानुसार आवश्यक थी। इस प्रकार, अभिलेखों को जांचने में निर्धारण प्राधिकारियों की अक्षमता एवं अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का पालन करने में उनकी विफलता ₹ 11.11 लाख³¹ तक के कर की न्यूनोक्ति में परिणत हुई जिस पर 15.78³² लाख का ब्याज उद्याहित करना भी अपेक्षित था।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि विक्रेता को पुनर्निर्धारण हेतु नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

सरकार विक्रेताओं का निर्धारण करते समय मूल्य वर्धित कर अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने हेतु प्रणाली निर्मित करें तथा राज्य में ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें।

³⁰ कर योग्य टर्नओवर @4% ₹ 10,37,014 + कर योग्य टर्नओवर @ 5% ₹ 41,48,056 + कर योग्य टर्नओवर @ 13.75% ₹ 22,22,173 = ₹ 74,07,243

³¹ ₹ 8.18 लाख + ₹ 2.93 लाख = ₹ 11.11 लाख

³² ₹ 11.62 लाख + ₹ 4.16 लाख = ₹ 15.78 लाख

2.11 मजदूरी प्रभारों की अधिक अनुमति

सकल टर्नओवर से ₹ 99.23 लाख के मजदूरी प्रभारों की अधिक कटौती के परिणामस्वरूप ₹ 7.92 लाख के कर का अवनिधारण हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि जहां मजदूरी प्रभार ठेकेदारों के लेखों से निर्धारित नहीं होता अथवा संविदा की प्रकृति को देखते हुए अनुचित रूप से उच्च समझा जाता है, वहां उक्त अधिनियम/नियमों में संविदा की निर्दिष्ट प्रकृति हेतु निर्धारित सीमाओं के अनुसार निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा मजदूरी प्रभारों में कटौती की अनुमति दी जाएगी।

11 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि कर अवधि 2014-15 से 2016-17 हेतु चार मामलों में दो ठेकेदारों के निर्धारणों को दिसम्बर 2017 व फरवरी 2018 के मध्य अंतिम रूप देते समय दो निर्धारण प्राधिकारियों³³ ने मजदूरी प्रभारों में अमान्य कटौती अनुमत की। निर्धारण प्राधिकारियों ने ठेकेदारों द्वारा किए गए दावे के अनुसार ₹ 3.39 करोड़ के प्रति ₹ 4.38 करोड़ के मजदूरी प्रभार (₹ 17.52 करोड़ के सकल टर्न ओवर का 25 प्रतिशत) को अनुमत किया। निर्धारण प्राधिकारियों ने मजदूरी लेखाओं को सत्यापित किए बिना अथवा प्रमाणित लेखाओं के साथ रिटर्नों की प्रति-जांच किए बिना मजदूरी प्रभार अनुमत किए जो ₹ 99.23 लाख के मजदूरी प्रभार की अधिक अनुमति में परिणत हुए। लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विगत 5 वर्षों से बारम्बार इंगित किए जाने के बावजूद निर्धारण प्राधिकारियों ने इन मामलों में प्रमाणित लेखाओं के आधार पर मजदूरी प्रभारों का निर्धारण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 7.92 लाख³⁴ तक के कर का अवनिधारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.12 लाख³⁵ का व्याज उद्घग्नित किया जाना भी अपेक्षित था।

विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि विक्रेताओं के मामलों का पुर्निर्धारण किया गया था एवं ₹ 1.98 लाख की अतिरिक्त मांग निर्मित तथा वसूल की गई भी परन्तु सहायक दस्तावेजों के अभाव में उत्तर का सत्यापन नहीं किया जा सका। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2020)।

सरकार मजदूरी प्रभारों की अधिक व अनुचित अनुमति एवं अन्य कटौतियों से बचने के लिए विभाग को विक्रेताओं के निर्धारणों की सावधानीपूर्वक जांच करने हेतु तथा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की परिधि के भीतर कटौतियां अनुमत करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग ऐसे समान मामलों की विस्तृत जांच करें एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें।

³³ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला और ऊना

³⁴ उद्घग्नण योग्य कर = अधिक अनुमत X कर की दर(न्यूनतम)/100

शिमला: $18,22,552 \times 5/100 = 91128$ और $33,84,759 \times 13.75/100 = ₹ 4,65,404$

ऊना: $4716116 \times 5/100 = ₹ 2,35,805$

कुल कर: $91,128 + 4,65,404 + 2,35,805 = ₹ 7,92,337$

³⁵ व्याज = उद्घग्नण योग्य कर X कर की दर X विलम्बित माह/100

शिमला: $91,128 \times 1.5 \times 22/100 + 91,128 \times 1/100 = ₹ 30,983$ और $4,65,404 \times 1.5 \times 22/100 + 465404 \times 1/100 = ₹ 1,58,237$

ऊना: मामला-I: $1,04,895 \times 1.5 \times 46/100 + 1,04,895 \times 1/100 = ₹ 73,426$

मामला-II: $24,866 \times 1.5 \times 34/100 + 24,866 \times 1/100 = ₹ 12,930$

मामला-III: $1,06,046 \times 1.5 \times 22/100 + 1,06,046 \times 1/100 = ₹ 36,056$

कुल व्याज: $30,983 + 1,58,237 + 73,426 + 12,930 + 36,056 = ₹ 3,11,632$

राज्य आबकारी

2018-19 में राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित 13 इकाईयों में से ₹ 2,184.20 करोड़ की प्राप्ति वाली 10 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच से ₹ 109.66 करोड़ के उत्पाद शुल्क, लाइसेंस फीस, ब्याज शास्ति एवं अन्य अनियमितताओं की वसूली न करना तथा अल्प वसूल करने के 72 मामले उद्घाटित हुए।

वर्ष 2018-19, के दौरान विभाग ने विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित छ: मामलों में ₹ 95.49 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कामियों को स्वीकार किया तथा उसे वसूल किया।

₹ 107.46 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ महत्वपूर्ण मामलों (पांच) पर अनुवर्ती परिच्छेदों 2.12 से 2.16 में चर्चा की गई है:

2.12 लाइसेंस फीस की अल्प वसूली

निर्धारण प्राधिकारियों ने 23 लाइसेंसधारियों से ₹ 82.32 करोड़ की कम जमा लाइसेंस फीस वसूलने के लिए लाइसेंस की पुनर्विक्री की अनुमति को रद्द/निलंबित करने या बिक्री केन्द्र सील करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।

राज्य सरकार की आबकारी घोषणा 2017-18 में प्रावधान है कि किसी विशिष्ट बिक्री केन्द्र की वार्षिक लाइसेंस फीस प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए सम्पूर्ण वर्ष हेतु निर्धारित शराब के न्यूनतम गारंटीकृत कोटे के आधार पर पूर्व निर्धारित होगी। इस प्रकार से निर्धारित की गई है कि फीस 12 मासिक किस्तों में उदग्रहित करनी हैं तथा प्रत्येक माह के अन्तिम दिन किस्त का भुगतान किया जाना है एवं मार्च माह हेतु अन्तिम किस्त का पूर्ण भुगतान 15 मार्च तक किया जाना अपेक्षित है। यदि लाइसेंसधारी अगले माह के अंतिम दिन तक अथवा 15 मार्च तक अंतिम किस्त का भुगतान करने में विफल होता है, तो जिले का प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी यथास्थित आगामी माह के पहले दिन अथवा 16 मार्च को सामान्य रूप से बिक्री केन्द्र सील करेगा। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी लाइसेंस को रद्द या निलंबित अथवा बिक्री केन्द्र का पुनः विक्रय कर सकता है तथा इस तरह के मामले को भू-राजस्व के अंतर्गत बकाया घोषित करते हुए सम्पत्ति को कुर्क कर सकता है।

मई 2018 एवं मार्च 2019 के बीच नौ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁶ के एम-2 रजिस्टरों³⁷ की संचालन से पता चला कि वर्ष 2016-18 के लिए 1192 लाइसेंसधारियों में से 23 लाइसेंसधारियों से वसूली योग्य ₹ 334.68 करोड़ की लाइसेंस फीस के प्रति विभाग ने केवल ₹ 252.36 करोड़ की वसूली की। इन बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों की मासिक किस्तों मई 2016 व मार्च 2018 के मध्य से भुगतान हेतु बकाया होने के बावजूद सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने न तो परमिट को रद्द/निलंबित करने के लिए कोई कार्रवाई की न ही शेष लाइसेंस फीस की वसूली हेतु लाइसेंस की पुनः बिक्री केन्द्रों को सील किया। भू-राजस्व के अन्तर्गत बकाया की घोषणा के बाद शेष लाइसेंस फीस की वसूली हेतु इन सभी मामलों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रभावी वसूली के लिए सम्बन्धित कलेक्टर को भेजा जाना अपेक्षित था। तथापि, दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने तीन मामलों में बकाया भू-राजस्व के तहत ₹ 3.08 करोड़³⁸ का बकाया घोषित किया तथा उन लाइसेंसधारियों की सम्पत्ति जैसे दुकान/परिसर इत्यादि को कुर्क करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार, अधिनियम/आबकारी घोषणा की प्रक्रियाओं का पालन करने में निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 82.32 करोड़ राशि की लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई।

³⁶ बही: 2 इकाईयाँ: ₹ 12.33 करोड़: बिलासपुर: 6 इकाईयाँ: ₹ 0.53 करोड़, हमीरपुर: तीन इकाई: ₹ 1.44 करोड़, सिरमौर स्थित नाहन: दो इकाई: ₹ 10.52 करोड़, मण्डी: दो इकाई: ₹ 0.50 करोड़, नूरपुर एक इकाई: ₹ 0.16 करोड़, शिमला: पांच यूनिट: ₹ 5.22 करोड़, सोलन: एक इकाई: ₹ 0.22 करोड़ और ऊना: एक इकाई: ₹ 51.40 करोड़।

³⁷ एक रजिस्टर जिसमें विदेशी स्पिरिट की मात्रा भारत में निर्मित विदेशी शराब व देशी शराब सहित जो विक्रय लाइसेंस शुल्क की राशि को दर्शाता है।

³⁸ बिलासपुर: दो इकाई: ₹ 1.59 करोड़, सिरमौर स्थित नाहन: एक इकाई: ₹ 1.49 करोड़।

विभाग ने बताया (जुलाई 2018 एवं मार्च 2019 के बीच) कि मामलों की समीक्षा के बाद कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश दे दिये गए हैं।

सरकार लाइसेंसधारियों से हुई वसूलियों की मासिक समीक्षा हेतु प्रभावी तंत्र निर्मित करने अथवा बकाया होने की स्थिति में बिक्री केन्द्रों को सील करने पर विचार करें।

2.13 न्यूनतम गारंटीकृत कोटे से कम शराब उठाने पर अतिरिक्त फीस एवं शास्ति का अनुदग्रहण

निर्धारण प्राधिकारियों ने न्यूनतम गारंटीकृत कोटा उठाने की त्रैमासिक समीक्षा नहीं की जिसके परिणामस्वरूप 1,130 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों द्वारा 62,87,807 प्रूफ लीटर कम शराब उठाने से ₹ 20.28 करोड़ की अतिरिक्त फीस की वसूली नहीं हुई। कम कोटा उठाने के लिए 2.48 करोड़ की शास्ति उदग्रहित की जानी भी अपेक्षित थी।

राज्य सरकार की आबकारी घोषणा 2017-18 यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक लाइसेंसधारी को देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब दोनों का हर बिक्री केन्द्र हेतु निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत कोटा उठाने अपेक्षित है तथा लाइसेंसधारी को न्यूनतम गारंटीकृत कोटा के आधार पर नियत की गई लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा। लाइसेंसधारी को न्यूनतम गारंटीकृत कोटे के 100 प्रतिशत बैंचमार्क (मानदण्ड) से कम कोटे की नहीं उठाई गई शराब के लिए देशी शराब पर 10 रुपये प्रति प्रूफ लीटर एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब पर 56 रुपये प्रति प्रूफ लीटर की अतिरिक्त फीस का भुगतान भी करना होगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारी को न्यूनतम गारंटीकृत कोटे के 80 प्रतिशत बैंचमार्क से कम कोटे की नहीं उठाई गई शराब के लिए देशी शराब पर 7 रुपये प्रति प्रूफ लीटर व भारत निर्मित विदेशी शराब पर 14 रुपये प्रति प्रूफ लीटर की शास्ति भी चुकानी होगी। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी त्रैमासिक आधार पर न्यूनतम गारंटीकृत कोटा उठाने की स्थिति की समीक्षा करेगा तथा नहीं लिए गए न्यूनतम गारंटीकृत कोटे पर अतिरिक्त फीस एवं शास्ति की वसूली सुनिश्चित करेगा।

दस सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁹ के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2018 एवं मार्च 2019 के बीच) से पता चला कि 1,837 में से 1,130 बिक्री केन्द्रों ने 2,36,83,000 प्रूफ लीटर (देशी शराब 1,36,93,032 प्रूफ लीटर एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब 99,89,968 प्रूफ लीटर) के निर्धारित वार्षिक न्यूनतम गारंटीकृत कोटे के प्रति 62,87,807⁴⁰ प्रूफ लीटर (देशी शराब 32,44,913 प्रूफ लीटर एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब: 30,42,894 प्रूफ लीटर) कम शराब उठाई जो कि न्यूनतम गारंटीकृत कोटे के 100 प्रतिशत बैंचमार्क से कम थी।

तालिका 2.3: निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत कोटा, उठाया गया कम कोटा एवं उदग्रहित अतिरिक्त फीस/शास्ति का विवरण

शराब के प्रकार	निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत कोटा (प्रूफ लीटर में)	100 प्रतिशत से कम (प्रूफ लीटर में)	अतिरिक्त फीस (₹ में)	80 प्रतिशत से कम (प्रूफ लीटर में)	शास्ति (₹ में)
देशी शराब	1,36,93,032	32,44,913	3,24,49,128	10,94,315	76,60,209
भारत में निर्मित विदेशी शराब	99,89,967	30,42,894	17,04,02,068	12,22,666	1,71,17,323
योग	2,36,82,999	62,87,807	20,28,51,196	23,16,981	2,47,77,532

³⁹ बही: 58 बिक्री केन्द्र: ₹ 1.98 करोड़; बिलासपुर: 151 बिक्री केन्द्र: ₹ 1.52 करोड़; हमीरपुर: 72 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.45 करोड़; कांगड़ा स्थित धर्मशाला: 134 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.90 करोड़; मण्डी: 171 बिक्री केन्द्र: ₹ 3.80 करोड़; नुरपूर: 24 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.29 करोड़; सिरमौर: 33 बिक्री केन्द्र: ₹ 1.54 करोड़; सोलन: 62 बिक्री केन्द्र: ₹ 2.67 करोड़; शिमला: 144 बिक्री केन्द्र: ₹ 2.37 करोड़ व ऊना: 281 बिक्री केन्द्र: ₹ 4.74 करोड़।

⁴⁰ **शराब का कोटा** देशी शराब भारत निर्मित विदेशी शराब कुल
निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत कोटा 1,36,93,032 99,89,967 2,36,83,000
उठाया गया न्यूनतम गारंटीकृत कोटा 1,04,48,119 69,47,073 1,73,95,193
कम उठाया गया न्यूनतम गारंटीकृत कोटा 32,44,913 30,42,894 62,87,807

इस प्रकार उठाए गये कम कोटे पर ₹ 20.28 करोड़ की अतिरिक्त फीस उद्घरित की जानी अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त इन 1,130 बिक्री केन्द्रों में से 546 बिक्री केन्द्रों में न्यूनतम गारंटीकृत कोटा के प्रति 80 प्रतिशत बेंचमार्क से 23,16,982 प्रूफ लीटर कम उठाई गई तथा इन लाइसेंसधारियों से ₹ 2.48 करोड़ की शास्ति को उद्घरित किया जाना अपेक्षित था। तथापि, विभाग ने इसका उद्घरण नहीं किया।

इस तथ्य के बावजूद कि लेखापरीक्षा ने पिछले छः वर्षों से बार-बार इन कमियों को इंगित किया था, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त/आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने आबकारी घोषणा का उल्लंघन करते हुए त्रैमासिक आधार पर न्यूनतम गारंटीकृत कोटा उठाने की प्रास्थिति की जांच करने के लिए कोटा उठाने वाली विवरणी की समीक्षा नहीं की जो कि आबकारी घोषणा के प्रावधानों को लागू करने में लापरवाही या अनिच्छा को दर्शाता है। इस प्रकार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त/आबकारी एवं कराधान अधिकारी की ओर से विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 22.76 करोड़ (₹ 20.28 करोड़ + ₹ 2.48 करोड़) की अतिरिक्त फीस एवं शास्ति की अल्प वसूली हुई।

विभाग ने बताया (जनवरी 2020) कि सम्बन्धित लाइसेंसधारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं तथा राशि की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश दिये गए हैं।

सरकार कोटा उठाने की प्रास्थिति की मासिक समीक्षा हेतु प्रभावी तंत्र स्थापित करने पर विचार करें ताकि अतिरिक्त फीस की वसूली के लिए समय पर कार्रवाई की जा सके।

2.14 अनुबंधित गोदामों/मद्यशालाओं पर तैनात आबकारी कर्मचारी के वेतन की अल्प वसूली/वसूली न करना

दो मदिरा निर्माणशाला, तीन मद्यशाला एवं पांच बोतल संयंत्रों में तैनात आबकारी स्थापना कर्मचारियों के ₹ 58.36 लाख वेतन की वसूली लाइसेंसधारियों से नहीं की गई।

पंजाब मद्यशाला नियमावली, 1932 जो कि हिमाचल प्रदेश में भी लागू होता है, के नियम 9.13 एवं 9.16 में प्रावधान है कि नियमों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाइसेंसधारी को अपनी मद्यशाला में एक शासकीय आबकारी स्थापना की तैनाती के लिए सहमत होना होगा। यदि आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो लाइसेंसधारी मद्यशाला में तैनात शासकीय आबकारी स्थापना के वेतन की यदि मांग की गई हो तो भुगतान सरकार को करेगा। परन्तु वह ऐसी स्थापना के किसी सदस्य को किसी प्रकार का सीधा भुगतान नहीं करेगा।

लेखापरीक्षा ने 10 लाइसेंसधारियों (दो मदिरा निर्माणशाला, तीन मद्यशाला एवं पांच बॉटलिंग संयंत्रों) के अभिलेख की दोबारा जांच सम्बन्धित पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁴¹ के अभिलेखों के साथ जांच की तथा पाया कि वर्ष 2016-18 के लिए मद्यशाला/मदिरा निर्माण शाला/बॉटलिंग संयंत्रों में तैनात आबकारी स्थापना कर्मचारियों के ₹ 74.40 लाख वेतन की राशि का लाइसेंसधारियों द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित था। तथापि, 10 में से दो लाइसेंसधारियों ने मात्र ₹ 16.03 लाख⁴² का सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को भुगतान किया। आहरण एवं संवितरण अधिकारी होने के कारण सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को इन तैनातियों की जानकारी थी तथा वे सरकारी बकाया की समय पर वसूली हेतु जबाबदार थे। देय वेतन की मांग का निर्धारण एवं उसका भुगतान करने में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कमजोर आंतरिक नियंत्रण व पर्यवेक्षण के अभाव के कारण ₹ 58.36 लाख⁴³ की वसूली नहीं हुई।

⁴¹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: बद्दी, मण्डी, नाहन, नुरपूर व ऊना

⁴² सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: नुरपूर: ₹ 5.32 लाख व ऊना: ₹ 10.71 लाख

⁴³ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: बद्दी: ₹ 18.29 लाख, मण्डी: ₹ 10.11 लाख, नाहन: ₹ 18.21 लाख, नुरपूर: ₹ 3.14 लाख व ऊना: ₹ 8.61 लाख

विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2020) कि पांच मामलों में ₹ 23.57 लाख⁴⁴ की वसूली कर ली गई तथा अन्य मामलों में राशि की वसूली हेतु नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश दिये गए हैं।

2.15 बॉटलिंग शुल्क की वसूली न करना

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी ने एक लाइसेंसधारी से ₹ 51.31 लाख की बॉटलिंग शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

आबकारी घोषणा वर्ष 2017-18 में प्रावधान है कि लाइसेंसधारी द्वारा भारतीय निर्मित विदेशी शराब पर बॉटलिंग शुल्क ₹ पांच प्रति 750 मिलीलीटर तथा देशी शराब पर ₹ एक प्रति 750 मिलीलीटर का भुगतान किया जायेगा। पंजाब मद्यशाला नियमावली, 1932 के नियम 9.5 (6)(ए) में प्रावधान है कि शुल्क तिमाही आधार पर देय होगा यानी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के सात दिनों के भीतर देना होगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी के अभिलेखों की समीक्षा में पाया कि एक बॉटलिंग संयंत्र के लाइसेंसधारी ने वर्ष 2017-18 के दौरान बॉटलिंग शुल्क के ₹ 51.31 लाख जमा नहीं किए। लेखापरीक्षा द्वारा हर साल इन चूकों को इंगित किए जाने के बावजूद सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने आबकारी घोषणा के अनुसार न तो बॉटलिंग शुल्क की वसूली न ही लाइसेंस रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई की, जबकि लाइसेंसधारी का भुगतान जुलाई 2017 से बकाया था। बॉटलिंग संयंत्र में तैनात आबकारी एवं कराधान अधिकारी/आबकारी एवं कराधान निरीक्षक द्वारा प्रत्येक तिमाही के पश्चात् बॉटलिंग शुल्क की वसूली की जानी थी परन्तु नहीं की गई।

इस प्रकार, लाइसेंसधारी के विरुद्ध अधिनियम/नियमों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव तथा समय पर राजस्व की वसूली हेतु भुगतान की प्राप्तिका समीक्षा करने में विभाग की अपर्याप्त सक्रियता कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण की परिचायक थी जो ₹ 51.31 लाख राशि के बॉटलिंग शुल्क की अवसूली में परिणत हुई।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2019) कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी ने आबकारी एवं कराधान निरीक्षक को निर्देशित किया कि सम्बन्धित बोटलिंग संयंत्रों से बोटलिंग शुल्क वसूल किया जाए।

सरकार त्रैमासिक आधार पर लाइसेंसधारियों से वसूलियों की आवधिक समीक्षा हेतु एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने पर विचार करें।

2.16 विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनुदग्रहण

विभाग द्वारा 134 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से बॉटलिंग फीस/लाइसेंस फीस/बॉटलिंग शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ₹ 3.75 करोड़ की राशि के ब्याज की मांग न किए जाने के परिणामस्वरूप इतने ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ।

आबकारी घोषणा 2017-18 में प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी एक मास के भीतर न्यूनतम गारंटीकृत कोटा लेने में असमर्थ होता है, तो उसे महीने के अंतिम दिन तक लाइसेंस शुल्क की पूरी किस्त का भुगतान करना होगा तथा मार्च मास की फीस का पूर्ण भुगतान दिनांक 15 मार्च तक किया जाना अपेक्षित है। पैरा 4.5 (ए) में आगे, प्रावधान है कि अगर लाइसेंसधारी फीस का हिस्से का भुगतान निर्धारित तिथि तक करने में विफल रहता है, तो एक महीने की अवधि पर 14 प्रतिशत की दर से तथा उसके बाद 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज उद्ग्राहय होगा। हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब मद्यशाला नियमावली, 1932 के नियम 9.5 (6(ए)ii) के अनुसार, निर्धारित दरों पर बॉटलिंग शुल्क त्रैमासिक आधार होगा अर्थात् वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के सात दिनों के भीतर पर

⁴⁴ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: बद्दी: दो मामले ₹ 11.64 लाख, नाहन: दो मामले ₹ 8.80 लाख व नुरपुर: एक मामले ₹ 3.13 लाख

देय। नियम 9.5 (8) में आगे यह प्रावधान है कि देय तिथि तक बॉटलिंग फीस अथवा उसके भाग का भुगतान करने में विफल रहने के मामले में फीस भुगतान की बकाया तिथि से एक माह की अवधि या उसके भाग हेतु 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा यदि फीस भुगतान बकाया एक माह से आगे बढ़ता है तो जबतक बकाया जारी रहे तबतक भुगतान होने की प्रांरभिक तिथि से 18 प्रतिशत की वार्षिक दर पर व्याज देय होगा।

मई 2018 और मार्च 2019 के मध्य 10 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁴⁵के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 1,837 बिक्री केन्द्रों में से 134 के लाइसेंसधारियों ने, ₹ 258.37 करोड़ की लाइसेंस फीस एवं ₹ 3.73 करोड़ का बॉटलिंग शुल्क देय तिथियों के पश्चात जमा (अप्रैल 2016 और नवम्बर 2017 के मध्य) किया था। विलंब दो से 339 दिनों के मध्य का था। अतएव, ये लाइसेंसधारी विलंबित भुगतानों पर ₹ 3.75 करोड़⁴⁶(लाइसेंस शुल्क पर ₹ 3.54 करोड़ और बॉटलिंग शुल्क पर ₹ 21.26 लाख) के व्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

हालांकि, सम्बन्धित आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने आबकारी घोषणा के प्रावधानों के अनुसार ना ही कोई मांग उठाई और न बिक्री केन्द्र सील किए। इसके अतिरिक्त, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/निर्धारण प्राधिकारियों ने पिछले पांच वर्षों में बार-बार लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद इन भी कमियों की समीक्षा नहीं की, जो कि आबकारी घोषणा के प्रावधानों को लागू करने में लापरवाही अथवा अकर्मण्यता का परिचायक है।

विभाग ने बताया (अगस्त 2020) कि लाइसेंसधारियों से राशि वसूलने के लिए सम्बन्धित आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों को नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

सरकार अपने राजस्व की सुरक्षा हेतु मद्यशालाओं, मदिरा निर्माणशालाओं, बॉटलिंग संयंत्रों से वसूलियों की आवधिक समीक्षा संचालित करने पर विचार करें।

⁴⁵ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, धर्मशाला, मण्डी, नुरपूर, शिमला, सिरमौर, सोलन व ऊना।

⁴⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: बद्दी तीन विक्रेता: ₹ 0.79 करोड़, बिलासपुर 10 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.25 करोड़, हमीरपुर 19 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.25 करोड़, धर्मशाला 29 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.11 करोड़, मण्डी 15 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.26 करोड़, नुरपूर एक बिक्री केन्द्र: ₹ 0.05 करोड़, शिमला 19 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.67 करोड़, सिरमौर 26 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.26 करोड़, सोलन छ: बिक्री केन्द्र: ₹ 1.07 करोड़ व ऊना छ: विक्रेता: ₹ 0.03 करोड़।

स्टाम्प शुल्क

वर्ष 2018-19 के दौरान 155 इकाईयों में से ₹ 251.6 करोड़ की प्राप्ति वाली 55 इकाईयों के राजस्व विभाग से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना-जांच में, 305 मामलों में सम्पत्ति के बाजारी मूल्य के गलत निर्धारण, स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस का अल्प/अनुद्ग्रहण, पट्टेनामे (पट्टा-विलेख) पर स्टाम्प शुल्क की अल्प/अवसूली तथा अन्य अनियमितताओं से अंतर्गत ₹ 10.65 करोड़ पाए गए।

वर्ष 2018-19 के दौरान, विभाग ने पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित 107 मामलों में राजस्व निहितार्थ से युक्त ₹ 1.55 करोड़ तथा 2018-19 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित 292 मामलों में ₹ 10.48 करोड़ के अवनिर्धारणों व अन्य कमियों को स्वीकार किया। 114 मामलों में ₹ 60.45 लाख की राशि की वसूली की गई जिसमें से सात मामलों के ₹ 3.41 लाख वर्ष 2018-19 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थे तथा 107 मामलों के ₹ 57.03 लाख पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थे।

वित्तीय निहितार्थ से युक्त ₹ 12.07 करोड़ के महत्वपूर्ण मामलों (दो) पर अनुवर्ती परिच्छेदों 2.17 व 2.18 में चर्चा की गई है।

2.17 ‘स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का उदग्रहण एवं संग्रहण’

बिक्री/पट्टेनामे के 809 मामलों में उप-पंजीयकों ने पंजीयन के पूर्व संशोधित दरों के संदर्भ में सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य या कीमत पर विचार नहीं किया अथवा भूमि के सर्किल रेट (सर्किल दरों) का सत्यापन अथवा सड़क से भूमि की दूरी के संदर्भ में शपथ-पत्रों की प्रति-जांच नहीं की। पट्टेनामें के मामलों में उप-पंजीयकों ने एक समान प्रक्रिया नहीं अपनाई थी। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के गलत उदग्रहण के परिणामस्वरूप ₹ 10.53 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त पट्टेनामें के पंजीयन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले हिमाचल पंजीयन सूचना सॉफ्टवेयर (हिमाचल रजिस्ट्रेशन इनफार्मेशन, हिमरिस में खामियां थीं तथा एप्लिकेशन केन्द्रीकृत सर्वर के बिना प्रत्येक इकाई में स्वतंत्र सर्वरों पर चल रही थीं

2.17.1 परिचय

सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य या माने गए मूल्य पर बिक्री/पट्टेनामे दस्तावेज के पंजीयन पर प्रभारित राशि ‘स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस’ के नाम से जानी जाती हैं।

स्टाम्प शुल्क, सम्पत्तियों के सभी लेन-देन पर भारतीय स्टाम्प शुल्क, 1899 की धारा 3 के तहत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष देय कर हैं। राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के प्रलेखों (लिखत) जैसे बैनामा, रेहन, पट्टे इत्यादि पर महानिरीक्षक के माध्यम से स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस का उदग्रहण एवं संग्रहण करती है, जो विभागाध्यक्ष होता है तथा उप-आयुक्त/कलेक्टर व उप-पंजीयक इसके सहायक होते हैं। स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस के उदग्रहण व संग्रहण हेतु राज्य में 12 कलेक्टर व 117 तहसीलदार/नायब तहसीलदार हैं जो क्रमशः पंजीयक व उप-पंजीयक के रूप में कार्यरत हैं।

सम्पत्तियों के हस्तांतरण अर्थात् निर्मित-संरचना, भूमि, पट्टेनामें पर सम्पत्ति के माने गए मूल्य या बाजारी मूल्य में से जो भी उच्च हो उसे स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस के उदग्रहण हेतु लिया जाता है। इनके पंजीयन के लिए लाइसेंस प्राप्त अथवा पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता से सम्पत्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य है।

स्टाम्प शुल्क 6 प्रतिशत की दर से उदग्रहय है। महिलाओं के लिए स्टाम्प शुल्क चार प्रतिशत की दर से उदग्राह्य है, जो निर्मित संरचना (आवासीय) के बिक्री/उपहार नामे पर 21 जून 2016 से पूर्ण प्रभाव से घटा कर तीन प्रतिशत कर दी गई थी। पंजीयन फीस सम्पत्ति का माना गया या बाजारी मूल्य जो भी अधिक हो, पर दो प्रतिशत की दर से उदग्राह्य है।

विभाग में बिक्री नामें/बैनामें के पंजीयन हेतु प्रत्येक उप-पंजीयन या उप-तहसील कार्यालय में हिमाचल रजिस्ट्रेशन इन्फार्मेशन सॉफ्टवेयर, (हिमरिस, हिमाचल पंजीयन सूचना सॉफ्टवेयर) उपलब्ध है। हिमरिस एक स्वचलित-स्वशासी प्रोजेक्ट है जो दस्तावेज की सरल एवं एक समान पंजीयन प्रक्रिया, पंजीयन के उपरांत उसी दिन अभिलेख संकलन तथा मूल दस्तावेज की निश्चित वापसी सुनिश्चित करती है। यह एप्लीकेशन वर्क-फ्लो (प्रविष्टि आधारित, पिछला पेज भरने पर ही अगला भरा जा सके) आधारित है तथा हिमभूमि (कम्प्यूटरीकृत भू-रिकार्ड) के साथ सम्बन्ध है।

बिक्री नामें एवं वाहननामें पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस के उद्ग्रहण व संग्रहण के संदर्भों में इस व्यवस्था की दक्षता एवं शुद्धता का आकलन करने के लिए दिसम्बर 2018 व अप्रैल 2019 के मध्य लेखापरीक्षा संचालित की गई।

156 पंजीयन कार्यालयों (पंजीयक/उप-पंजीयक) में से 33⁴⁷ उप पंजीयकों के अभिलेखों वर्ष 2015, 2016 व 2017 की नमूना-जांच की गई। नमूना-जांचित उप-पंजीयकों में, 1.50 लाख नामे (विलेख)दस्तावेज पंजीकृत किए गए थे जिसमें से नमूना जांच के लिए चयन की गई अवधि में 40,625 दस्तावेजों की गई थी। 2015-17 के मध्य स्टाम्प शुल्क के अंतर्गत राज्य की प्राप्तियां साथ ही उप-पंजीयकों के नमूने के तौर पर ली गई प्राप्तियां नीचे दर्शाई गई हैं:

तालिका 2.4: स्टाम्प शुल्क के अंतर्गत राज्य की एवं नमूना-जांचित उप-पंजीयकों की नमूना जांचित प्राप्तियां

वर्ष	राज्य की प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	उप-पंजीयकों (33) की नमूना जांचित की गई प्राप्तियां (₹ करोड़ में)
2015-16	205.52	86.91
2016-17	209.16	87.99
2017-18	205.52	99.13

स्रोत: उप-पंजीयकों की नमूने के तौर पर लिए गए निरीक्षण प्रतिवेदन एवं वित्त लेखें

2.17.2 निर्मित-संरचनाओं पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की अल्प वसूली

हिमाचल प्रदेश स्टाम्प (प्रलेख/लिखत अल्प मूल्यांकन निवारण) संशोधन नियम, 1992 जो संशोधित हुआ (जून 2013), निर्धारित करता है कि आवासीय/गैर आवासीय भवनों के मूल्यांकन की दरें तय करने के लिए निश्चित कारकों पर विचार किया जाए जैसे - (i) भवन का पक्का, अर्ध पक्का एवं कच्चा में वर्गीकरण; (ii) वह क्षेत्र जहां भवन स्थित है; (iii) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिसूचित नवीनतम् कुर्सी क्षेत्रफल (प्लॉथ एरिया) दर, (iv) वार्षिक वृद्धि हेतु प्रीमियम, तथा (v) भवन/संरचना की न्यूनतम लागत पर पहुंचने हेतु संरचना इत्यादि द्वारा घेरा गया भू-क्षेत्र (अनुपातिक या पूर्णरूपेण)।

जून 2013 में अधिसूचित की गई निर्मित-क्षेत्र दरें भूमि की निम्नतम् श्रेणी पर लागू होती है। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया है कि उप-आयुक्त, जिले में भूमि की उच्चतर श्रेणियों हेतु भवनों के लिए मूल दर पर उसी अनुपात पर जैसे, भू-दरों में ली जाती है, बढ़ावूतरी करके अंतिम रूप देंगे। यह दरें पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च तक लागू होगी और आगामी वर्ष हेतु दरें पुनरीक्षित की जाएगी जो 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी होगी। उक्त अधिसूचना में यह भी प्रावधान है कि आवासीय अथवा गैर-आवासीय भवनों के मूल्यांकन हेतु दरें तय करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिसूचित नवीनतम कुर्सी क्षेत्र दरों पर विचार किया जा सकता है।

राजस्व विभाग ने वर्ष 2013-14 हेतु निर्मित-संरचना पर ₹ 12,746 प्रति वर्ग मीटर की दरें अधिसूचित की (जून 2013)। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने अगस्त 2014 में आवासीय भवनों हेतु ₹ 24,436 प्रति वर्ग मीटर से संरचना दरें पुनरीक्षित की।

नमूना-जांचित 33 उप-पंजीयकों में, 10 उपायुक्तों⁴⁸ द्वारा निर्मित-संरचनाओं हेतु अंतिम रूप दी गई दरों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि अधिसूचना (जून 2013) द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना नहीं की गई क्योंकि उपायुक्तों ने प्रति वर्ष 1 अप्रैल से दरें पुनरीक्षित नहीं की थी। उप-आयुक्त (कांगड़ा) ने दरें पुनरीक्षित की थी जो 1 अप्रैल 2015 से प्रयोज्य थीं तथा उपआयुक्त (सोलन) ने 1 अप्रैल 2016 से दरें पुनरक्षित की। तीन जिलों (चम्बा, शिमला व ऊना) के उपायुक्तों ने तीन वर्ष बीत जाने के उपरांत 1 अप्रैल 2017 से प्रयोज्य दरें पुनरीक्षित की। पुनरीक्षित दरें (वर्ष 2017-18 हेतु उपायुक्त शिमला द्वारा कच्चे भवन हेतु ₹ 1,603.56) अगस्त 2014 की अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम दर (₹ 6,109) से बहुत कम थी। बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी एवं सिरमौर के पांच उपायुक्तों ने 2017 तक दरें पुनरीक्षित/तय नहीं की थी।

⁴⁷ अम्ब, बद्दी, बल्ह, बलई, भरवांई, भूंतर, बिलासपुर, डलहौजी, दाढ़लाघाट, हमीरपुर, हरोली, इंदौरा, ज्वाली, कमरऊ, कण्डाघाट, कुल्लू, नाहन, नालागढ़, निरमंड, नुरपुर, पच्चड़, पालमपुर, पावंटा साहिब, सैंज, संधौल, साहपुर, शिमला ग्रामीण, शिमला शहरी, सोलन, सुंदरनगर, ठियोग, थूरल व ऊना।

⁴⁸ बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन व ऊना।

परिणामस्वरूप, नमूना-जांचित 33 उप-पंजीयकों में से 31 उप-पंजीयकों⁴⁹ ने 403 बिक्री नामे में निर्मित-संरचनाओं पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस का अल्प उदग्रहण किया। ये नामे जनवरी 2015 व दिसम्बर 2017 के मध्य ₹ 77.31 करोड़ की मानी गई राशि हेतु पंजीकृत किए गए थे तथा इस राशि की गणना निजी मूल्यांकनकर्ता द्वारा सम्पत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर की गई थी। यह मूल्यांकन सरकारीविभाग द्वारा, निर्मित-संरचनाओं अधिसूचित के लिए दरों के आधार पर नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सम्बन्धित उपायुक्तों द्वारा तय किए कुर्सी क्षेत्र दरों अथवा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की पुनरीक्षित दरों के आधार पर सम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य निर्मित-संरचना सहित ₹ 149.32 करोड़ निकाला गया। तथापि, उप-पंजीयकों ने बिक्री नामे पंजीकृत करते समय निर्मित-संरचना की तय/पुनरीक्षित कुर्सी क्षेत्र दरों के संदर्भ में मानी गई राशि का सत्यापन नहीं किया था जबकि विभाग के पास दरें/अभिलेख उपलब्ध थी। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने निर्मित-संरचनाओं की दरें अगस्त 2014 में पुनरीक्षित की थी जबकि सम्बन्धित उपायुक्तों ने निर्मित-संरचनाओं की दरें वार्षिक रूप से पुनरीक्षित नहीं की जो कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था। अधिनियमों के प्रावधानों की अनुपालना न होने के परिणामस्वरूप क्रेता को अनुचित लाभ मिला साथ ही ₹ 5.03 करोड़ के राजस्व (₹ 3.58 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 1.45 करोड़ की पंजीयन फीस) की अल्प वसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने सूचित किया (जूलाई 2019) कि 17 मामलों में ₹ 6.08 लाख⁵⁰ की वसूली की गई थी तथा शेष मामलों हेतु कोई उत्तर नहीं दिए गए।

2.17.3 गलत सर्किल दरें लागू करना

शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के मामलों में बिक्री नामें के पंजीयन के उद्देश्यार्थ भूमि का मूल्यांकन, भूमि के वर्गीकरण के आधार पर तथा हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियम-पुस्तिका 1992 के अनुसार किया जाता है। जनवरी 2016 में जारी अधिसूचना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की भूमि का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से उनके स्थित होने के आधार पर पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जो हैः (क) किसी सड़क से 25 मीटर की दूरी तक स्थित होने पर; (ख) 25 मीटर की दूरी से अधिक 50 मीटर तक स्थित होने पर; (ग) किसी सड़क से 50 मीटर की दूरी से अधिक 100 मीटर तक स्थित होने पर; (घ) किसी सड़क से 100 मीटर की दूरी से अधिक 1000 मीटर की दूरी तक स्थित होने पर; (ड) राजस्व भूमि (सम्पत्ति) में किसी सड़क से 1000 मीटर की दूरी से अधिक तक स्थित होने पर सड़कों का भी राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा अन्य सड़क के रूप में वर्गीकरण किया गया था। स्टाम्प शुल्क की गणना के लिए क्रेता को सम्बन्धित भूमि की दूरी बताने वाला अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या अन्य मार्ग की होलिडंग बताने वाला शपथ-पत्र भूमि की दर के उदग्रहण हेतु फाईल करना अपेक्षित था। यदि क्रेता का शपथ-पत्र झूठा पाया जाता है, तो प्रयोज्य स्टाम्प शुल्क/ पंजीयन फीस से 50 प्रतिशत तक की शास्ति लगाई जानी एवं वसूली की जानी थी।

- नमूना-जांचित 33 उप-पंजीयकों में लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि 21 उप-पंजीयकों ने 2015 और 2017 के मध्य विभिन्न श्रेणियों की सड़कों से सम्पत्तियों की दूरी के सम्बन्ध में क्रेता द्वारा फाईल किए गए शपथ-पत्र के आधार पर ₹ 59.12 करोड़ के माने गए मूल्य हेतु 155 दस्तावेजों का पंजीयन किया। भूमि का वर्गीकरण भूमि की दूरी की गलत गणना करके या राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या अन्य सड़क की गलत होलिडंग के द्वारा किया गया था तथा ₹ 2.78 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 1.02 करोड़ की पंजीयन फीस उदग्रहित की गई। लेखापरीक्षा ने उप-पंजीयकों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कानूनगों (राजस्व प्राधिकारी) के पास उपलब्ध नक्शे (लत्था) से शपथ-पत्र का प्रति-सत्यापन किया तथा भूमि की उदग्रहण

⁴⁹ बिलासपुर: 24 मामले: ₹ 16.03 लाख; हमीरपुर: 34 मामले: ₹ 98.88 लाख, इंदौरा: एक मामला: ₹ 1.05 करोड़; ज्वाली: एक मामला: ₹ 0.30 लाख, नुरपूर: पांच मामले: ₹ 1.50 लाख, पालमपुर: चार मामले: ₹ 2.63 लाख, साहपुर: दो मामले: ₹ 0.13 लाख; थूरल: दो मामले: ₹ 0.39 लाख; भूतर: पांच मामले: ₹ 16.52 लाख; कुल्लू: 26 मामले: ₹ 20.77 लाख; निरमण: एक मामला: ₹ 0.51 लाख; सैंज: चार मामले: ₹ 4.20 लाख; बल्ह: 26 मामले: ₹ 18.88 लाख; संधोल: एक मामला: ₹ 0.27 लाख; सुन्दरनगर: 16 मामले: ₹ 24.73 लाख; शिमला ग्रामीण: 68 मामले: ₹ 50.30 लाख; शिमला शहरी: 33 मामले: ₹ 32.03 लाख; ठियोग: पांच मामले: ₹ 5.55 लाख; कमरऊँ: छः मामले: ₹ 3.73 लाख; नाहन: 20 मामले: ₹ 38.70 लाख; पच्छँ: नौ मामले: ₹ 11.04 लाख; पावंटा: 11 मामले: ₹ 12.78 लाख; बद्दी: 28 मामले: ₹ 33.88 लाख; दाढ़लाघाट: सात मामले: ₹ 10.25 लाख; कण्डाघाट: एक मामला: ₹ 0.90 लाख; नालागढ़: 13 मामले: ₹ 6.20 लाख; सोलन: 20 मामले: ₹ 8.31 लाख अम्ब: आठ मामले: ₹ 2.22 लाख; भरवाईँ: एक मामला: ₹ 0.55 लाख; हरोली: 12 मामले: ₹ 59.86 लाख व ऊना: नौ मामले: ₹ 5.30 लाख

⁵⁰ उप-पंजीयक: हमीरपुर: नौ मामले, सैंज: एक मामला व सुन्दरनगर: सात मामले।

- योग्य दरों के आधार पर सम्पत्तियों की कीमत ₹ 94.43 करोड़ आंकी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपपंजीयकों को शपथ-पत्रों में कहे गए तथ्यों को अभिलेख (लत्थे) के अनुसार तथा विलेख पंजीकरण के पूर्व विभाग के पास उपलब्ध भूमि की दरों के साथ-साथ भूमि की वास्तविक दूरी अथवा सड़कों की होलिंग का सत्यापन भी करना चाहिए था। उप-पंजीयकों ने क्रेताओं द्वारा फाइल किए गए शपथ-पत्रों पर विश्वास किया जिनमें गलत/झूठे विवरण दिए गए थे जिसके परिणामस्वरूप इन मामलों में वास्तविक दूरी के आधार पर ₹ 94.43 करोड़ के वास्तविक मूल्यांकन के प्रति ₹ 55.12 करोड़ के मूल्यांकन को अपनाया गया। यदि उप-पंजीयक इन नामें के पंजीयन के पूर्व वर्तमान सर्किल दरों का सत्यापन करते तो विभाग ₹ 6.10 करोड़ की वसूली कर सकता था जिसके प्रति मात्र ₹ 3.80 करोड़ की ही वसूली हो सकी। यह ₹ 2.29 करोड़⁵¹ (₹ 1.67 करोड़ स्टाम्प शुल्क + ₹ 0.62 करोड़ पंजीयन फीस) के स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस के अल्प उदग्रहण में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस पर प्रयोज्य 50 प्रतिशत की दर से ₹ 2.98 करोड़ की शास्ति भी उदग्रहित की जानी अपेक्षित थी। लेखापरीक्षा द्वारा बारम्बार इंगित किए जाने के बावजूद इकाई/विभाग के गलती करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही/जिम्मेदारी तय नहीं की गई।
- ii. इसके अतिरिक्त, 19 उप-पंजीयकों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2015 व 2017 के मध्य ₹ 15.14 करोड़ के माने गए मूल्य हेतु 155 दस्तावेजों का पंजीयन किया गया था। इन नामों को पंजीकृत करते समय उप-पंजीयकों ने सहायक दस्तावेजों की उपेक्षा/अनदेखी की तथा किसी सड़क से भूमि की दूरी एवं जमाबन्दी के अनुसार उपजाऊ या अनुपजाऊ भूमि की श्रेणी हेतु सर्किल दरों पर विचार नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.56 करोड़ के वास्तविक मूल्यांकन के प्रति ₹ 15.14 करोड़ का गलत मूल्यांकन किया गया जो ₹ 33.53 लाख⁵² के स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस (₹ 24.16 लाख का स्टाम्प शुल्क ₹ 9.37 लाख की पंजीयन फीस) की अल्प वसूली हुई।
- iii. इसी प्रकार, 12 उप-पंजीयकों⁵³ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि 155 में से 42 मामलों में नामें पंजीकृत करते समय क्रेताओं ने भूमि की दूरी बताने वाले अपेक्षित शपथ-पत्र उप पंजीयकों को प्रस्तुत नहीं किए। शपथ-पत्र के अभाव में, सम्पत्तियों के गलत मूल्यांकन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः शपथ-पत्रों के विवरणों की जांच करने हेतु विभाग में किसी तंत्र के अभाव के कारण सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य का अशुद्ध निर्धारण हुआ जो राज्य के राजस्व की कीमत पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस के अब निर्धारण में परिणत हुआ।

इंगित करने पर दो उप-पंजीयकों ने सूचित किया (जून 2019 व जून 2020) कि ₹ 2.69 लाख⁵⁴ की वसूली की गई थी। अन्य उप पंजीयकों ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया (सितम्बर 2020)।

2.17.4 पट्टेनामे पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की अल्प वसूली

राजस्व विभाग ने अधिसूचना के (जनवरी 2012) माध्यम से सम्पत्ति के बाजारी मूल्य या मानी गई राशि में से जो अधिक हो, उसके 5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क व दो प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस पट्टेनामे के पंजीयन हेतु निर्धारित की।

51 इंदौर: नौ मामले: ₹ 7.12 लाख; ज्वाली: नौ मामले: ₹ 5.16 लाख, नुरपूर: 13 मामले: ₹ 11.84 लाख, पालमपुर: छ: मामले : ₹ 23.48 लाख, साहपुर: दो मामले: ₹ 0.29 लाख, थूरल: तीन मामले: ₹ 0.19 लाख, भूंतर: चार मामले: ₹ 0.43 लाख, निरमण: एक मामला: ₹ 1.67 लाख, बल्ह: तीन मामले: ₹ 2.39 लाख, सुन्दरनगर: एक मामला: ₹ 5.27 लाख, शिमला ग्रामीण: 10 मामले: ₹ 59.04 लाख, शिमला शहरी: एक मामला: ₹ 1.26 लाख, ठियोग: सात मामले: ₹ 3.91 लाख, नाहन: नौ मामले: ₹ 42.93 लाख, पारंटा: 18 मामले: ₹ 13.47 लाख, बद्दी: 16 मामले: ₹ 29.36 लाख, नालागढ़: आठ मामले: ₹ 7.45 लाख, अम्ब: 12 मामले: ₹ 7.41 लाख भरवाई: 12 मामले: ₹ 1.86 लाख, हरोली: पांच मामले: ₹ 1.76 लाख व ऊना: छ: मामले: ₹ 3.26 लाख

52 बिलासपुर: दो मामले: ₹ 0.24 लाख; भलेई: दो मामले: ₹ 0.17 लाख; डलहोजी: चार मामले: ₹ 0.33 लाख; हमीरपुर: नौ मामले: ₹ 3.46 लाख; नुरपूर: चार मामले: ₹ 1.50 लाख; भूंतर: 12 मामले: ₹ 2.16 लाख; कुल्लू: 15 मामले: ₹ 2.0 लाख; सैंज: एक मामला: ₹ 0.05 लाख; बल्ह: छ: मामले: ₹ 0.99 लाख; संधोल: आठ मामले: ₹ 0.20 लाख; नाहन: चार मामले: ₹ 1.10 लाख; पच्चड़: दो मामले: ₹ 4.98 लाख; पारंटा साहिब: 56 मामले: ₹ 8.72 लाख; बद्दी: पांच मामले: ₹ 2.83 लाख; नालागढ़: आठ मामले: ₹ 1.81 लाख; सोलन: छ: मामले :₹ 2.19 लाख; अम्ब: एक मामला: ₹ 0.10 लाख; भरवाई: एक मामला: ₹ 0.13 लाख व ऊना: नौ मामले: ₹ 0.57 लाख

53 अम्ब, भरवाई, बल्ह, हरोली, इदौंरा, ज्वाली, नुरपूर, पालमपुर, पारंटा साहिब, साहपुर, थूराल व ठियोग

54 हमीरपुर: दो मामले: ₹ 0.24 लाख एवं निरमण: एक मामला: ₹ 2.45 लाख

नमूना-जांचित 33 उप-पंजीयकों में से 25 उप-पंजीयकों में 96 मामलों में भूमि को 2015 व 2017 के मध्य दो वर्षों से 99 वर्षों की अवधि हेतु पट्टे पर दिया गया। इन पट्टेनामे के पंजीयन में उप पंजीयकों ने भूमि के ₹ 185.96 करोड़ के बाजारी मूल्य के आधार पर ₹ 3.53 करोड़ के उदग्रहण योग्य स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस (₹ 2.53 करोड़ का स्टाम्प शुल्क + ₹ 1.00 करोड़ की पंजीयन फीस) के बजाय ₹ 65.61 लाख का स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस (₹ 47.45 लाख का स्टाम्प शुल्क, ₹ 18.16 का पंजीयन फीस) उदग्रहित की। लेखापरीक्षा ने देखा कि नामे के पंजीयन के पूर्व विभाग के पास भूमि की वर्तमान सर्किल दरों उपलब्ध होने के बावजूद उप पंजीयकों ने यह संज्ञान लिए बिना कि भूमि की दरों सही है अथवा नहीं, न्यून दरों पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस उदग्रहित की।

अतः विभाग द्वारा एक समान रूप से सही दरों लागू करने एवं अवनिर्धारण का पता लगाने हेतु आंतरिक नियंत्रण में विफल रहने के कारण ₹ 2.88 करोड़⁵⁵ के स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस (₹ 2.05 करोड़ का स्टाम्प शुल्क, ₹ 0.83 करोड़ की पंजीयन फीस) की अल्प वसूली हुई।

विभाग ने बताया (सितम्बर व नवम्बर 2019 के मध्य) कि दो उप पंजीयकों ने ₹ 4.76 लाख⁵⁶ राशि की वसूली की तथा उप-पंजीयक, निचार द्वारा जल विद्युत परियोजना को पट्टे पर दी गई भूमि का बाजारी मूल्य प्रचलित सर्किल दरों के आधार पर निर्धारित नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राजस्व विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार (मार्च 2016) भूमि को हिमाचल प्रदेश पट्टा अधिनियम के अनुसार ही पट्टे पर देना होगा। अतः हिमाचल प्रदेश पट्टा नियमानुसार भूमि का बाजारी मूल्य प्रचलित सर्किल दरों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

2.17.5 हिमरिस (हिमाचल रजिस्ट्रेशन इनफर्मेशन सिस्टम, हिमाचल पंजीयन सूचना प्रणाली)आईटी एप्लिकेशन

प्रशासन द्वारा परिभाषित वर्तमान दरों के आधार पर किए गए सही व उचित मूल्यांकन के माध्यम से सरकार के राजस्व के क्षण को रोक कर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस के संग्रहण के बेहतर पर्यवेक्षण तथा सभी प्रकार के नामे (विलेखा) का पंजीयन करने की सुविधा प्रदान करने हेतु विभाग में ‘हिमरिस’(आईटी एप्लिकेशन) को प्रस्तुत किया गया। एकल खिड़की सेवा एवं तुरंत पंजीयन होने की सुविधा प्रदान करके, तथा सभी पार्टियों के फोटोग्राफ खींचकर तथा पहचान-पत्र प्रमाण के रूप में आधार संख्या का समावेश करके प्रतिरूपण, पेशेवर गवाह एवं परोक्षी पेश करने जैसी धोखाधड़ी की रोकथाम से नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने की परिकल्पना भी की गई थी। स्वतः संवीक्षा, मूल्यांकन एवं सहायक दस्तावेजों की जांच-पड़ताल के माध्यम से सभी विवेकाधिकारों को विभिन्न स्तरों से हटाते हुए प्रणाली की पारदर्शिता को भी बढ़ाया गया था। हिमरिस में सात मुख्य परिचालन तालिकाएँ⁵⁷ थी जिनकी लेखापरीक्षा में नमूना-जांच की गई और उजागर हुआ, कि:-

⁵⁵ बिलासपुर: नौ मामले: ₹ 3.21 लाख; डलहौजी: एक मामला: ₹ 0.26 लाख; देहरा: एक मामला: ₹ 1.80 लाख; हमीरपुर: तीन मामले: ₹ 0.29 लाख; इंदौरा: 13 मामले: ₹ 115.56 लाख; निचार: 11 मामले: ₹ 45.74 लाख; पालमपुर: तीन मामले: 0.62 लाख; थूरल: तीन मामले: ₹ 3.12 लाख; सैंज: एक मामला: ₹ 0.16 लाख; कुल्लू तीन मामले: ₹ 3.26 लाख; सुन्दर नगर: दो मामले: ₹ 1.07 लाख; शिमला (ग्रामीण): पांच मामले: ₹ 15.70 लाख; शिमला (शहरी): तीन मामले: ₹ 0.11 लाख; ठियोग: पांच मामले: ₹ 6.42 लाख; नाहन: दो मामले: ₹ 8.70 लाख; पावंटा साहिब: चार मामले: ₹ 3.03 लाख; रक्कड़: दो मामले: ₹ 2.16 लाख; बद्दी: तीन मामले: ₹ 0.84 लाख; दाढ़लाघाट: दो मामले: ₹ 0.08 लाख; कण्डाघाट: पांच मामले: ₹ 2.33 लाख; नालागढ़: दो मामले: ₹ 2.68 लाख; सोलन: छः मामले: ₹ 4.16 लाख; हरोली: दो मामले: ₹ 62.94 लाख; ऊना तीन मामले: ₹ 1.13 लाख व सांगला: दो मामले: ₹ 2.60 लाख

⁵⁶ उप पंजीयक: रक्कड़ ₹ 2.16 लाख: एवं सांगला : ₹ 2.60 लाख

⁵⁷ रेजमेन_डिटेल, सीआईवी मेन_डिटेल, सीआईवी रिसीप्ट_डिटेल, फी_डिटेल, रेजरिसीप्ट_डिटेल, सररिसीप्ट_डिटेल, रेजस्टाम्प_डिटेल

तालिका 2.5: हिमरिस एप्लिकेशन एवं उसके निष्कर्षों पर अवलोकन

क्रमांक	टिप्पणी	निष्कर्ष
1	2	3
1.	तालिका 'RegMain_detail' के डाटा से उजागर हुआ कि डेटाबेस में स्टाम्प शुल्क की मात्र 6 प्रतिशत की दर ही दिखाई दे रही थी। दूसरे कॉलम में, महिला क्रेता के प्रतिशत का अंश लिया गया था। अतः इसके आधार पर महिला क्रेताओं हेतु स्टाम्प शुल्क हस्तचलित प्रविष्टियों पर तीन या चार प्रतिशत की दर से संगणित की गई थी।	एप्लिकेशन स्टाम्प शुल्क की लागू की जाने वाली सही दरों को दर्शाने की लिए लैंगिक जानकारी का संकलन डेटाबेस में नहीं करती है। हस्तचलित हस्तक्षेप के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि महिला के प्रतिशत का अंश भरा गया है एवं उसे ही नामे के अनुसार लिया गया है तथा स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की गलत गणना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सका।
2.	'Regyear' तालिका में चार केरेक्टरों (संप्रतीत) तक का (वर्ण/अंक) डेटा भरा जा सकता है तथापि लेखापरीक्षा संबंधी में पाया गया कि एक मामले में 'शून्य' मान दिखाई दिया।	डेटा मान्यकरण के अभाव में डेटाबेस में अमान्य पंजीयन वर्ष लिया गया जो पंजीयन वर्ष के संदर्भ में विश्वसनीय जानकारी प्रदान नहीं कर सकता।
3.	सॉफ्टवेयर हस्तांतरित भू-भाग के क्षेत्रफल की मूल इकाई का नहीं दर्शा रहा था। यह केवल वर्ग किलोमीटर में ही दर्शा रहा था जबकि नामे में भू-भाग के क्षेत्रफल को नापने के लिए विभिन्न इकाईयां दी गई थीं (बीघा-बिस्ता, हेक्टेयर-सेन्टियर, कनाल-मरला इत्यादि) तथा सर्किल दरों भी प्रति बीघा/वर्गमीटर पर तय की गई थीं।	सॉफ्टवेयर में भेरे गए भू-भाग के क्षेत्रफल एवं मूल इकाई की अनुपलब्धता के कारण यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि भू-भाग का क्षेत्रफल जो वर्गमीटर में बदलने के बाद प्रणाली में भरा गया एवं संकलित किया गया वह नामें दस्तावेज के समान है।
4.	सम्पत्ति के विवरण भरते समय भू-अभिलेख विवरण जैसे खसरा संख्या, खाता संख्या व खत्तौनी संख्या इत्यादि 'हिमभूमि' के आनलाईन डेटा से सत्यापित करने हेतु कम्प्यूटर पटल (स्क्रीन) पर उपलब्ध थी परन्तु यह राजस्व विभाग की सर्किल दरों एप्लिकेशन से जुड़ी नहीं थी।	सॉफ्टवेयर में सम्बन्धित सर्किल दरों की गणना एवं जिले की सर्किल दरों से सह-सम्बन्ध के प्रावधान के अभाव में संरचना के बाजारी मूल्य अथवा मानी गई राशि की प्रति-जांच नहीं की जा सकी जो स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की अल्प वसूली में परिणत हुई।
5.	डेटाबेस की संबंधी से उजागर हुआ कि कुछ मामलों में कार्य-सम्पादन (ट्रांसेक्शन) की तिथि व समय कार्यालयीन समय के बाद का था जैसे प्रातः 6:27, प्रातः 6:43 व प्रातः 8:16 जबकि राज्य सरकार के कार्यालयों का कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होता है।	अतः इसके कारणों का पता नहीं लगया जा सका कि वह एप्लिकेशन एक्सेस (चलाने) करने में डेटा सुरक्षा का मुद्दा या अथवा सिस्टम (कम्प्यूटर, मोबाइल अथवा एप्लिकेशन जिस भी साधन पर चलाई जा रही हो) का मुद्दा। क्योंकि यह वेब एप्लिकेशन नहीं थी तथा स्वतंत्र मशीनों पर ही परिचालित की जा सकती थी। दर्शाया गया समय कार्य-सम्पादन (ट्रांसेक्शन) की यथार्थता के सम्बन्ध में संदेह उत्पन्न करता है।

सरकार विभाग को अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं के प्रावधानों का कठोरता से पालन करने, बिक्री/पट्टा-नामा पंजीकृत करने के पूर्व दूरी का सत्यापन करने तथा हिमरिस को अन्य कम्प्यूटरीकृत एप्लिकेशनों (हिमाचल प्रदेश सर्किल दर, समायोजन तथा हिमभूमि) से जोड़ने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करें।

2.18 बाजारी मूल्य के गलत निर्धारण के कारण पट्टा राशि, स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की अल्प वसूली

विभाग द्वारा सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य के गलत निर्धारण के फलस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ तक के पट्टे-किराए, स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की अल्प वसूली हुई।

हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 के तहत राज्य के विकास के उद्देश्यार्थ सरकारी भूमि को निजी कम्पनियों/व्यक्तियों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु पट्टे पर दिया जा सकता है। पट्टेदार से प्रति वर्ष चालू सर्किल दर के 10 प्रतिशत की दर से पट्टा राशि प्रभारित की जाएगी। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची I-ए के अनुच्छेद 35 में प्रावधान है कि जहां सौ वर्षों तक के लिए अथवा सौ

वर्षों से अधिक के लिए पट्टे पर दिया गया है, वहां पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजारी मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा कि वह कम से कम सौ रुपए हो एवं शुल्क के निकटतम दस रुपए के पूर्णांक में हो। इसके अतिरिक्त, पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजारी मूल्य की जिस राशि पर हिमाचल प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग की अधिसूचना, दिनांक 12 जनवरी 2012 के नियमानुसार स्टाम्प शुल्क का निर्धारण किया गया है, उसी राशि पर दो प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस प्रभारित की जाएगी।

i). उप-पंजीयक, निरमंड (कुल्लू) के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2018) में पाया गया कि एक पट्टेदार को जल विद्युत परियोजना के स्थापना के लिए 60-09-00 बीघा नाप की सरकारी भूमि के हस्तांतरण की संस्वीकृति 40 वर्षों के लिए प्रदान की गई (मार्च 2015)। सरकारी भूमि का बाजारी मूल्य ₹ 3.10 करोड़ निकला एवं जैसा कि उक्त नियम के तहत विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था, वर्ष की प्रचलित बाजारी दरों पर दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से पट्टा राशि ₹ 30.97 लाख पर तय की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार वर्ष 2014-15 से 2018-19 हेतु पट्टेदार से ₹ 1.55 करोड़ की पट्टा राशि चुकाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि संस्वीकृति पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि पट्टा राशि चालू सर्किल दरों की 10 प्रतिशत की दर से प्रभारित होगी जबकि विभाग ने ₹ 30.97 लाख प्रति वर्ष के बजाय ₹ 9.73 लाख की गलत पट्टा राशि निर्धारित की। पट्टेदार ने 2014-15 के दौरान ₹ 9.73 लाख चुकाए एवं तदोपरांत पट्टा राशि का न तो पट्टेदार ने भुगतान किया न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.45 करोड़ की पट्टा धनराशि की अल्प वसूली हुई।

ii). संवीक्षा में आगे पाया गया कि उप-पंजीयकों ने इन दस्तावेजों का पंजीयन करते समय उक्त अधिनियम के तहत पट्टे पर दी गई गई सम्पत्ति के प्रचलित बाजारी मूल्य (₹ 3.10 करोड़) पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस का उद्ग्रहण नहीं किया। पट्टे पर दी गई भूमि पर ₹ 8.67 लाख का स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस उद्ग्रहण योग्य थी जिसके प्रति पट्टेदार ने मात्र ₹ 0.27 लाख का ही भुगतान किया जो ₹ 8.40 लाख कम था। अतः, पट्टा नियमों के प्रावधानों की अनुपालना न करने एवं भूमि की प्रयोज्य सर्किल दरों का सत्यापन अथवा समीक्षा करने का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ (₹ 1.45 करोड़ + ₹ 8.40 लाख) के राजस्व की अल्प वसूली हुई।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2020) कि मामला जिला आयुक्त कुल्लू को भू-राजस्व बकाया के रूप में राशि की वसूली हेतु भेज दिया गया है। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि मामले की उसके स्तर पर जांच की जा रही है।

सरकार राजस्व की सुरक्षा के लिए सम्पत्तियों के सही बाजार मूल्य के निर्धारण करने के लिए अधिनियमों/नियमों/अधिसूचना के प्रावधानों का कठोरता से पालन करने के लिए विभाग को निर्देश जारी कर सकती है।

वाहन, यात्री एवं माल कर

लेखापरीक्षा योग्य 91 इकाइयों में से वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 370.55 करोड़ की प्राप्ति वाली 46 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना-जांच में टोकन कर, विशेष पथ कर, पंजीयन शुल्क, परमिट शुल्क, ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क, कन्डक्टर लाइसेंस शुल्क, राष्ट्रीय परमिट योजना के तहत् शास्ति व समग्र शुल्क से सम्बन्धित कर के अवनिधारण एवं अन्य अनियमितताओं के 411 मामलों में ₹ 86.87 करोड़ अन्तर्गत पाए गए।

वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग ने पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित 24 मामलों में ₹ 38.56 लाख तथा 2018-19 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित 349 मामलों में ₹ 34.92 लाख के राजस्व निहितार्थ से युक्त अव निर्धारणों तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया। पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित 24 मामलों में ₹ 22.24 लाख की प्राप्ति हुई।

वित्तीय निहितार्थ से युक्त ₹ 12.73 करोड़ के चार मामलों पर अनुवर्ती परिच्छेदों 2.19 से 2.22 में चर्चा की गई हैं:

2.19 टोकन कर की अवसूली

वर्ष 2015-18 के दौरान 21,107 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 7.72 करोड़ का टोकन कर न तो विभाग द्वारा मांगा गया न ही व्यवसायिक वाहन मालिकों द्वारा चुकाया गया।

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कर अधिनियम, 1972 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के तहत विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु निर्धारित कर की दरों⁵⁸ के अनुसार टोकन कर⁵⁹ वाहन मालिकों द्वारा त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर अग्रिम रूप से देय है। यदि निर्धारण अवधि में वाहन मालिक कर अदा करने में विफल रहता है तो तब वाहन मालिक देय कर पर 25 प्रतिशत वार्षिक की दर से जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है।

2018-19 के दौरान, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 की अवधि हेतु 30 पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण (पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी) और 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी) में 30,868 व्यावसायिक वाहनों से सम्बन्धित मांग व संग्रह रजिस्टर एवं वाहन डेटाबेस की नमूना जांच की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 27 पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी⁶⁰ और 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी⁶¹, में 21,107 व्यावसायिक वाहनों (68.38 प्रतिशत) के मालिकों ने 2015-16 से 2017-18 की अवधि हेतु ₹ 7.72 करोड़ का टोकन कर नहीं चुकाया। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चल सके कि ये वाहन उपयोग नहीं किये जा रहे थे। वाहन सॉफ्टवेयर में मोटर वाहनों के कर एवं शास्ति का भुगतान नहीं करने वाले बकायादारों की, यदि कोई हो, सूची तैयार करने का प्रावधान है। तथापि, सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीतथा पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी वाहन सॉफ्टवेयर में देने की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद बकाया कर की वसूली नहीं कर सके।

सॉफ्टवेयर सुविधा होने के बावजूद, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी ने बकायादारों से ₹ 7.72 करोड़ का कर तथा 21107 वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों से ₹ 1.93 करोड़ की शास्ति वसूलने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किए जैसा की नीचे वर्णित है:

⁵⁸ देयकर (सामान ढुलाई) एल.जी.वी. 1500 प्रतिवर्ष, एम.जी.वी. 2,000 प्रतिवर्ष, एच.जी.वी. 2,500 प्रतिवर्ष, (स्टेजकैरिज): 500 प्रति सीट प्रति वर्ष और (अनुबन्ध ढुलाई): मैक्सीकैब: 750 प्रति सीट प्रतिवर्ष, मोटरकैब: 350 प्रतिवर्ष प्रति सीट और ऑटोरिक्षा: 200 प्रति सीट प्रतिवर्ष

⁵⁹ हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा-3 के अनुसार निर्दिष्ट दर पर, अनुसूची-1 के कॉलम 2 में वर्णित हिमाचल प्रदेश में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए मोटर वाहनों पर वार्षिक कर लगाया जाएगा और राज्य सरकार को भुगतान किया जाएगा।

⁶⁰ पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी: अनी, अम्ब, अर्की, भरमौर, बैजनाथ, भोरंज, बिलासपुर, चौपाल, चुवाड़ी, चुराह, देहरा, घुमारवीं, जोगिन्दर नगर, कारसोग, कांगड़ा, काजा, मनाली, मण्डी, नादौन, निचार, पालमपुर, परवाणू, पूर, राजगढ़, रोहडू, सरकाघाट और शिमला

⁶¹ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी: बिलासपुर चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर और ऊना

तालिका: 2.6 उन वाहनों का विवरण जिन से टोकन कर की वसूली नहीं की गई

क्रम संख्या	वाहन की श्रेणी	पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.एल.ए./आर.टी.ओ.)	अवधि	वाहनों की कुल संख्या	कर का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों की संख्या	वसूली योग्य राशि (करोड़ में)
1.	(निर्माण वाहन) क्रेन, रिकवरी वैन आदि।	आर.एल.ए. - आनी, अर्को, बिलासपुर चौपाल, मण्डी, नादौन, राजगढ़ और शिमला आर.टी.ओ.- बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सोलन और ऊना	2015-16 से 2017-18	395	190	0.26
		योग (क)		786	398	0.36
		1,118	588	0.62		
2.	(यात्री वाहन) बसें/मिनीबसें/ मैक्सी कैब/ टैक्सी	आर.एल.ए.- अम्ब, अर्को, बिलासपुर, चुराह, देहरा, घुमारवीं, जोगिंद्र-नगर, कांगड़ा, निचार, पालमपुर, रोहडू, सरकाधाट और शिमला आर.टी.ओ.- बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला, सोलन और ऊना	1,148	358	0.63	
		योग (ख)	6,156	4,187	2.42	
		7,304	4,545	3.05		
3.	(माल वाहन) भारी/मध्यम/हल्के माल वाहन/ट्रैक्टर	आर.एल.ए.- आनी, अम्ब, अर्को, भरमौर, बैजनाथ, भोरंज, बिलासपुर, चौपाल, चुवाड़ी, चुराह, देहरा, घुमारवीं, जोगिंद्र नगर, कारसोग, कांगड़ा, काजा, मनाली, मण्डी, नादौन, निचार, पालमपुर, परवाणू, पूह, राजगढ़, रोहडू, सरकाधाट और शिमला। आर.टी.ओ.- बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला और सोलन	10,592	8,362	1.56	
		योग (ग)		22,383	15,974	4.05
		कुल योग (क)+(ख)+(ग)		30,868	21,107	7.72

वर्ष 2004-2005 से 2017-18 के लेखापरीखा प्रतिवेदनों में इसी तरह की टिप्पणियां इंगित की गई थीं। लेखापरीक्षा द्वारा विगत 15 वर्षों से बारम्बार इंगित किए जाने पर भी ऐसी अनियमितताएं जारी रहने पर विभाग जाँच के लिए कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रहा।

इंगित किए जाने पर, पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी करसोग ने बताया (जून 2020) ₹ 2.18 लाख में से ₹ 50,750/- की राशि की वसूली कर ली गई है।

विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2020) कि चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा पांच पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा ₹ 47.69 लाख की वसूली की गई थी। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2020)।

सरकार अधिनियम/नियमों या अधिसूचनाओं के प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन करने हेतु विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करें।

2.20 आबकारी एवं कराधान विभाग में व्यवसायिक वाहनों का पंजीयन न होना

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त के बीच समन्वय की कमी के कारण, व्यवसायिक वाहनों के मालिकों ने सम्बन्धित आबकारी एवं कराधान कार्यालयों में अपने वाहनों को पंजीकृत नहीं कराया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.38 करोड़ के यात्री एवं मालकर की वसूली नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियम, 1955 के तहत स्टेज/संविदा गाड़ियों तथा माल गाड़ियों के मालिकों से सम्बन्धित आबकारी एवं कराधान कार्यालयों में उनके वाहनों को पंजीकृत करना तथा निर्धारित दरों पर यात्री व माल कर का भुगतान करना अपेक्षित है। वाहन पंजीयन, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों एवं पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा यात्री व माल कर का संग्रह विभिन्न आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आबकारी विभाग द्वारा जारी मान्य पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना कोई वाहन राज्य में नहीं चलाया जाएगा। यदि वाहन मालिक पंजीयन हेतु आवेदन करने अथवा कर या अधिशुल्क का भुगतान करने में विफल होता है, तो न्यूनतम ₹ 500 से निर्धारित कर राशि की पांच गुणा तक शास्ति उद्घ्रहित की जानी है।

6 आबकारी एवं कराधान आयुक्तों जिनमें कुल 40,215 व्यवसायिक वाहनों के अभिलेखों, की संवीक्षा में पाया गया कि 6 पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी⁶² एवं पांच क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों⁶³ में 10,476 में से 4,489 व्यवसायिक वाहन 2016-17 से 2017-18 के दौरान पंजीकृत किए गए थे जो हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियमानुसार सम्बन्धित 6 आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁶⁴ में पंजीकृत नहीं थे। संवीक्षा में आगे उजागर हुआ कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/आबकारी एवं कराधान अधिकारियों तथा सम्बन्धित पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के मध्य आपसी समन्वय सुनिश्चित करने अथवा आबकारी एवं कराधान विभाग में सभी व्यवसायिक वाहनों का पंजीयन करने हेतु कोई तंत्र नहीं था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा विगत दो वर्षों से ऐसी चूंके इंगित किए जाने के बावजूद नवीन पंजीकृत वाहनों का यात्री व माल कर की परिधि में लाने में विभाग की विफलता इन वाहनों के मालिकों से ₹ 2.38 करोड़ राशि के यात्री व माल कर की अवसूली में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त न्यूनतम ₹ 22.44 लाख की शास्ति उद्घ्रहित की जानी भी अपेक्षित थी, जैसा कि नीचे वर्णित है:

⁶² पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी: अर्का, कण्डाघाट, नालागढ़, परवाणू, राजगढ़ तथा सोलन।

⁶³ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी: बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला तथा सोलन।

⁶⁴ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: बद्दी, बिलासपुर, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन व सोलन।

तालिका 2.7: उन वाहनों का विवरण जो आबकारी एवं कराधान विभाग में पंजीकृत नहीं थे

क्रमांक	वाहन के प्रकार	आर.एल.ए./ आर.टी.ओ. के साथ पंजीकृत वाहनों की संख्या	आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ पंजीकृत नहीं किए गए वाहनों की संख्या	वसूली योग्य राशि				रुपये @500/- प्रतिवाहन
				यात्रीकर	माल कर	वसूली योग्य कुल राशि		
1.	यात्री वाहन (मैरी कैब/टैक्सी)	3,164	1,044	32.21	--	32.21	5.22	
2.	यात्री वाहन (शैक्षिक संस्थागत बसें)	300	121	12.56	--	12.56	0.60	
3.	माल वाहन (भारी/मध्यम/हल्के माल वाहन)	7,012	3,324	--	193.51	193.51	16.62	
योग		10,476	4,489	44.77	193.51	238.28	22.44	
लगभग ₹ 2.38 करोड़								

स्रोत: विभागीय आंकड़े

विभाग ने बताया (जून 2020) कि छ: सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने 1022 व्यावसायिक वाहन मालिकों से ₹ 44.95 लाख {यात्रीकर ₹ 9.66 लाख +माल कर ₹ 26.49 लाख +यात्रीकर (शैक्षिक संस्थागत बसें) ₹ 8.79 लाख} की वसूली की थी परन्तु विवरणों तथा सहायक दस्तावेजों के अभाव में विभाग द्वारा वसूली गई राशि लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

सरकार, यात्री एवं माल कर के उद्घाटन हेतु पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा आबकारी और कराधान कार्यालय के मध्य व्यावसायिक वाहनों की सूचना साझा करने अथवा वाहन एवं हिमाचल प्रदेश कर प्रशासन सिस्टम (हिमटास) को परस्पर जोड़ने पर विचार करें।

2.21 यात्री एवं माल कर की अवसूली

₹ 1.97 करोड़ राशि के यात्री व माल कर का न हो 2,472 वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों ने भुगतान किया न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई।

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियम, 1955 के तहत, वाहन मालिकों को सभी किराए एवं भाड़े पर निर्धारित दरों पर यात्रियों एवं मालकर का भुगतान त्रैमासिक या वार्षिक रूप से करना अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियम, 1957 में यह प्रदान करता है कि वाहन मालिक उस अवधि के लिए जिसके दौरान वाहन उपयोगी नहीं रहा, कर के भुगतान से छूट हेतु सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे। यदि मालिक द्वारा कोई राशि बकाया है, तो निर्धारण प्राधिकारी वाहन मालिक को कर भुगतान के प्रमाण के रूप में चालान की रसीद प्रस्तुत करने के लिए नोटिस देगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिरोपित कोई बकाया अथवा शास्ति की उक्त अधिनियम के तहत भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली की जाएगी।

पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में कुल 17,750 वाहन पंजीकृत किए गए जिसमें से 8,230 वाहनों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी। इसके अतिरिक्त, पांचों सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा अनुरक्षित मांग व संग्रह रजिस्टर की

संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2016-17 से 2017-18 की अवधि हेतु 2,472 वाहनों⁶⁵ के सम्बन्ध में ₹ 1.97 करोड़ राशि का यात्री व माल कर इन व्यवसायिक वाहनों के मालिकों द्वारा नहीं चुकाया गया जो आबकारी एवं कराधान विभाग में पहले से पंजीकृत थे। वाणिज्यिक वाहन मालिकों ने भी कर अवधि के दौरान वाहनों का उपयोग न होने पर कर से छूट की मांग नहीं की थी। निर्धारण प्राधिकारी ने न तो मालिकों को डिमांड (मांग) नोटिस जारी किया न ही बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु मामलों को कलेक्टर को भेजा जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

तालिका 2.8: उन वाहनों का विवरण जिनसे यात्री एवं मालकर वसूला नहीं गया था

क्र. स.	वाहन की श्रेणी	यात्री व माल कर का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों की संख्या (नमूना जांचित)	वसूली योग्य राशि (₹ लाख में)			
			यात्रीकर	मालकर	वसूली योग्य कुल राशि	500/- प्रत्येक वाहन की दर सेन्यूनतम जुमाना
1.	यात्री वाहन (मैक्सी कैब्स/टैक्सी)	613 (2172)	44.98	-	44.98	3.07
2.	यात्री वाहन (शैक्षिक संस्थागत बसें)	30 (96)	4.50	-	4.50	0.15
3.	माल वाहन (भारी/हल्के/हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	1,829 (5962)	-	147.81	147.81	9.15
योग		2,472 (8,230)	49.48	147.81	197.29	12.37
लगभग 1.97 करोड़						

इस प्रकार, आन्तरिक नियंत्रण, पर्यवेक्षण के अभाव तथा देय कर के निर्धारण हेतु नियमित समीक्षा संचालित न करना दर्शाता है कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पास करदाताओं से संग्रहित कर एवं देय कर की राशि का सत्यापन करने के लिए प्रभावी तंत्र नहीं था। लेखापरीक्षा विगत पांच वर्षों से ऐसी समान चूंके इंगित कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.97 करोड़ के यात्री व माल कर की वसूली नहीं हुई।

इंगित किए जाने पर, पांच सहायक एवं आबकारी कराधान आयुक्त ने बताया (सितम्बर 2018 व नवम्बर 2018 के मध्य) कि यात्री माल कर के भुगतान के लिए बकाएंदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं जबकि आबकारी एवं कराधान उपायुक्त चम्बा ने कोई जवाब नहीं दिया है।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

सरकार, यात्री एवं माल कर के उद्ग्रहण हेतु पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा आबकारी और कराधान कार्यालय के मध्य व्यवसायिक वाहनों की सूचना साझा करने अथवा वाहन एवं हिमाचल प्रदेश कर प्रशासन सिस्टम (हिमटास) को परस्पर जोड़ने पर विचार करें।

⁶⁵ बद्दी: 355 वाहन: ₹ 35.03 लाख, बिलासपुर: 393 वाहन, ₹ 23.18 लाख, सोलन: 577 वाहन, ₹ 46.98 लाख, नाहन: 85 वाहन: ₹ 5.93 व शिमला: 1,062 वाहन, ₹ 86.17 लाख

2.22 ग्रीन टैक्स (हरित कर) तथा उपकर की अवसूली

वर्ष 2017-18 हेतु 4,417 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 40.90 लाख के ग्रीन टैक्स तथा ₹ 25.15 लाख को उपकर की विभाग द्वारा मांग नहीं की गई।

परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने व्यवस्थित व सुरक्षित यातायात एवं सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने तथा पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से 21 फरवरी 2017 की अधिसूचना के माध्यम में हिमाचल प्रदेश परिवहन अवसंरचना विकास निधि निर्मित की। हरित कर (ग्रीन टैक्स) तथा उपकर हिमाचल प्रदेश परिवहन अवसंरचना विकास निधि उपार्जित करने वाले स्त्रोतों में से एक हैं। इसके अतिरिक्त, 28 मार्च 2017 की अधिसूचना, हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1972 की धारकों 3 व 3 (ए) के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों हेतु 10 प्रतिशत व 5 प्रतिशत की दर से एक बार में एक मुश्त भुगतान करने वाले वाहनों पर तथा एक बार में एक मुश्त भुगतान नहीं करने वाले वाहनों पर क्रमशः निर्धारित करती है। यह दरें 1 अप्रैल 2017 से लागू थी। विभिन्न कर की दरें तथा उपकर का उदग्रहण कम्प्यूटरीकृत है तथा यह परिवहन विभाग द्वारा विकसित किए गए वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से संग्रहित किया जाता है।

11 पंजीयन एवं अनुज्ञापन तथा पांच क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के **VAHAN** (वाहन) सॉफ्टवेयर में अनुरक्षित ग्रीन टैक्स तथा उपकर से सम्बन्धित आंकड़ों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई 2018 से मार्च 2019 के मध्य) सेउजागर हुआ कि अधिसूचना में उल्लेखित ग्रीन टैक्स तथा उपकर को सम्मिलित करने हेतु वर्ष 2017-18 के दौरान **VAHAN** (वाहन) सॉफ्टवेयर को एक महीने से अधिक के लिए अद्यतन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2017 से 21 मई 2017 तक, 4,417 वाहनों को पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के साथ पंजीकृत किया गया था; यथापि, सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी ने इस अवधि के दौरान, अधिसूचना पहले से ही जारी होने के बावजूद, मैन्युअल रूप से ग्रीन टैक्स तथा उपकर का उदग्रहण नहीं किया था। परिणामस्वरूप विभाग द्वारा ₹ 66.05 लाख⁶⁶ (₹ 40.90 लाख व ₹ 25.15 लाख) ग्रीन टैक्स तथा उपकर का उदग्रहण नहीं हुआ। वाहन सॉफ्टवेयर के अद्यतन (अपडेट) होने के बाद भी अभिलेखों में यह दर्शाने के लिए कोई प्रमाण नहीं था कि पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरणों एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों ने प्रयोग्य ग्रीन टैक्स तथा उपकर की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की है।

विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2020) कि एक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीतथा चार पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा ₹ 6.50 लाख की राशि की वसूली की गई थी। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2020)।

सरकार विभाग को अधिसूचनाओं अथवा अधिनियमों / नियमों के प्रावधानों का पालन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने पर विचार करें। इसके अतिरिक्त कर शुल्कों इत्यादि के प्रबंधन हेतु प्रयोग्य दरों/नियमों में आए सभी परिवर्तनों को आई0 टी0 सॉफ्टवेयर में तुरन्त मानचित्रण (मैपिंग) विकसित करें।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना जांच पर अधारित है विभाग एसे समान मामलों की विस्तृत जांच करें तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें।

⁶⁶ आरटीओ: हमीरपुर: ₹ 1.20 लाख, कुल्लू: ₹ 4.12 लाख, नाहन: ₹ 1.02 लाख, शिमला: ₹ 6.16 लाख व सोलन: ₹ 2.90 लाख आरएलए: अम्ब: ₹ 5.24 लाख, अर्की: ₹ 3.22 लाख, बिलासपुर: ₹ 4.26 लाख, देहरा: ₹ 5.44 लाख, जोगिन्द्र नगर: ₹ 1.94 लाख, कांगड़ा: ₹ 7.04 लाख, मण्डी: ₹ 7.22 लाख, पालमपुर: ₹ 9.01 लाख, परवाणू: ₹ 1.88 लाख, राजगढ़: ₹ 2.57 लाख व सरकाघाट: ₹ 2.83 लाख

वन प्राप्तियां

वर्ष 2018-19 के दौरान वन प्राप्तियों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा योग्य 37 इकाइयों में से ₹ 14.15 करोड़ की प्राप्तियों से युक्त 15 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना-जांच में पाया गया कि 64 मामलों में ₹ 18.77 करोड़ से अंतर्गत रॉयलटी की अवसूली/ अल्प वसूली, ब्याज/विस्तार फीस का उद्ग्रहण न करना, जब्त की गई लकड़ी के निपटान न करने के कारण राजस्व का अवरोधन/ हानि तथा अन्य अनियमितताएं थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग ने छ: मामलों में ₹ 33.28 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिनमें से छ: मामलों में ₹ 25.06 लाख की वसूली की गई थी जो विगत वर्षों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थी।

₹ 32.19 करोड़ राशि से अंतर्गत महत्वपूर्ण मामलों पर अनुकर्ता परिच्छेदों 2.23 से 2.25 में चर्चा की गई है:

2.23 रेजिन एवं लकड़ी पर रॉयलटी का उद्ग्रहण तथा संग्रहण

लकड़ी के दोहन व रेजिन के निःस्त्रवण पर रॉयलटी का दावा न करने एवं रॉयलटी का विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज का दावा न करने; चीड़ वृक्षों की स्थाई एवं विश्वसनीय सूची का अनुरक्षण न करने के कारण रेजिन निःस्त्रवण हेतु कम चीड़ वृक्षों को सौंपने से, लकड़ी के दोहन में निगम की विफलता तथा विभाग द्वारा पर्यवेक्षण में कमी; रॉयलटी दरों में कटौती; विभाग द्वारा विस्तार फीस का अनुदग्रहण; ₹ 31.70 करोड़ के राजस्व की अवसूली में परिणत हुआ।

2.23.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश में 15,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन फैले हुए हैं जो इसके कुल क्षेत्रफल का 27.12⁶⁷ प्रतिशत, (55,673 वर्ग किलोमीटर) है। यह वन विभाग का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह वृक्षरोपण गतिविधियों सहित इन वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन तथा चिरस्थायी तरीकों से इन वनों का प्रबंधन करें। वनों की प्राप्तियों का प्रबन्धन भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2004 एवं 2014 तथा सांविधिक रूप से गठित "मूल्य निर्धारण समिति" की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों द्वारा शासित किया जाता है। वन प्राप्तियों का मुख्य स्रोत निगम से प्राप्त रेजिन⁶⁸लकड़ी की बिक्री पर रॉयलटी विस्तार शुल्क, क्षति बिल इत्यादि हैं।

2.23.2 रॉयलटी का उद्ग्रहण एवं संग्रह प्रणाली

वनों का दोहन एक मात्र संस्था हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम, द्वारा किया जाता है। जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत नियमित किया गया था (मार्च 1974), विभाग वन में क्षेत्रवार एवं श्रेणीवार निस्तारित (मृत एवं टूटे हुए) वृक्षों की पहचान करता है तथा इन चिह्नित वृक्षों का निरीक्षण संयुक्त रूप से विभाग तथा निगम द्वारा किया जाता है। उसके बाद वृक्षों को चिह्नित कर उनकी सूची तैयार की जाती है। विभाग (वन मंडल अधिकारी) द्वारा भेजी गई चिह्नित सूचियां व निगम (मण्डलीय प्रबन्धक) द्वारा स्वीकार की गई जो चिह्नित वृक्षों की आयतन के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा जो प्रत्येक खेप के लिए पट्टा अवधि को दर्शाता है। पट्टे की अवधि के पूर्ण होने के पश्चात खेप विभाग को वापस सौंपे जाते हैं। निगम से निस्सारण कार्यों को अनुमत अवधि के भीतर पूरा करना अपेक्षित है। कुल रॉयलटी के 0.2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विस्तार शुल्क के भुगतान जो कि अप्रैल 2007 से प्रभावी है, करने पर निगम समयावधि में विस्तार की मांग कर सकता है। निगम लकड़ी का निष्कर्षण करके उसे बेचता है तथा उसके एवज में राज्य सरकार की मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर पर रॉयलटी का भुगतान करता है। लकड़ी तथा रेजिन ब्लेजों पर चुकाई जाने वाली रॉयलटी विगत वर्ष में प्राप्त लकड़ी / रेजिन की औसत बिक्री दर के आधार पर मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। इसी भांति, निःस्त्रवण योग्य चीड़ के वृक्ष (1.2 मीटर परिधि/व्यास 35 से0मी0 एवं अधिक) प्रत्येक वर्ष निगम को निस्सरण हेतु दिए

⁶⁷ स्रोत: राज्य वन प्रतिवेदन - हिमाचल प्रदेश 2017

⁶⁸ चीड़ वृक्ष अच्छी गुणवत्ता वाले ओलियो रेजिन का उत्पादन करता है जो स्टेम डिस्टिलेशन पर दो औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों अर्थात तारपीन तेल (लगभग 70 प्रतिशत) और रेजिन (लगभग 17 प्रतिशत) उत्पन्न करता है। रेजिन का कई उद्योगों में साबुन, कागज, पेंट व वार्निंश, सीलिंग वैक्स, आइल कलोथ, स्याही व किटाणुनाशक बनाने में उपयोग किया जाता है। तारपीन का उपयोग मुख्य रूप से पेंट, वार्निंश, पॉलिश, रसायन व फार्मास्यूटिकल्स की तैयारी में किया जाता है।

जाते हैं तथा रॉयल्टी का भुगतान मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित प्रति ब्लेज⁶⁹रॉयल्टी के आधार पर नियम द्वारा विभाग को किया जाता है। दोहन हेतु लिए गए वृक्षों (रक्षित इमारती लकड़ी निकालने के लिए व रेजिन के निस्सारण दोनों के लिए) हेतु रॉयल्टी निगम द्वारा दो से दस किस्तों में विभाग को चुकानी अपेक्षित है, जो खेपों की कार्य-अवधि पर आधारित होती है। किस्तों का भुगतान करने में हुए विलम्ब पर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज को आकर्षित करता है जो 2013-14 से प्रभावी है।

2.23.3 संगठनात्मक ढांचा

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) सरकारी स्तर पर प्रशासन प्रमुख होता है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल जो कि वन फोर्स का प्रमुख हैं, विभाग का प्रमुख होता है। उसे दो प्रधान मुख्य अरण्यपाल, नौ अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल तथा दस वन संरक्षक सहयोग प्रदान करते हैं। प्रत्येक वन संरक्षक अपने नियंत्रणाधीन 37 वन मंडलोंमें वन मण्डल अधिकारियों के माध्यम से वन के दोहन एवं पुनरुत्पादन की गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

निगम के मामलों का प्रबन्ध निदेशक मंडल द्वारा प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से किया जाता है जिसे कार्यकारी निदेशक वित्तीय सलाहकार, कम्पनी सचिव तथा तीन निदेशकों (उत्तर, दक्षिण एवं विपणन) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। निगम में 12 कार्यकारी वन मण्डल हैं तथा आठ हिमकाष्ठ बिक्री डिपो हैं जिनका प्रबन्धन डिपों प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि को समिलित किया था। 37 में से 10⁷⁰ मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई।

2.23.4 रॉयल्टी एवं रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का दावा न करना

2.23.4.1 रेजिन

मूल्य निर्धारण समिति प्रारम्भिक स्तर पर रॉयल्टी की अस्थाई दरें निर्धारित करता है जिनका बाद में संशोधन अंतिम रॉयल्टी दरों के रूप में किया जाता है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा जारी (2005) दिशा निर्देश जो कि निगम की वन सम्बन्धी कार्यव्यवस्था से संबंधित है के अनुसार रेजिन रॉयल्टी का भुगतान सम्बन्धित निःस्त्रवण वर्ष में 15 सितम्बर तथा 15 दिसम्बर तक दो बराबर किस्तों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त मूल्य निर्धारण समिति के निर्णयानुसार (सितम्बर, 2013) निगम द्वारा शेष राशि का भुगतान/समायोजन मूल्य निर्धारित समिति द्वारा अंतिम रॉयल्टी दरों को तय करने के 30 दिनों के भीतर किया जायेगा।

मूल्य निर्धारित समिति ने अपनी बैठक (जनवरी 2019) में निर्णय लिया कि निगम रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर वर्ष 2013-14 से 7.5 प्रतिशत की दर से भुगतान करेगा। 90 दिनों की रियायत अवधि अनुमत की गई है। परन्तु यदि भुगतान रियायत अवधि के बाद किया जाता है तो निगम को रॉयल्टी के भुगतान की देय तिथि से ब्याज का भुगतान करना होगा।

नमूना जांचित पांच मण्डलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभाग ने निःस्त्रवण के लिए निगम को 8,37,423 रेजिन ब्लेज वाले वृक्ष सौंपे जिन पर ₹ 5.16 करोड़ की रॉयल्टी देय थी (परिशिष्ट 2.3)। इसमें से निगम ने मार्च 2018 तक ₹ 2.97 करोड़ का भुगतान किया तथा ₹ 2.19 करोड़ मार्च 2018 तक बकाया थे। 31 मार्च 2018 तक रॉयल्टी के भुगतान में 54 से 784 दिनों तक का विलम्ब था। रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ₹ 38.53 लाख का उदग्रहण योग्य ब्याज भी 2013-14 से 2017-18 की अवधि हेतु विभाग द्वारा उदग्रहित नहीं किया गया।

वन मंडल अधिकारी ठियोग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा बताया (फरवरी 2020) कि बकाया रॉयल्टी एवं ब्याज के भुगतान के लिए निगम के साथ पत्राचार किया गया है। अन्य वन मण्डलाधिकारियों द्वारा कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

⁶⁹ ब्लेज 'चीड़' वृक्ष के आधार के पास लगाया गया कट है जो इसके आधार पर लगाए कप में रेजिन का संग्रह करते हैं। इस कट को पूरे निःस्त्रवण मौसम में सप्ताह भर ताजा निकलता रहता है।

⁷⁰ बिलासपुर, कोटगढ़, कुनिहार, मण्डी, पांचांटा साहिब, रोहडू, सोलन, ठियोग तथा ऊना नमूने के लिए चुने गए। इसके अतिरिक्त कुल्लू मण्डल के अभिलेखों की भी नमूना जांच की गई।

2.23.4.2 लकड़ी

मूल्य निर्धारण समिति के निर्णयानुसार (सितम्बर 2007) लकड़ी की निस्तारित खेपों पर रायलटी का भुगतान निचले भाग की खेपों हेतु पहली किस्त 20 मार्च एवं दूसरी किस्त 20 जून तक तथा उपरी भाग की खेपों हेतु 30 नवम्बर व 20 मार्च तक किया जाना या जो कि 2007-08 के बाद की खेपों के लिए लागू थी। रायलटी के विलम्बित भुगतान पर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज उद्ग्रहित किया जाना भी अपेक्षित था जो 2013-14 से प्रभावी था।

नमूना-जांचित 12 मण्डलों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि मार्च 2018 तक 382 निस्तारित खेपों पर ₹ 15.71 करोड़ की रॉयलटी का निगम नहीं किया गया था (परिशिष्ट 2.4)। इसके अतिरिक्त, चुकाई न गई/विलम्बित रायलटी पर ₹ 2.27 करोड़ का ब्याज न तो विभाग द्वारा लिया गया न ही निगम द्वारा चुकाया गया।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में बारम्बार इंगित किए जाने के बावजूद विभाग ने इन कमियों की समीक्षा नहीं की, जो मूल्य निर्धारण समिति के निर्णय लागू करने में या तो लापरवाही अथवा अकर्मण्यता का परिचायक है।

विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि निगम से रायलटी व ब्याज का अंतिम भुगतान प्राप्त करने के लिए समाधान किया जा रहा है तथा बकाया राशि की मांग की जाएगी। सरकार ने सूचित किया (जुलाई, 2020) कि विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

2.23.4.3 चीड़ वृक्षों की स्थाई एवं विश्वसनीय सूची तैयार न करना

वन नियमावली, खण्ड-IV के अनुसार प्रत्येक वृक्ष पर क्रमांक अंकित किया जाए तथा अनुमत ब्लेजों की संख्या को दर्शाया जाए। लेखापरीक्षा द्वारा वृक्षों की गलत गणना के कारण रेजिन निःस्त्रवण से प्राप्त राजस्व को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित उदाहरणों को देखा गया:

- नमूना-जांचित सात⁷¹ मण्डलों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वन नियमावली, खण्ड-IV के अनुसार वृक्ष संसाधनों के कुशल प्रबंधन हेतु यहां कोई तंत्र नहीं था। अरण्यपाल (बिलासपुर सर्कल) ने भी चीड़ वृक्षों की स्थाई सूची प्रबंधन तथा रेजिन निःस्त्रवण के संदर्भ में निर्धारित प्रारूप के अनुसार इसके आंकड़े कागजी प्रति (रजिस्टर में) एवं सॉफ्ट प्रति (एम.एस. एक्सेल) में दर्ज करने व प्रबंधित करने साथ ही प्रति वर्ष इसे नवीनीकृत करने के लिए एक व्यवस्था का पालन करने हेतु स्थाई आदेश (फरवरी 2011) जारी किया था। यह व्यवस्था वन संरक्षण, वृक्ष संसाधनों के कुशल प्रबंधन तथा वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए बनाई गई थी। यह व्यवस्था वन संरक्षक बिलासपुर द्वारा बनाई गई थी जो कि वृक्षों की विश्वसनीय व स्थाई सूची रखने के लिए अच्छी थी परन्तु नमूना-जांचित सातों मण्डलों में इसका भी पालन नहीं किया जा रहा था। आकड़ों के अभाव में वहां कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे यह पता चल सके कि कितने वर्षों से वृक्ष का लगातार निःस्त्रवण किया जा रहा थाया भविष्य में किया जाएगा। इस प्रकार इन मण्डलों में रेजिन निःस्त्रवण पर नियंत्रण, वृक्षों की अवैध कटाई तथा अवैध ब्लेजों से सम्बन्धित जानकारी सुनिश्चित नहीं हो पाई।
- उचित गणना प्रणाली की कमी भी निःस्त्रवण योग्य चीड़ के वृक्षों को सौंपने के सम्बन्ध में जांच हेतु विश्वसनीय आधार प्रदान नहीं कर पायी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान नमूना-जांचित चार⁷² मण्डलों में निःस्त्रवण योग्य 21,80,075 वृक्षों के प्रति (कार्य-योजना में दिए गए गणना विवरण के अनुसार) मात्र 5,56,629 वृक्ष ही रेजिन निःस्त्रवण हेतु निगम को सौंपे गए।

इस प्रकार, कार्य-योजनानुसार निगम को निःस्त्रवण योग्य चीड़ वृक्षों को सौंपने में विभाग की विफलता ₹ 9.72 करोड़ राशि के राजस्व की हानि में परिणत हुई।

⁷¹ कुनिहार, ऊना, कोटगढ़, पावंटा साहिब, मण्डी, रोहदू एवं बिलासपुर।

⁷² बिलासपुर- 12,61,900/2,04,155/₹ 6.33 करोड़, कोटगढ़ -2,01,645/39,954/₹ 97.27 लाख, कुनिहार-4,62,570/1,96,411/₹ 1.60 करोड़ व ऊना - 2,53,960/1,16,109/₹ 81.72 लाख (वृक्षों की कुल संख्या/सौंपें गए वृक्ष/राजस्व की हानि)

- इसके अतिरिक्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देश (मई, 2000) के अनुसार प्रत्येक वर्ष निःस्त्रवण मौसम (अधिकतम 15 दिसम्बर) के अंत में सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारियों द्वारा ब्लेज की हटाने का प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए ताकि आगामी निःस्त्रवण मौसम (15 मार्च) से पहले ही वन संरक्षक की स्वीकृती प्राप्त की जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013 से 2017 के दौरान पांच मंडलों के वन मण्डल अधिकारियों ने निगम को निःस्त्रवणार्थ रेजिन ब्लेजों की सूची सौंपते समय 31,523⁷³ रेजिन ब्लेजों की संख्या हटाई थी। तथापि ब्लेजों की संख्या हटाने से पूर्व अरण्यपाल से ली जाने वाली अनिवार्य मंजूरी प्राप्त नहीं की गई तथा निःस्त्रवण योग्य वृक्षों के विश्वसनीय आकड़ों के अभाव में सूचीसे हटाने का औचित्य स्पष्ट नहीं हो सका। यह वन संरक्षक स्तर पर नियंत्रण तंत्र की कमी को दर्शाता है तथा ₹ 18.90 लाख के राजस्व निहितार्थ युक्त ब्लेजों को अनियमित रूप से हटाने में परिणत हुआ।

विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि उखड़ चुके या सूख चुके कुछ वृक्षों को निगम के माध्यम से दोहन हेतु प्रतिवर्ष चिन्हित किया जाता है। परिणामतः रेजिन निःस्त्रवण हेतु कार्य-योजना में उल्लेखित वृक्षों की संख्या वन में वास्तविक रूप से गिने गए वृक्षों की संख्या में अन्तर पाया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को ब्लेजों के निःस्त्रवण की सूची निगम को सौंपने से पूर्व अनुमत ब्लेजों की संख्या की जांच करनी चाहिए थी। सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

2.23.4.4 निगम द्वारा रक्षित संपत्ति की खेप कादोहन न करना

मूल्य निर्धारण समिति ने निर्णय लिया (सितम्बर 2013) कि निगम को सौंपे गई सभी खेपों (रेजिन व लकड़ी) का निगम द्वारा निःस्त्रवण किया जायेगा तथा उन्हें इस दलील पर वापस नहीं लिया जायेगा कि कोई खेप अनुपयुक्त/बिना निःस्त्रवण के है। यदि किन्हीं विशिष्ट मामलों में जहां खेप/वृक्ष प्राकृतिक कारणों अथवा सम्बन्धित क्षेत्र में किसी अन्य विशेष समस्या के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका तब ऐसे मामले समिति के समक्ष इसके निर्णयार्थ सम्पूर्ण तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने होगे। यह भी निर्णय लिया गया था कि निचले भाग की एवं ऊपरी भाग की खेपों सौंपने को क्रमशः 60 दिनों के 90 दिनों के भीतर वन मण्डल अधिकारी तथा मण्डल प्रबंधन द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने के पश्चात् सुदूर क्षेत्रों की अनुपयोगी खेपों को हटाया जाएगा।

कुल्लू मंडल के अभिलेखों की जांच (अगस्त, 2019) में पता चला कि 1535 वृक्षों की एक खेप जिसका आयतन 5702.91 घनमीटर था, मार्च 2007 तक पट्टे पर दोहन हेतु निगम को सौंपी (मार्च, 2006) गई। उपर्युक्त खेप पर वर्ष 2006 की दरों के अनुसार ₹ 47.85 लाख की रायलटी देय थी। लेखापरीक्षा में पाया कि सभी वृक्ष (1535) गिरा दिए तथा 801 वृक्ष जिनका आयतन 3187.15 घनमीटर था, लट्ठों में परिवर्तित कर दिए गए तथा शेष 734 वृक्ष जिनका आयतन 2515.76 घनमीटर था, को लट्ठे में परिवर्तित करने में छूट गए थे। निगम कई बार विस्तार मिलने पर भी निस्तारित खेपों का दोहन कार्य दिसम्बर 2014 तक पूरा नहीं कर पाया। दस वर्ष के विचारणीय विलम्ब के पश्चात् खेप को अनुपयुक्त होने के रूप में नामित करने से सम्बन्धित संयुक्त निरीक्षण (अक्टूबर 2016) किया गया था। आगे यह भी देखा गया कि उपरोक्त खेप से संदर्भित चुकाई गई रायलटी की प्रारंभिक किस्त ₹ 19.40 लाख मूल्य निर्धारण समिति की स्वीकृति प्राप्त किए बिना आगामी खेपों में समायोजित किया गया जिस पर अरण्यपाल, कुल्लू ने भी आपत्ति उठाई थी। विभाग ने भी खेप वापस लेने अथवा इसका दोहन करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया (मार्च 2019)।

लेखापरीक्षा ने देखा (नवम्बर, 2019) कि रोहदू मण्डल में 2005 से 2008 की अवधि में 1,468 वृक्षों की दो खेपे (आयतन 5,594.11 घनमीटर) जिनका मूल्य ₹ 14.26 लाख था, निगम को सौंपी गई। निगम ने खेपों का दोहन नहीं किया तथा पट्टा-अवधि समाप्त होने के पांच से सात वर्षों के विलम्ब के पश्चात् उन्हें विभाग को वापस लौटा दिया। यह भी देखा गया कि सौंपे गए 5,594.11 घनमीटर आयतन के प्रति निगम ने लकड़ी के मात्र 4,884.03 वर्गमीटर आयतन को ही वापस लौटाया गया था (₹ 1.89 लाख मूल्य का 710.08 वर्गमीटर का कम आयतन लौटाया गया)।

⁷³ कोटगढ़-1618/(₹ 1,21,835), कुनिहार-9743/(₹ 5,90,396), मण्डी 17,125/(₹ 9,72,496), पांवटा साहिब-217/(₹ 10,850) व सोलन-2,820/(₹ 1,94,535).

इस प्रकार मण्डलों द्वारा पर्यवेक्षण के अभाव के कारण निगम द्वारा खेपों का उपयोग नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 62.11 लाख⁷⁴ की रॉयल्टी की वसूली नहीं हो पाई तथा इसके अतिरिक्त निगम द्वारा कम वृक्ष सौंपने के कारण ₹ 1.89 लाख की हानि हुई।

वन मंडल अधिकारी, कुल्लू ने लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को स्वीकार (अगस्त 2019) किया तथा बताया कि समायोजित रॉयल्टी को वापिस लेने हेतु निगम के साथ मामला उठाया गया है। वन मंडल अधिकारी, रोहडू द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.23.4.5 रॉयल्टी की गलत दर लागू होने से रॉयल्टी की अल्प/अवसूली

मूल्य निर्धारण समिति ने निर्णय लिया (अगस्त 2001) कि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त प्रजातियों की भारित औसत बिक्री दर का प्रतिशत वर्तमान वर्ष हेतु ऐसी प्रजातियों की रायल्टी दर होगी। ढोड़रा-क्वार, जहां कठिन कामकाजी परिस्थितियों एवं लकड़ी निष्कर्षण की उच्च लागत को देखते हुए विशेष रियायती दरों निर्धारित की गई है, के अतिरिक्त ये निर्धारित दरों सम्पूर्ण राज्य में एक समान रूप से लागू की गई है। विशेष रियायती दरों 2008 में विशेष पहाड़ी इलाकों हेतु बढ़ा दी गई (यात्रा-भत्ता दरों के आधार पर वर्गीकृत करके)। मूल्य निर्धारण समिति ने विशेष पहाड़ी इलाकों हेतु रायल्टी सामान्य क्षेत्रों हेतु 2016-17 व 2017-18 की अवधि के लिए तय रायल्टी दरों पर 40 प्रतिशत की दर से निर्धारित की (मार्च 2017-मार्च 2018)।

कुल्लु मण्डल की बकाया रायल्टी से सम्बन्धित आवधिक बकाया/मांग रजिस्टर तथा विवरणियों की जांच में पाया गया कि 2016-17 एवं 2017-18 की अवधि के दौरान छः निस्तारित खेपें⁷⁵ दोहन हेतु निगम को सौंपी गई थी। उक्त खेपे सामान्य क्षेत्रों से सम्बन्धित थी तथा उसके लिए वन मण्डल अधिकारी, कुल्लु ने ₹ 75.33 लाख की रॉयल्टी, सामान्य दर के अनुसार प्रस्तुत की थी। यद्यपि निगम ने सामान्य दरों के बजाय विशेष पहाड़ी दरों पर स्वयं ही गणना करके ₹ 25.36 लाख की रायल्टी का भुगतान किया (22 फरवरी 2017 व 29 जनवरी 2019 के मध्य)। इस प्रकार, निगम द्वारा रायल्टी दरों की कटौती एवं विभाग द्वारा सामान्य दरों पर रायल्टी की मांग करने में निष्क्रियता, ₹ 49.97 लाख राशि की रायल्टी की अल्प/वसूली में परिणत हुई।

2.23.4.6 विस्तार फीस का अनुदग्धण

लकड़ी/वृक्षों के दोहन हेतु निगम के साथ हुए मानक पट्टानामा अनुबंध के खण्ड-3 के अनुसार, पट्टे पर दिए गए वन में खड़े हुए शेष वृक्षों, गिराए गए वृक्षों तथा पट्टे पर दिए गए वन हटाई न गई बिखरी हुई/देर में पड़ी हुई लकड़ियों पर निगम का पट्टा अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मूल्य निर्धारण समीति के निर्णय (सितंबर 2007) के अनुसार, पट्टा अवधि के बाद कार्य अवधि विस्तार के लिए चुकाई गई अथवा चुकाई न गई कुल रायल्टी का 0.20 प्रतिशत, प्रति माह की दर पर विस्तार फीस के रूप में उदग्रहित की जायेगी।

नमूना जांचित दो मण्डलों⁷⁶ में पाया गया कि निगम 14 रक्षित सम्पत्ति खेपों का दोहन पट्टे पर दी गई अवधि के भीतर नहीं कर सका तथा उसने विलम्बित कार्य अवधि हेतु विस्तार की मांग की जो कि 1 से 97 माह का था। हालांकि विभाग ने ₹ 9.56 लाख के विस्तार शुल्क की वसूली हेतु मांग नहीं की एवं जिसका भुगतान भी निगम द्वारा नहीं किया गया।

अतः विस्तार शुल्क की मांग करने में विभाग की निष्क्रियता ₹ 9.56 लाख के राजस्व की अल्प वसूली में परिणत हुआ।

विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर, 2020) कि संबन्धित वन मण्डलाधिकारी को निगम के मण्डल प्रबंधक के साथ मामले का निपटान करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि विभाग को दिशा कार्यवाही करने हेतु आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।

⁷⁴ कुल्लू-₹ 47.85 लाख; रोहडू-₹ 14.26 लाख

⁷⁵ वृक्षों की संख्या- 2,627 एवं आयतन 6,743.87 घनमीटर

⁷⁶ कोटगढ़ - 7 खेपें; विस्तार फीस - ₹ 2.65 लाख एवं रोहडू- 7 खेपें; विस्तार फीस - ₹ 7.00 लाख

सरकार वन संरक्षण हेतु वृक्षों तथा दिए गए पट्टों के स्थाई अभिलेख अनुरक्षित करने तथा वृक्ष-संसाधनों के कुशल प्रबंधन एवं वित्तीय संशाधन दक्षता से जुटाने हेतु तंत्र स्थापित करें तथा मण्डलों को निगम के साथ नियमित रूप से रायल्टी, व्याज एवं विस्तार शुल्क का मिलान करने साथ ही राजस्व की तुरन्त वसूली की मांग करने के निर्देश दें।

2.24 जब्त लकड़ी का निपटान न करना

विभाग ने विभिन्न डिपो में पड़ी 66.098 घन मीटर जब्त लकड़ी का निपटान नहीं किया, जो ₹ 41.17 लाख के राजस्व के अवरोधन में परिणत हुआ।

भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 में कुर्की योग्य सम्पत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया गया है। अप्रैल 1951 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार जब्त की गई इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पाद को फार्म 17 में लेखाबद्ध करने के उपरान्त या तो सुपूर्दगार⁷⁷ की सुपूर्दगी (सुरक्षित अभिरक्षा) में रखा जाना चाहिए अथवा सम्बन्धित क्षेत्रीय स्टाफ के पास रखा जाना चाहिए। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने सभी अरण्यपालों को निदेश दिए (अपैल 1999) कि जहां पर वन उत्पादों की सुपूर्दगी अनुचित रूप से लम्बी अवधि हेतु ली गई है वहा सम्बन्धित जांच अधिकारी को ऐसे उत्पादों की निगरानी पर व्यय एवं ऐसे उत्पादों की चोरी/खराब होने के नुकसान को कम करने के लिए जब्त सम्पत्ति 15 दिनों भीतर की नीलामी करवाने हेतु सक्षम न्यायालय के आदेश प्राप्त करने को कहा जाए।

अगस्त 2018 तथा मार्च 2019 के दौरान पांच वन मण्डलों के इमारती लकड़ी फार्मों की संवीक्षा में पाया गया कि 11 रेजों में विभाग ने ₹ 41.17 लाख⁷⁸ मूल्य की 66.098 घन मीटर लकड़ी जब्त की। विभाग ने अपने राजस्व संग्रह को सुधारने के लिए को जब्त लकड़ी के समय पर निपटान अथवा रूपरेखा बनाने के विभागीय निर्देशों की पुष्टि या समीक्षा नहीं की। अतः 15 दिनों के निर्धारित समय के भीतर जब्त लकड़ी की नीलामी हेतु न्यायिक आदेशों को प्राप्त करने में विभाग की विफलता के परिणाम स्वरूप न केवल राजस्व का अवरोधन हुआ बल्कि निगरानी में भी व्यय हुआ जिससे इमारती लकड़ी के और खराब होने का जोखिम भी उत्पन्न हुआ।

इंगित किए जाने पर वन मण्डल अधिकारियों ने बताया (अगस्त 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) कि जब्त की गई इमारती लकड़ी की नीलामी हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

यह मामला सरकार को सितम्बर 2018 से अप्रैल 2019 में मध्य सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2020)।

सरकार विभाग को निर्देश जारी करने के लिए विचार कर सकती हैं कि इमारती लकड़ी के निपटान के लिए निर्धारित समय के भीतर निलामी को सुनिश्चित किया जाए।

2.25 रेजिन ब्लेजों का निःस्त्रवण न करना

विभाग ने वृक्षों की श्रेणी पर विचार किए बिना चीड़ वृक्षों में दो ब्लेजों के बजाए केवल एक ही ब्लेज लगाया जिसके परिणामस्वरूप 16,127 ब्लेजों का निःस्त्रवण नहीं हुआ तथा ₹ 8.28 लाख राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश वन विभाग की नियम पुस्तिका खण्ड-IV तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अप्रैल 2007 की अधिसूचना में प्रावधान है कि प्रति चीड़ वृक्ष जिसकी परिधि 1.90 मीटर (60 सेंटी मीटर व्यास) तथा इससे ऊपर है, पर दो ब्लेज लगानी होती है। इसके अतिरिक्त, मूल्य निर्धारण समिति ने मार्च 2017, मार्च 2018 तथा जनवरी 2019 में आयोजित बैठकों में निःस्त्रवण मौसम 2015 से 2017 हेतु क्रमशः ₹ 65, ₹ 51 तथा ₹ 50 प्रति ब्लेज अंतिम दरे निर्धारित की जो हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम समिति द्वारा वन विभाग को चुकानी थी।

⁷⁷ लम्बरदार या स्थान पर उपस्थित विश्वसनीय व्यक्ति

⁷⁸ लूहरी में अन्नी: आयतन: 9.510 घनमीटर ₹ 5.58 लाख सलूणी में चुरहा: आयतन: 2.472 घनमीटर ₹ 1.61 लाख, धर्मशाला: आयतन: 5.892 घनमीटर ₹ 4.13 लाख, कोटगढ़: आयतन: 43.705 घनमीटर ₹ 27.16 लाख व किलाड़ में पांगी आयतन: 4.52 घनमीटर ₹ 2.68 लाख

2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा ने 139 मामलों से अंतर्ग्रस्त पांच वन मण्डलाधिकारियों को सौंपी गई रेजिन निःस्त्रवण के वृक्षों की सूची की नमूना-जांच की तथा देखा कि लुहरी स्थित आनी वनमण्डल में वृक्षों के 49 मामलों में, जहां प्रत्येक वृक्ष की व्यास 60 सेंटीमीटर से अधिक थी, वृक्षों को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम समिति को रेजिन निःस्त्रवण हेतु सौंपा गया। इनमें से सात मामलों में हिमाचल प्रदेश राज्य विकास निगम ने अपेक्षित दो ब्लेजों के प्रति 16,127 चीड़ वृक्षों पर केवल एक ही ब्लेज लगाया जबकि वृक्ष का व्यास 60 सेंटीमीटर से अधिक था। इस प्रकार, नियमावली में दी गई प्रक्रियायों का पालन करने में वन मण्डलाधिकारियों की विफलता 16,127 ब्लेजों के अल्प निःस्त्रवण तथा ₹ 8.28 लाख के राजस्व की अल्प वसूली में परिणत हुई।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि रिल विधि के चलन से पूर्व वृक्षों का निःस्त्रवण कप-लिप विधि द्वारा किया जा रहा था जिसके फलस्वरूप वर्तमान ब्लेज के लिए वृक्ष पर कम स्थान मिल सका तथा पहाड़ी इलाका होने के कारण मात्र एक ब्लेज का ही निःस्त्रवण हो सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह कहीं भी निर्धारित नहीं किया गया है कि किसी विशेष पद्धति को अपनाने से 60 सेंटीमीटर या उससे ऊपर वाले वृक्षों पर दो दो ब्लेजों के निःस्त्रवण की प्रक्रिया में में कोई बाधा उत्पन्न होगी तथा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दो ब्लेज लगाना आवश्यक था। सरकार का उत्तर प्रतिक्षित था (नवम्बर 2020)।

सरकार अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन करने हेतु विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करें।

भाग ‘ख’
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय-३

परिचय

अध्याय-3

परिचय

3.1 परिचय

3.1.1 सामान्य

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार की कंपनियां तथा सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियां चलाने के लिए की गई है तथा ये राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2019 तक हिमाचल प्रदेश में दो¹ सांविधिक निगम और 25 सरकारी कम्पनियां (तीन² अकार्यशील सरकारी कंपनियां) समेत 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। इनमें से एक कंपनी³ दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थी यद्यपि कंपनी के अनुग्रह (1994) तथा दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की सिफारिश पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कंपनी को सूची से हटाने की सहमति (सितंबर 2002) प्रदान की।

इस प्रतिवेदन में 30 सितम्बर 2019 तक नवीनतम अंतिमरूप दिए गए लेखाओं के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन को सम्मिलित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की प्रकृति तथा लेखों की स्थिति तालिका 3.1 में दर्शाई गई है:

तालिका 3.1: 31 मार्च 2019 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति	कुल संख्या	प्रतिवेदन अवधि के दौरान प्राप्त लेखों की संख्या					30 सितंबर 2019 तक कुल बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या
		2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	कुल	
कार्यशील सरकारी कंपनियां	22	1	10	4	1	16	21 (40)
सांविधिक निगम	2	-	2	-	-	2	2 (2)
कुल कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	24	1	12	4	1	18	23 (42)
अकार्यशील सरकारी कंपनियां	3	-	-	1	-	1	2 ⁴ (7)
योग	27						

कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने उनके सितंबर 2019 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार ₹ 9,181,99 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया (परिशिष्ट 3.1)। यह टर्नओवर 2018-19 की वर्तमान कीमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.97 प्रतिशत के बराबर था। कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने उनके सितम्बर 2019 तक के अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार ₹ 183.49 करोड़ की सकल हानि अर्जित की (परिशिष्ट 3.1)। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मार्च 2019 तक 36,347 कर्मचारी तैनात थे।

31 मार्च 2019 तक ₹ 79.79 करोड़ की नियोजित पूँजी वाली तीन अकार्यशील कम्पनियां थीं।

1 हिमाचल प्रदेश वित्त निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम

2 एग्रो इंडस्ट्रीयल ऐकेजिंग इण्डिया लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड एण्ड हिमाचल वर्सटेट मिल्स लिमिटेड

3 हिमाचल प्रदेश समान्य उद्योग निगम सीमित

4 हिमाचल वर्सटेट मिल्स लिमिटेड परिसमापन की प्रक्रिया में थी अतः इस पर विचार नहीं किया गया।

3.1.2 लेखादायित्व की रूपरेखा

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 व 143 में सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी से तात्पर्य उस कम्पनी से है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केन्द्र सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त पूँजी का अंश निवेशित किया गया हो तथा इसमें ऐसी कम्पनी भी शामिल हो जो किसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी हैं। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) व (7) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सरकारी कम्पनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखा परीक्षकों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी के पंजीयन की तिथि से 60 दिनों के भीतर नियुक्त किया जाना है तथा यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में कम्पनी के निदेशक मंडल या कम्पनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति करनी होगी।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप धारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यदि चाहे तो धारा 139 की उप धारा (5) या उप धारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कम्पनियों के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा संचालित करवा सकते हैं तथा ऐसी नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक उन्हें सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित अथवा उनके स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी या अन्य किसी कम्पनी की लेखापरीक्षा संचालित कर सकता है। 31 मार्च 2014 को या उससे पूर्व प्रारम्भ हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में किसी कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

3.1.3 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 139 (5) या (7) के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को कम्पनी की अन्य सूचनाओं के साथ उसके वित्तीय विवरणों सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत करता है। अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को प्राप्त करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित कर सकता है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। दो सांविधिक निगमों⁵ में से हिमाचल सड़क परिवहन निगम के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, एकमात्र लेखापरीक्षक है तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा संचालित की जाती है एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाती है।

3.1.4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमोंद्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

समय पर अंतिम रूप देने तथा प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 व 395 के अनुसार एक सरकारी कम्पनी के कार्यचालन एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक के तीन महीने के भीतर तैयार की जाए तथा तैयार होते ही शीघ्रतिशीघ्र उस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक

⁵ हिमाचल प्रदेश वित्त निगम एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम

प्रति एवं नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई टिप्पणी या अनुपूरक के साथ विधायिका अथवा विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाए। सम्बन्धित अधिनियमों में सांविधिक नियमों को विनियमित करने के लगभग एक समान प्रावधान विद्यमान है। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि में से कम्पनियों में निवेशित सार्वजनिक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित करना अपेक्षित है। यह भी कहा गया है कि दो वार्षिक आम बैठकों के मध्य 15 महीने से अधिक समय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसार उक्त वार्षिक आम बैठक में वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में प्रावधान है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों की गैर-अनुपालना हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों पर जिसमें कम्पनी के निदेशक भी शामिल हैं, कारावास एवं अर्थदण्ड जैसी शास्ति लगाई जाए।

3.1.5 सरकार तथा विधानमण्डल की भूमिका

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखती है। सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा निदेशक मण्डल के निदेशक नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधानमण्डल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किए गए सरकारी निवेश के उपयोग एवं लेखांकन की निगरानी करता है। इस प्रयोजनार्थ, अधिनियम की धारा 394 अथवा जैसा सम्बन्धित अधिनियमों में निर्धारित हो, के तहत राज्य की सरकारी कम्पनियों के मामले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सांविधिक नियमों के सम्बन्ध में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका के समक्ष रखे जाए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के तहत सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

3.1.6 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल प्रदेश सरकार का निवेश

हिमाचल प्रदेश सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बहुत अधिक वित्तीय अंश निहित है। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं:

- **शेयर पूँजी एवं ऋण—** शेयर पूँजी योगदान देने के अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता—** हिमाचल प्रदेश सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान एवं सब्सिडी के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **गारंटी—** हिमाचल प्रदेश सरकार वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋणों की व्याज सहित चुकाने की गारंटी भी देती है।

31 मार्च 2019 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किए गए कुल निवेश का क्षेत्र-वार सारांश नीचे दिया गया है:

31 मार्च 2019 तक 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (प्रदत्त पूँजी, दीर्घावधि ऋण एवं अनुदान) ₹ 20,338.66 करोड़ था जैसा कि तालिका-3.2 में दिया गया है:

तालिका 3.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्र-वार निवेश

(₹ करोड़ में)


क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियां		संविधिक निगम	कुल	निवेश						कुल			
	कार्यशील	अकार्यशील			इकिवटी			दीर्घावधि त्रहण			हिमाचल प्रदेश सरकार सभिसडी/अनुदान	हिमाचल प्रदेश सरकार		
					हिमाचल प्रदेश सरकार	अन्य	कुल	हिमाचल प्रदेश सरकार	अन्य	कुल				
कृषि एवं सम्बद्ध	3	1	-	4	76.55	10.50	87.05	127.82	1.49	129.31	69.17	273.54	11.99	
वित्त	3	-	1	4	131.41	6.69	138.10	77.88	34.08	111.96	5.31	214.60	40.77	
अवसंरचना	4	-	-	4	55.82	-	55.82	-	-	-	1,914.00	1,969.82	-	
विनिर्माण	1	1	-	2	7.04	1.04	8.08	2.97	-	2.97	0.00	10.01	1.04	
सेवा	7	1	1	9	793.82	15.65	809.47	0.55	132.87	133.42	3,203.10	3,997.47	148.52	
विद्युत	4	-	-	4	1,656.66	1,705.92	3,362.58	6,393.82	3,142.82	9,536.64	771.68	8,822.16	4,848.74	
कुल	22	3	2	27	2,721.30	1,739.80	4,461.10	6,603.04	3,311.26	9,914.30	5,963.26	15,287.60	5,051.06	

प्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित। हिमाचल प्रदेश के अनुदान/सभिसडी ही लिए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र पर रहा जिसने ₹ 20,338.66 करोड़ के कुल निवेश में से ₹ 13,670.90 करोड़ (67.22 प्रतिशत) का सरकारी निवेश प्राप्त किया।


2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में किया गया कुल निवेश चार्ट-3.1 में दर्शया गया है:

चार्ट 3.1: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश



3.1.7 31 मार्च 2019 की समाप्ति पर चारों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया गया कुल निवेश एवं उसकी प्रतिशतता चार्ट-3.2 में दर्शाई गई है:

चार्ट 3.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्र-वार निवेश



(कोष्ठक के आंकड़े कुल निवेश के सापेक्ष निवेश की क्षेत्र-वारप्रतिशतता दर्शाते हैं।)

विद्युत क्षेत्र में निवेश के उच्च स्तर को देखते हुए इस प्रतिवेदन के अध्याय चार⁶ में चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों तथा अध्याय पांच⁷ में 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के परिणामों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

⁶ अध्याय-4 में सम्मिलित है: राज्य के विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति तथा विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

⁷ अध्याय-5 में सम्मिलित है: विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति तथा विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

अध्याय-4

राज्य के विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों
की कार्य पद्धति


अध्याय-4

राज्य के विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य पद्धति

परिचय

4.1 विद्युत क्षेत्र की कंपनियां राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य में 27,436 मेगावाट की विद्युत क्षमता की पहचान की गई जिसमें से 10,640.57 मेगावॉट का दोहन जून 2020 तक कर लिया गया। राज्य में चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रम हैं। इनमें दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित विद्युत उत्पादक कम्पनियां हैं। विद्युत निगम सीमित के पास तीन प्रचालित परियोजनाएं हैं जबकि शेष परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के साथ हैं जिसकी परिच्छेद 4.3 में चर्चा की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित राज्य की एकमात्र विद्युत वितरण कम्पनी भी है। इनमें से, एक⁸ विद्युत क्षेत्र के उपक्रम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की 100 मेगावाट ऊहल-III हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (HEP) के निष्पादन के लिए सहायक कम्पनी है और इसने 2018-19 तक वाणिज्यिक गतिविधियों की शुरूआत नहीं की थी क्योंकि यह परियोजना चालू नहीं हुई थी। अन्य सभी विद्युत क्षेत्र के उपक्रम सक्रिय हैं।

चार्ट 4.1: दोहन क्षमता में हिस्सा (मेगावाट में)



31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 9,040.86 मिलियन यूनिट की कुल विद्युत मांग के प्रति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित मात्र 2,067.11 मिलियन यूनिट का उत्पादन करने में समर्थ थी तथा शेष 6,973.75 मिलियन यूनिट अन्य उत्पादन स्टेशनों से प्राप्त की गई थी।

राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रदान करने के अलावा यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भी योगदान करता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की सक्रियता की सीमा को दर्शाता है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों और हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के टर्न ओवर का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 4.1: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्न ओवर तथा हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तुलनात्मक विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर	4,230.44	5,093.79	5,599.56	5,993.79	6,325.56
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (वास्तविक वर्तमान कीमतों पर)	1,03,772	1,14,239	1,25,634	1,38,351	1,53,845
हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में टर्नओवर की प्रतिशतता	4.08	4.46	4.46	4.33	4.11

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों की वर्तमान कीमतों पर वर्ष-दर-वर्ष की तुलना हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक व सांख्यिकी विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान कीमतों पर आंकड़ों के आधार पर संकलित।

पिछले वर्षों में विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्न ओवर में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई। 2014-19 की अवधि के दौरान टर्न ओवर में वृद्धि 5.54 प्रतिशत व 20.41 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि

9.97 प्रतिशत व 11.20 प्रतिशत के बीच रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का चक्रवृद्धि वार्षिक विकास 10.34 प्रतिशत था। चक्रवृद्धि वार्षिक विकास लम्बी समय अवधि में विकास दर को मापने के लिए एक उपयोगी विधि है। विगत पांच वर्षों के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 10.34 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक विकास के प्रति विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्न ओवर में 10.58 प्रतिशत का उच्च चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर्ज हुआ। इसके परिणामस्वरूप इन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में टर्न ओवर की हिस्सेदारी 2014-15 में 4.08 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 4.11 प्रतिशत रही।

राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनी (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित) स्थापना के समय से ही अपने परिचालन में लगातार नुकसान उठा रही थी। वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2019 की समाप्ति पर 2,092.86 करोड़ के संचित हानियों से विद्युत वितरण कम्पनी दबाव में थी। उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनी के परिचालन तथा वित्तीय परिवर्तन हेतु एक योजना, उच्चल डिस्कॉम ऐश्योरेंस योजना (उदय) प्रारंभ की (20 नवम्बर 2015) जो राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनी के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए एक योजना है। उदय के प्रावधानों और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा योजना के कार्यान्वयन की स्थिति पर भी इस अध्याय में चर्चा की गई है।

4.2 राज्य में विद्युत की मांग, उपलब्धता एवं आपूर्ति की स्थिति

2014-15 से 2018-19 के दौरान विद्युत की अधिकतम मांग, राज्य की स्वयं की विद्युत वितरण सेवा, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा उसकी उपलब्धता तथा भागीदारी नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 4.2: हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमितके विद्युत उत्पादन का विवरण

वर्ष	अधिकतम मांग (मेगावॉट में)	विद्युत की उपलब्धता (मेगावॉट में)	कुल विद्युत की आपूर्ति (मिलियन यूनिट में)	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित की स्थापित क्षमता (मेगावॉट में)	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा आपूर्ति विद्युत (मिलियन यूनिट में)	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित का कुल आपूर्ति में हिस्सा (प्रतिशत में)
2014-15	1,422	1,422	8,728	487.450	1,982	23
2015-16	1,488	1,488	8,758	487.450	1,455	17
2016-17	1,499	1,499	8,779	487.450	1,491	17
2017-18	1,594	1,594	9,345	487.450	1,837	20
2018-19	1,700	1,700	9,618	487.450	1,956	20

स्रोत: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारण और हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित के विद्युत के वार्षिक लेखों की लोड जनरेशन बैलेंस रिपोर्ट।

राज्य अपनी अधिकतम मांग की पूर्ति अनुबंधों (विद्युत खरीद अनुबंध), पावर ग्रिड के माध्यम से अनिर्धारित इन्टरचेंज (UI)⁹ के तहत विद्युत की खरीद व आहरण के द्वारा कर सका। साथ ही, बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति करने के लिए अपनी स्थापित क्षमता में बढ़ौतरी न होने के कारण राज्य में विद्युत की कुल आपूर्ति में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की भागीदारी लगभग स्थिर रही। कुल मिला कर हिमाचल प्रदेश एक विद्युत आधिक्य वाला राज्य था, यद्यपि 31 मार्च 2019 तक राज्य विद्युत वितरण कम्पनी (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित) में विद्युत की कमी थी।

4.3 विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन/निर्माण

विद्युत बोर्डों में विद्युत के उत्पादन, संचरण तथा वितरण गतिविधियों को पृथक करने के लिए एवं पृथक लेखांकन केन्द्र बनाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 में इनकों अलग-अलग करने की परिकल्पना की गई थी।

विद्युत अधिनियम, 2003 का अनुसरण करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीन कम्पनियों, अर्थात् 2006-07 के दौरान ₹ 79.71 करोड़ की इक्विटी निवेश द्वारा हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, 2008-09 में ₹ 3.00 करोड़ के इक्विटी निवेश के द्वारा हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन सीमित तथा दिसम्बर 2009 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का गठन किया।

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को भार मुक्त करने तथा इसकी परिसम्पत्तियों, सम्पत्तियों, देयताओं, कर्तव्यों, कार्यवाहियों तथा कर्मचारी वर्ग को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित में स्थानान्तरित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र

⁹ विद्युत का वास्तविक आहरण कुल निर्धारित आहरण (कुल निर्धारित आहरण में से वास्तविक आहरण को घटाने पर)।

सुधार स्थानांतरण योजना, 2010 प्रतिपादित की (जून 2010)। कम्पनी 10 जून 2010 को अस्तित्व में आई तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड की सभी परिसम्पत्तियों व देयताओं को हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार स्थानांतरण योजना 2010 के प्रावधान के अनुसार नवनिर्मित कम्पनी में स्थानांतरित किया गया।

ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित नामक एक अन्य विद्युत क्षेत्र कम्पनी को भी 100 मेगावाट की उहल- ।।। जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (अब हिमाचल प्रदेश विद्युत राज्य विद्युत बोर्ड सीमित) की सहायक कम्पनी के रूप में 2002-03 के दौरान निगमित किया गया था।

इस प्रकार, 31 मार्च 2019 तक राज्य में चार विद्युत क्षेत्र कम्पनियां थीं। इनमें से ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित ने 2018-19 तक कोई व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नहीं की थीं।

सुधार योजनानुसार, वितरण गतिविधियों सहित 479.350 मेगावॉट उत्पादन की स्थापित क्षमता वाली 26 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्वहन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा किया गया तथा 986 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाली केवल 6 नई जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणार्थ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित को हस्तांतरित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के पास 110 मेगावाट क्षमता की दो परियोजनाएं निष्पादनाधीन थीं जिसमें से 10 मेगावाट की एक परियोजना 2014 के दौरान शुरू कर दी गई थी। राज्य सरकार ने अप्रैल 2013 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को 70.50 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली चार नई जल विद्युत परियोजना निर्माण हेतु सौंपी थी।

हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार स्थानांतरण योजना 2010, के अनुसार, संरचन लाईनों से सम्बन्धित सभी परिसम्पत्तियां एवं देयताएं (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की भविष्यगामी/विद्यमान जल विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित लाईनों या वितरण प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा न होकर) हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन सीमित में निहित/हस्तान्तरित होगी। तदनुसार, 66 किलोवोल्ट तथा इससे अधिक (278.860 सर्किट किलोमीटर/कुल का एक प्रतिशत) की 14 विद्यमान संचरण लाईनों को 2009-11 के दौरान हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन सीमित को हस्तान्तरित किया गया।

इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित अब भी एक प्रतिशत की नगण्य संचरण लाईनों को छोड़कर इसके सभी विद्यमान उत्पादन व संचरण नेटवर्क का वितरण गतिविधियों सहित परिचालन कर रही है। अतएव, विद्युत अधिनियम, 2003 में बोर्ड को भार-मुक्त (अर्थात् उत्पादन, संचरण व वितरण गतिविधियों को पृथक लेखांकन केन्द्र बनाने हेतु करना) करने की परिकल्पना को सच्चे अर्थों में प्राप्त नहीं किया।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन, निजीकरण एवं विनिवेश

4.4 वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कोई विनिवेश, पुनर्गठन या निजीकरण नहीं किया था।

31 मार्च 2019 को पॉवर क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का गतिविधि-वार सारांश तालिका 4.3 में दिया गया है:

तालिका 4.3: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधि-वार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)						
		इक्विटी		दीपावली ऋण		हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी	कुल	
		हिमाचल प्रदेश सरकार	अन्य	हिमाचल प्रदेश सरकार	अन्य		हिमाचल प्रदेश सरकार	अन्य
विद्युत का उत्पादन (हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित)	1	609.64	1,405.92	2,388.97	142.45	-	2,998.61	1,548.37
विद्युत का संचरण (हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित)	1	326.45	-	1,079.19	66.61	-	1,405.64	66.61
विद्युत का वितरण(हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित)	1	720.57	-	2,925.66	2,000.36	771.68	4,417.91	2,000.36
अन्य (ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित) ¹⁰	1	-	300.00	-	933.40	-	-	1,233.40
कुल	4	1,656.66	1,705.92	6,393.82	3,142.82	771.68	8,822.16	4,848.74

स्रोत: क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित। केवल हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुदानों/सब्सिडी को ही लिया गया है।

10

अहल-III जल विद्युत परियोजना के निर्माणार्थ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की बनाई गई सहयोगी कम्पनी।

31 मार्च 2019 तक, चारों विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (इकिवटी, दीर्घावधि ऋण व अनुदान/सब्सिडी) ₹ 13,670.90 करोड़ था। निवेश में इकिवटी का 24.60 प्रतिशत ऋण में 69.76 प्रतिशत तथा अनुदान/सब्सिडी का 5.64 प्रतिशत था।

राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप में दिए गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों के 67.04 प्रतिशत (₹ 6,393.82 करोड़) थे जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 32.96 प्रतिशत (₹ 3,142.82 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों अर्थात् विद्युत वित्त निगम, ग्रामीण विद्युत निगम एवं राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राप्त किया गया। हालांकि, 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने बकाया ऋणों (₹ 3,854 करोड़) का ₹ 2,890.50 करोड़ (75 प्रतिशत) अधिग्रहित किया।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

4.5 हिमाचल प्रदेश सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 को समाप्त विगत तीन वर्षों हेतु विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में वर्ष के दौरान इकिवटी, ऋण अनुदान/सब्सिडी, बढ़े खाते में डाले गए ऋण और इकिवटी में परिवर्तित ऋणों के प्रति बजटीय निकास का सारांशित विवरण निम्नवत है:

तालिका 4.4: विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण ¹¹	2016-17		2017-18		2018-19	
	विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
इकिवटी पूँजी (i)	2	69.51	3	182.11	3	250.00
दिए गए ऋण (ii)	1	3,010.50	1	262.68	1	365.00
अनुदान/सब्सिडी ¹² प्रदान की गई (iii)	-	-	1	6.00	2	24.00
कुल निकास (i+ii+iii)	-	3,080.01	-	450.79	-	639.00
ऋण वापसी को बढ़े खाते में भेजना	-	-	-	-	-	-
इकिवटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जारी की गई गारंटियां	-	-	-	-	-	-
गारंटी प्रतिबद्धता/बकाया	1	3,760.25	1	3,715.50	-	-

मोत: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

मार्च 2019 को समाप्त विगत तीन वर्षों हेतु इकिवटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडियों में बजटीय सहायता का विवरण नीचे चार्ट 4.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट 4.2: इकिवटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के प्रति बजटीय सहायता



वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान इन विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्राप्त बजटीय सहायता वर्ष के दौरान ₹ 450.79 करोड़ एवं ₹ 3,080.01 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2017-18 की अपेक्षा 2018-19 में बजटीय सहायता में बढ़ौतरी हिमाचल प्रदेश राज्य

¹¹ राशि केवल राज्य बजट से निकास का प्रतिनिधित्व करती है।

¹² अनुदान, राज्य सरकार द्वारा घेरेलू उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित दरों एवं विनियामक द्वारा निर्धारित दरों के मध्य दरों के अंतर पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा प्राप्त राज्य सरकार के टैरिफ रोल बैंक सब्सिडी को प्रदर्शित करता है।

विद्युत बोर्ड सीमित, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन सीमित एवं हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमीशन कॉरपोरेशन सीमित को इकिवटी एवं अनुदानों/सब्सिडियों के रूप में ₹ 274.00 करोड़ तथा हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमीशन कॉरपोरेशन सीमित को ₹ 365.00 करोड़ ऋणों के रूप में उपलब्ध होने के कारण हुई।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार गारंटी प्रदान करती है तथा एक प्रतिशत तक गारंटी शुल्क प्रभारित करती है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

4.6 राज्य के विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेखों में प्रदर्शित बकाया इकिवटी, ऋण और गारंटी से सम्बन्धित आंकड़े हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आंकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित विद्युत क्षेत्र उपक्रमों तथा वित्त विभाग को भिन्नताओं का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2019 तक इकिवटी और ऋण की स्थिति में अन्तर को नीचे तालिका 4.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.5: वित्त लेखों के अनुसार बकाया ऋणों की विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेखों से तुलना

(₹ करोड़ में)

इनसे सम्बन्धित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	राज्य विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
इकिवटी	1,615.35	1,656.66	41.31
ऋण	6,597.07	6,394.12	202.95

स्रोत: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों और वित्त लेखों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित (विवरण संख्या 18 व 19)

पिछले कई वर्षों से आंकड़ों के बीच अन्तर बना हुआ है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विभागों के साथ अन्तरों के मिलान का मुद्दा भी उठाया गया।

सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार तथा विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का मिलान करना चाहिए।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

4.7 विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

31 मार्च 2019 तक भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा की परिधि में चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। सांविधिक अपेक्षानुसार 30 सितम्बर 2019 तक वर्ष 2018-19 के लेखों को इनमें से किसी भी कार्यशील विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले विगत पांच वर्षों के लिए विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक प्रस्तुत किए जाने वाले बकाया लेखों का विवरण नीचे तालिका 4.6 में दिया गया है:

तालिका-4.6: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की प्रस्तुति से संबंधित स्थिति

क्रम संख्या	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	4	4	4	4	4
2.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए गए लेखों की संख्या	3	4	4	3	4
3.	वर्ष के दौरान लेखाओं का अन्तिम रूप देने वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	-	-	-	-	-
4.	वर्ष के दौरान पिछले वर्षों के अन्तिम रूप दिए गए लेखों की संख्या	3	4	4	3	4
5.	विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	4	4	4	4	4
6.	बकाया लेखों की संख्या	5	5	5	6	6
7.	बकायों की सीमाअवधि	दो वर्ष				

स्रोत: अक्टूबर 2018 से सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान प्राप्त कार्यशील विद्युत क्षेत्र के लेखाओं के आधार पर संकलित।

राज्य के चारों कार्यशील विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों ने 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान पूर्व वर्षों हेतु (वर्ष 2016-17 हेतु दो लेखें व 2017-18 हेतु दो लेखें) चार वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया। प्रशासनिक विभागों का यह

दायित्व है कि इन संस्थानों की गतिविधियों पर दृष्टि रखें और यह सुनिश्चित करें कि विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अंतिम रूप दिया एवं अंगीकृत किया जाए।


विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन

4.8 30 सितम्बर 2019 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार चारों विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्य परिणाम परिशिष्ट 4.1 में वर्णित है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर उचित लाभ प्राप्त करें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2019 तक केवल तीन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 1,656.66 की इकिवटी, ₹ 6,393.82 करोड़ के दीर्घावधि ऋण तथा ₹ 771.68 करोड़ के अनुदान/सब्सिडी के रूप में ₹ 8,822.16 करोड़ का निवेश किया। 2016-17 में ऋणों में वृद्धि का मुख्य कारण उदय स्किम के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण का अधिग्रहण था।

2014-15 से 2018-19 तक हिमाचल प्रदेश सरकार की विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में इकिवटी और दीर्घावधि ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में निवेश की वर्ष-वार स्थिति चार्ट 4.3 में दर्शाई गई है:

चार्ट 4.3: हिमाचल प्रदेश सरकार का विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश




चार्ट-4.3 से स्पष्ट है कि 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार का कुल निवेश 2.46 गुणा बढ़ गया था।

कम्पनी की लाभप्रदता का पारंपरिक रूप से आंकलन निवेश पर प्रतिफल तथा नियोजित पूँजी पर प्रतिफल तथा इकिवटी पर प्रतिफल माध्यम से किया जाता है। निवेश पर प्रतिफल वर्ष में धन की निवेशित राशि पर हुए लाभ अथवा हानि से मापा जाता है तथा कुल निवेश के सापेक्ष प्राप्त निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कम्पनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी का उपयोग किया गया है।

निवेश पर प्रतिफल

4.9 निवेश पर प्रतिफल कुल निवेश से लाभ या हानि का प्रतिशत है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान सभी विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई हानि¹³ की समग्र स्थिति चार्ट 4.4 में दर्शाई गई:

चार्ट 4.4: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानियां



- इन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 2014-15 में ₹ 356.72 करोड़ की हानि के प्रति 2018-19 तक उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार ₹ 83.28 करोड़ की हानि हुई (परिशिष्ट 4.1)। विगत वर्ष की तुलना में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित एवं हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित की हानियों में वृद्धि के कारण 2017-18 में हुई ₹ 39.73 करोड़ की हानि 2018-19 में बढ़ कर ₹ 83.28 करोड़ हो गई।
- हानियों में समग्र गिरावट का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय पैकेज को प्रदान करना था।

2014-15 से 2018-19 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले तथा हानियां उठाने वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति तालिका 4.7 में दर्शाई गई है:

तालिका 4.7: विद्युत क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार 2014-15 से 2018-19 के दौरान लाभ अर्जित किया/हानियां उठाई

वित्तीय वर्ष	विद्युत क्षेत्र में कुल विद्युत क्षेत्र के उपक्रम	लाभ अर्जित करने वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	हानि उठाने वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	उन विद्युत क्षेत्रों के उपक्रमों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ व हानि लेखा तैयार नहीं किया
2014-15	4	1	2	1
2015-16	4	1	2	1
2016-17	4	1	2	1
2017-18	4	-	3	1
2018-19	4	-	3	1

स्रोत: नवीनतम अंतिम रूप लिए लेखाओं की जानकारी के अनुसार।

निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल

4.10 राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में से राज्य सरकार ने केवल तीन विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में धन का निवेश किया। राज्य सरकार ने एक कम्पनी (ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित) में किसी भी प्रत्यक्ष

¹³ आंकड़े सम्बन्धित वर्षों के दौरान नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार दर्शाए गए हैं।

धन का निवेश नहीं किया। सम्बन्धित नियन्त्रक कम्पनी, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा सहायक कम्पनी को सम्पूर्ण इक्विटी का योगदान दिया गया।

इन तीन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का केवल इक्विटी में ₹ 1,656.66 करोड़ का निवेश था। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को जारी किए गए अनुदान/सब्सिडी, टैरिफ रोल बैक सब्सिडी¹⁴ के कारण किए थे न कि परिचालन तथा प्रशासनिक खर्चों के लिए।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर प्रतिफल तालिका 4.8 में दिया गया है:

तालिका 4.8: ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल

वित्तीय वर्ष	ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित धन (₹ करोड़ में)	कुल उपार्जन/हानि (₹ करोड़ में)	निवेश पर प्रतिशत (प्रतिशतमें)
2014-15	784.21	-356.72	-45.49
2015-16	926.99	-156.88	-16.92
2016-17	1,156.80	-129.32	-11.18
2017-18	1,376.44	-39.73	-2.89
2018-19	1,656.66	-83.28	-5.03

स्रोत: विद्युत क्षेत्र के उपक्रम के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं से प्राप्त सांख्यिकीय जानकारी।

2014-15 से 2018-19 के दौरान चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश पर प्रतिफल -45.49 प्रतिशत से -2.89 प्रतिशत के बीच रहा। उदय योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निधियों के निवेश तथा कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे में (एग्रीगेट टेक्निकल एण्ड कमर्शियल लॉस) कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों में निवेश पर प्रतिफल में सुधार हुआ।

निवेश का वर्तमान मूल्य

4.11 सरकार द्वारा तीन विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों में महत्वपूर्ण निवेश को देखते हुए राज्य सरकार इस तरह के निवेश पर आवश्यक रूप से वास्तविक प्रतिफल की दर की प्रत्यापेक्षा करती है। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारम्परिक गणना निवेश प्रतिफल की पर्याप्तता का एक सही संकेतक नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी गणनाएं वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती हैं। इसलिए, इसके अलावा वास्तविक प्रतिफल की दर की गणना निवेश के वर्तमान मूल्य को देखते हुए की जाती है।

निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2019 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित पूर्ववर्ती निवेशों/ वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारों पर ब्याज की वर्ष-वार औसत दर पर संयुक्त किया जाता है तथा ब्याज की यह वर्ष-वार औसत दर सम्बन्धित वर्ष हेतु सरकार के लिए निधियों की न्यूनतम लागत पर ली जाती है। इन कम्पनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार के निवेशों के वर्तमान मूल्य की इक्विटी के रूप में (परिचालन एवं प्रशासनिक व्यय हेतु ब्याज रहित ऋण या अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं की गई थी) गणना की गई थी।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना में निम्नलिखित धारणाएं बनाई गई थीं:

- जहां विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को ब्याज रहित ऋण दिए गए थे और बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिए गए थे वहां इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज रहित ऋण की राशि से काटकर उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया।
- संबंधित वित्तीय वर्ष¹⁵ के लिए सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए धन के निवेश के लिए सरकार द्वारा किए गए लागत का प्रतिनिधित्व

¹⁴ राज्य सरकार के धेरेलू उपभोक्ताओं हेतु तय की गई दरों एवं नियामक द्वारा तय की गई दरों के मध्य अन्तर।

¹⁵ सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर सम्बन्धित वर्ष के लिए राज्य वित्त (हिमाचल प्रदेश सरकार) पर भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से अपनाई गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर के लिए गणना = ब्याज भुगतान/[(पिछले की राशि) वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं/2] *100.

करते हैं और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर माना जाता है।

2014-15 से 2018-19 की अवधि हेतु जब चारों कंपनियां घाटे में थी तब प्रदर्शन का एक उपयुक्त माप घाटे के कारण निवल मूल्य का क्षरण है। कंपनियों के निवल मूल्य के क्षरण पर परिच्छेद 4.13 में टिप्पणियां की गई हैं।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

4.12 इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2019 तक इक्विटी एंड ऋण के रूप में तीनों विद्युत क्षेत्र की कंपनियों में राज्य सरकार के निवेश की कम्पनीवार स्थिति **परिशिष्ट 4.2** में इंगित की गई है। 31 मार्च 2019 तक इन कंपनियों की स्थापना के बाद से तीनों विद्युत क्षेत्र की कंपनियों से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति तालिका 4.9 में दर्शाई गई है:

तालिका 4.9: राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्ष-वार विवरण तथा 2007-08 से 2018-19 तक की सरकारी निधियों का वर्तमान मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की शुरूआत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए व्याज रहित ऋण	वर्ष के दौरान परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान/सब्सिडी	परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान/सब्सिडी	अंकित मूल्य पर वर्ष के दौरान निवेश (vii=ii+iii-iv+v-vi)	वर्ष के दौरान कुल निवेश (viii=i+v-vii)	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश (viii=i+ix)	सरकारी उधार पर व्याज की औसत दर (प्रतिशत में) (x={viii*(1+ix)/100})	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य (xi={viii*ix/100})	वर्ष हेतु निधियों की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल xi={viii*ix/100}	वर्ष ¹⁶ के लिए कुल उपार्जन
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	
2007-08	-	79.71	-	-	-	-	79.71	79.71	9.09	86.96	7.25	-
2008-09	86.96	252.32	-	-	-	-	252.32	339.28	9.19	370.46	31.18	-
2009-10	370.46	186.31	-	-	-	-	186.31	556.77	8.59	604.59	47.83	-
2010-11	604.59	532.29	-	-	-	-	532.29	1,136.88	7.78	1,225.33	88.45	-152.62
2011-12	1,225.33	91.80	-	-	-	537.15	445.35	779.98	7.80	840.82	60.84	-152.62
2012-13	840.82	185.04	-	-	-	-	185.04	1,025.86	8.08	1,108.75	82.89	-315.94
2013-14	1,108.75	292.42	-	-	-	-	292.42	1,401.17	7.71	1,509.20	108.03	-512.76
2014-15	1,509.20	251.46	-	-	-	550.00	-298.54	1,210.66	7.91	1,306.42	95.72	-356.72
2015-16	1,306.42	142.79	-	-	-	-	142.79	1,449.21	7.95	1,564.42	115.17	-156.88
2016-17	1,930.60	229.81	-	-	-	-	229.81	1,794.23	7.60	1,930.60	136.32	-129.32
2017-18	1,564.42	219.64	-	-	-	-	219.64	2,150.24	7.71	2,316.02	165.73	-39.73
2018-19	2,316.02	250.00	-	-	-	-	250.00	2,566.02	8.32	2,779.51	213.49	-83.28
		1,626.44 ¹⁷										

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नवीनतम अंतिम खातों से प्राप्त सांख्यिकीय जानकारी।

नोट: परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार से कोई अनुदान/सब्सिडी नहीं मिली।

राज्य सरकार के इक्विटी के रूप में अतिरिक्त निवेश (₹ 1,546.73 करोड़) करने से वर्ष के अंत तक इन तीनों कम्पनियों में राज्य सरकार का अंत शेष निवेश 2007-2008 के ₹ 79.71 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 1,626.44 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 2,779.51 करोड़ निकला। वर्ष 2018-19 हेतु वास्तविक प्रतिफल की दर (-) 3 प्रतिशत थी।

यह स्पष्ट है कि कम्पनियों का कुल उपार्जन 2010-11 से 2018-19 के दौरान ऋणात्मक ही रहा, जो परिचायक है कि निवेशित निधियों पर प्रतिफल उत्पन्न करने के बजाय ये कम्पनियों निधियों की लागत की वसूली भरपाई भी नहीं कर पाई।

निवल मूल्य (नेटवर्थ) का क्षरण

4.13 नेटवर्थ का अर्थ है प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त भण्डार तथा अधिशेष के कुल योग में से संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर प्राप्त शेष। दरअसल यह मालिकों के लिए उसकी संस्था के मूल्य का माप है। एक ऋणात्मक नेट वर्थ दर्शाता है

¹⁶ वर्ष हेतु कुल अर्जन उन तीन विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में, जहां राज्य सरकार द्वारा निधियां निवेशित की गई थीं, उनसे सम्बन्धित वर्ष हेतु कुल निवल अर्जन (लाभ/हानि) को दर्शाता है।

¹⁷ 2011-12 और 2014-15 के दौरान ₹ 1,087.15 करोड़ के विनिवेश को समायोजित करने के बाद।

कि मालिकों का सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। ₹ 2,910.63 करोड़ के पूंजी निवेश के प्रति चारों विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संचित हानियां ₹ 2,092.86 करोड़ थीं जो ₹ 817.77 करोड़ के नेट वर्ष में परिणत हुईं (परिशिष्ट 4.1)। इन चारों विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित में नेटवर्थ (₹ -1,390.57 करोड़) पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था।

निम्नांकित तालिका, 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान तीन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की प्रदत्त पूंजी, संचित लाभ/हानि तथा नेटवर्थ को प्रदर्शित करती है:

तालिका 4.10: 2014-15 से 2018-19 के दौरान चारों विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का नेटवर्थ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अन्त में संचित लाभ(+)/हानि(-)	आस्थगित राजस्व व्यय	नेटवर्थ
2014-15	1,810.01	-1,755.07	120.98	-66.04
2015-16	2,091.14	-1,920.33	116.20	287.01
2016-17	2,377.69	-2,049.65	115.53	212.51
2017-18	2,447.21	-2,064.03	-	383.18
2018-19	2,610.63	-2,092.86	-	517.77

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार जानकारी।

राज्य सरकार इन तीनों विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों को पूंजीगत कार्यों हेतु तथा इनकी नकदी को बेहतर बनाने के लिए 2014-19 की अवधि के दौरान इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती रही। तथापि, पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाने के बावजूद इन विद्युत कम्पनियों की संचित हानियां 2014-15 में ₹ 1,755.07 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 2,092.86 करोड़ हो गईं।

2014-15 से 2018-19 के दौरान इन तीनों विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में से एक¹⁸ विद्युत क्षेत्र के उपक्रम का नेटवर्थ ऋणात्मक तथा दो¹⁹ विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का नेट वर्थ धनात्मक प्रदर्शित हुआ।

लाभांश भुगतान

4.14 राज्य सरकार ने निर्णय लिया (अप्रैल 2011) कि सभी लाभ कमाने वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रम राज्य सरकार द्वारा दी गई (अंशदत) प्रदत्त पूंजी के अंश पर न्यूनतम 5 प्रतिशत प्रतिफल का भुगतान, कर के पश्चात् अधिकतम 50 प्रतिशत तक लाभ पर करेंगे, हालांकि, वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त किए गए उनके नवीनतम अंतिमिकृत लेखाओं के अनुसार किसी भी विद्युत क्षेत्र के उपक्रम ने लाभ अर्जित नहीं किया था।

इक्विटी पर प्रतिफल

4.15 इक्विटी पर प्रतिफल, किसी कम्पनी के वित्तीय प्रदर्शन का माप है, जिसका मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि लाभ निर्मित (अर्जित) करने के लिए कम्पनी की परिसम्पत्तियों का उपयोग प्रबंधन किस दक्षता से करता है तथा इसकी गणना शेयरधारकों की निधि से निवल आय (अर्थात् कर के पश्चात् कुल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। यह प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है तथा इसकी गणना किसी भी उस कम्पनी के लिए की जा सकती है जिसकी निवल आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों ही संख्या धनात्मक हो।

कम्पनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी एवं निर्बाध आरक्षित निधियां, कुल संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़ कर की जाती है तथा प्रकट करती है कि यदि सभी परिसम्पत्तियां बेच दी जाएं और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तब हितधारकों के लिए कितनी राशि बचेगी। धनात्मक शेयरधारक निधि यह प्रकट करती है कि कम्पनी अपनी देयताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियां रखती हैं जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी से तात्पर्य है कि देयताएं परिसम्पत्तियों से अधिक हैं।

¹⁸ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित,

¹⁹ हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित।

इक्विटी पर प्रतिफल की गणना उन चारों विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में की गई। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान इन चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित शेयरधारक निधि तथा इक्विटी पर प्रतिफल का विवरण नीचे तालिका 4.11 में दिया गया है:

तालिका 4.11: चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित इक्विटी पर प्रतिफल

वर्ष	कुल आय/वर्ष ²⁰ हेतु कुल अर्जन (₹ करोड़ में)	शेयरधारक निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर प्रतिफल (प्रतिशत)
2014-15	-356.72	-356.72	-
2015-16	-156.88	-156.88	-
2016-17	-129.32	512.51	-
2017-18	-39.73	683.18	-
2018-19	-83.28	817.77	-

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार जानकारी।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, 2014-15 से 2018-19 के दौरान निवल आय ऋणात्मक थी, चूंकि सभी वर्षों के लिए निवल आय ऋणात्मक रही इसलिए इन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में इक्विटी पर प्रतिफल नहीं निकाला जा सका।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

4.16 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक ऐसा अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी नियोजित है।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की गणना, ब्याज एवं कर के पूर्व कम्पनी के उपार्जन को नियोजित पूँजी²¹ से विभाजित करके की जाती है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सभी चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की नियोजित पूँजी पर प्रतिफल नीचे दी गई तालिका 4.12 में दिया गया है:

तालिका 4.12: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ब्याज और करों के पूर्व उपार्जन(ई.बी.आई.टी)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत)
		(₹ करोड़ में)	
2014-15	-356.72	6,045.75	-5.90
2015-16	-156.88	7,348.83	-2.13
2016-17	-128.29	6,341.71	-2.02
2017-18	-39.73	7,174.49	-0.55
2018-19	-84.58	9,184.81	-0.92

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार जानकारी।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की नियोजित पूँजी पर प्रतिफल -0.55 प्रतिशत और -5.90 प्रतिशत के बीच रहा।

कम्पनियों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

4.17 वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान कम्पनियों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों को चुकाने की क्षमता का आंकलन करके किया गया। इसका आंकलन ब्याज कवरेज अनुपात तथा ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

20 नवीनतम अंतिम रूप दिए वार्षिक लेखाओं के अनुसार।

21 नियोजित पूँजी = प्रदत्त पूँजी का अंश + मुक्त भण्डार व अधिशेष + दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार हैं।

ब्याज कवरेज अनुपात

4.18 ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज की भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और उसकी गणना ब्याज एवं कर से पहले कम्पनी के उपार्जन को उसी अवधि के ब्याज के खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा कम्पनी की कर्ज पर ब्याज चुकाने की क्षमता उतनी कम होगी। ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम है तो कम्पनी ब्याज के उसके खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान जिन विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों में ब्याज का भार था उनका ब्याज कवरेज अनुपात नीचे तालिका 4.13 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.13: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज	ब्याज और कर से पूर्व उपार्जन(ई.बी.आई.टी)	सरकार; बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण देयता वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रम	एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कम्पनियां	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कम्पनियां
				(₹ करोड़)	(संख्या में)
2014-15	455.37	-356.72		4	-
2015-16	573.38	-156.88		4	-
2016-17	535.52	-128.29		4	-
2017-18	518.55	-39.73		4	-
2018-19	503.35	-84.58		4	-

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार जानकारी।

यह देखा गया कि 2014-15 से 2018-19 के दौरान विद्युत क्षेत्र की किसी भी कंपनी का कवरेज अनुपात एक से अधिक नहीं था।

ऋण टर्नओवर अनुपात

4.19 पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में 10.58 प्रतिशत का चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर्ज किया गया और ऋण का चक्रवृद्धि वार्षिक विकास 7.95 प्रतिशत था जिस कारण ऋण टर्नओवर अनुपात में 2014-15 के 1.46 से सुधार हो का 2018-19 में 1.32 हो गया जैसा की तालिका 4.14 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.14: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार और अन्य (बैंक और वित्तीय संस्थान)से ऋण	6,160.88	4,957.69	5,829.20	6,491.31	8,367.04
टर्नओवर	4,230.44	5,093.79	5,599.56	5,993.79	6,325.56
ऋण-टर्न ओवर अनुपात	1.46:1	0.97:1	1.04:1	1.08:1	1.32:1

स्रोत: वर्ष के दौरान नवीनतम अंतिम खातों के आधार पर संकलित।

उज्ज्वल डिस्कॉम ऐश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता

4.20 ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम ऐश्योरेंस योजना (उदय स्कीम) शुरू की (20 नवम्बर 2015), उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभागी राज्यों को डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय बदलाव को प्राप्त करने के उपाय करने होंगे:

वित्तीय बदलाव के उपाय

(क) राज्य को 2016-17 तक डिस्कॉम ऋण के 75 प्रतिशत का अधिग्रहण अपेक्षित था। अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय बदलाव हेतु योजना में प्रावधान है कि:

- राज्य गैर सांविधिक सम्पत्ति/नकदी अनुपात बांड जारी करेगा और ऐसे बांडों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्काम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जो बदले में बैंको/वित्तीय संस्थानों के ऋण की राशि का निवहन करेगा। इस प्रकार जारी किए गए बांड में पांच साल तक मूलधन के चुकौती पर स्थगन के साथ 10-15 सालों की परिपक्वता अवधि होगी।
- पहले से बकाया ऋणों को प्राथमिकता देते हुए उच्च लागत वाले ऋणों हेतु डिस्काम ऋण लिया जाएगा।
- 2016-17 में राज्य द्वारा डिस्काम को हस्तांतरित आय ऋण के रूप में होगी राज्य डिस्काम द्वारा निर्धारित निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु 2020-21 के दौरान 75 प्रतिशत इक्विटी में परिवर्तित कर दिए जाएंगे।

2016-17 में राज्य द्वारा डिस्काम को स्थानान्तरण ऋण के रूप में किया जाएगा जो कि 2020-21 के दौरान राज्य डिस्काम द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु 75 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत इक्विटी में परिवर्तित किया जाएगा।

परिचालन दक्षता में सुधार के उपाय

(ख) भाग लेने वाले राज्यों को फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर मीटिंग, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक उपयोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटिंग, घरेलू और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए एल.ई.डी. प्रदान करके डिमांड साईड प्रबन्धन (मांग पक्ष प्रबन्धन), संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना अनिवार्य और दीर्घकालिक व्यवहारादी परिवर्तन को बढ़ावा देने और कम से कम 10 प्रतिशत मौजूदा कृषि पंपों को ऊर्जा कुशल पंपों के साथ बदलने जैसी लक्षित गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना अपेक्षित था। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था ताकि लक्षित लाभों जैसे फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर स्तर पर नुकसान का पता लगाने की क्षमता, नुकसान करने वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी नुकसान एवं बिजली कटौती के समय को कम करना, विद्युत की चोरी को कम करना और चोरी कम करके अधिकतम भार को कम करने तथा ऊर्जा की खपत आदि के लिए सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने सम्बन्धी उपलब्ध सुनिश्चित की जा सके। परिचालन सुधार के परिणामों के संकेत अर्थात् 2018-19 में विद्युत मन्त्रालय और राज्यों द्वारा हानि प्रक्षेप पथ के अनुसार सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि को 12.75 प्रतिशत तक कम करना, आपूर्ति की औसत लागत और वसूले गए औसत राजस्व के बीच अन्तर को 2018-19 तक शून्य करने के माध्यम से मापा जाना था।

उदय योजना का कार्यान्वयन

4.20.1 'उदय' योजना के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दी गई है:

क. वित्तीय बदलाव

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को 'उदय' योजना का लाभ उठाने के लिए सैद्धांतिक सहमति (18 अगस्त 2016) दी। तत्पश्चात् ऊर्जा मन्त्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्य डिस्काम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर 08 दिसम्बर 2016 को हस्ताक्षर किए गए। 2016-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने उदय योजना और त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार 15 सितम्बर 2015 को राज्य डिस्काम से सम्बन्धित कुल बकाया ऋण (₹ 3,854 करोड़) में से कुल ₹ 2,890.50 करोड़ का ऋण लिया जिसका विवरण तालिका 4.15 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.15: उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इक्विटी निवेश	ऋण	सम्पादी	योग
2015-16	--	--	--	--
2016-17	--	2,890.50	--	2,890.50
जाड़	--	2,890.50	--	2,890.50
2017-18	--	--	--	--
तक स्थिति 31-03-2019	--	2,890.50	--	2,890.50

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सांख्यिकीय जानकारी।

उदय योजना के अन्तर्गत सब्याज ऋण के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई ₹ 2,890.50 करोड़ की राशि को 2020-21 के दौरान 75 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत इक्विटी में परिवर्तित किया जाना है।

(ख) परिचालन मापदण्डों की उपलब्धि

उदय योजना के तहत राज्य डिस्काम से सम्बन्धित विभिन्न परिचालनात्मक मापदण्डों के तहत लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों की स्थिति तालिका 4.16 में दी गई है:

तालिका 4.16: 30 सितम्बर 2019 तक मापदण्डवार उपलब्धियों की परिचालन प्रदर्शन के लक्ष्य से तुलना

उदय योजना के मापदण्ड	'उदय' योजना के तहत लक्ष्य	'उदय' योजना के तहत प्रगति	उपलब्धियाँ (प्रतिशत में)
फीडर मीटरिंग (संख्या में)		मीटर पहले से स्थापित है	
वितरण ट्रांसफर्मर पर मीटरिंग (संख्या में)	-	-	-
शहरी		मीटर पहले से स्थापित है	
ग्रामीण	12,499	865	6.92
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)		पहले से की गई उजां लेखापरीक्षा	
घर जो बिजली से चंचित है। (संख्या लाख में)	0.18	0.69	383
एल ई डी उजाला का वितरण (संख्या लाख में)		पहले से ही वितरित	
सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ (प्रतिशत में)	12.75	11.59	100
ए.सी.एस. और ए.आर.आर. ²² अन्तर (₹ प्रति ईकाई)	-0.05	-0.01	100

स्रोत: भारत सरकार के विद्युत मन्त्रालय की वैब साईट के अनुसार उदय योजना के तहत राज्य स्वास्थ्य कार्ड।

राज्य का प्रदर्शन ग्रामीण प्रदायकों, न जुड़े घरों में विद्युत प्रदाय तथा सबसे महत्वपूर्ण एटी एवं सी हानियों को कम करने के लक्ष्य साथ ही ए.सी.एस.-ए.आर.आर. अन्तराल को कम करने में श्रेष्ठ रहा परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में डीटी मीटरिंग में इसका प्रदर्शन खराब रहा।

डिस्काम ने अन्य वित्तीय संस्थानों और बैंकों के ऋण देयता का निर्वहन करने के लिए उदय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर फरवरी 2017 से मार्च 2019 की अवधि के लिए ₹ 474.54 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 7.49 और 8.19 प्रतिशत की ब्याज दरों पर ऋण आगे बढ़ाए गए।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

4.21 चारों विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों ने 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 तक की अवधि के दौरान महालेखाकार को अपने तीन लेखापरीक्षित लेखों को अग्रेषित किया। सभी लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित सांविधिक लेखापरीक्षा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखाओं की गुणवत्ता में वस्तुतः सुधार करने की आवश्यकता का संकेत दिया है। 2016-19 के लेखाओं में कुल धन मूल्य पर सांविधिक लेखापरीक्षकों और

²² आपूर्ति की औसत लागत (ए.सी.एस.) - वसूली लिया गया औसत राजस्व (ए.आर.आर.)

भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां निम्न प्रकार से हैं:

तालिका 4.17 : विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	3.27	-	-	-	-
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	2	21.16	2	24.98	3	19.64
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	-	-
5.	भौतिक तथ्यों का गैर प्रकटीकरण	-	-	-	-	3	4

स्रोत : सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2018-19 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखों पर क्वालीफाईड प्रमाण-पत्र और एक लेखा पर अस्वीकरण जारी किया था। विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एक लेखा में लेखा मानकों के अनुपालन न करने के चार उदाहरणों को इंगित किया।

अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद

4.22 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अध्याय-4 हेतु अगस्त 2019 व मई 2020 के बीच ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित चार अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए गए थे। इस प्रतिवेदन में प्राप्त उत्तरों को उचित रूप से शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा परिच्छेद का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 421.69 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

4.23 भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जांच का परिणाम है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी अधिकारी से उचित तथा समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए थे (फरवरी 1994) कि नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा में प्रस्तुत करने के तीन मास की अवधि के भीतर उनमें सम्मिलित परिच्छेद निष्पादन लेखापरीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां निर्धारित प्रारूप में लोक उपक्रम समीति से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना उत्तर प्रस्तुत किए जाए। ऊर्जा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल परिच्छेदों के लिए सभी स्पष्टिकरण टिप्पणियां अग्रेषित की हैं।

लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

4.24 30 सितम्बर 2019 तक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा परिच्छेदों की चर्चा की अवस्था, जो कि लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में दर्शाए गए हैं, तालिका 4.18 में उल्लेखित है:

तालिका 4.18: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल निष्पादन लेखा परीक्षाओं/परिच्छेदों की तुलना में 30 सितम्बर 2019 तक चर्चा किए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/परिच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/परिच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित			
	निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद
2011-12	1	5	1	1
2012-13	2	5	1	3
2013-14	1	5	1	5
2014-15	1	9	-	1
2015-16	-	9	-	2
2016-17	1	9	-	2
2017-18	1	4	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर लोक उपक्रम समीति की चर्चा के आधार पर संकलित

2010-11 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सार्वजनिक के उपक्रमों) पर चर्चा पूरी हो चुकी है।

लोक उपक्रम समिति की रिपोर्टों की अनुपालन

4.25 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) पर मार्च 2018 और फरवरी 2019 के बीच में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत लोक उपक्रम समिति की चार रिपोर्टों पर एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त नहीं हुए थे (31 मार्च 2020), जैसा कि निम्नलिखित तालिका 4.19 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.19: लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

रिपोर्ट का वर्ष	कुल रिपोर्ट	रिपोर्ट में सिफारिश की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जहां एटीएन प्राप्त नहीं हुई
2014-15	7	42	39
2015-16	4	17	13
2016-17	3	50	50
2017-18	3	60	60
2018-19	4	32	32

झोत: हिमाचल प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों की सिफारिशों पर प्राप्त एटीएन पर आधारित संकलन।

ऊपर दिखाए गए लोक उपक्रम समिति की सिफारिश के संबंध में एक्शन टेकन नोट्स मार्च 2020 तक प्राप्त नहीं किए गए।

अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद

इस भाग में ₹ 421.69 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ चार अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित

4.26 “जल विद्युत परियोजना का परिचालन, रखरखाव एवं मरम्मत”

4.26.1 परिचय


हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 1971 में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अनुसार किया गया था। इसे 2010 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी) के रूप में पुनर्गठित किया गया था।

31 मार्च 2019 तक, कम्पनी के पास 22 जल विद्युत परियोजनाएं थीं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 487.45 मेगावाट (**परिशिष्ट 4.3**) थी। 2016-19 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त हुआ विद्युत उत्पादन तालिका में दर्शाया गया है।

जल विद्युत परियोजनाओं का रखरखाव उत्पादन विंग द्वारा किया जाता है जिन्हें इनकी कार्य योजना, नवीकरण/आधुनिकीकरण तथा संचालन व रखरखाव का जिम्मा सौंपा गया है। विंग का नेतृत्व मुख्य अभियन्ता (उत्पादन) द्वारा क्षेत्रीय स्तर की टीम के साथ किया जाता है जैसा कि संरचनात्मक चार्ट में दर्शाया गया है:

तालिका-4.20: विद्युत उत्पादन

वर्ष	ऊर्जा उत्पादन (मिलियन युनिट)
2016-17	1,598.01
2017-18	1,941.32
2018-19	2,060.16



जल विद्युत परियोजनाओं के रखरखाव एवं जीर्णोद्धार के परिचालन, निष्पादन व पर्यवेक्षण में कम्पनी की प्रक्रियाओं की दक्षता के मूल्यांकन हेतु तथा यह अंकलित करने के लिए कि कम्पनी उपलब्ध संसाधनों से इष्टतम उत्पादन कर रही थी, एक लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा में अप्रैल 2016 से मार्च 2019 की अवधि की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया। उत्पादन हेतु जल की प्रयुक्तता के आधार पर जल विद्युत परियोजनाओं को मोटे तौर पर जलाशय आधारित परियोजनाओं एवं नदी से संचालित परियोजनाओं²³ में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।

स्ट्रैटिफाइड रेण्डम सेम्प्लिंग पद्धति (स्तरीय अनियमित नमूना पद्धति) का उपयोग करते हुए कम्पनी की 22 जल विद्युत परियोजनाओं में से सात²⁴ परियोजनाओं को लेखापरीक्षा हेतु चुना गया

जिसमें तीन वृहद, दो लघु एवं दो अति लघु जल परियोजनाएं शामिल थीं। ये सात परियोजनाएं कुल स्थापित क्षमता का 69 प्रतिशत है और 2016-17 से 2018-19 के दौरान इन सात जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादन 65 से 73 प्रतिशत के बीच विद्युत का उत्पादन हुआ। जल विद्युत परियोजना के अतिरिक्त, चयनित जल विद्युत परियोजना की देखरेख कर रहे मुख्य अभियन्ता (उत्पादन), तीन²⁵ उत्पादन मंडल तथा पांच²⁶ क्षेत्रीय अभियन्ता के कार्यालय भी लेखापरीक्षा में शामिल किये गये थे।

²³ (क) नदी में संचालित परियोजना: वह विद्युत केन्द्र जो विद्युत के उत्पादन हेतु नदी के बहाव का प्रयोग करता है (ख) जलाशय आधारित परियोजना: पाली पनबिजली बांध के माध्यम से भण्डारित किया जाता है तथा विद्युत के उत्पादन हेतु छोड़ा जाता है।

²⁴ वृहद: लारजी (126 मेगावाट), भावा (120 मेगावाट), गिरी (60 मेगावाट), लघु: घानवी-1 (22.50 मेगावाट), गुम्मा (3 मेगावाट), अतिलघु: रँगटॉग (2 मेगावाट) तथा रूक्ती (1.5 मेगावाट)।

²⁵ भावा नगर, नाहन एवं लारजी साराभाई

4.26.2 परिचालन और रख-रखाव का महत्व

जल विद्युत परियोजना के इष्टतम प्रदर्शन तथा निर्बाध रूप से प्रचलन को सुनिश्चित करने के लिए अच्छे संचालन, रखरखाव एवं मरम्मत की आवश्यक है, जिसके न होने से उत्पादन में हानि (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) तथा पुनरुद्धार एवं उपकरण प्रतिस्थापन की आशंका बढ़ जाती है।

जल विद्युत संयंत्रों के प्रदर्शन का आकलन निम्नलिखित मानकों के सापेक्ष किया गया है

संकेतक	स्पष्टीकरण	मानक
प्राप्त उत्पादन बनाम सैद्धांतिक (वास्तविक जल विज्ञान का उपयोग करके)	सैद्धांतिक उत्पादन की गणना उपलब्ध पानी और उस ऊर्चाई को ध्यान में रखते हुए की जाती है जहां से विद्युत केन्द्र में पानी प्राप्त होता है।	अधिकतम संभव होना चाहिए
संयंत्र उपलब्धता कारक	विद्युत संयंत्र का उपलब्धता कारक उस समय की मात्रा है जो एक निश्चित अवधि में विजली का उत्पादन कर में सक्षम है, जो उस अवधि में समय की राशि से विभाजित होता है।	95 प्रतिशत
संयंत्र भार कारक	संयंत्र भार कारक स्थापित क्षमता/ऊर्जा के अनुरूप विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का एक प्रतिशत होता है जिसे वह उस अवधि में उत्पादित कर सकता है।	60 प्रतिशत
पूरक खपत	एक जल विद्युत परियोजना में पूरक खपत कप्रैसर को शीतल रखने के लिए पंपों के संचालन और पावर हाउस में दबाव के रखरखाव के लिए आवश्यक शक्ति है।	0.2 प्रतिशत 0.7 प्रतिशत
ट्रांसफोर्मेशन नुकसान	ट्रांसफार्मर की विद्युत प्रतिरोध के कारण काँइल और कोर में चूंबकीय क्षेत्र में बारी-बारी से विद्युत प्रवाह से ट्रांसफार्मर के नुकसान उत्पन्न होते हैं।	0.5 प्रतिशत
पानी का इष्टतम उपयोग	जल विद्युत परियोजनाओं में, विशेष रूप से नदी परियोजनाओं के चलाने के मामले में, उपलब्ध जल का उपयोग उत्पादन से इष्टतम स्तर तक किया जाना चाहिए। चूंकि जल जलधारा में चल रहा है, अगर इसका उपयोग उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है, तो यह बेकार चला जाएगा।	अधिकतक संभव उपयोग किया जाना।
बह गए पानी की मात्रा (घन मीटर औसत संयंत्र बहाव का प्रतिशत)	राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, मंदी की अवधि ²⁷ के दौरान न्यूनतम प्रवाह का 15 प्रतिशत (मुख्य नदी जल निकाय जिसका जल विद्युत परियोजना द्वारा दोहन किया जा रहा है) के बहाव में बनाए रखा जाएगा।	15 प्रतिशत
रखरखाव	सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों और परियोजनाओं को सम्मिलित करने वाले समय पर बचाव रखरखाव अनुसूचियां, विस्तृत दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक और पूँजी रखरखाव शीट्स को ठीक से बनाए रखा जाना चाहिए। मंदी की अवधि के दौरान वार्षिक रखरखाव किया जाना चाहिए।	अनुसूची के अनुसार

स्रोत: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के मानदण्ड


²⁶ भाबा नगर, घानवी, गिरी, आन्ध्रा एवं लारजी

²⁷ वर्ष की वह अवधि जब जल उपलब्धता न्यूनतम होती है (15 अक्टूबर से 15 मार्च)

4.26.3 समस्त जल विद्युत परियोजना के प्रदर्शन पर एक झालक

कम्पनी की सभी परियोजनाओं की अभिकल्पित क्षमता 2,241 मिलियमन यूनिट थी। चार्ट 4.5, 2,241 मिलियमन यूनिट की अभिकल्पित क्षमता और 2016-19 की अवधि के दौरान वर्ष वार लक्ष्यों के सापेक्ष वास्तविक उत्पादन को दर्शाता है।

चार्ट 4.5: 2016-17 से 2018-19 के उत्पादन आंकड़े



स्रोत: कम्पनी द्वारा दी गई जानकारी

उत्पादन के लिए निर्धारण के आधार हेतु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था तथा कम्पनी लेखापरीक्षा में सम्मिलित किसी भी वर्ष में अभिकल्पित क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाई।

नमूना जांचित परियोजनाओं में कम उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दु जिम्मेदार थे:

- कम संयंत्र उपलब्धता कारक (परिच्छेद 4.26.5);
- ग्रिड विफलताओं के कारण भाबा संयंत्र का लगातार बंद होना {परिच्छेद 4.26.5(iv)};
- लारजी विद्युत घर में कचरा रैक सफाई मशीन की खरीद न होना। {परिच्छेद 4.26.5(v)}; एवं
- लारजी और भाबा जल विद्युत में सांविधिक प्रावधानों की तुलना में अधिक पानी का छोड़ा जाना। {परिच्छेद 4.26.6 (ii)}

जल विद्युत की अभिकल्पित क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन के बीच का अंतर 1,125.76 मिलियमन यूनिट था। इसी प्रकार, लक्षित तथा वास्तविक उत्पादन के मध्य अन्तर 255.01 मिलियन यूनिट था जैसा की तालिका 4.21 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.21: 2016-17 से 2018-19 के उत्पादन आंकड़े

वर्ष	अभिकल्पित क्षमता	लक्ष्य (मिलयन यूनिट)	वास्तविक उत्पादन (मिलयन यूनिट)	लक्षित एवं वास्तविक उत्पादन में अंतर (मिलयन यूनिट)	प्राप्त किए गए लक्ष्य प्रतिशत में	अभिकल्पित व वास्तविक में अंतर (मिलयन यूनिट)
	i	ii	iii	iv = ii-iii	v	vi = i - iii
2016-17	2,241.75	1,880.22	1,598.01	282.21	84.99	643.74
2017-18	2,241.75	2,027.66	1,941.32	86.34	95.74	300.43
2018-19	2,241.75	1,946.62	2,060.16	(+) 113.54	105.83	181.59
योग	6,725.25	5,854.50	5,599.49	255.01		1,125.76

स्रोत: कंपनी द्वारा दी गई जानकारी

4.26.4 लेखापरीक्षा परिणाम

2016-19 के दौरान जल विद्युत परियोजना के परिचालन रखरखाव और मरम्मत के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय का विवरण तालिका- 4.22 में दिया गया है।

तालिका 4.22: पिछले तीन वर्षों के दौरान रखरखाव एवं मरम्मत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
रखरखाव एवं मरम्मत व्यय	75.61	98.10	92.23	265.94

2016-19 की अवधि के दौरान रखरखाव एवं मरम्मत पर ₹ 265.94 करोड़ खर्च करने के बाद भी, नमूना जांचित सातों जल विद्युत परियोजना के संचालन में कम्पनी द्वारा परिहार्य चूक से ₹ 393.97²⁸ करोड़ के बराबर 715.64 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि हुई जिसकी चर्चा बाद के उप परिच्छेदों में की गयी है।

4.26.5 संयंत्र उपलब्धता कारक²⁹ तथा संयंत्र भार कारक³⁰

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 2017-18 हेतु प्रकाशित (नवम्बर 2018) हाइड्रो पावर स्टेशनों के प्रदर्शन की समीक्षा से पता चला कि 2016-19 के दौरान जल विद्युत उत्पादन इकाइयों का अखिल भारतीय संयंत्र उपलब्धता कारक औसत 90 प्रतिशत से ऊपर रहा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की सातों नमूना-जांचित परियोजनाओं का तुलनात्मक संयंत्र उपलब्धता कारक तालिका 4.23 में दिया गया है।

अखिल भारतीय औसत की तुलना में चार (सात में से) परियोजनाओं का संयंत्र उपलब्धता कारक बहुत कम (10 से 62 प्रतिशत के बीच) था, यह भाबा

परियोजना हेतु उसकी 120 मेगावॉट की स्थापित क्षमता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, नदी से संचालित परियोजना के मामले में संयंत्र उपलब्धता कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि संयंत्र उपलब्ध न होने के समय नदी में बहता पानी विद्युत उत्पन्न किए बिना ही बह जाता है।

तालिका 4.23: नमूना-जांचित परियोजना में संयंत्र उपलब्धता कारक एवं संयंत्र भार कारक

जल विद्युत परियोजना का नाम	संयंत्र उपलब्धकारक	संयंत्र भार कारक
126 मेगावॉट लारजी	92	54
120 मेगावॉट संजय विद्युत परियोजना भाबा	61	40
60 मेगावॉट गिरी	91	33
22.50 मेगावॉट घानवी - I	89	42
3 मेगावॉट गुम्मा	62	44
2 मेगावॉट रोगंटोंग	10	06
1.5 मेगावॉट रुकित	57	15

²⁸ परिच्छेद संख्या 4.26.5 (i) से (vii), 4.26.6 (i) से (iii), 4.26.7 (i) से (iii) एवं 4.26.8 (i) से (ii)

²⁹ विद्युत संयंत्र का उपलब्धता कारक समय की वह मात्रा है कि जो किसी अवधि में विभाजित होकर निश्चित अवधि में विद्युत उत्पादित करने में सक्षम है।

³⁰ उस अवधि में स्थापित क्षमता के अनुरूप विद्युत संयंत्र द्वारा भेजी गई ऊर्जा का प्रतिशत।

इसी भांति, नमूना जांचित सात जल विद्युत परियोजनाओं का संयंत्र भार कारक भी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 60 प्रतिशत न्यूनतम मानदण्ड से कम था। कम संयंत्र भार कारक (33 प्रतिशत) गिरी परियोजना के लिए भी 60 मेगावाट की स्थापित क्षमता के दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि आडटेज को कम करने के लिए निर्देश दिये गए हैं।

निम्न संयंत्र उपलब्धता कारक एवं संयंत्र भार कारक का मुख्य कारण चयनित जल विद्युत परियोजनाओं का बार-बार बंद होना था जिसके मामले तालिका 4.24 में सूचीबद्ध किए गए हैं:

तालिका 4.24: निम्न संयंत्र उपलब्धता कारक और संयंत्र भार कारक के कारण

जल विद्युत परियोजना का नाम/लार्जी	प्रमुख कारण	संदर्भ परिच्छेद
126 मेगावाट (42x3) लार्जी	नए कचरा रैक सफाई मशीन की खरीद, वार्षिक रखरखाव और पानी के अधिक छोड़े जाने के कारण होने वाला परिहार्य नुकसान।	4.26.5(v), 4.26.5(vi) एवं 4.26.6 (ii)
120 मेगावाट (40x3) भाबा	पुनरुद्धार कार्य के लिए भू-क्षेत्र प्रदान करने में देरी, संचालन और रखरखाव के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण नुकसान और ग्रिड की विफलता।	4.26.5(i), 4.26.5(ii) 4.26.5(iv) एवं 4.26.6 (ii)
60 मेगावाट (30x2) गिरी	अत्यधिक गाद और संशोधित रनर के कारण नुकसान	4.26.6(iii) एवं 4.26.7(iii)
22.50 मेगावाट (11.25x2) घानवी-1	गाद हटाना, मरम्मत कार्य सौंपने में विलम्ब तथा इष्टतम प्रदर्शन में कमी।	4.26.5(iii), 4.26.5(vii) एवं 4.26.6 (i)
3 मेगावाट (1.5x2) गुम्मा	मशीनों की उच्च गति और जोर असर की समस्या को हल न करने के कारण होने वाली हानि।	4.26.7(ii)
2मेगावाट (0.5x4) रॉयलैंग	जीर्णोद्धार के बाद भी लगातार समस्या	4.26.7(i)
1.5 मेगावाट (0.375x4) रुक्ती	जीर्णोद्धार के बाद भी लगातार समस्या	4.26.7 (i)

झोत: कम्पनी द्वारा आपूर्ति की गई जानकारी से संकलित।

परिहार्य कारणों से शटडाउन एवं मरम्मत और वार्षिक रखरखाव गतिविधियों को समय पर शुरू न करने के कारण हुई उत्पादन हानियों के निम्नलिखित उदाहरण पाए गए।

(i) 120 मेगावाट भाबा जल विद्युत परियोजना का पुनरुद्धार कार्य

भाबा जल विद्युत-परियोजना के पुनरुद्धार हेतु (जनवरी 2015 में हुई आग से क्षति के पश्चात) एक ठेकेदार को 9 माह व 15 दिनों की निर्धारित पूर्णता अवधि के साथ विद्युत यांत्रिकी कार्य³¹ का ठेका दिया गया। कंपनी को 30 जून 2015 तक पांच टन इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग (क्रेन) प्रदान करना था और 08 सितंम्बर 2015 तक ठेकेदार को कार्य स्थल सौंपना था ताकि वह अपना काम कर सकें।

कम्पनी सम्मत समयावधि के अनुसार इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंगक्रेन और कार्य-स्थल ठेकेदार को प्रदान करने में विफल रही। विलम्ब कम्पनी के सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग के बीच समन्वय न होने के कारण हुआ। ठेकेदार ने अपने काम में भी देरी की। काम पूर्ण होने में 242 दिनों का कुल विलम्ब हुआ, जिसमें 181 दिनों का विलम्ब कम्पनी की ओर से मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन (27 दिन) प्रदान करने में विलम्ब और कार्य-स्थल (141 दिन) को विलम्ब से सौंपने के कारण हुआ।

³¹ आपूर्ति तथा कार्य 220 किलोवोल्ट गैस इन्सुलेटेड स्विच गियर, कन्ट्रोल एवं रिले पैनल 22 किलोवोल्ट इन्डोर स्विच गियर, 415 वोल्ट एल.टी. पैनल, 220 किलोवोल्ट इंचटी केबल, 22 किलोवोल्ट एचटी केबल, कन्ट्रोल एवं पावर केबल तथा अन्य सम्बद्ध उपकरण मिलाकर।

कम्पनी के विश्लेषण में ठेकेदार की ओर से 61 दिनों का विलम्ब पाया गया। ठेकेदार से हुई देरी के लिए ठेकेदार से ₹ 92.47 लाख की राशि प्रतिपूरक क्षति के रूप में वसूल की गई। कम्पनी की ओर से हुए विलम्ब में से 168 दिनों की देरी केवल इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग और सिविल फ्रंट (कार्य स्थल) को प्रदान करने में देरी के कारण थी।

नवम्बर 2016 के दौरान कार्य पूरा हो गया था। देरी के कारण, कम्पनी को ₹ 217.40 करोड़³² (संबंधित महीनों के संयंत्र भार कारक को ध्यान में रखते हुए) के बराबर 398.91 मिलियन यूनिट की परिहार्य उत्पादन हानि हुई।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) की सिविल कार्यों में विलम्ब, कार्य सौंपने में विलम्ब एवं ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा करने में देरी के कारण हुआ।

(ii) भाबा जल विद्युत परियोजना की यूनिट-I की क्षति हेतु जिम्मेदारी न तय करना

सितम्बर 2016 में, संजय विद्युत परियोजना भाबा की यूनिट-1 (40 मेगावाट), डयूटी पर मौजूद कर्मचारियों द्वारा परिचालन सम्बन्धी खराबी से समय पर न निपटने के कारण, क्षतिग्रस्त हो गई। कारण का पता लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समिति ने सूचित किया कि रखरखाव करने वाले कर्मियों की अज्ञानता/लापरवाही मुख्य कारण रहा।

यूनिट-1 को बहाल करने के लिए, ₹ 10.18 करोड़ का व्यय किया गया था जो कंपनी की प्रत्यक्ष हानि थी। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लापरवाही की ओर इशारा करने के बावजूद कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई।

इस प्रकार परिचालन एवं रखरखाव करने वाले कर्मियों की लापरवाही के कारण संजय विद्युत परियोजना को ₹ 10.18 करोड़ की पुनर्स्थापना लागत का वित्तीय घाटा हुआ तथा ₹ 97.50 करोड़³³ के 175.68 मिलियन यूनिट के उत्पादन की हानि हुई (केवल अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017 की उत्पादन की व्यस्ततम अवधि ली गई) जिसके लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई थी।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि अब कंपनी ने योग्य सहायकों की भर्ती की है और उन्हे भाबा में नियुक्त किया है।

(iii) घानवी-II जल विद्युत परियोजना से गाद हटाने के कार्य का आबंटन एवं कार्यान्वयन

जलाशयों में समय के साथ जमा होने वाली गाद धीरे-धीरे जलाशयों की क्षमता को कम करती है। उत्पादन हानि से बचने के लिए, घानवी-II जल विद्युत परियोजना के जलाशय से गाद हटाने का काम योजनाबद्ध तरीके से मंदी अवधि में किया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा में देखा कि कार्य आबंटन में विलम्ब के कारण जलाशय कार्य आबंटन के पूर्व ही पूरी तरह से गाद से भर गया था विद्युत केन्द्र 03 अगस्त 2017 से 19 दिनों के लिए पूरी तरह बंद हो गया, परिणामस्वरूप 4.56 मिलियन यूनिट के उत्पादन की हानि हुई। कार्य की समयबद्धता तालिका 4.25 में दी गई है।

तालिका 4.25: कार्य आबंटन में विलम्ब के कारण

क्रम संख्या	घटना	घटना की तारीख	कार्य में लगा समय (दिनों में)
1.	क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा अनुमान प्रस्तुत करना	05.07.2016	-
2.	मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय की मंजूरी	23.11.2016	141
3.	सर्किल कार्यालय द्वारा तकनीकी स्वीकृति	08.12.2016	14
4.	निविदाएं मंगाई गई	10.03.2017	91
5.	मुख्य अभियन्ता को प्रस्तुत	02.05.2017	33
6.	मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित	22.08.2017	111
7.	कार्य पूर्ण	17.10.2017	-
योग			390

- यद्यपि कंपनी को भारी मात्रा में गाद जमा होने तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाली हानिके तथ्य का पता था (जुलाई 2016), तथापि निविदा प्रक्रिया को पूरा करने में 390 दिन लगे, जो अनुचित नियोजन और अक्षम दृष्टिकोण को दर्शाता है।

³² 398.91 मिलियन यूनिट ₹ 5.45 प्रति यूनिट = ₹ 217.40 करोड़

³³ 175.68 मिलियन यूनिट x ₹ 5.55 प्रति यूनिट = ₹ 97.50 करोड़

- यदि निविदा प्रक्रिया को समय पर किया जाता तो गाद से जलाशय के भरने के कारण 19 दिनों (कार्य आबंटन के पूर्व) के लिए परियाजना बंद रहने से पहले हुई उत्पादन हानि से बचा जा सकता था।
- इसके अतिरिक्त, निविदा प्रक्रिया पूरी होने में विलम्ब के कारण जो कार्य मंदी के दौरान किया जाना अपेक्षित था वह उत्पादन की वयस्ततम अवधि में किया गया परिणामतः कम्पनी को 11.74 मिलियन यूनिट के उत्पादन की परिहार्य हानि हुई।

इस प्रकार कार्य के आबंटन में विलम्ब के कारण, कम्पनी को ₹ 9.05 करोड़ (16.30 मिलियन यूनिट x ₹ 5.55 प्रति यूनिट) के मूल्य के 16.30 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि हुई।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कार्य को पृथक रूप से पूरा करने के लिए समय निर्दिष्ट किए बिना कार्य आबंटित किया गया था। अनुमोदित (दिसम्बर 2016) प्राक्कलन में मात्र 15 दिनों के शटडाउन को प्रावधान था, तथा 53 दिनों का शटडाउन लेकर कार्य पूर्ण किया गया। उल्लेखनीय है कि संस्कीर्त प्राक्कलन के अनुसार 15 दिनों में 7,628.72 घनमीटर गाद निकाली जानी थी जबकि वास्तव में 9,432.58 घनमीटर गाद को हटाया गया था, जिसके लिए केवल 19 दिनों के शटडाउन के आवश्यकता थी। इस प्रकार, आबंटन में प्रत्येक कार्य के लिए पृथक समय निर्दिष्ट न करने से, कंपनी को ₹ 6.13 करोड़ के मूल्य की 11.04 मिलियन यूनिट उत्पादन की हानि उठानी पड़ी। (11.04 मिलियन यूनिट x ₹ 5.55 प्रति यूनिट)।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि संहितागत औपचारिकताओं को पूर्ण करने तथा अलग-अलग स्तरों पर विभिन्न अभियुक्तयों पर ध्यान देने के कारण कार्य आंबटन में विलम्ब हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी को उत्पादन हानि से बचने के लिए तथा मंदी में कार्य का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संहितागत औपचारिकता पूर्ण कर लेनी थी।

(iv) भाबा एवं रुक्ती विद्युत केन्द्र में ब्लैक स्टार्ट करने की क्षमता का अभाव

ग्रिड खराब हाने की स्थिति में जल विद्युत शक्ति केन्द्र के सतत प्रचालन को प्रारंभिक विद्युत शक्ति के किसी बाहरी स्रोत के बिना पुनः प्रारम्भ करने के लिए ब्लैक स्टार्ट क्षमता आवश्यक है। ग्रिड खराबी के दौरान ग्रिड से ॲफ साईट शक्ति उपलब्ध नहीं होती ऐसी स्थिति में ब्लैक स्टार्ट क्षमता जल विद्युत शक्ति को प्रारम्भ होने के लिए आवश्यक करने प्रदान करती है तथा ग्रिड को प्रचालनावस्था में आने को प्रेरित करती है।

भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के अनुसार, ब्लैक स्टार्ट में सक्षम होने के लिए विभिन्न उप-प्रणालियों की आवश्यकता होती है। इस संबंध में राज्य लोड डिस्पैच सोसाइटी, शिमला ने भी (28 मार्च 2018) मुख्य अभियन्ता उत्पादन, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को सूचित किया था कि लारजी और भाबा जल विद्युत परियोजना की मशीने ब्लैक स्टार्ट के अनुरूप होनी चाहिए। मुख्य अभियन्ता ने संबंधित सर्किलों को आगे निर्देशित किया कि इन मशीनों को पृथक रूप में चलाने के लिए डिजाइन या अन्य मापदंडों में जो भी बदलाव की आवश्यकता है वह किये जाए ताकि इन्हे ब्लैक स्टार्ट के काबिल बनाया जा सके तथा ग्रिड की विफलताओं के दौरान भी स्थानीय क्षेत्र की मांग को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सकें। अनुपालना हेतु, इन मशीनों को आइसोलेशन मोड(पृथक रूप से) में चलाने के लिए मूल उपकरण निर्माता यानी भेल से मशीनों की डिजाइन व अन्य मापदंडों में आवश्यक बदलाव के बारे में बात की जानी थी। हालांकि, संबंधित अधिकारियों द्वारा आगे की गई कोई भी कार्यवाही लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2019) तक रिकार्ड में नहीं पाई गई।

आगे यह भी पाया गया कि भाबा विद्युत केन्द्र 205 मशीन घण्टों की कुल अवधि के लिए बाध्य रूप से बंद रहा और रुक्ती विद्युत केन्द्र ग्रिड खराबी के कारण अलग-अलग अवसरों पर 23,955 मशीनघण्टों³⁴ के लिए बाध्य रूप से बंद रहा। ग्रिड की खराबी के दौरान, स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए रुक्ती विद्युत केन्द्र को कम भार पर चलाया जा रहा था। लेकिन, भाबाविद्युत केन्द्र को आइसोलेशन में नहीं चलाया जा रहा था, हालांकि पहले इस प्रोजेक्ट को आइसोलेशन मोड में चलाने के लिए सिस्टम मौजूद था, जिसके लिए 10 मेगावोल्ट एम्पीयर का स्टेशन ट्रांसफार्मर लगाया गया था। भावा में 10 मेगावोल्ट एम्पीयर स्टेशन ट्रांसफार्मर, 4 मेगावोल्ट एम्पीयर की बिजली की पूरक³⁵ खपत के अलावा स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। लेकिन 1992

³⁴ उन घण्टों की संख्या जब तक विद्युत उत्पादन हेतु मशीन चलाई जाती हैं।

³⁵ पूरक खपत से तात्पर्य उस ऊर्जा की मात्रा से है जो विद्युत केन्द्र के उपकरणों द्वारा विद्युत केन्द्र के स्वच यार्ड सहित उसके प्रचालन हेतु उपभोग की जाती है।

के दौरान उस प्रणाली के रखरखाव और 10 मैगावोल्ट एम्पीयर ट्रांसफार्मर के नुकसान के कारण, स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए, ब्लैक स्टार्ट क्षमताओं के अभाव के कारण परियोजना को आइसोलेशन मोड में नहीं चलाया जा सका। चूंकि प्रिड बहुत बार बंद होता है जिसके कारण संयंत्र उपरोक्त अवधि के लिए बाध्य रूप से बंद रहता है, इस मामले को संबंधित अधिकारियों के साथ जरूरी कदम के लिए उठाया जाना चाहिए और स्थानीय वितरण प्रणाली को आइसोलेशन मोड में कार्यशील बनाना चाहिए था। बार-बार प्रिड खराब होने और परियोजना को शुरू करने की क्षमता की कमी के कारण कंपनी को ₹ 9.64 करोड़³⁶ मूल्य की ₹ 17.19 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि हुई।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) की भाबा परियोजना को ब्लैक स्टार्ट के अनुरूप बनाने के लिए, यूनिट-2 में नियंत्रण व उद्दीपन प्रणाली स्थापित की गई है जिसे वर्तमान में चालू करने की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि इस परियोजना द्वारा 27 साल से अधिक समय तक ब्लैक स्टार्ट क्षमता के बिना कार्य किया गया जबकि इसके लिए प्रणाली उपस्थित थी। भावा परियोजना को ब्लैक स्टार्ट के अनुरूप बनाने के लिए, प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है जिसके कारण अभी भी शटडाउन की अवधि में बढ़ोतरी और परिणामस्वरूप घाटा हो सकता है।

(v) लारजी जल विद्युत परियोजना में नई कचरा रैक सफाई मशीन की खरीद

ट्रैश रैक सफाई मशीन जल विद्युत परियोजना के जल प्रवेश नलिका पर आगे वाले कचरे को हटाने के लिए आवश्यक है। अन्यथा पानी में मौजूद कचरा उत्पादन करने वाली मशीनों को नुकसान पहुंचाता है। 126 मैगावॉट लारजी जल विद्युत परियोजना के बैराज कार्यस्थल पर(जनरल मैकेनिकल वर्कर्स द्वारा निर्मित) स्थापित ट्रैश रैक क्लीनिंग मशीन का उपयोग जल प्रवेश नलिका से कचरा हटाकर उत्पादन के लिए पानी को विनियमित करने के लिए किया जा रहा था। जून 2015 के बाद ट्रैश रैक क्लीनिंग मशीन ने परेशानी देनी शुरू की। एक नया ट्रैश रैक क्लीनिंग मशीन प्राप्त करने के लिए, परियोजना अधिकारियों ने तकनीकी स्वीकृति के लिए जनरेशन सर्किल साराबाई को प्राक्कलन प्रस्तुत किया (17 फरवरी 2016), तथा इस प्रयोजनार्थ ₹ 4.50 करोड़ का बजट प्रावधान भी वर्ष 2016-17 के वार्षिक कार्य कार्यक्रम में रखा गया था।

आगे यह देखा गया कि मौजूदा ट्रैश रैक क्लीनिंग मशीन के रखरखाव (रखरखाव व मरम्मत) के बारे में मेसर्स जनरल मैकेनिकल वर्कर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परियोजना अधिकारियों को अवगत (31 मई 2016) कराया कि मशीन को प्रचालित करना संभव नहीं है क्योंकि इसकी वर्तमान स्थिति में आगे प्रचालित करने से यह बार-बार बंद होगी तथा इससे दुर्घटना घट सकती है। तथापि, मुख्य अभियन्ता योजना एवं निगरानी द्वारा खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया (जुलाई 2016) क्योंकि मशीन ने अपना उपयोगी जीवन पूरा नहीं किया था।

इसके अतिरिक्त संवीक्षा में पाया गया कि नई मशीन को मार्च 2019 तक नहीं खरीदा गया और कंपनी द्वारा पुरानी मशीन की मरम्मत और रखरखाव पर ₹ 34.59 लाख खर्च करने के बाद भी, 2016-19 के दौरान ट्रैश रैक क्लीनिंग मशीन के लगातार टूटने के कारण, ₹ 8.90³⁷ करोड़ के मूल्य की 15.68 मिलियन यूनिट का उत्पादन नुकसान कंपनी को उठाना पड़ा था। यदि कंपनी द्वारा ट्रैश रैक क्लीनिंग मशीन की स्थापना पर ₹ 4.91 करोड़ (स्थापना लागत सहित) व्यय किया होता उपरोक्त नुकसान से बचा जा सकता था।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि नई ट्रैश रैक क्लीनिंग मशीन की खरीद के लिए निविदाएं मंगाई गई हैं तथा प्रक्रियाधीन हैं। उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि कि ट्रैश रैक क्लीनिंग मशीन की खरीद में देरी के कारण कंपनी को ₹ 8.90 करोड़ का उत्पादन नुकसान उठाना पड़ा और खरीद प्रक्रिया अभी चल रही है।

³⁶ 4.542 मिलियन यूनिट X ₹ 5.45 + 8.381 मिलियन यूनिट X ₹ 5.55 + 4.262 मिलियन यूनिट X ₹ 5.88 = ₹ 9.64 करोड़

³⁷ 5.33 मिलियन यूनिट X ₹ 5.45 + 2.87 मिलियन यूनिट X ₹ 5.55 + 7.48 मिलियन यूनिट X ₹ 5.88 = ₹ 8.90 करोड़

(vi) लारजी जल विद्युत परियोजना में वार्षिक रखरखाव अनुसूची का पालन न करना

विद्युत केन्द्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसका वार्षिक रखरखाव नियमित रूप से किया जाना चाहिए था तथा उत्पादन हानि से बचने के लिए इसकी योजना केवल मंदी अवधि में ही बनाई जानी चाहिए।

स्थानीय अभियन्ता लारजी ने लारजी पावर हाऊस के रख-रखाव हेतु अपेक्षित समय पर विचार किए बिना मंदी अवधि³⁸ में लारजी विद्युत केन्द्र का रखरखाव प्रारंभ कर दिया। परिणामस्वरूप, यह 2016-17 एवं 2017-18 हेतु मंदी अवधि (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार) की समाप्ति के बाद पूर्ण हुआ। लेखापरीक्षा में पाया कि यदि विद्युत केन्द्र का वार्षिक रखरखाव मंदी अवधिकी शुरूआत के समय पर शुरू हो जाता और मंदी अवधि के अंत होने की अवधि से पहले ठीक तरह से पूरा हो जाता तो कंपनी ₹ 2.25 करोड़³⁹ मूल्य की (4.04 मिलियन यूनिट) 13 दिनों हेतु उत्पादन हानि से बच जाती।

इसके अतिरिक्त, 2018-19 हेतु घानवी-I विद्युत केन्द्र का वार्षिक रखरखाव नियोजित नहीं किया गया जो दरअसल अप्रैल 2018 से मई 2018 के दौरान किया गया, यह ₹ 4.33 करोड़⁴⁰ मूल्य की 7.37 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि में परिणत हुआ (संबंधित माह के संयंत्र भार कारक को देखते हुए)। नमूना जांचित अन्य परियोजनाओं में, लेखापरीक्षा के सम्मिलित की गई अवधि के लिए मंदी अवधि के दौरान वार्षिक रखरखाव किया गया था।

इस प्रकार, मंदी अवधि में रखरखाव न करने के कारण, कंपनी को ₹ 6.58 करोड़ मूल्य के 11.41 मिलियन यूनिट की परिहार्य हानि हुई।

सरकार ने स्वीकार करते हुए बताया (अक्टूबर 2020) कि पहली ईकाई का रखरखाव शुरू करने में देरी हुई थी।

(vii) घानवी जल विद्युत परियोजना में मरम्मत कार्य का आवंटन

2016-19 के लिए घानवी-I (2x 11.25 मेगावॉट) जल विद्युत परियोजना के शटडाउन डाटा से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विद्युत केन्द्र नियोजित शटडाउन की अवस्था में रहा जैसा कि तालिका 4.26 में वर्णित है:

तालिका 4.26: उत्पादन की व्यस्ततम अवधि के दौरान घानवी-I के नियोजित शटडाउन का विवरण

अवधि	नियोजित शटडाउन अवधि		कुल मशीन घण्टे
	यूनिट-I (मशीन घण्टे)	यूनिट-II (मशीन घण्टे)	
अप्रैल 2017	450.50	720.00	1,170.50
मई 2017	630.30	472.20	1,102.50
जून 2017	168.25	143.40	312.05
अप्रैल 2018	0	720.00	720.00
मई 2018	0	399.00	399.00
योग	1,249.05	2,454.60	3,704.05

तालिका 4.26 से स्पष्ट है कि उत्पादन की व्यस्ततम अवधि के दौरान यूनिट-1 और यूनिट-2, 3,704.45 घण्टे के लिए नियोजित रखरखाव के अधीन रही।

दोनो ईकाईयों (यूनिट-I व यूनिट-II) के मुख्य इनलेट वॉल्व, टरबाईन शाफ्ट, नोजल और यूनिट-2 के गवर्नर लगातार परेशानी दे रहे थे जिसके लिए सर्विसिंग/ओवरहालिंग (सुधार एवं पूर्ण जांच व मरम्मत) की आवश्यकता थी। इन कार्यों के लिए सितंबर 2016 के दौरान प्राक्कलन तैयार किए गए। मशीनों के मूल निर्माता होने के नाते, टरबाईन शाफ्ट के प्रतिस्थापन और नोजल के ओवरहालिंग और यूनिट-2 के गवर्नर हेतु मामला बी.एच.ई.एल. (भेल) के साथ उठाया गया जिन्होंने 14 सितम्बर 2016 को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पड़ताल करने पर, भेल ने स्पष्ट किया (29 सितम्बर 2016) कि उनके कार्य का दायरा पर्यवेक्षण/विशेषज्ञ मार्गदर्शन एवं परामर्श तक सीमित होगा और कार्य पूर्ण होने की अवधि कम्पनी के अधीन चर कारकों की संख्या तथा निविष्टियों पर निर्भर होगा।

³⁸ 20 अक्टूबर से 20 मार्च

³⁹ 3.75 मिलियन यूनिट X ₹ 5.55प्रति यूनिट + 0.29 मिलियन यूनिट X ₹ 5.88 प्रति यूनिट = ₹ 2.25 करोड़

⁴⁰ 7.37 मिलियन यूनिटX ₹ 5.88 प्रति यूनिट = ₹ 4.33 करोड़

तदोपरान्त कंपनी को भेल को कार्य सौंपने में (28 दिसम्बर 2016) तीन महीने लगे। आबंटन के अनुसार, 40 दिनों की पूर्णता अवधि की परिकल्पना की गई थी। साइट पर काम 4 जनवरी 2017 को शुरू किया गया था तथा कार्य पूर्ण होने में (7 जून 2017) 155 दिन लगा गए।

यह जानते हुए कि भेल मशीन के मूल निर्माता थे तथा कार्य भेल की देखरेख में किया जाना था, कार्य को अधिक तत्परता से आंबटित किया जाना चाहिए था। कंपनी दिसम्बर 2016 में प्रदान किए गए कार्य को आंबटित करने में तीन महीने नहीं लगाती तो अप्रैल 2017 के पहले सप्ताह के दौरान कार्य पूर्ण किया जा सकता था (वास्तविक पूर्णता के 155 दिनों के अनुरूप) अर्थात् उत्पादन की व्यस्ततम अवधि के प्रारंभ से पूर्व तथा 2017-18 के दौरान 5.44 करोड़⁴¹ मूल्य के 9.80 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि (सम्बन्धित महीनों के संयंत्र भार कारक एवं उत्पादन की व्यस्ततम अवधि पर विचार करते हुए) से बचा जा सकता था।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) की कार्य आंबटन में देरी कार्य निष्पादन हेतु उचित एजेंसी की खोज में समय लगने के कारण हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह निर्णय सितंबर 2016 में लिया गया था कि, भेल को मूल निर्माता होने के नाते काम आंबटित करना चाहिए। कंपनी को कार्य आंबटन शीघ्र करना चाहिए था ताकि मंदी अवधि में कार्य निष्पादन किया जाता तथा उत्पादन हानि से बचा जा सकता।

4.26.6 उपलब्ध जल का निम्नतर उपयोग एवं निम्नतर इष्टतम प्रदर्शन

जल विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन के लिए जल का उपयोग किया जाता है। हाइड्रो पॉवर की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पानी का इष्टतम उपयोग करते हुए जल विद्युत परियोजना का परिचालन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जलाशयों को गाद मुक्त रखना भी महत्वपूर्ण है ताकि पर्याप्त संग्रहण उपलब्ध हो और उत्पादन प्रभावित न हो।

उपलब्ध जल को इष्टतम रूप से उपयोग न करने के दृष्टिकोणों पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) घानवी-I विद्युत केन्द्र का निम्नतर इष्टतम प्रदर्शन

घानवी-I विद्युत केन्द्र के जल ग्रहण के प्रति अवमुक्त आकड़ों की संवीक्षा में पाया गया कि मंदी के दौरान (दिसम्बर से मार्च) पानी की उपलब्धता कम थी, मशीनें उनकी अभिकल्पित क्षमता के अनुपात में उपलब्ध पानी की प्रमात्रा से जितना उत्पादन अपेक्षित था उतने विद्युत का उत्पादन नहीं कर रही थी। मशीन ने अपनी पूर्ण क्षमता से विद्युत उत्पादित करने के लिए पानी की अवमुक्त निर्धारित मात्रा से अधिक का उपयोग किया। उत्पादन की व्यस्ततम अवधि के दौरान पर्याप्त पानी की उपलब्धता के कारण उत्पादन की हानि नहीं हुई परन्तु 2016-19 की मंदी अवधि के दौरान 38.84 मिलियन यूनिट के अपेक्षित उत्पादन (उपलब्ध पानी व अभिकल्पित क्षमता के आधार पर गणना की गई) के प्रति मात्र 28.77 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन प्राप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.49 करोड़ (10.07 मिलियन यूनिट X ₹ 5.45) मूल्य की 10.07 मिलियन यूनिट उत्पादन हानि हुई। कम्पनी ने कम उत्पादन के कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

सरकार ने टिप्पणी को स्वीकार किया (अक्टूबर 2020)।

(ii) भाबा एवं लारजी जल विद्युत परियोजनाओं में अतिरिक्त जल अवमुक्त किया गया

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं⁴² के अनुसार मंदी अवधि के दौरान देखे गए प्रवाह का न्यूनतम 15 प्रतिशत (उस मुख्य नदी के पानी को जिसका पानी जल विद्युत परियोजना द्वारा दोहित किया जा रहा है) नदी में बहा दिया जाए।

126 मेगावाट के लारजी तथा 120 मेगावाट की संजय विद्युत परियोजना भाबा के अवमुक्त जल आंकड़ों की संवीक्षा से पता चला इन प्रवाहानों से अधिक मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी को ₹ 8.13 करोड़⁴³ मूल्य की ₹ 14.60 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि उठानी पड़ी।

⁴¹ 9.80 मिलियन यूनिट X ₹ 5.55 प्रति यूनिट = ₹ 5.44 करोड़

⁴² अधिसूचना संख्या पीसी-एफ(2)-1/2005 दिनांक 16 जूलाई 2005 एवं 9 सितम्बर 2005.

⁴³ लारजी 2.84 मिलियन यूनिट X ₹ 5.45 (2016-17) + 2.85 मिलियन यूनिट X ₹ 5.55 (2017-18) + 2.79 मिलियन यूनिट X ₹ 5.88 (2018-19) + भाबा 3.40 मिलियन यूनिट X ₹ 5.45 (2016-17) + 2.72 मिलियन यूनिट X ₹ 5.55 (2017-18) = ₹ 8.13 करोड़।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि भाबा में अधिक मात्रा में पानी अवमुक्त नहीं किया गया तथा लारजी में बैराज का रेडियल गेट, एक सेंटीमीटर के बराबर न्यूनतम एक क्यूसेस (क्यूबिक मीटर प्रति सेकण्ड) पानी की रीडिंग (गणना) कर सकता है एवं पानी की सटीक मात्रा अवमुक्त करना संभव नहीं है। भाबा इकाई का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि इकाई अपने भाबा ऑगमेटेशन प्रोजेक्ट की टेल रेस से पानी लेने से पहले से अवमुक्त पानी की 15 प्रतिशत की रिहाई पर विचार ही नहीं कर रही है। लारजी इकाई के सम्बन्ध में कंपनी को अधिक मात्रा में पानी अवमुक्त करने की समस्या का समाधान करना चाहिए।

(iii) गिरी जल विद्युत परियोजना की भण्डारण क्षमता में कमी

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार गिरी परियोजना की 615.65 मीटर के अधिकतम स्तर पर 16,34,000 घनमीटर की सक्रिय क्षमता थी। तथा संयंत्र के प्रचालन हेतु उपयोग योग्य सक्रिय भण्डारण क्षमता 9,07,800 घनमीटर है। गाद में जमाव के कारण जलाशय की उपयोग योग्य भण्डारण क्षमता 2,26,920 घन मीटर कम हो गई थी। चूंकि, मंदी अवधि के दौरान नदी में पानी का स्त्राव कम हो जाता है, इसलिए मंदी अवधि के दौरान अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए जलाशय की सक्रिय भण्डारण क्षमता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंपनी ने जलाशय से गाद हटाने और इसके भण्डारण को बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि यदि जलाशय क्षेत्र में कोई अवसादन नहीं होता तो 50,23,158 घन मीटर अतिरिक्त पानी का उपयोग उत्पादन के लिए किया जा सकता था। यदि कंपनी ने योजना बनाई होती और जलाशय क्षेत्र से अवसादन को हटा दिया होता, तो कंपनी 1.79 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि एवं 1.01 करोड़ (1.79 मिलियन यूनिट X 5.62 औसत दर) के संभावित राजस्व नुकसान से बच सकती थी।

4.26.7 जीणोंद्वार अनुबंधों के पर्यवेक्षण में कमी तथा निष्फल व्यय

(i) रॉयटॉंग एवं रुक्ती जल विद्युत परियोजना का मरम्मत एवं रखरखाव

सीमावर्ती ब्लाकों (लाहुल और स्पीति जिले में स्पीति और किन्नौर जिले में पूह और कल्पा) में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं को समाप्त करने के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, विद्युत के बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए 13वें वित्त आयोग ने ₹ 25 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया। अनुदान ₹ 6.25 करोड़ की चार बराबर वार्षिक किस्तों में 2011-12 से 2014-15 के दौरान उपलब्ध था।

रॉयटॉंग विद्युत केन्द्र के इलेक्ट्रो मैकेनिकल उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु ₹ 4.32 करोड़ की लागत से एक फर्म को (23 जुलाई 2012) कार्य प्रदान किया गया था। इसी प्रकार, रुक्ती विद्युत केन्द्र के इलेक्ट्रो मैकेनिकल उपकरणों के मरम्मत एवं रखरखाव के कार्य को भी उसी फर्म को (5 दिसम्बर 2012) दिया गया। जिसकी लागत करों व शुल्क सहित ₹ 4.29 करोड़ थी। अनुबंध शर्तों के अनुसार, फर्म को कार्य आरंभ तिथि से 20 महीने के भीतर यानी अगस्त 2014 तक काम पूरा करना था, हालांकि कुछ लंबित मुद्दों को छोड़कर जून 2018 (रुक्ती) और अगस्त 2018 (रॉयटॉंग) के दौरान काम पूरा हो गया था यानी क्रमशः 46 महीने और 53 महीने के विलम्ब से।

यह देखा गया कि फर्म न केवल समय पर काम पूरा करने में विफल रही बल्कि कार्य की गुणवत्ता/मानक भी स्तरीय नहीं थे, क्योंकि प्रमुख मरम्मत मुद्दे सफलतापूर्वक हल नहीं किए गए। इस प्रकार फर्म द्वारा किए गए कार्य की खराब गुणवत्ता के कारण ₹ 8.20 करोड़ के व्यय (फर्म को जारी भुगतान) के बावजूद हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के रहवासियों को बाधारित व गुणवत्ता पूर्ण विद्युत के वितरण हेतु विद्युत केन्द्रों की दक्षता में सुधार के परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। फर्म द्वारा किए गए कार्य की खराब गुणवत्ता का मुख्य कारण कम्पनी का कमज़ोर पर्यवेक्षण था जिससे उपरोक्त योजना के तहत किया गया व्यय निष्फल रहा।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि कार्य रद्द करने का प्रस्ताव दिया गया है तथा लम्बित कार्य ठेकेदार की जवाबदेही एवं उसकी लागत पर किया जाएगा।

इसके अलावा, रॉयटॉंग प्रोजेक्ट के काम के निष्पादन के दौरान फर्म द्वारा आपूर्ति किया गया एक अवयव (स्लुइस वाल्व) मशीन चलने के दौरान टूट गया (15 जून 2015)। इस दुर्घटना से तीन लोगों की जान चली गई और कार्य के कार्यान्वयन में अनुचित देरी हुई। जांच के दौरान, अवयव में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए परीक्षण आयोजित किए गए थे तथा यह पाया गया था कि निर्मित सामग्री कार्य स्थल पर पानी एवं जलवायु परिस्थितियों के परिकल्पित दबाव हेतु उपयुक्त नहीं थी। इससे पता चला कि

निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान इसका ठीक से परीक्षण नहीं किया गया था। निरीक्षण अधिकारी की चूक से ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। हालांकि स्तरहीन सामग्री की आपूर्ति हेतु फर्म या अधिकारी के विरुद्ध (जून 2019) कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि वाल्व खराब होने का कारण निर्माण दोष तथा अवयव के उस स्थान पर दबाव बढ़ने के कारण था जो निर्माताओं के कार्यों के निरीक्षण के दौरान नहीं देखा गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निरीक्षण अधिकारी को वाल्व निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए थी।

(ii) गुम्मा जल विद्युत परियोजना में मरम्मत के बाद भी सुधार में कमी

गुम्मा विद्युत केन्द्र की दोनों मशीनें लंबे समय (2003 के बाद) से टरबाइन के मुख्य शाप्ट के झटका सहन करने वाले पैड का उच्च तापमान, मशीनों की अत्यधिक गति, ठोकर और पानी के रिसाव आदि समस्याओं का सामना कर रही थी।

समस्या की मूल वजह रनर की उच्च गति (1500 घूर्ण प्रतिमीटर) के रूप में आंकी गई थी। इस समस्या को दूर करने के लिए, 16 अप्रैल 2015 और 21 दिसम्बर 2015 को ₹ 1.11 करोड़ प्रति यूनिट की लागत से मूल उपकरण निर्माता को क्रमशः यूनिट-1 और यूनिट-2 के हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम की मरम्मत/पुनरुद्धार एवं स्थापना हेतु कार्य सौंपा गया था। कार्य आबंटन के अनुसार फर्म को मुरम्मत/पुनरुद्धार, स्थापित, टैस्टिंग एवं कमीशनिंग का कार्य छः माह की वारंटी के साथ करना था। हालांकि मरम्मत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और मशीनें 28,338 घंटों तक खराब/बंद रहीं, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.68 करोड़⁴⁴ की राजस्व हानि के साथ 19.08 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि हुई। यह कम्पनी के द्वारा पर्यवेक्षण के अभाव का परिचायक है।

(iii) मरम्मत के बाद उत्पादन में कमी

गिरी परियोजना के लिए, कंपनी ने ₹ 3.70 करोड़ की लागत से भेल (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड) से तीन संशोधित रनर⁴⁵ और स्टेशनरी लेबिरिथ के तीन जोड़ खरीदे (1992)। पुराने प्रोफाइल रनर के साथ मशीन 33 मेगावाट पर प्रचालित की जा सकती थी तथा दोनों मशीनों के साथ परियोजना ने पूर्व में 60 मेगावाट से अधिक ऊर्जा उत्पन्न की थी। यूनिट-11 में संशोधित रनर की स्थापना के बाद, पूरे डिस्चार्ज स्तर के बाद भी विद्युत केन्द्र में उत्पादन 58.5 मेगावाट (यूनिट-1 पुरानी प्रोफाइल रनर के साथ 30 मेगावाट पर काम कर सकी और यूनिट-2 के साथ संशोधित रनर के साथ केवल 28.5 मेगावाट पर काम कर सकी) तक घट गया। उत्पादन की घटती प्रवृत्ति के कारण नए रनर को फिर से पुनः संशोधित (1997) किया गया और जेनरेटर-2 में स्थापित किया गया। पुनः संशोधन के बाद भी उत्पादन में कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे पता चला कि संशोधित/ पुनः संशोधित रनर उपयुक्त रूप से डिजाइन नहीं किए गए थे तथा इन नए रनर में अंतर्निहित डिजाइन कमियां थीं। इन तथ्यों के प्रकाश में यह देखा गया कि प्रबंधन का तीनों रनरों का परीक्षण/गुणवत्ता जांचे बिना एक ही बार में क्रय करने का निर्णय, कंपनी के हित में नहीं था। इसके अलावा, सुधारात्मक उपाय अब तक नहीं किया गया जो संशोधित रनर की खरीद पर परिहार्य व्यय में परिणत हुआ जो अतः उत्पादन हानि में परिणत हुई। संशोधित रनर का उपयोग करने के कारण, कंपनी को ₹ 2.22 करोड़⁴⁶ मूल्य के 3.86 मिलियन यूनिट के उत्पादन के नुकसान को वहन करना पड़ा।

4.26.8 अन्य मुद्दे

परियोजनाओं से सम्बन्धित अन्य मुद्दों पर नीचे चर्चा की गई:

(i) मानदंडों से अधिक ट्रान्सफोर्मेशन नुकसान के कारण हानि

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने उत्पादित ऊर्जा के विश्लेषण 0.5 प्रतिशत तक के लिए ट्रान्सफोर्मेशन नुकसान⁴⁷ मानक निर्धारित किए हैं। वर्ष 2016 से 2019 की अवधि के लिए के आंकड़ों के विश्लेषण से सातों चयनित विद्युत जल परियोजना में से पांच में

⁴⁴ 7.86 मिलियन यूनिट X ₹ 5.45 (2016-17) + 5.79 मिलियन यूनिट X ₹ 5.55 (2017-18) + 5.43 मिलियन यूनिट X ₹ 5.88 (2018-19) = ₹ 10.68 करोड़

⁴⁵ टर्बाइन मशीन का धूमने वाला हिस्सा है जो टर्बाइन की घूर्णन ऊर्जा को परिवर्तित करके आगे गतिज ऊर्जा उत्पन्न करता है।

⁴⁶ 0.886 मिलियन यूनिट X ₹ 5.45+ 0.204 मिलियन यूनिट X ₹ 5.55 + 2.766 मिलियन यूनिट X ₹ 5.88 = ₹ 2.22 करोड़

⁴⁷ ट्रान्सफोर्मेशन में इनपुट व आउटपुट का अंतर

(रोंग टोंग एवं रूक्ती में) मीटरों की व्यवस्था नहीं होने के कारण) से उजागर हुआ कि 2016-19 के दौरान ट्रान्सफोर्मेशन नुकसान निर्धारित मानदण्डों (0.5 प्रतिशत) से 8.81 मिलियन यूनिट अधिक थी। अतिरिक्त ट्रान्सफोर्मेशन नुकसान ने कंपनी को विद्युत की अतिरिक्त यूनिट से वंचित कर दिया, जो बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5 करोड़⁴⁸ तक के संभावित राजस्व का घाटा हुआ। ये आवर्ती घाटा है तथा तब तक जारी रहेंगे जब तक कि कम्पनी द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है। इसके अलावा, घानवी-I जल विद्युत परियोजना में ट्रान्सफोर्मेशन नुकसान 1.47 व 1.83 प्रतिशत के बीच थे जो आपूर्तिकर्ता द्वारा गांरंटी दी गई 0.41 प्रतिशत की तकनीकी हानियों से अधिक था, जिसके परिणामस्वरूप 3.05 मिलियन यूनिट की अतिरिक्त हानि हुई। इससे पता चलता है कि कम्पनी द्वारा खरीदे गए ट्रासंफार्मर का प्रदर्शन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदत्त गारंटी के अनुसार नहीं था तथा कम्पनी ने आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि वास्तविक ट्रान्सफोर्मेशन नुकसान का पूरा अनुमान लगाने के लिए विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है। जबाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विद्युत केन्द्र पर स्थापित मीटरों के आधार पर नुकसान का अनुमान लगाया गया था जो समय-समय पर जांचे किए गए थे। अतः हुए नुकसान की गणना से पहले से ही उपलब्ध है।

(ii) अधिक पूरक खपत

किसी विद्युत परियोजना की पूरक खपत इसके परिचालन हेतु महत्वपूर्ण होती है। जल विद्युत केन्द्र में पूरक खपत में कम्प्रेसर के शीतलन हेतु पर्म्पों के संचालन तथा दबाव को बनाए रखने हेतु आवश्यक है। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने पूरक खपत के निम्नलिखित मानदण्डों की सिफारिश की है:

- (क) रोटेटिंग एक्साइटरस के साथ सतही विद्युत केन्द्र- उत्पन्न ऊर्जा का 0.2 प्रतिशत
- (ख) भूतल विद्युत केन्द्र के साथ स्टैट एक्साइटेशन - उत्पन्न ऊर्जा का 0.5 प्रतिशत
- (ग) रोटेटिंग एक्साइटरस के साथ भूमिगत विद्युत केन्द्र- उत्पन्न ऊर्जा कर 0.4 प्रतिशत
- (घ) स्टेटिक एक्साइटेशन के साथ भूमिगत विद्युत केन्द्र- उत्पन्न ऊर्जा का 0.7 प्रतिशत।

2016-19 की अवधि के लिए सात चयनित परियोजनाओं से संबंधित उत्पादन और पूरक खपत के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि गिरि, गुम्मा, रूक्ती और रोंगटौंग विद्युत केन्द्र के सम्बन्ध में पूरक खपत उपरोक्त मानदण्डों से 1.42 मिलियन यूनिट अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 79.91 लाख का संभावित राजस्व घाटा हुआ था जैसा कि परिशिष्ट 4.4 में वर्णित है।

(iii) तकनीकी रूप से योग्य जनशक्ति का अभाव

किसी भी जल विद्युत परियोजना के कुशल और प्रभावी परिचालन में योग्य और प्रशिक्षित जनशक्ति सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। निम्नलिखित तालिका में सात चयनित विद्युत केन्द्रों में तकनीकी रूप से अशिक्षित कर्मचारियों की स्थिति को दर्शाया गया है:

तालिका 4.27: विद्युक केन्द्रों में पदस्थ तकनीकी रूप से अयोग्य कर्मी

क्रम संख्या	विद्युत केन्द्रों के नाम	पदस्थ कर्मी	तकनीकी रूप से अयोग्य	तकनीकी रूप से अयोग्य का प्रतिशत
1	126 मेगावाट	65	29	45
2	120 मेगावाट संजय विद्युत परियोजना भावा	58	24	41
3	60 मेगावाट गिरी	44	9	20
4	22.50 मेगावाट घानवी-1	48	24	50
5	3 मेगावाट गुम्मा	28	19	68
6	2 मेगावाट रोंगटौंग	27	25	93
7	1.5 मेगावाट रूक्ती	17	6	35
कुल		287	136	47

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सातों जल विद्युत परियोजना में तैनात 287 परिचालन और रखरखाव कर्मियों में से 136 (यानी 47 प्रतिशत) तकनीकी रूप से योग्य नहीं थे क्योंकि उनके पास विद्युत/यांत्रिक क्षेत्र का कोई डिप्लोमा नहीं था। चूंकि, विद्युत केन्द्र में

48

2.15 मिलियन यूनिट X ₹ 5.45 + 2.65 मिलियन यूनिट X ₹ 5.55 + 4.01 मिलियन यूनिट X ₹ 5.88 = ₹ 5.00 करोड़

नौकरियों की प्रकृति तकनीकी प्रकृति की है, इसलिए अयोग्य कर्मचारियों की तैनाती संयंत्र की परिचालन दक्षता को प्रभावित करती है। सर्वोत्तम कार्यप्रणाली (2004) पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का दस्तावेज, रखरखाव और मरम्मत स्टाफ को अपने ज्ञान को ताजा करने तथा कार्य की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार हेतु उन्नत तकनीकी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की संस्तुति करता है। तथापि देखा गया कि 2016-19 की अवधि के दौरान मरम्मत और रखरखाव कर्मियों के लिए नियमित रूप से इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रबंधन को तकनीकी रूप से योग्य कर्मियों को तैनात करना चाहिए और समय-समय पर उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वे कुशलता से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। अयोग्य कर्मचारियों को तैनात करने से हुए प्रभाव पर भी परिच्छेद 4.26.5 (i) में चर्चा की गई है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न उपकरणों के कुशल और सुरक्षित प्रचालन हेतु लारजी एवं घानवी-I जल विद्युत परियोजनाओं में सुपरवाइजरी कंट्रोल एण्ड डेटा एक्विजिशन सिस्टम (पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा अर्जन) स्थापित किया गया था। हालांकि, दोनों जल विद्युत परियोजना में पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा अर्जन प्रशिक्षित कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण संचालित नहीं किया जा रहा था।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि अब कम्पनी योग्यता प्राप्त कर्मियों की भर्ती कर रही है।

(iv) अतिरिक्त रनर की पर्याप्त संख्या का प्रावधान न होना

रनर⁴⁹ जल विद्युत संयंत्र के महत्वपूर्ण घटकों/उपकरणों में से एक है। इसलिए, जल विद्युत संयंत्र में बिजली के कुशल उत्पादन के लिए स्वस्थ रनर की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यता है।

कम्पनी ने रनर्स के उपयोगी जीवनकाल के सम्बन्ध में कोई मानक तय नहीं किए थे। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग प्रकाशन 609 के अनुसार जल टर्बाइन में केविटेशन क्षय मूल्यांकन हेतु पैल्टन रनर्स का उपयोगी जीवनकाल 8,000 घंटे था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भाबा परियोजना प्रचालन में तीन पैल्टन प्रकार के रनर थे, जिनमें से एक रनर (यूनिट-II में स्थापित) ने 42,334 घंटोंतक अन्य दो रनर्स ने 13,582 और 16,237 घंटे (जून 2019) को पूरा किया था। इसके अलावा, तीन अतिरिक्त रनर 25,210 से 41,414 घंटे पूरे कर चुके थे। इनमें से एक की मरम्मत नहीं की जा सकती थी तथा अन्य दो को मरम्मत की आवश्यकता थी। इस प्रकार, विद्युत केन्द्र के पास इसके साथ कोई कार्यशील अतिरिक्त रनर उपलब्ध नहीं था, खासकर जब प्रचालन में तीन रनर में से एक ने 42,334 घंटे पूरे किए थे। रुक्ती विद्युत संयंत्र के मामले में, यह देखा गया कि संयंत्र की 375 किलोवॉट प्रति क्षमता की चार इकाईयां थीं और वे उसी रनर के साथ चल रही थीं, जो संयंत्र प्रारंभ होने के समय स्थापित किए गए थे (1980) तथा उनके पास कोई अतिरिक्त रनर नहीं था।

इसी तरह, 2x11.25 मेगावाट घानवी जल विद्युत परियोजना में रनर्स से संबंधित रिकार्ड की जांच से पता चला कि इसमें तीन रनर थे, जिनमें से दो ने 18,918 एवं 29,648 घंटों को पूर्ण किया था तथा एक अतिरिक्त रनर जिसने 26,888 घंटों को पूर्ण कर लिया था मशीन से हटा (16 जुलाई 2018) दिया था, को विशेष मुरम्मत की जरूरत थी।

कार्यशील अतिरिक्त रनर की अनुपलब्धता ने विद्युत केन्द्र के प्रचालन को जोखिम में डाल दिया, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी प्रचालित रनर में कोई खराबी विकसित होने पर उत्पादन की हानि हो सकती थी। पर्याप्त अतिरिक्त रनर्स की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी ने कोई तंत्र विकसित नहीं किया था।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) की घानवी-I के लिए अतिरिक्त/ अन्य रनर्स की खरीद की योजना तैयार की गई थी जो प्रबंधन के विचाराधीन है। अन्य जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी जवाब नहीं दिया गया। उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि जल विद्युत परियोजना अभी भी पर्याप्त अतिरिक्त रनर के बिना चल रहे हैं और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

49

जल टर्बाइन रनर एवं घूर्णन मशीन हैं जो पानी की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं।

निष्कर्ष

पुनरुद्धार/मरम्मत, गाद हटाने तथा उपकरणों की खरीद हेतु अनुबंध देने में असामान्य विलम्ब के कारण उत्पादन की महत्वपूर्ण व परिहार्य हानि हुई। कई मौकों पर कम्पनी यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि उत्पादनगत नुकसान को कम करने के लिए मंदी अवधि में वार्षिक रखरखाव किया जाए।

कम्पनी यह सुनिश्चित करने में विशेष रूप से अक्षम थी कि ठेकेदारों द्वारा मरम्मत सुचारू रूप से की गई थी क्योंकि मरम्मत/ संशोधित पुर्जों ने मरम्मत के बाद भी सुचारू ढंग से काम नहीं किया। इन समस्याओं के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे दोषपूर्ण उपकरण के कारण एक उदाहरण में तीन घातक परिणाम सामने आए।

विशेष रूप से एक वृहद परियोजना अर्थात् भाबा परियोजना का लापरहवाह कर्मियों द्वारा खराब ढंग से प्रबंधन किया गया जो मशीनों की क्षति में परिणत हुआ तथा कमज़ोर समन्वय के कारण पुनरुद्धार कार्यों में विलम्ब हुआ जिसके उच्च उत्पादन हानि एवं तदनुसार राजस्व हानि हुई।

रैंगटौंग एवं रूक्ती परियोजनाओं में, बार-बार ब्रेकडाउन तथा कम उत्पादन ने सीमावर्ती क्षेत्रों के लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं बाधारहित विद्युत के अपेक्षित लाभ से वंचित रखा। गिरी जल विद्युत परियोजना में, गाद हटाने के कार्य के अभाव ने जलाशय की भण्डारण क्षमता को काफी घटा दिया तथा इसमें उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

सिफारिशें

कम्पनी विचार करें:

- उत्पादन हानि से बचने के लिए मंदी अवधि के दौरान वार्षिक रखरखाव का समय निर्धारण करना,
- लंबे शटडाउन (बंद) से बचने के लिए समय पर मरम्मत एवं रखरखाव के लिए उचित अनुबंध प्रबंधन सुनिश्चित करना,
- परियोजनाओं में तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त कर्मियों की तैनाती करना, तथा
- जीर्ण उपकरण समय पर बदलने के घटक निकालना तथा उत्पादन हानि से बचने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करना।

4.27 विद्युत का अनधिकृत उपयोग

विद्युत के अनधिकृत उपयोग हेतु उपभोक्ताओं से ₹ 3.80 करोड़ के शुल्क का अनुदग्धण।

(अ) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126(1), जिसे कि समय-समय पर संशोधित किया गया, के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए अभिलेखों के निरीक्षण के बाद, आंकलन अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह व्यक्ति विद्युत के अनधिकृत उपयोग में लिप्त है तो वह अपने सर्वोत्तम निर्णयानुसार अस्थाई रूप से ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति से जो उसका लाभ ले रहा हो भुगतान योग्य विद्युत शुल्क का आंकलन कर सकता है। इसके अलावा, उपरोक्त अधिनियम की धारा-126 की उप-धारा (6) में यह प्रावधान है कि इस धारा के तहत संबंधित श्रेणी हेतु प्रयोग टैरिफ दरों के दोगुनी दर पर आंकलन किया जाएगा।

विद्युत उप-मंडल, परवाणू के तहत एक बड़ी आपूर्ति⁵⁰ औद्योगिक उपभोक्ता⁵¹ को विनिर्माण गतिविधियों हेतु 1,248.3 किलोवाट के लोड (जून 1993) की मंजूरी दी गई थी हालांकि, वर्ष 2004 में, प्लाट नंबर-1 सैक्टर-3 परवाणू पर स्थापित अपनी गतिविधियों को संचालित करने और प्रबंधित करने के लिए उपभोक्ता ने मैमर्स रेकिट बैंकिंग (इंडिया) लिमिटेड के साथ जो मूल उपभोक्ता से सम्बन्धित नहीं थी, अपने उत्पादों के विनिर्माण के लिए एक समझौता करके भुखण्ड के कुछ हिस्सों को किराए पर दिया। यह मामला कंपनी को ज्ञात था जो 2011 और अगस्त 2016 के दौरान कंपनी द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के तहत उपभोक्ता का जारी अन्तरिम नोटिस से स्पष्ट है, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

⁵⁰ वे औद्योगिक उपभोक्ता जिनका संस्थाकृत लोड 100 किलोवाट से अधिक है।

⁵¹ मैमर्स शिवालिक एंग्री पॉली प्रोडक्ट लिमिटेड

लेखापरीक्षा में पाया गया (मार्च 2016) कि बिजली कनेक्शन (LS-81) अभी भी मूल उपभोक्ता के नाम पर था और स्वीकृत लोड का एक हिस्सा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किरायेदार द्वारा विनिर्माण गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जोकि अनधिकृत था। भारतीय विद्युत प्राधिकरण⁵² के अनुसार, विद्युत के वितरण/ बिक्री का अधिकार केवल अधिकृत लाइसेंसधारी के पास होता है तथा किसी अन्य व्यक्ति/ निकाय को विद्युत के पुनर्विक्रय की अनुमति नहीं है इस प्रकार, मेमर्स रेकिट बैंकिंग द्वारा एक अलग मीटर/कनेक्शन लेना अपेक्षित था।

मेमर्स रेकिट बैंकिंग की वेबसाइट से पुष्टि की गई कि उसने परवाणू में अपनी इकाई को पंजीकृत किया है, जो कि प्लाट नंबर 1(ए) सैक्टर-3 परवाणू में स्थित है, जिसे उपभोक्ता मेसर्स शिवालिक एंग्रो पॉली प्रोडक्ट्स लिमिटेड, द्वारा 1 अक्टूबर 2004 से किराए पर दिया गया है। उपर्युक्त परिसर में वाणिज्यिक परिचालन मेसर्स रेकिट बैंकिंग द्वारा 7 दिसम्बर 2004 से बिना अलग बिजली कनेक्शन के शुरू किया गया था।

उपभोक्ता का यह कृत्य विद्युत के पुनर्विक्रय के रूप में है, जिसके लिए उपभोक्ता भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत बढ़े हुए विद्युतशुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था जो अप्रैल 2008 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान ₹ 3.13 करोड़ था। 1,031.299 किलोवाट के कुल स्वीकृत और कनेक्टेड लोड के प्रति, मेसर्स रेकिट बैंकिंग द्वारा 448.499 किलोवाट का लोड इस्तेमाल किया जा रहा है।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2020) कि रिकार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उपभोक्ता ने स्वीकृत लोड का अतिक्रमण किया हो तथा कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ था। यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह किसी अन्य उपभोक्ता को बिजली के पुनर्विक्रय के मुद्देके बारे में नहीं है, जो भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के प्रावधानों का उल्लंघन था, जिसके तहत उपभोक्ता से ₹ 3.13 करोड़ का अतिरिक्त उद्ग्रहण करना था, जो नहीं किया गया था। अगर यह नुकसान नहीं हुआ होता, तो कम्पनी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद अगस्त 2016 में उपभोक्ता को दूसरा अनंतिम आंकलन नोटिस जारी नहीं करती।

(ब) विद्युत उप-मण्डल, बददी के तहत एक उपभोक्ता तथा ऑपरेशन सर्किल शिमला के तहत दो उपभोक्ताओं ने अगस्त 2012 से मार्च 2016 के दौरान स्वीकृत कनेक्टेड लोड से अधिक आहरित किया। सभी तीन उपभोक्ता विस्तारित लोड के माध्यम से बिजली के अनधिकृत उपयोग में लिप्त थे, जैसा कि उनके द्वारा अधिलिखित मासिक विद्युत खपत से स्पष्ट था, लेकिन भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के तहत उपभोक्ताओं पर प्रभारित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ देते हुए ₹ 0.67 करोड़ का जुर्माना नहीं लगाया गया जैसा कि परिशिष्ट 4.5 में वर्णित है।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2020) कि शिमला सर्किल से संबंधित दो उपभोक्ताओं से वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है और राशि की वसूली नहीं की गई है। विद्युत उप मण्डल बद्दी के संदर्भ में यह बताया गया कि यद्यपि केवल 56.648 किलोवाट लोड ही जारी किया गया, परन्तु उपभोक्ता को 399.250 किलोवाट लोड स्वीकृत था, अतः धारा 126 लागू नहीं की जा सकती। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उपभोक्ता ने अधिकृत (जारी) लोड से अधिक लोड आहरित किया था जिसके लिए धारा 126 लागू की जानी थी।

ऑपरेशन सर्किल, शिमला के दो उपभोक्ताओं के खिलाफ अवसूली को स्वीकार किया गया है। विद्युत उप-मण्डल, बद्दी के उपभोक्ता के बारे में उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि केवल लोड की मंजूरी उपभोक्ता को लोड को आहरित करने को स्वीकृत नहीं करती है जब तक कि उसे उपभोक्ता से परीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति व सत्यापन के बाद औपचारिक रूप से जारी नहीं किया जाता है, जैसे कि, उपभोक्ता को केवल 56.648 किलोवाट के जारी लोड का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा अतिरिक्त लोड का आहरण अनधिकृत था, जिसके लिए धारा 126 के तहत जुर्माना लगाया जाना अपेक्षित था।

कम्पनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा हेतु अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा उसकी क्षेत्रीय इकाईयों को ऐसे समान मामलों की समीक्षा करने के निर्देश जारी करें।

4.28 निर्धारित मांग प्रभारों की अवसूली

आपूर्ति कोड के प्रावधानों का पालन न करने से, कम्पनी ने निर्धारित शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने का अधिकार खो दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.76 करोड़ का राजस्व घटा हुआ।

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड, 2009⁵³ यह निर्धारित करता है कि एचटी⁵⁴/ईएचटी⁵⁵ आपूर्ति के मामले में जहां लाइसेंसधारी ने एक आवेदक को विद्युत की आपूर्ति के लिए अपेक्षित कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक तैयार नहीं है या देरी करता है या पूर्ण स्वीकृत अनुबंध की मांग का लाभ नहीं उठाता है, लाइसेंसधारी साठ दिनों की नोटिस के बाद सम-अनुपात के आधार पर, संबंधित टैरिफ आर्डर के अनुसार स्वीकृत अनुबंध की मांग पर निर्धारित शुल्क प्रभारित करेगा। इसके अलावा, व्यय विनियमन, 2012 के हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के विनियमन 17 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यदि आवेदक स्वयं के संसाधनों के माध्यम से कार्यों का निष्पादन चुनता है तो आवेदनकर्ता द्वारा विभिन्न कानूनों के तहत सभी अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

अगस्त 2010 के दौरान, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत लिमिटेड (कम्पनी) ने एक औद्योगिक उपभोक्ता⁵⁶ के पक्ष में 66 किलोवोल्ट पर 2,500 किलोवोल्ट एम्पीयरके अनुबंध मांग सहित 6,000 किलोवाट लोड स्वीकृत किया जिसकी आपूर्ति 220/66 किलोवोल्ट उप-केन्द्र नालागढ़ से की जानी थी। उपभोक्ता ने 66 किलोवोल्ट समर्पित लोड को स्वयं द्वारा निष्पादन हेतु (अप्रैल 2011) चुना तथा जनवरी 2016 तक इसे पूरा नहीं कर सका। मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) ने 1 फरवरी 2016 के उसके पत्र के माध्यम से अंतरिम व्यवस्था के रूप में 11 किलोवोल्ट पर 600 किलोवोल्ट एम्पीयर की अनुबंध मांग सहित 600 किलोवाट जारी करने की मंजूरी देते हुए क्षेत्रीय इकाईयों को अंतरिम लोड जारी करने के पूर्व मामले के निपटान हेतु आपूर्ति कोड के खण्ड 3.9 के तहत निर्धारित मांग प्रभारों की प्रयोज्यता स्पष्ट करने के निर्देश दिये। क्षेत्रीय इकाई ने अपने उत्तर में (अप्रैल 2017) खण्ड 3.9 की प्रयोज्यता पर इस दलील से इन्कार किया कि 66 किलोवोल्ट लाइन के काम पूरा होने तक तैयारी का पता नहीं लगाया जा सकता। उपभोक्ता को 02 जून 2017 को किसी निर्धारित मांग प्रभार के बिना लोड जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (दिसम्बर 2017) कि उपभोक्ता ने संस्वीकृत प्राक्कलन में गणना किए गए अनिवार्य प्रभार (₹ 1.07 करोड़) को जमा करके स्वयं द्वारा निष्पादन को चुना था (अगस्त 2011) तथा कार्य निष्पादन हेतु पूर्णता अवधि दो माह थी। तदनुसार, यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी थी कि वह सभी मंजूरी प्राप्त करें तथा 65 महीने (नवम्बर 2011 से मार्च 2017) का विलम्ब उपभोक्ता के कारण हुआ। यद्यपि, इस अवधि के दौरान, आपूर्ति कोड के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया।

उपर्युक्त से यह सिद्ध होता है कि आपूर्ति कोड के प्रावधानों की अनुपालना न करने के कारण क्षेत्रीय इकाई ने निर्धारित प्रभारों के उद्ग्रहण हेतु 60 दिनों का नोटिस जारी न करके कार्रवाई करने का उसका अधिकार खो दिया था, जो कम्पनी को हुई ₹ 3.76 करोड़ की राजस्व हानि में परिणत हुआ जैसा तालिका 4.28 में वर्णित है:

तालिका 4.28: आपूर्ति कोड के अनुसार निर्धारित मांग प्रभारों के अनुद्ग्रहण के कारण हुई राजस्व हानि

क्रम संख्या	अवधि	प्रतिमाह प्रभार योग्य अनुबंध मांग (किलो वोल्ट एम्प्यूल)	किलो वोल्ट प्रतिमाह की दर (₹)	राशि (₹)
1.	1/12 से 3/12	2,250	240	16,20,000
2.	4/12 से 3/13	2,250	300	81,00,000
3.	4/13 से 7/14	2,250	350	1,26,00,000
4.	8/14 से 5/17	1,125	400	1,53,00,000
योग				3,76,20,000

⁵³ अध्याय 3 का खण्ड 3.9

⁵⁴ हाई टेंशन (66 किलोवोल्ट से ऊपर)

⁵⁵ अतिरिक्त हाई टेंशन (132 किलोवोल्ट से ऊपर)

⁵⁶ मेसर्स सनॉक्स इन्टरनेशनल

इस प्रकार, कम्पनी ने ₹ 3.76 करोड़ का निर्धारित मांग प्रभार नहीं लगाकर आपूर्ति कोड 2009 के सीधा उल्लंघन करते हुए उपभोक्ता को अनुचित लाभ दिया।

सरकार ने अपने उत्तर में बताया कि (अगस्त 2020) जुलाई 2018 के दौरान कनेक्शन लेने में उपभोक्ताओं को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए समय अवधि के विस्तार के लिए आपूर्ति कोड के परिच्छेद 3.9 में संशोधन किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि संशोधन, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू था तथा यह मामला जुलाई 2018 से पहले की अवधि का है अतः इस मामले में लागू नहीं था।

मामला नमूना जांच पर आधारित है, कम्पनी को अपनी सभी क्षेत्र इकाईयों में ऐसे अन्य मामलों की जांच करनी चाहिए।

सिफारिश: कंपनी को अपनी क्षेत्रीय इकाईयों के परिचालन की समीक्षा करने तथा अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

4.29 उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा टैरिफ आदेशों को लागू करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप अप्रैल 2013 से अगस्त 2016 की अवधि के दौरान ₹ 1.78 करोड़ की अल्प वसूली हुई।

हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी (अप्रैल 2013) किया गया टैरिफ आदेश निर्दिष्ट करता है कि जिन उपभोक्ताओं के लिए दो पार्ट टैरिफ⁵⁷ लागू हैं, वे एक वित्तीय वर्ष में उनकी कुल स्वीकृत अनुबंध मांग अध्यर्पित किए बिना दो बार अनुबंध डिमांड (अनुबंध मांग) को संशोधित करने के हकदार होंगे(क) इस शर्त पर कि (क) अनुबंध मांग कुल स्वीकृत अनुबंध मांग से 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। (ख) विद्यमान तंत्र के अंतर्गत जहां उपभोक्ता की अनुबंध मांग अस्थाई तौर पर घट कर 50 प्रतिशत से कम होगी वहां 1 जुलाई 2015 में (क) के तहत प्रावधान लागू होगा। इस प्रकार के मामले में वित्तीय वर्ष में पुनः संशोधनों की संख्या के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष को 1 जुलाई 2013 से माना जाएगा। मध्यावधि (अप्रैल से जुलाई 2013) में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी) एवं उपभोक्ता से अनुबन्ध मांग को कुल संस्वीकृत अनुबन्ध मांग से न्यूनतम 50 प्रतिशत तक लाना अथवा आवश्यक संहितागत औपचारिकताओं को देखते हुए अनुबन्ध मांग को स्थाई रूप से घटाना अपेक्षित था।

इसके अतिरिक्त उपभोक्ता की अनुबंध मांग के स्थाई रूप से घटने के मामले में घटी हुई अनुबंध मांग हेतु खण्ड (क) व (ख) के अंतर्गत दी गई सीमा को लिया जाएगा। आगे, बड़ी औद्योगिक आपूर्ति श्रेणी के एकउपभोक्ता⁵⁸ के अभिलेखों की जांच (मार्च 2018) में पाया गया कि उपभोक्ता ने उपरोक्त हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों के लागू होने से पूर्व कम्पनी के पूर्व अनुमोदन के साथ अपनी मूल स्वीकृत अनुबंध मांग (1,050 किलो वोल्ट) को 50 प्रतिशत की सीमा से काफी कम (400 किलो वोल्ट एम्पीयर) घटा दिया था। यद्यपि न तो कंपनी ने जोर दिया, न ही उपभोक्ता ने अनुबंध मांग में वृद्धि के लिए संशोधित टैरिफ आदेशों (अप्रैल 2013) के तहत आवेदन किया, ताकि इसे स्वीकृत अनुबंध मांग की न्यूनतम 50 प्रतिशत तक निर्धारित सीमा पर लाया जा सके। कंपनी ने हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कम अनुबंध मांग (टैरिफ आदेश के प्रावधान के अनुसार मांग प्रभार यानी 90 प्रतिशत अनुबंध मांग या रिकार्ड की गई मांग जो भी अधिक हो) के आधार पर मांग शुल्क लेना जारी रखा। इस प्रकार, जुलाई 2013 से मूल स्वीकृत अनुबंध मांग के 50 प्रतिशत पर तथा अगस्त 2014 से 1,001 किलोवोल्ट एम्पीयर न्यूनतम सीमा पर मांग प्रभार वसूलने में विफलता से कंपनी को अप्रैल 2013 से फरवरी 2018 के दौरान ₹ 1.03 करोड़ (परिशिष्ट 4.6 में वर्णित) के राजस्व की हानि हुई। मांग प्रभारों का अनुदग्रहण/अवसूली अप्रैल 2013 व अगस्त 2014 के हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के आदेशानुसार उपभोक्ता के मामलों की समीक्षा न करने के कारण हुई। इसके अतिरिक्त कोई सुधारात्मक कार्रवाई न होने से कम्पनी को अब तक घाटा हो रहा है (अप्रैल 2020)।

57

दो भाग टैरिफ, अनुबंध मांग के आधार पर निर्धारित प्रभार एवं विद्युत की खपत के आधार पर परिवर्तनीय प्रभार से युक्त होता है।

58

मेसर्स के.के. नॉन वोवन, काला अम्ब

इसी प्रकार, मूल स्वीकृत अनुबंध मांग के आधार पर एचटी-2 के बजाय घटी हुई अनुबंध मांगों के आधार पर एक अन्य उपभोक्ता⁵⁹ को एचटी-1 के तहत वर्गीकृत किया गया था। प्रयोज्य श्रेणी पर मांग प्रभार के उदग्रहण व वसूली करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 74.70 लाख का राजस्व घाटा हुआ। इस प्रकार, टैरिफ आदेशों को लागू करने में उप-मंडल की विफलता के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ हुआ तथा ₹ 1.78 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2020) कि कहे गए टैरिफ आदेश लागू होने से पहले उपभोक्ताओं द्वारा अनुबंध मांग में कटौती की गई थी। अतः इसे स्थाई कटौती माना गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपभोक्ताओं ने अपने पुनर्ग्रहणाधिकार का अभ्यर्पण किए बिना अप्रैल 2013 से पहले अस्थायी रूप से अनुबंध मांग को कम कर दिया था। कम्पनी तथा उपभोक्ताओं को उपयुक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता थी क्योंकि अनुबंध मांग अंतरिम अवधि (अप्रैल 2013 से जून 2013) के दौरान स्वीकृत अनुबंध मांग के 50 प्रतिशत की तुलना में कम थी। इसके अलावा, मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) ने यह भी स्पष्ट किया है (अगस्त 2015) की अनुबंध मांग की स्थायी कमी के लिए, उपभोक्ता को उस आशय का एक अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करना होता है, जो उपयुक्त मामलों में उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

टिप्पणी नमूना जांच पर आधारित है तथा कंपनी ऐसे अन्य सभी समान मामलों की जांच करें।

सिफारिश: बिल को प्रभावित करने वाले टैरिफ आदेश में किसी परिवर्तन के पश्चात् प्रबंधक को सभी उपभोक्ताओं के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि राजस्व हानि से बचा जा सके।

अध्याय-5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
(विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)

की कार्यपद्धति

अध्याय-5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की कार्यपद्धति

परिचय

5.1 31 मार्च 2019 तक 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे जोकि विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से सम्बंधित थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम 1967-68 तथा 2018-19 की अवधि के दौरान गठित किए गए थे तथा इनमें 21 सरकारी कम्पनियों तथा दो सांविधिक निगमों, अर्थात् हिमाचल प्रदेश वित्त निगम एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम को सम्मिलित किया गया था। 21 सरकारी कम्पनियों में तीन⁶⁰ कम्पनियां अकार्यशील हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों⁶¹ को गठित किया गया था।

राज्य सरकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को समय-समय पर इकिवटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से राज्य सरकार ने केवल 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों⁶² में निधियों का निवेश किया।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

5.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर तथा मार्च 2019 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि हेतु वर्तमान मूल्यों पर हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का व्यौरा दर्शाती है:

तालिका 5.1: हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर	2,305.90	2,471.95	2,743.10	2,821.02	3,400.40
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (वास्तविक वर्तमान मूल्यों पर)	1,03,772	1,14,239	1,25,634	1,38,351	1,53,845
हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति टर्नओवर का प्रतिशत	2.22	2.16	2.18	2.04	2.21

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार के 2018-19 के बजट विश्लेषण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों तथा कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर आंकड़ों के आधार पर संकलित।

विगत वर्ष की तुलना में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। 2014-19 की अवधि के दौरान टर्नओवर की वृद्धि 2.84 प्रतिशत तथा 20.54 प्रतिशत के मध्य रही जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि 9.97 प्रतिशत व 11.20 प्रतिशत के मध्य रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का चक्रवृद्धि वार्षिक विकास 10.34 प्रतिशत था। चक्रवृद्धि वार्षिक विकास विभिन्न समयावधियों पर विकास दर मापने के लिए उपयोगी पद्धति है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 10.34 प्रतिशत के चक्रवृद्धि वार्षिक विकास के प्रति विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों के टर्नओवर में विगत पांच वर्षों के दौरान कम 10.20 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर्ज किया गया। इसके फलस्वरूप सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में 2014-15 में 2.22 प्रतिशत से 2018-19 में 2.21 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई।

60 एथो ईडस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया सीमित, हिमाचल वर्सटेट मिल्स सीमित व हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज सीमितजिन्होंने अपने प्रचालन बंद कर दिए।

61 शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित एंड शिमला स्मार्ट सिटी सीमित

62 धर्मशाला स्पॉट सिटी सीमित, शिमला स्मार्ट सिटी सीमित, हिमाचल परामर्श संगठन सीमित, शिमला जल-प्रबंधन सीमित और हिमाचल वर्सटेट मिल्स लिमिटेड में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

5.3 कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऐसी निश्चित सेवाएँ प्रदान करने के लिए, जिन्हें निजी क्षेत्र विभिन्न कारणों से देने के लिए तैयार नहीं होते, राज्य सरकार के साधन के रूप में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में भी निवेश किया है जो निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में काम करते हैं। राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति का विश्लेषण पांच प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र में है; के अन्तर्गत किया गया है। 31 मार्च 2019 तक राज्य के इन 23 सार्वजनिक उपक्रमों में इक्विटी और दीर्घावधि ऋण के रूप में किए गए निवेश का विवरण **परिशिष्ट 5.1** में दर्शाया गया है:

5.4 31 मार्च 2019 तक राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 5.2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)							
		इक्विटी		दीर्घावधि ऋण		हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान/सब्सिडी	कुल		
		हिमाचल प्रदेश सरकार	अन्य	हिमाचल प्रदेश सरकार	अन्य		हिमाचल प्रदेश सरकार	अन्य	
कृषि एवं संबद्ध	4	76.55	10.50	127.82	1.49	69.17	273.54	11.99	
वित्तीय	4	131.41	6.69	77.88	34.08	5.31	214.60	40.77	
अवसंरचना	4	55.82	-	-	-	1,914.00	1,969.82	-	
विनिर्माण	2	7.04	1.04	2.97	-	-	10.01	1.04	
सेवा	9	793.82	15.65	0.55	132.87	3,203.10	3,997.47	148.52	
योग	23	1,064.64	33.88	209.22	168.44	5,191.58	6,465.44	202.32	

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों को ही लिया गया है।

31 मार्च 2019 तक इन 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 6,667.76 करोड़ का कुल निवेश (इक्विटी, दीर्घावधि ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी) था। इक्विटी में 16.48 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण में 5.66 प्रतिशत तथा अनुदान/सब्सिडी में 77.86 प्रतिशत निवेश हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अग्रिम रूप से प्रदान किए गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 55.40 प्रतिशत (₹ 209.22 करोड़) थे, जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 44.60 प्रतिशत (₹ 168.44 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया गया।

निवेश 2014-15 में ₹ 3,626.53 करोड़ से 83.86 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹ 6,667.76 करोड़ हो गया। 2014-15 से 2018-19 के दौरान निवेश में वृद्धि इक्विटी, दीर्घावधि ऋणों तथा अनुदान/सब्सिडी में क्रमशः ₹ 204.79 करोड़ ₹ 71.50 करोड़ एवं ₹ 2,764.94 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्संरचना तथा निजीकरण

5.5 वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, पुनर्संरचना तथा निजीकरण नहीं किया गया।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

5.6 हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 को समाप्त विगत तीन वर्षों के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/सब्सिडियों, ऋणों को बट्टे खाते में डालना तथा वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ऋणों पर बजटीय बहिर्गमन का

सारांशित विवरण तालिका 5.3 में दिया गया है।

तालिका 5.3: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्राप्त बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)


विवरण ⁶³	2016-17		2017-18		2018-19	
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
इकिवटी पूँजी बहिर्गमन (i)	3	46.50	2	50.80	3	62.85
प्रदत्त ऋण (ii)	1	13.06	1	5.44	1	4.10
उपलब्ध करवाए गए अनुदान/सब्सिडी ⁶⁴ (iii)	5	506.53	6	423.63	9	416.36
कुल बहिर्गमन (i+ii+iii)	566.09		479.87		483.31	
बट्टे खाते में डाला गया ऋण का पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
इकिवटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
जारी की गई गारंटीयां	5	284.35	5	192.65	5	115.60
गारंटी प्रतिबद्धता	4	230.92	5	277.98	1	0.60

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

मार्च 2019 को समाप्त विगत तीन वर्षों के लिए इकिवटी, ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडियों पर बजटीय बहिर्गमन सम्बन्धित विवरण नीचे

ग्राफ 5.1 में दर्शाया गया है:

ग्राफ 5.1: इकिवटी, ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडियों के प्रति बजटीय बहिर्गमन



इकिवटी, ऋणों एवं अनुदानों/सब्सिडियों के रूप में ₹ 483.31 करोड़ की बजटीय सहायता मुख्य रूप से जनता के लिए मुफ्त/रियायती यात्रा, कौशल विकास और इकिवटी के लिए थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से आर्थिक सहायता की प्राप्ति करने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु राज्य सरकार गारंटी प्रदान करती है तथा इन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋणों पर एक प्रतिशत तक गारंटी शुल्क प्रभारित करती है। एक⁶⁵ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने 2018-19 के दौरान ₹ 0.01 करोड़ के गारंटी शुल्क का भुगतान किया।

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

5.7 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों में बकाया इकिवटी, ऋणों तथा गारंटीयों के आंकड़े हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में प्रस्तुत आंकड़ों से मिलने चाहिए। आंकड़ों के न मिलने की स्थिति में सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। इस संदर्भ में 31 मार्च 2019 तक की प्रास्थिति तालिका 5.4 में बताई गई है:

तालिका 5.4: हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार बकाया इकिवटी, ऋण, गारंटीयां

(₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
इकिवटी	103.18	174.75	71.57
ऋण	34.10	184.64	150.54
गारंटीयां	226.08	216.84	9.24

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित (विवरणी संख्या 18, 19 एवं 20)।

⁶³ राशि केवल राज्य बजट से बहिर्गमन को प्रस्तुत करती है।

⁶⁴ राज्य सरकार द्वारा मुफ्त/रियायती यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए हिमाचल सड़क परिवहन निगम को अनुदान।

⁶⁵ हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसे अंतर हुए जिन्हें परिशिष्ट 5.2 में दर्शाया गया है। विगत कई वर्षों से आंकड़ों के बीच अंतर बना हुआ है। आंकड़ों के अंतर के मिलान का मुद्दा समय-समय पर प्रधान महा-लेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा विभागों के साथ भी उठाया गया है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के शेषों में महत्वपूर्ण अंतर पाया गया।

अतः अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार तथा सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अंतर का समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिए।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों की प्रस्तुति

5.8 कुल 23 राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में से 20 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् 18 सरकारी कंपनियां, दो सांविधिक निगम तथा तीन अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समय बद्धता के अनुसरण की स्थिति नीचे दी गई है:

राज्य के क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

5.8.1 सभी क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए लेखाओं को 30 सितम्बर 2019 तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। हालांकि केवल एक⁶⁶ सरकारी कम्पनी ने 30 सितम्बर 2019 या उसके पहले भारत के नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2018-19 तक के लेखाओं को प्रस्तुत किया।

भारत के नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक एक सांविधिक निगम (हिमाचल पथ परिवहन निगम) के एकमेव लेखापरीक्षक है और दूसरे सांविधिक निगम (हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम) के पूरक लेखापरीक्षक है। वर्ष 2018-19 के लिए सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितंबर 2019 तक प्रतीक्षित थे।

30 सितम्बर 2019 तक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बकाया लेखों की प्रस्तुति का विवरण तालिका 5.5 में दिया गया है:

तालिका 5.5: राज्य के कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति से सम्बन्धित प्रारिथ्मिति

क्रम संख्या	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	15	16	17	19	20
2.	वर्तमान वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	13	15	17	11	14
3.	क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिन्होंने वर्तमान वर्ष के लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया	1	2	3	1	1
4.	वर्तमान वर्ष के दौरान विगत वर्ष के अंतिम रूप दिए गए लेखाओं की संख्या	12	13	14	10	13
5.	बकाया लेखाओं सहित क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	14	14	13	18	19
6.	बकाया लेखाओं की संख्या	21	22	22	30	36
7.	बकाया की सीमा	एक से तीन वर्ष	एक से तीन वर्ष	एक से तीन वर्ष	एक से चार वर्ष	एक से पांच वर्ष

स्रोत: अक्टूबर 2018 से सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के आधार पर संकलित।

राज्य के इन 20 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 01 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान 14 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया, जिनमें वर्ष 2018-19 हेतु एक वार्षिक लेखा तथा विगत वर्षों हेतु 13 वार्षिक लेखे शामिल थे। इसके अतिरिक्त 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित 36 वार्षिक लेखे बकाया थे जिनका विवरण परिशिष्ट 5.3 में दिया गया है। इन संस्थाओं की गतिविधियों की निगरानी करना तथा इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अन्तिम रूप देने तथा अपनाने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभाग का है।

प्रधान महा-लेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सम्बन्धित विभागों को बकाया लेखों को अंतिम रूप देने के सम्बन्ध में तिमाहीवार सूचना दी गई।

⁶⁶ हिमाचल प्रदेश रोड और अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 7 को, जिनके लेखाओं को निर्धारित कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 30 सितम्बर 2019 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था, ₹ 413.17 करोड़ (ऋण: ₹ 8.99 करोड़, सब्सिडी: ₹ 404.18 करोड़) प्रदान किए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार विवरण, जिनके लिए लेखे बकाया है, **परिशिष्ट 5.3** में दर्शाया गया है:

राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं के निर्माण में समयबद्धता

5.8.2 इन तीन अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से हिमाचल वर्सेटेड मिल्स लिमिटेड वर्ष 2000-01 से परिसमाप्त की प्रक्रिया में थी तथा इसके लेखाओं को उस अवधि तक अंतिम रूप दिया जा चुका था। तीन अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप देने में बकाया था, जिनका विवरण तालिका 5.6 के अनुसार है:

तालिका 5.6: अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में बकाया लेखाओं से सम्बंधित प्राप्तिः

क्रमांक	अकार्यशील कम्पनियों के नाम	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया थे
1.	हिमाचल वर्सेटेड मिल्स लिमिटेड	2001-02 से 2018-19
2.	एपो इंडस्ट्रियल ऐवरेजिंग इंडिया लिमिटेड	2014-15 से 2018-19
3	हिमाचल प्रदेश बैरेजिज लिमिटेड	2017-18 से 2018-19

स्रोत: अक्टूबर 2018 से सितम्बर 2019 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के आधार पर संकलित।

सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

5.9 किसी भी निगम ने 2018-19 के अपने लेखों को 30 सितंबर 2019 तक प्रेषित नहीं किया था।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सांविधिक निगमों के लेखाओं पर नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन होते हैं। सम्बंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार ये प्रतिवेदन विधायिका के समक्ष रखे जाते हैं। सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं की स्थिति तथा विधायिका के समक्ष इन पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण का विवरण तालिका 5.7 में दिया गया है:

तालिका 5.7: सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

निगमों के नाम	लेखाओं के वर्ष	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण का माह
हिमाचल पथ परिवहन निगम	2017-18	27 अगस्त 2019
हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2017-18	11 दिसंबर 2018

स्रोत: हिमाचल प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर संकलित।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप न देने का प्रभाव

5.10 जैसा कि पैरा 5.8 में कहा गया है, लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन है और इसके कई परिणाम हैं जैसे कि (i) वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के सकल घेरलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी और राज्य के खजाने में उनकी भागीदारी को भी राज्य विधानमंडल को सूचित नहीं किया जा सका, (ii) इसके परिणामस्वरूप सुसंगत नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त लोकधन का रिसाव तथा धोखाधड़ी हो सकती है, (iii) लेखों को अंतिम रूप देने एवं तत्पश्चात् लेखों की लेखापरीक्षा के अभाव में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा निगरानी तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी, (iv) यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या निवेश और व्यय को उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया था और जिस उद्देश्य के लिए राशि का निवेश किया गया उसे प्राप्त किया गया था इसके अतिरिक्त सुसंगत नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन न होने को भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

अतः प्रशासनिक विभाग द्वारा सख्ती से निगरानी करने तथा बकाया लेखाओं के परिसमाप्त हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की अनुशंसा की जाती है। सरकार को भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के निर्माण में बाधाओं पर ध्यान देना चाहिए तथा बकाया लेखाओं के परिसमाप्त हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन


5.11 30 सितम्बर 2019 तक राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार वित्तीय स्थिति तथा कार्य परिणाम **परिशिष्ट 5.4** में विवेचित किए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किए गए निवेश पर उचित प्रतिफल की प्राप्ति अपेक्षित है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का कुल निवेश ₹ 6,667.76 करोड़ था जिसमें ₹ 1,098.52 करोड़ की इक्विटी,

₹ 377.66 करोड़ के दीर्घावधि ऋण एवं ₹ 5,191.58 करोड़ के अनुदान/सब्सिडी थे। इसमें से ₹ 1,273.86 करोड़ का निवेश हिमाचल प्रदेश सरकार ने 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किया जिसमें ₹ 1,064.64 करोड़ की इक्विटी और ₹ 209.22 करोड़ के दीर्घावधि ऋण के अतिरिक्त ₹ 5191.58 करोड़ के अनुदान/सब्सिडी शामिल हैं।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल प्रदेश सरकार के निवेश का वर्ष वार विवरण चार्ट 5.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट 5.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल प्रदेश सरकार का कुल निवेश




सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल प्रदेश सरकार का कुल निवेश 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 1.56 गुना बढ़ा, जैसा कि चार्ट 5.2 में दिखाया गया है।

5.12 एक कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और लाभप्रदता का पारंपरिक रूप से मूल्यांकन निवेश पर प्रतिफल, इक्विटी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है, जैसा कि निम्नलिखित परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

निवेश पर प्रतिफल

5.13 (क) निवेश पर प्रतिफल सकल निवेश पर लाभ अथवा हानि का प्रतिशत होता है। राज्य के 16 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 2014-15 से 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश पर अर्जित लाभ/उठाई गई हानियां⁶⁷ की समग्र स्थिति निम्न चार्टमें दर्शाई गई है:

चार्ट 5.3: वर्ष के दौरान 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानियां



⁶⁷ आकड़े प्रासंगिक वर्ष के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार हैं।

विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों कानूनीतम वर्ष का वित्तीय परिणाम जिनके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, परिशिष्ट 5.4 में सारांशित किया गया है।

31 मार्च 2019 तक 20 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 2014-15 से 2018-19 के दौरान अर्जित लाभ/उठाई गई हानियां उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 5.8: कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण जिहोने 2014-15 से 2018-19 के दौरान उनके नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित किया/हानि उठाई

वित्तीय वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या	लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिहोने उनका प्रथम लेखा नहीं बनाया अथवा जो न लाभ न हानि पर चल रहे हैं
2014-15	15	6	8	1
2015-16	16	9	5	2
2016-17	17	12	3	2
2017-18	19	11	5	3
2018-19	20	11	5	4 ⁶⁸

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त अन्तम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार जानकारी।

(ख) सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों से संबंधित निवेश पर प्रतिफल

दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी⁶⁹ सूचीबद्ध थी, हालांकि कंपनी के अनुरोध पर (1994) और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की सिफारिश पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कंपनी को सूची से हटाने की सहमति दी (सितंबर 2002)। अतएव, कंपनी के प्रदर्शन का अलग से मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

निवेश पर प्रतिफल एक प्रदर्शन सूचकांक है जिसे वैकल्पिक निवेश अवसरों या बेंचमार्क निवेश अवसर की तुलना में समय के साथ निवेश की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है।

निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश का प्रतिफल

5.14 राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से में राज्य सरकार ने मात्र 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी, दीर्घावधि ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडी के रूप में निधियां निवेशित की। सरकार ने ₹ 1,064.64 करोड़ की इक्विटी तथा ₹ 209.22 करोड़ के दीर्घावधि ऋणों सहित इन 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 1,273.86 करोड़ निवेशित किए।

निवेश पर प्रतिफल की गणना राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में किए गए निवेश पर की गई है। ऋणों के मामले में केवल ब्याज मुक्त ऋणों को ही निवेश माना जाता है, क्योंकि सरकार को ऐसे ऋणों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है और पुनर्भुगतान के नियम व शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान किए जाने हेतु देय ऐसे ऋणों को छोड़कर सरकार द्वारा किए गए इक्विटी निवेश के रूप में होते हैं। ₹ 209.22 करोड़ के दीर्घावधि ऋणों में से ₹ 63.45 करोड़ के ब्याज रहित ऋण थे इस प्रकार, इन 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐतिहासिक लागत पर आधारित राज्य सरकार का कुल निवेश ₹ 1,128.59 करोड़ (इक्विटी ₹ 1,064.64 करोड़ और ब्याज मुक्त ऋण 63.95 करोड़) था जैसा कि तालिका 5.9 में वर्णित है।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत पर आधारित निवेश का प्रतिफल तालिका 5.9 में दर्शाया गया है:

⁶⁸ धर्मशाला स्मार्टसिटी सीमित, शिमला स्मार्टसिटी सीमित तथा शिमला जल प्रबन्धन निगम सीमित ने अपने पहले अन्तिम लेखे तैयार नहीं किए थे तथा हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित ने अपने लेखाओं को न लाभ न हानि के आधार पर अन्तिम रूप दिया था।

⁶⁹ हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित।

तालिका 5.9: निवेश की ऐतिहासिक लागत पर आधारित राज्य सरकार की निधियों पर प्रतिफल

वर्ष	कुल अर्जन (₹ करोड़ में)	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऐतिहासिक लागत पर आधारित इक्विटी एवं ब्याज रहित ऋणों के रूप में निवेश (₹ करोड़ में)	ऐतिहासिक लागत पर आधारित राज्य सरकार का प्रतिफल (प्रतिशत)
2014-15	-98.93	881.38	-11.22
2015-16	-175.79	939.19	-18.72
2016-17	23.87	996.32	2.39
2017-18	-84.08	1,055.15	-7.97
2018-19	- 100.71	1,128.59	- 8.92

स्रोत: सूचना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार।

राज्य सरकार के निवेश का प्रतिफल राज्य सरकार के निवेशों की लागत से इन सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अर्जन⁷⁰ को विभाजित करके निकाला जाता है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर अर्जित प्रतिफल -18.72 प्रतिशत से 2.39 प्रतिशत के मध्य रहा। मुख्य रूप से हिमाचल पथ परिवहन निगम के घाटों में वृद्धि के कारण राज्य सरकार के निवेश का प्रतिफल का 2016-17 की अवधि के प्रतिफल की तुलना में 2018-19 की अवधि के दौरान घट गया।

(क) निवेश का वर्तमान मूल्य

5.15 इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लाभप्रदता के आकलन हेतु राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जहां राज्य सरकार द्वारा निधियों का प्रयोग किया गया था, के सन्दर्भ में निवेश की तुलना में अर्जन का विश्लेषण किया गया। प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश की केवल ऐतिहासिक लागत पर आधारित होने से निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता को भली प्रकार से सूचित नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी गणनाएं धन के वर्तमान मूल्य को उपेक्षित कर देती हैं। इसलिए इसके अतिरिक्त, वास्तविक प्रतिफल की दर की गणना निवेश की ऐतिहासिक लागत के वर्तमान मूल्य को देखते हुए की जाती है। सब्सिडी/अनुदानों पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उन्हें मुख्य रूप से परिसम्पत्ति के निर्माण एवं कौशल विकास हेतु जनसाधारण को निःशुल्क/ रियायती यात्रा, सीमान्त समाज को ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करवाने हेतु जारी किया गया है।

इन उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं पर की गई:

- राज्य सरकार द्वारा ब्याज रहित ऋणों को निधियों का निवेश करने के रूप में माना गया है। यद्यपि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान की स्थिति में वर्तमान मूल्य की गणना उस अवधि में ब्याज रहित ऋणों के कम किए गए शेषों पर की गई। अनुदान/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियों निवेश के रूप में नहीं मानी गई है क्योंकि ये निवेश के रूप में माने जाने योग्य नहीं हैं जैसा कि ऊपर दर्शाई गई सब्सिडी की प्रकृति द्वारा दर्शाया गया है।

वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए सम्बंधित वित्तीय वर्ष⁷¹ हेतु सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को छूट की दर के रूप में अपनाया गया क्योंकि यह वर्ष के लिए सरकार द्वारा निवेशित निधियों के प्रति खर्च हुई लागत को प्रस्तुत करता है।

सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निवेश के ऐतिहासिक मूल्य से तुलना के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल प्रदेश सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य पर प्रतिफल की दर के आकलन के लिए की गई है। 31 मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में अपने वर्तमान मूल्य तक निवेश की ऐतिहासिक लागत लाने के लिए सरकारी उधारों पर ब्याज की दरोंकी वर्ष-वार औसत पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में विगत निवेश/वर्ष-वार निवेशित निधियों को मिश्रित किया गया है जो कि सम्बन्धित वर्ष हेतु सरकार को निधियों की न्यूनतम लागत के रूप में माना गया है। इसलिए, इन कंपनियों की स्थापना के आरम्भ से 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना उन 18 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों

⁷⁰ इसमें सम्बन्धित वर्ष हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित निवेश लाभ/हानियां सम्मिलित हैं जहां राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है।

⁷¹ सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर सम्बन्धित वर्षों के लिए राज्य वित्त (हिमाचल प्रदेश सरकार) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से ली गई थी जिसमें चुकाए गए ब्याज हेतु औसत दर के लिए गणना = ब्याज भुगतान / विगत वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि+ वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100.

के सम्बन्ध में की गई थी, जहाँ राज्य सरकार द्वारा इक्विटी तथा ब्याज मुक्त ऋणों (राज्य सरकार से परिचालन तथा प्रशासनिक व्यय हेतु कोई भी अनुदान/सब्सिडियां प्राप्त नहीं हुई) के रूप में निधियों का निवेश किया गया है।

वर्ष 2014-15, 2015-16, 2017-18 तथा 2018-19 में जब इन 18 कम्पनियों में घाटे हुए, तो निष्पादन का और अधिक उपयुक्त माप हानियों के कारण नेटवर्थ का क्षरण है। कम्पनी के नेटवर्थ क्षरण पर परिच्छेद 5.17 में टिप्पणी की गई है।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

5.16 1999-2000 से 2018-19 की अवधि के लिए राज्य के इन 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐतिहासिक लागत पर आधारित इक्विटी तथा ऋणों के रूप में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति परिशिष्ट 5.5 में दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि हेतु इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के निवेश के निवल वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति तालिका 5.10 में दर्शाई गई है:

तालिका 5.10: 1999-2000 से 2018-19 की अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा निवेश तथा सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज रहित ऋण	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज रहित ऋण	परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान/सब्सिडियां	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा अंकित मूल्य परिवर्तनेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश	सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशतमें)	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष हेतु निधियों की लागत वसूल करने के लिए सम्भावित न्यूनतम प्रतिफल	वर्ष हेतु कुल अर्जन	
क	ख	ग	घ	ड	च	छ	ज	झ	अ	ट	ठ	
तोक 1999-2000	-	300.04	0.49	-	-	-	300.53	300.53	8.83	327.07	26.54	-
2000-01	327.07	32.48	1.51	-	-	-	33.99	361.06	10.15	397.71	36.65	-49.50
2001-02	397.71	13.01	-	-	-	-	13.01	410.72	11.06	456.14	45.43	-36.70
2002-03	456.14	12.43	-	-	-	-	12.43	468.57	10.37	517.16	48.59	-29.19
2003-04	517.16	28.60	-	-	-	-	28.60	545.76	10.98	605.69	59.92	-31.10
2004-05	605.69	16.06	-	-	-	-	16.06	621.75	10.60	687.65	65.91	-43.44
2005-06	687.65	13.59	0.15	-	-	-	13.74	701.39	9.20	765.92	64.53	-30.72
2006-07	765.92	14.30	-	-	-	-	14.30	780.22	9.40	853.56	73.34	-62.08
2007-08	853.56	38.31	2.25	-	-	-	40.56	894.12	9.09	975.40	81.28	-46.66
2008-09	975.40	53.97	-0.10	-	-	-	53.87	1,029.27	9.19	1,123.86	94.59	-33.88
2009-10	1,123.86	117.16	-	-	-	-	117.16	1,241.02	8.59	1,347.62	106.60	-55.92
2010-11	1,347.62	34.61	-	-	-	-	34.61	1,382.23	7.78	1,489.77	107.54	-38.15
2011-12	1,489.77	26.94	9.50	-	-	-	36.44	1,526.21	7.80	1,645.25	119.04	-72.06
2012-13	1,645.25	45.76	5.00	-	-	-	50.76	1,696.01	8.08	1,833.05	137.04	-88.46
2013-14	1,833.05	67.49	2.54	-	-	-	70.03	1,903.08	7.71	2,049.81	146.73	-112.41
2014-15	2,049.81	44.93	-	-	-	-	44.93	2,094.74	7.91	2,260.43	165.69	-98.97
2015-16	2,260.43	43.27	14.54	-	-	-	57.81	2,318.24	7.95	2,502.54	184.30	-175.83
2016-17	2,502.54	48.04	10.07	-	-	-	58.11	2,560.65	7.60	2,755.26	194.61	23.87
2017-18	2,755.26	50.80	8.00	-	-	-	58.80	2,814.06	7.71	3,031.03	216.96	-84.08
2018-19		62.85.	10.00	-	-	-	3,031.03	3,103.88	8.32	3,362.12	258.24	- 100.71
कुल:	1064.64	63.95										

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्राप्त सांख्यिकीय जानकारी।

नोट- राज्य सरकार से परिचालन एवं प्रशासनिक व्यय के लिए कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुआ था।

1999-2000 से 2018-19 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निधियों की लागत की वसूली के लिए वर्ष की कुल अर्जन न्यूनतम अपेक्षित वास्तविक दर से नीचे रहा, क्योंकि इनमें से दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन) को इस अवधि में काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा, 1999-2019 की अवधि के दौरान अन्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ भी इन दो सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए गए नुकसान की ओर रखा गया था, जिसके कारण इन सभी सार्वजनिक उपक्रमों से अपेक्षित कुल आय कम रही।

नेटवर्थ का क्षण

5.17 नेट वर्थ का अर्थ है प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त भण्डार तथा अधिशेष के कुल योग में से संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर प्राप्त शेष (प्रदत्त पूँजी + मुक्त भण्डार + अधिशेष – संचित हानियां + आस्थगित राजस्व व्यय)। वास्तव में यह मालिकों के लिए उसकी संस्था के मूल्य का माप है। एक ऋणात्मक नेट वर्थ दर्शाता है कि मालिकों का सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय के द्वारा नष्ट कर दिया गया। नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार इन 23 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पूँजीगत निवेश एवं संचित घटे क्रमशः ₹ 1,039.51 करोड़ तथा ₹ 1,566.99 करोड़ थे जिसका परिणाम ₹ -517.48 करोड़ के नेट वर्थ में हुआ जैसा कि **परिणाम 5.4** में विवेचित है।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निवेश की गई ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 18 कम्पनियों की कुल भुगतान की गई पूँजी, कुल संचित लाभ/हानि तथा कुल निवल मूल्य को निम्न तालिका दर्शाती है:

तालिका 5.11:2014-15 से 2018-19 के दौरान 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नेटवर्थ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत तक भुगतान की गई पूँजी	वर्ष के अंत तक संचित लाभ (+) हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	नेटवर्थ
2014-15	844.63	-1,190.75	-	-346.12
2015-16	885.27	-1,366.15	-	-480.88
2016-17	930.73	-1,187.79	-	-257.06
2017-18	976.46	-1,445.90	-	-469.44
2018-19	1,038.41	-1,553.07	-	-514.66

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्राप्तजानकारी।

18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों⁷² ने 2018-19 के दौरान धनात्मक नेट वर्थ दर्शाया तथा सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों⁷³ ने नकारात्मक निवल मूल्य दर्शाया।

23 सार्वजनिक उपक्रमों में से 8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नेटवर्थ (ऊपर चर्चा की गई सात में हिमाचल वर्सटेट मिल्स लिमिटेड को मिलाते हुए) वर्ष 2018-19 के दौरान ऋणात्मक थी।

लाभांश भुगतान

5.18 राज्य सरकार ने निर्णय लिया (अप्रैल 2011) कि समस्त लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जो कल्याण एवं उपयोगिता क्षेत्र में हैं, को छोड़कर) को राज्य सरकार द्वारा अंशदत्त प्रदत्त पूँजी पर पांच प्रतिशत न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान कराना अपेक्षित है जो कर के उपरांत लाभ की 50 प्रतिशत की सीमा तक हो सकता है। उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 34.24 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जिसमें से मात्र तीन⁷⁴ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 2018-19 के दौरान ₹ 2.25 करोड़ का लाभांश घोषित किया /चुकाया।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जैसा कि अपेक्षित है लाभांश की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

इक्विटी पर प्रतिफल

5.19 इक्विटी पर प्रतिफल वित्तीय निष्पादन का एक माप है जो यह आकलित करने के लिए कि प्रबंधन कितनी दक्षता से शेयरधारकों की निधियों का उपयोग लाभ सृजित करने के लिए कर रहा है तथा इसकी गणना शेयर धारकों की निधि से शुद्ध आय

⁷² हिमाचल प्रदेश एग्रो औद्योगिक निगम सीमित, हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्तीय और विकास निगम, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास कॉर्पोरेशन, हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश सामान्य औद्योगिक निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और हिमाचल प्रदेश बेवरेजे निगम

⁷³ हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निगम, हिमाचल पथ परिवहन और एग्रो औद्योगिक पैकेजिंग भारत सीमित।

⁷⁴ हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित और हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित

(अर्थात् करों के पश्चात् शुद्ध लाभ) को विभाजित करके (भाग देकर) की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है तथा किसी भी कम्पनी हेतु इसकी गणना की जा सकती है यदि शुद्ध आय तथा शेयर धारकों की निधि, दोनों ही धनात्मक संख्याएं हो।

कम्पनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं निर्बाध आरक्षित निधियां, कुल संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़ कर की जाती है तथा यह प्रकट करती है कि यदि सभी परिसम्पत्तियां बेच दी जाए और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तब हितधारकों (स्टेकहोल्डर) के लिए कितनी राशि बचेगी। धनात्मक शेयरधारक निधि यह प्रकट करती है कि कम्पनी के पास अपनी देनदारियां पूरी करने के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियां हैं जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी से तात्पर्य है कि देनदारियां परिसम्पत्तियों से अधिक हैं।

18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में जहां राज्य सरकार द्वारा निधियां निवेशित की गई थी, इक्विटी पर प्रतिफल की गणना की गई। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित शेयरधारकों की निधि एवं इक्विटी पर प्रतिफल का विवरण तालिका 5:12 में दिया गया है:

तालिका 5.12: 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में इक्विटी पर प्रतिफल जहां हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निधियां निवेशित की गई थी

वर्ष	निवल आय	हितधारकों की निधि (नेटवर्थ)	इक्विटी प्रतिफल (प्रतिशत)
		(₹ करोड़ में)	
2014-15	-98.97	-346.12	-
2015-16	-175.83	-480.28	-
2016-17	23.87	-257.05	-
2017-18	-84.08	-469.43	-
2018-19	-100.71	-514.66	-

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्राप्त जानकारी।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

5.20 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल वह अनुपात है जो एक कम्पनी की लाभ प्रदत्ता तथा दक्षता का माप उसकी नियोजित पूँजी के साथ करता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल⁷⁵ की गणना नियोजित पूँजीद्वारा ब्याज व करों के पूर्व कम्पनी के अर्जित लाभांश से की जाती है। 2014-15 से 2018-19 अवधि के दौरान राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का विवरण तालिका 5:13 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.13: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ब्याज व करों के पूर्व अर्जित लाभ	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत)
		(₹ करोड़ में)	
2014-15	-99.33	259.42	-38.29
2015-16	-177.91	-58.56	लागू नहीं
2016-17	23.87	226.04	10.56
2017-18	-69.77	20.87	-334.31
2018-19	-84.69	-101.28	लागू नहीं

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्राप्त जानकारी

चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिमाचल पथ परिवहन निगम, हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निमग सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम लगातार हानि उठा रहे थे। इनमें से हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 2016-17 के दौरान लाभ अर्जित किया। इस प्रकार, अंतिम पाच वर्षों में से (2016-17 को छोड़कर) चार साल पूँजी नियोजन पर प्रतिफल ऋणात्मक रहा।

⁷⁵ नियोजित पूँजी = प्राप्त पूँजी का अंश + फ्री रिजर्व व अधिशेष + दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं, जिसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

5.21 2014-15 से 2018-19 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया गया था। यह आकलन ब्याज कवरेज अनुपात तथा ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

ब्याज कवरेज अनुपात

5.22 ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान क्षमता के निर्धारण के लिए तथा इसकी गणना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के उसी अवधि के ब्याज खर्चों से, ब्याज व करों के पूर्व अर्जित लाभांश को विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की ऋण पर ब्याज भुगतान की क्षमता उतनी ही कमतर होगी। ब्याज कवरेज अनुपात का एक से नीचे होना दर्शाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने ब्याज के खर्चों को पूरा करने हेतु पर्याप्त राजस्व का उत्पादन नहीं कर रहे। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे तालिका 5.14 में दिया गया है:

तालिका 5.14: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज	ब्याज व करों के पूर्व अर्जितलाभांश	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिन पर सरकार, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण की देयता है	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक है	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनका ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम है
(₹ करोड़ में)			(संख्या में)		
2014-15	18.45	-99.33	11	-	11
2015-16	40.35	-177.91	10	-	10
2016-17	36.00	23.87	12	-	12
2017-18	35.05	-69.77	12	-	12
2018-19	40.70	-84.69	12	-	12

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्राप्त जानकारी।

ऋण टर्नओवर अनुपात

5.23 विगत पांच वर्षों के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 10.20 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर्ज हुआ तथा ऋण का चक्रवृद्धि वार्षिक विकास 1.87 प्रतिशत था जिसके कारण ऋण टर्नओवर का अनुपात 2014-15 में 0.18 से 2018-19 में घटकर 0.13 रह गया जैसा कि तालिका 5.15 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.15: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार तथा अन्य (बैंक व वित्तीय संस्थाएं) से ऋण	407.23	426.84	395.84	492.30	438.52
टर्नओवर	2,305.90	2,471.95	2,743.10	2,826.45	3,400.40
ऋण टर्नओवर अनुपात	0.18:1	0.17:1	0.14:1	0.17:1	0.13:1

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्राप्त जानकारी।

राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बंद होना

5.24 राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 3 अकार्यशील कम्पनियां भी थीं जिनमें 31 मार्च 2019 तक ₹ 79.79 करोड़ (एप्पो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड में ₹ 77.87 करोड़ तथा हिमाचल वर्सेटेड मिल्स लिमिटेड में ₹ 0.92 करोड़ और हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड में ₹ 1.00 करोड़) का कुल निवेश था। 31 मार्च 2019 की समाप्ति से विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या तालिका 5.16 में दी गई है:

तालिका 5.16: राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अकार्यशील कम्पनियों की संख्या	2	2	2	2	3

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में सम्मिलित जानकारी से संकलित।

हिमाचल वर्सटेट मिल्स लिमिटेड 2000-01 से परिसमापन प्रक्रिया के अधीन थी जबकि हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड के सम्बंध में परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ की जानी थी। सरकार को इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में उचित निर्णय लेना चाहिए।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियां

5.25 12 क्रियाशील कम्पनियों ने 01 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश को 13 लेखापरीक्षित लेखें अग्रेषित किए। सभी लेखाओं का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा से इंगित हुआ कि लेखाओं की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार की बहुत आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल मुद्रा मूल्यों का विवरण निम्नवत् है:

तालिका 5.17: क्रियाशील कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	6	1.72	5	5.29	4	3.76
2.	लाभ में वृद्धि	1	0.09	1	0.28	3	18.55
3.	हानि में वृद्धि	1	0.06	2	0.66	1	9.44
4.	हानि में कमी	2	0.70	-	-	1	0.19
5.	भौतिक तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण	-	-	-	-	-	-
6.	वर्गीकरण की असुद्धियां	-	-	-	-	-	-

स्रोत: सरकारी कंपनीयों के संदर्भ में नियन्त्रक महालेखापरीक्षक/सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2018-19 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सात लेखाओं पर क्वालीफाईड तथा पांच लेखाओं पर विपरीत प्रमाण पत्र जारी किए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखा मानकों की अनुपालना खराब ही रही क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखाओं में लेखा मानकों की गैर-अनुपालना के पांच उदाहरणों का उल्लेख किया।

5.26 राज्य में दो सांविधिक निगम अर्थात् (क) हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा (ख) हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के सम्बंध में नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है।

दोनों कार्यशील सांविधिक निगमों ने वर्ष 2018-19 के लिए 01 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 के दौरान वार्षिक खातों को अग्रेषित नहीं किया।

सांविधिक निगमों के संदर्भ में सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के कुल मुद्रा मूल्य का विवरण निम्नवत् है:

तालिका 5.18: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	2.50	-	-	-	-
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	-	-	1	34.90	1	18.99
4.	हानि में कमी	1	0.47	1	0.36	1	0.16
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण	-	-	-	-	-	-
6.	वर्गीकरण की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-

स्रोत: सांविधिक निगमों के संदर्भ में नियन्त्रक महालेखापरीक्षक/सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों से संकलित।

अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद

5.27 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के लिए हिमाचल प्रदेश बेवरेजे लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य बन विकास निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम, हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम से सम्बंधित 6 अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सम्बंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिव/सचिवों को प्रत्युत्तर की प्रस्तुति के अनुरोध के साथ जारी किए गए थे। अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद में से पांच पर राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुए। इन अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 15.48 करोड़ था।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुबर्ती कार्रवाई

बकाया उत्तर

5.28 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संबीक्षा का उत्पाद है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी अधिकारी से उचित तथा समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने समस्त प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा में प्रस्तुत करने के तीन माह की अवधि के भीतर उनमें सम्मिलित परिच्छेद/समीक्षाओं पर उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां निर्धारित प्रारूप में लोक उपक्रम समिति से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना जमा करवाने के निर्देश जारी किए थे।

तालिका 5.19: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति
(30 सितम्बर 2018 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में गैर-विद्युत क्षेत्र से सम्बंधित कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं परिच्छेद		निष्पादन लेखापरीक्षाओं/परिच्छेदों की संख्या जिनकी स्पष्टिकरण टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं थीं	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद
2017-18	14 दिसम्बर 2019	-	7	-	7

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्बंधित विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

सातों अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2020)।

लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

5.29 30 सितम्बर 2019 तक निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा परिच्छेदों, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित हुए तथा जिन पर लोक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की गई, की अवस्था नीचे दी गई है:

तालिका 5.20: 30 सितम्बर 2019 तक निष्पादन लेखापरीक्षाएं/परिच्छेद जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित हुए हैं एवं जिन पर चर्चा की गई

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/परिच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित		परिच्छेद जिन पर चर्चा की गई	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद
2011-12	-	8	-	8
2012-13	-	7	-	7
2013-14	-	5	-	5
2014-15	1	3	1	3
2015-16	1	2	1	1
2016-17	-	4	-	1
2017-18	-	7	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक उपक्रम समिति की परिचर्चा के आधार पर संकलित।

2012-13 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर परिचर्चा पूर्ण कर ली गई थी।

लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की अनुपालना

5.30 मार्च 2018 तथा फरवरी 2019 के मध्य राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किए गए लोक उपक्रम समिति के चार प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करने सम्बंधी टिप्पणियां (एक्शन टेकन नोट्स) जो कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित थे, प्राप्त नहीं हुए (31 मार्च 2020) जैसा कि तालिका 5.21 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.21: लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की अनुपालना

लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन का वर्ष	लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों में दी गई सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जहां एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त नहीं हुए
2014-15	4	23	-
2015-16	4	10	-
2016-17	4	8	8
2017-18	5	31	5
2018-19	-	-	-

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्बंधित विभागों से लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर प्राप्त एक्शन टेकन नोट्स के आधार पर संकलित।

ऊपर दर्शाई गई लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों के संदर्भ में एक्शन टेकन नोट्स मार्च 2020 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद

इस भाग में ₹ 15.48 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ युक्त छ: अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद है।

हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड

5.31 प्रणालीगत कमियों के कारण अवसूली

लाइसेंसधारियों द्वारा जमा की गई राशि के दैनिक/मासिक मिलान के लिए तंत्र का अभाव, कंपनी को भुगतान जमा किए बिना नकली/छेड़छाड़ युक्त यूनीक ट्रांजेक्शन रेफरेंस (यूटीआर) का उपयोग कर के शराब के स्टॉक (₹ 3.79) करोड़ का उठाव एवं उधार आधार पर शराब (₹ 5.90 करोड़) की बिक्री के परिणामस्वरूप ₹ 9.69 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

राज्य में शराब के थोक कारोबार को विनियमित करने के लिए हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड (कंपनी) को निगमित (अप्रैल 2016) किया गया था। कंपनी ने जुलाई 2016 में अपना परिचालन शुरू किया था। कंपनी की शराब बिक्री नीति 2016-17 के पैरा 4.1 में यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी द्वारा प्राधिकृत विभिन्न बैंक शाखाओं में चालान/रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से कंपनी के खाते में इंटरनेट बैंकिंग या प्रत्यक्ष क्रेडिट के माध्यम से 'ई' भुगतान पर स्टॉक जारी किया जाएगा। नकद/भुगतान आदेश/टिमांडड्राफ्ट/चेक को डिपो द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना था और किसी उधार बिक्री की अनुमति नहीं थी। तदनुसार, संबंधित डिपो प्रबंधकों को अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद ही खुदरा लाइसेंसधारकों को शराब बेचनी होती थी। नीति को लागू करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई थी, जिसमें खुदरा लाइसेंसधारकों द्वारा दैनिक आधार पर जमा की गई राशि की बैंक स्टेटमेंट को इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से सभी डिपो प्रबंधकों को भेजना शामिल था। खुदरा लाइसेंसधारकों को बैंक स्टेटमेंट से सत्यापन करने के बाद, कि खुदरा लाइसेंसधारकों ने अपेक्षित राशि जमा कर दी थी, स्टॉक जारी किया जाना था। इसके अलावा, लाईसेंसधारकों को चालान जारी करने के लिए कंपनी के खाते में धन के हस्तांतरण के समर्थन में अपने बैंकर द्वारा बनाया गया अपना संबंधित यूनीक ट्रांजेक्शन रेफरेंस (यूटीआर) नंबर प्रस्तुत करना होता था।

लेखापरीक्षा में शराब बिक्री नीति के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित विचलन एवं कमियां पाई गईं:

- यद्यपि बैंक स्टेटमेंट (लाइसेंसधारकों द्वारा जमा की गई राशि को दर्शाने वाली) दैनिक आधार पर डिपुओं में भेजे जा रहे थे, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि लाइसेंसधारक किस डिपो से सामग्री उठाएगे। इस महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव में लाइसेंसधारक एक यूटीआर के प्रति एक से अधिक डिपो से स्टॉक उठा सकते थे।

- कंपनी ने लाइसेंसधारकों के बही खातों का मिलान करते हुए (जून 2017) देखा कि अगस्त 2016 से मार्च 2017 के दौरान आठ लाइसेंसधारकों ने एक से अधिक डिपो से स्टॉक उठाने के लिए ₹ 3.38 करोड़ के 84 यूटीआर को इस्तेमाल किया और सात लाइसेंसधारकों ने ₹ 1.43 करोड़ के लिए 42 फर्जी/छेड़छाड़ युक्त यूटीआर प्रस्तुत किए।

II. डिपो प्रबंधकों द्वारा जारी स्टॉक के दैनिक मिलान एवं उसके प्रति प्राप्त भुगतान हेतु कंपनी के लेखा विंग द्वारा कोई आंतरिक नियंत्रण/निगरानी तंत्र नहीं बनाया गया था।

- बारह⁷⁶ डिपो प्रबंधकों ने दैनिक बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से भुगतान की प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना 19 खुदरा लाइसेंसधारकों को स्टॉक जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2016 से मार्च 2017 के दौरान उधार आधार पर ₹ 6.76 करोड़ मूल्य की शराब का स्टॉक जारी किया गया।

कंपनी जून 2020 तक ₹ 11.57 करोड़ (₹ 3.38 करोड़ + ₹ 1.43 करोड़ + ₹ 6.76 करोड़) के कुल बकाए में से ₹ 1.88 करोड़ ही वसूल सकी, जिससे ₹ 9.69 करोड़ का बकाया छूट गया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (सितंबर 2018) में बताया कि डिपो प्रभारी के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है और लाइसेंसधारकों के साथ धोखाधड़ी के संबंध में सिविल मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अपर्याप्त स्टाफ और काम की अधिकता के कारण डिपो प्रबंधकों ने खुदरा लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तुत दुप्लीकेट यूटीआर के आधार पर स्टॉक जारी किया था। यह भी कहा गया कि 16 नवंबर 2016 से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लागू की गई है, उसके बाद ऐसे मामलों को कम किया गया है।

उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि एक से अधिक डिपों में एक ही यूटीआर का उपयोग करने के 84 मामलों में से 47 मामले ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद की अवधि से संबंधित हैं। इसी प्रकार, फर्जी/छेड़छाड़ युक्त यूटीआर से संबंधित 42 मामलों में से 41 ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लागू होने के बाद हुए थे।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (सितंबर 2019); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

सिफारिश: विभाग क्षेत्र इकाइयों द्वारा बेचे गए स्टॉक के साथ डिजिटल रूप से प्राप्त राशि के दैनिक मिलान की एक प्रणाली लागू करें।

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

5.32 कर्मचारी भविष्य निधि में अधिक अंशदान

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने अंशदान की निर्धारित दर से अधिक दर पर कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.87 करोड़ का अधिक अंशदान हुआ।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 1988 ने 22 सितंबर 1997 से प्रभावी 1998 के अधिनियम 10 के माध्यम से भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान की दरों को मजदूरी के 8.33 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से संशोधित करके क्रमशः 10 प्रतिशत⁷⁷ और 12 प्रतिशत⁷⁸ किया। भारत सरकार की 9 अप्रैल 1997 की अधिसूचना⁷⁹ के संदर्भ में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक प्रतिष्ठान के लिए, जिसके लिए किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानि अपने पूरे नेटवर्थ से अधिक हो गई है और ऐसे वित्तीय वर्ष में एवं निकटतम पूर्ववर्ती⁸⁰ वित्तीय वर्ष में नकद नुकसान⁸¹ भी उठाना पड़ा है, के लिए बढ़ी हुई दर लागू नहीं थी।

⁷⁶ बही, भट्टाकुफर, तारादेवी, नारोटा, जलग्राम, मुसेवल, राजा-का-बाग, देयोंघाट, सोलन, ठियोग, सुन्दरनगर एवं हमीरपुर।

⁷⁷ कर्मचारी भविष्य निधि की धारा 6 एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (अधिनियम) के अनुसार, धारा 6 के प्रथम प्रावधान में सम्मिलित किये गयों के अतिरिक्त अन्य सभी संस्थानों के संदर्भ में कर्मचारियों का अंशदान कम दरों (अर्थात् 10 प्रतिशत) पर प्रयोग्य था।

⁷⁸ अधिनियम की धारा 6 का प्रथम प्रावधान प्रदान करता है कि केन्द्र सरकार यथोचित जांच करने के पश्चात कार्यालय राजपत्र की अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि संस्थान या संस्थानों की श्रेणी के संदर्भ में कर्मचारी अंशदान की दर 10 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत होगी।

⁷⁹ अधिनियम की धारा 6 के प्रथम प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 मई 1997 को जारी अधिसूचना संख्या एसओ 320 (ई)।

⁸⁰ प्रदत्त पूँजी + मुक्त भण्डार तथा अगोचर परिसम्पत्ति को घटाते हुए अधिशेष।

लेखापरीक्षा में देखा गया (मार्च 2019) कि मार्च 2014 में हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) का नुकसान इसकी नेटवर्थ से अधिक हो गया था। वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान कंपनी का संचित घाटा अपने नेटवर्थ से अधिक बना रहा और कंपनी को नकदी नुकसान भी उठाना पड़ा। इस प्रकार कंपनी को भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 12 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत की दर से करना था। जबकि, कंपनी ने 12 प्रतिशत की दर से योगदान करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप 2013-14 से 2017-18 के दौरान ₹ 2.87 करोड़ का अतिरिक्त अंशदान हुआ।

प्रबंधन ने (नवंबर 2019) बताया कि कंपनी तथ्यात्मक मजदूरी के बजाय प्रतिबंधित मजदूरी पर 12 प्रतिशत की दर से अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि की दिशा में नियोक्ता हिस्सेदारी का अंशदान कर रही है।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने दिनांक 9 अप्रैल 1997 को जारी अधिसूचना के अनुसार कम्पनी से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम मजदूरी पर नियोक्ता का अंशदान करना तथा यह भी कि केवल 10 प्रतिशत की रियायती दर पर करना अपेक्षित था।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (अगस्त 2019), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

सिफारिश: कंपनी को कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान की रियायती दरों का लाभ सुनिश्चित करना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित

5.33 कर्मचारियों को वित्तीय लाभ

कंपनी ने बोनस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹ 12.76 लाख की स्वीकार्य राशि के प्रति अपने कर्मचारियों को बोनस के रूप में ₹ 58.20 लाख का भुगतान किया।

2015 में संशोधित बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (अधिनियम), जो प्रत्येक कारखाने एवं अन्य प्रतिष्ठान जिसमें लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन बीस या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित किया जाता है पर लागू होता है, के प्रावधानों⁸¹ के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता अपने प्रत्येक कर्मचारी को वेतन/मजदूरी⁸² का न्यूनतम बोनस देगा। यदि आबंटन अधिशेष किसी भी लेखांकन वर्ष में देय न्यूनतम बोनस की राशि से अधिक है, तो नियोक्ता कर्मचारी के वेतन/मजदूरी के अनुपात में एक राशि का भुगतान करेगा, जो इस तरह के वेतन या मजदूरी का अधिकतम 20 प्रतिशत होगा। यदि कर्मचारी का वेतन/मजदूरी प्रतिमाह ₹ 7,000 से अधिक है, तो बोनस की गणना केवल ₹ 7,000 प्रतिमाह या न्यूनतम मजदूरी⁸⁴ के आधार पर जो भी अधिक हो की जाएगी। हालांकि, बोनस किसी कर्मचारी को देय नहीं है, यदि उसका वेतन/मजदूरी ₹ 21,000 प्रतिमाह से अधिक है।

लेखापरीक्षा (जुलाई 2017) में देखा गया कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन/बोनस को विनियमित करने के लिए अलग नीति तैयार नहीं की थी, इसलिए 2015 में संशोधित बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (अधिनियम) के प्रावधान कंपनी पर लागू थे। हालांकि, 2015-17 के दौरान कंपनी ने अपने प्रबंध निदेशक⁸⁵ सहित सभी कर्मचारियों को वेतन की राशि पर ध्यान दिए बिना, ₹ 25,000 की अधिकतम सीमा सहित बोनस का भुगतान किया। कंपनी ने बोनस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹ 12.76 लाख की स्वीकार्य राशि के मुकाबले प्रबंध निदेशक सहित अपने सभी कर्मचारियों को ₹ 58.20 लाख बोनस का भुगतान किया, बावजूद इसके कि प्रबंध निदेशक कंपनी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहा था और उसने 2015-17 के दौरान एक महीने के लिए भी कंपनी से वेतन नहीं लिया था। परिणामतः कर्मचारियों को ₹ 45.44 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

प्रबंधन ने बताया (सितंबर 2017) कि कंपनी की लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि कंपनी के अधिकांश कर्मचारी बोनस अधिनियम की सीमा से बाहर है, निदेशक मण्डल (बीओडी) के निर्णय के अनुसार कर्मचारियों और श्रमिकों को बोनस का भुगतान किया गया था। आगे यह भी बताया गया कि भुगतान को अधिकतम ₹ 25,000 के बोनस की शर्त पर वेतन के 20 प्रतिशत की दर से सीमित किया गया है।

⁸¹ मुल्य छाप न करते हुए हानि।

⁸² खण्ड 8, 9, 11 एवं 12

⁸³ समयोपरि कार्यों को छोड़कर सभी प्रतिपूर्ति एवं भरते।

⁸⁴ समय-समय पर सरकार द्वारा नियम त्रेणी पर न्यूनतम मजदूरी।

⁸⁵ प्रबंध निदेशक ने 2015-17 के दौरान मात्र 14 दिनों के लिए ₹74,083 वेतन का आहरण किया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निदेशक मण्डल बोनस अधिनियम के अधिकारातीत निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम सीमा है। ₹ 7,000 प्रति माह या न्यूनतम मजदूरी⁸⁶ में से जो भी अधिक हो का 20 प्रतिशत तथा केवल उन कर्मचारियों के लिए हैं जो ₹ 21,000 प्रति माह से कम वेतन ले रहे हैं। यही नहीं, प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बोनस अधिनियम की सीमा से बाहर के कर्मचारियों को लाभ देने के लिए यह निर्णय लिया गया था।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (जून 2019), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम

5.34 ₹ 47.19 लाख का अतिरिक्त व्यय

कंपनी द्वारा उत्खनन हेतु प्रति घंटा बढ़ी हुई दर लागू करके बढ़ी हुई मात्रा के लिए के दर विवेकहीन निर्धारण के कारण 2,62,163 घन मीटर खुदाई के निष्पादन पर ₹ 47.19 लाख का अतिरिक्त व्यय किया।

कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (विश्व बैंक) द्वारा सहायता प्राप्त हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना के तहत ठियोग-रोहडू सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग) के अप-ग्रेडेशन (विस्तृतीकरण व सुदृढ़ीकरण) के लिए एक कार्य⁸⁷ (अक्टूबर 2013) आवंटित किया।

अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार, बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) की 125 प्रतिशत से अधिक निष्पादित मात्रा के लिए, ठेकेदार को उसके द्वारा बताई नई दरों पर कंपनी के स्वीवेकाधिकार को ध्यान में रखते हुए भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने अतिरिक्त मद-2 “सड़क उत्खनन से प्राप्त अनुमोदित सामग्री सब-ग्रेड का निर्माण” हेतु नई दरों को अनुमोदन करते हुए हाईड्रोलिक उत्खनक की दरों को केवल ₹ 1,518 प्रति घंटा माना था जबकि, सड़क खुदाई और जल निकासी (मद 2.01) के लिए बिल ऑफ क्वांटिटी में प्रदान की गई मात्रा के 125 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हुई मात्रा के भुगतान के लिए नई दर का निर्धारण करते हुए, कंपनी ने उसी अनुबंध में अपने निर्णय के विरुद्ध उसी हाईड्रोलिक उत्खनक के लिए ₹ 1,609 की उच्च दर मानी थी जिसके लिए एक अन्य मद-2 (सड़क उत्खनन से अनुमोदित सामग्री-बोल्डर मिक्स सहित उप-ग्रेड का निर्माण) के लिए ₹ 1,518 प्रति घंटे की कम दर प्रदान की गई थी।

यदि हाईड्रोलिक उत्खनक की दर ₹ 1,518 प्रति घंटे निश्चित की जाती, तो ठेकेदार को ₹ 347 प्रति घनमीटर की भुगतान की गई दर के स्थान पर उत्खनन की दर ₹ 329 प्रति घन मीटर होती।

इस प्रकार, हाईड्रोलिक उत्खनन के लिए प्रति घंटे की उच्च दर लागू करके बढ़ी हुई मात्रा के लिए दर के विवेकहीन निर्धारण के कारण, कंपनी ने जनवरी 2017 और अक्टूबर 2017 के बीच की अवधि के दौरान किए गए 2,62,163 घन मीटर उत्खनन पर ₹ 47.19 लाख⁸⁸ का अतिरिक्त व्यय किया।

सरकार ने बताया (जून 2020) कि पर्वतीय क्षेत्र में संचालित हाईड्रोलिक उत्खनन की प्रति घंटे की दर में छह प्रतिशत की वृद्धि को 2100 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के लिए औसत वृद्धि माना गया। यह उत्तर न्यायोचित नहीं है क्योंकि एक ही खंड में और समान ऊंचाई पर एक ही मशीनरी के लिए दो दर स्वीकार्य नहीं हैं।

सिफारिश: कंपनी को समान रूप से वस्तुओं की दरों के विश्लेषण के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र रखना चाहिए।

⁸⁶ औद्योगिक कर्मियों हेतु न्यूनतम मजदूरी ₹6,300/- प्रति माह थी।

⁸⁷ वो पृथक पैकेजों के अंतर्गत (आईसीबी 5.1: ठियोग- खड़ा पत्थर एवं एनसीबी-05-11: खड़ा पत्थर से रोहडू से सी व सी निर्माण {ठेकेदार})।

⁸⁸ 2,62,163 घनमीटर ₹18 (₹347-₹329) = ₹47,18,934 (अर्थात् 47.19)।

हिमाचल पथ परिवहन निगम

5.35 फास्टैग का न लगाना-नगद वापसी का लाभ न उठाना

फास्टैग की खरीद न करने तथा न लगाने के कारण कंपनी अपनी बसों द्वारा भुगतान किए गए टोल शुल्क पर ₹ 60.51 लाख की नकद वापसी का लाभ नहीं उठा सकी।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के लिए फास्टैग⁸⁹ नामक एक कार्यक्रम शुरू किया जो कि 25 अप्रैल 2016 से प्रभावी था और इसकी वैधता पांच साल है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक फास्टैग को ₹ 500 की लागत से खरीदा जाना था और टोल प्लाजा से गुजरने वाली प्रत्येक बस पर लगाया जाना था। फास्टैग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियंत्रण वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से सभी लेनदेनों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए क्रमशः 10 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की नकद वापसी की सुविधा प्रदान की।

एक बस के लिए एक फास्टैग खरीदने के लिए एक बार का शुल्क ₹ 400 और शामिल होने की फीस के रूप में ₹ 100 के साथ ₹ 500 प्रति बस था। इसके अतिरिक्त, फास्टैग के संचालन के लिए इस उद्देश्य हेतु संचालित किए जाने वाले चालू खाते में न्यूनतम ₹ 300 प्रति बस बनाए रखना आवश्यक था।

हिमाचल पथ परिवहन निगम (कंपनी) राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले विभिन्न रुटों पर बसें चला रहा था। इस दौरान देखा गया कि कंपनी ने अपनी बसों के लिए फास्टैग नहीं खरीदे और पांच⁹⁰ टोल प्लाजा पर टोल टैक्स का नकद भुगतान कर रही थी। फास्टैग के अभाव में निगम के 20 क्षेत्रीय कार्यालयों ने 2016-17, 2017-18 और 2018-19 (31 दिसंबर 2018 तक) के दौरान उपरोक्त टोल प्लाजा पर टोल शुल्क के रूप में क्रमशः ₹ 2.88 करोड़, ₹ 4.14 करोड़ और ₹ 3.92 करोड़ खर्च किए। यदि कंपनी ने अपनी बसों में फास्टैग खरीदे और लगा दिए होते तो यह ₹ 79.46 लाख⁹¹ की नकद वापिसी अर्जित कर सकता था। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि हरियाणा रोडवेज और चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम जैसे अन्य राज्य परिवहन निगमों ने अपनी बसों पर फास्टैग लगाए थे और टोल शुल्क पर नकद वापसी अर्जित कर रहे थे। पूरे बेड़े के लिए ₹ 16.00 लाख⁹² के एक मुश्त प्रभारों तथा 3200 बसों के लिए चालू खातों में रखे जाने वाले ₹ 9.60 लाख के न्यूनतम शेष पर ₹ 2.95 लाख⁹³ के ब्याज प्रभारों को ध्यान में रखते हुए ₹ 60.51 लाख का शुद्ध लाभ उपलब्ध होता।

इस प्रकार, बसों पर फास्टैग न खरीदने और न लगाने के कारण कंपनी 2016-19 के दौरान अदा किए गए टोल शुल्क के भुगतान पर ₹ 60.51 लाख की नकद वापसी नहीं ले सकी।

प्रबंधन ने (अक्टूबर 2020) बताया कि अंतर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली सभी बसों पर जून 2019 के बाद फास्टैग चिपका दिए गए हैं।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (जनवरी 2020), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

⁸⁹ फास्टैग भारत में टोल संग्रहण की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो कि भारत के राष्ट्रीय उच्चमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित है। यह बचत खाते या पूर्व भुगतान किए गए खाते से सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग करती है तथा आपको नकद लेन-देन के लिए रोके बिना टोल प्लाजा से गुजरने देती है।

⁹⁰ कुराली-कीरतपुर, चण्डी मन्दिर, दप्पर, पानीपत तथा भागन।

⁹¹ चुकाया गया टोल ₹ 2.88 करोड़ (2016-17) x 10 प्रतिशत + ₹ 4.14 करोड़ x 7.5 प्रतिशत (2017-18) + ₹ 3.92 करोड़ x 5 प्रतिशत = ₹ 79.46 लाख

⁹² ₹ 3200 x ₹ 500 = ₹ 16,00,000/-.

⁹³ ₹ 9,60,000 x 10.25 प्रतिशत x 3वर्ष

5.36 छूट का लाभ न उठाना

तेल कंपनियों द्वारा दी जा रही वास्तविक छूट का पर्यवेक्षण करने में प्रबंधन की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

हिमाचल पथ परिवहन निगम (कंपनी) ने एक महीने के दौरान कंपनी को आपूर्ति की गई हाई स्पीड डीजल की पूरी मात्रा के लिए मासिक आधार पर ₹ 1,050 प्रति किलोलीटर की छूट के साथ हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति के लिए मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता (सितंबर 2015) किया। समझौते के खंड 12(डी) में यह निर्धारित किया गया कि विक्रेता की तुलना में हाई स्पीड डीजल की कम दरों के लिए कंपनी को किसी अन्य तेल कंपनी से किसी भी ढूढ़ प्रतिबद्धता की स्थिति में, कंपनी हाई स्पीड डीजल की कीमत को प्रतिस्पर्धी स्तर तक कम करने के लिए बातचीत के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (विक्रेता) के अधिकृत प्रतिनिधि को बुलाएगी। यदि विक्रेता तुलनात्मक स्तर पर हाई स्पीड डीजल की कीमत को कम करने में विफल रहता है, तो विक्रेता को एक महीने का नोटिस देने के बाद कंपनी को समझौते को समाप्त करने की स्वतंत्रता होगी। इसी तरह के समझौता ज्ञापन पर 7 नवम्बर 2015 को कम्पनी द्वारा मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए थे ताकि कंपनी को हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दी जाने वाली छूट पर ही की जा सके। यह समझौता ज्ञापन 1 अक्टूबर 2015 से प्रभावी था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2015 से 16 प्रतिशत की दर से मूल्यवर्धित कर लगाने से पहले खरीदार को ₹ 1,050 प्रति किलोलीटर की छूट दी। इस प्रकार, प्रभावी छूट प्रति किलोलीटर ₹ 1,218 (₹ 1,050+16 प्रतिशत मूल्यवर्धित कर) थी जबकि, मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 30 जून 2017 तक मूल्यवर्धित कर लगाने के बाद छूट दी थी। जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दी जा रही छूट पर ₹ 168 प्रति किलोलीटर (₹ 1,218-₹ 1,050=₹ 168) का मूल्यवर्धित कर वहन करना पड़ा। कंपनी की इकाइयों ने इस पर समय से ध्यान नहीं दिया और परिणामस्वरूप प्रबंधन अक्टूबर 2015 से जून 2017 तक अपने चालानों में मूल्यवर्धित कर लगाने से पहले छूट देने के लिए मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मामला नहीं उठा सका। कंपनी ने इस अवधि के दौरान मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से 82,878.84 किलोलीटर हाई स्पीड डीजल खरीदा और छूट की राशि का लाभ, जैसा कि मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिया जा रहा था, मूल्यवर्धित कर लगाने से पहले के बजाय मूल्यवर्धित कर लगाने के बाद उठाने के कारण ₹ 1.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। इस प्रकार, प्रत्येक तेल कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही वास्तविक छूट की निगरानी में प्रबंधन की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया(अक्टूबर 2020) कि प्रबंधन की ओर से कोई विफलता नहीं थी क्योंकि किसी भी फर्म (मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित) ने मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तुलना में कम दरों पर हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। जबाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि छूट मूल्यवर्धित कर से पहले दी जाएगी, इस प्रकार हाई स्पीड डीजल पर छूट की प्रभावी दर मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की दर से कम थी। इस प्रकार प्रबंधन समझौता ज्ञापन के क्लॉज 12(डी) के अनुसार मूल्यवर्धित कर से पहले छूट देने के लिए मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ इस मामले को उठाने में विफल रहा।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (जनवरी 2020), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

सिफारिश: कम्पनी अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु एजेंसियों की लागत की तुलना करना सुनिश्चित करें।

ऋषि दिल्ली

(ऋषि दिल्लों)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
हिमाचल प्रदेश

शिमला

दिनांक: 09 मार्च 2021

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 23 मार्च 2021

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ परिच्छेद 1.1 और 1.1.2)

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभाज्य संघीय करों व शुल्कों की निवल आय के अंश का विवरण		
क्रम संख्या	मुख्य प्राप्ति शीर्ष	वास्तविक राशि
1.	0005-901-केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर	1,340.15
2.	0008-901- समेकित वस्तु एवं सेवा कर	107.00
3.	0020-901-निगम कर	1,888.31
4.	0021-901-निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	1,390.66
5.	0028-901- आय एवं व्यय पर अन्य कर	9.83
6.	0032-901-सम्पत्ति कर	0.69
7.	0037-901-कस्टम	384.89
8.	0038-901-संघीय उत्पाद शुल्क	255.78
9.	0044-901-सेवा कर	49.66
सकल योग		5,426.97

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ परिच्छेद 1.1 व 1.1.2)

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अन्य कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा			
क्रमांक	मुख्य प्राप्ति शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक राशि
1.	0050-लाभांश एवं लाभ	116.62	181.92
2.	0051-लोक सेवा आयोग	11.60	13.86
3.	0056-कारागार	0.26	0.29
4.	0057-आपूर्ति एवं निपटान	0.04	0.11
5.	0058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	7.67	11.30
6.	0071-पैंशन एवं अन्य के प्रति अंशदान एवं बसूली	9.96	27.60
7.	0075-विविध सामान्य सेवाएं	2.64	20.76
8.	0202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	232.88	214.59
9.	0210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	10.88	12.02
10.	0211-परिवार कल्याण	0.04	0.03
11.	0215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	58.15	62.13
12.	0216-आवास	5.01	3.64
13.	0217-शहरी विकास	8.64	4.29
14.	0220-सूचना एवं प्रचार	2.05	2.08
15.	0230-श्रम एवं रोजगार	8.71	7.99
16.	0235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	8.71	9.61
17.	0250-अन्य सामाजिक सेवाएं	0.04	0.01
18.	0401-फसल पालन	6.76	10.94
19.	0403-पशुपालन	1.06	1.18
20.	0405-मत्स्य	3.96	3.38
21.	0407-पौधारोपण	0.02	0.01
22.	0408-खाद्य भण्डारण एवं भण्डागार	0.07	98.37
23.	0425-सहकारिता	3.60	24.65
24.	0435-अन्य कृषि कार्यक्रम	0.61	0.52
25.	0515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3.17	5.18
26.	0575-अन्य सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम	0.53	0.18
27.	0700-मुख्य सिंचाई	0.64	0.12
28.	0701-मध्यम सिंचाई	0.49	0.07
29.	0702-लघु सिंचाई	1.85	0.84
30.	0851-ग्राम एवं लघु उद्योग	0.52	0.93
31.	0852-उद्योग	3.60	8.69
32.	1054-सड़कें एवं पुल	17.52	80.72
33.	1055-पथ परिवहन	0.43	0.38
34.	1425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.01	0.00
35.	1452-पर्यटन	2.03	1.33
36.	1456-नागरिक आपूर्ति	0.07	0.07
37.	1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	6.73	8.51
सकल योग		537.57	818.30

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ परिच्छेद -1.7.1)
निरीक्षण प्रतिवेदन

वर्ष	अथशेष			वर्ष के दौरान जमा			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अन्तर्शेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)
2009-10	619	1910	28.53	62	203	66.51	54	140	54.47	627	1973	40.57
2010-11	627	1973	0.57	55	214	30.97	15	101	23.55	667	2086	47.99
2011-12	667	2086	47.99	53	252	23.32	29	131	8.06	691	2207	63.25
2012-13	691	2207	63.25	39	206	32.88	51	164	26.52	679	2249	69.61
2013-14	679	2249	69.61	39	208	123.06	74	180	10.68	644	2277	181.99
2014-15	644	2277	181.99	36	176	57.65	50	62	1.11	630	2391	238.53
2015-16	630	2391	238.53	44	227	59.81	01	05	1.50	673	2613	296.84
2016-17	673	2613	296.84	30	221	29.16	34	286	48.60	669	2548	277.4
2017-18	669	2548	277.4	41	197	44.19	15	147	22.17	695	2598	299.42
2018-19	695	2598	299.42	40	291	51.80	13	195	38.93	722	2694	312.29

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ परिच्छेद -1.7.2)
स्वीकृत मामलों की वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल परिच्छेदों की संख्या	परिच्छेदों का मुद्रा मूल्य	स्वीकृत परिच्छेदों की संख्या	स्वीकृत परिच्छेदों का मुद्रा मूल्य	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	31 मार्च 2019 तक स्वीकृत मामलों की वसूली की स्थिति
2008-09	08	5.67	06	4.93	0.40	2.83
2009-10	04	60.13	03	35.99	3.42	30.62
2010-11	07	19.85	05	18.09	0.22	15.94
2011-12	05	16.15	05	16.15	0.26	13.69
2012-13	04	16.73	04	16.70	0.12	14.51
2013-14	03	10.75	03	3.77	0.55	0.94
2014-15	07	40.81	05	20.14	2.30	3.70
2015-16	03	5.71	02	4.18	0.27	1.08
2016-17	02	28.05	02	28.05	0.90	0.94
2017-18	02	31.88	02	31.88	0.36	-
जोड़	45	235.73	37	179.88	8.8	84.25

* लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2017-18 में उल्लेखित परिच्छेदों से सम्बन्धित ऐक्षण टेकन नोट्स प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2020)।

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ परिच्छेद 2.5.1)

सांविधिकफार्म-सी के बिना रियायत प्रदान करना

(राशि ₹ में)

अयोग्य एवं दोषपूर्ण सांविधिक फार्म 'सी' की स्वीकृति

क्रमांक	यूनिट का नाम	निर्धारण वर्ष/निर्धारण तिथि	निर्धारिती का सकल टर्न ओवर	अयोग्य सी फार्म में अंतर्गत राशि	कर का अल्प उद्ग्रहण	मार्च 2019 तक हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 19(i) के अन्तर्गत उद्ग्राहय व्याज	योग	फार्म को अस्वीकृत करने का कारण
1	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्री	2012-13/ 22.11.17	44,00,55,796	66,82,160	8,51,975	9,03,094	17,55,069	दो फॉर्म मूल्यांकन वर्षों से संबंधित नहीं थे
		2012-13/ 14.08.17	43,84,94,673	10,27,32,025	30,81,961	32,66,878	63,48,839	ऑन लाइन सत्यापन से, 19 फॉर्म अवैध पाए गए
		2013-14/ 27.12.17	4,30,01,105	70,55,976	8,64,357	7,60,634	16,24,991	एक फॉर्म मूल्यांकन वर्षों से संबंधित नहीं थे
2	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोलन	2011-12/ 29.09.17	95,56,860	4,49,652	57,331	71,090	1,28,421	एक फार्म में प्रतिपर्ण था।
		2013-14/ 29.09.17	23,14,49,186	11,50,034	40,251	50,515	90,766	तीन फार्म में कटिंग एवं ओवरराईटिंग थी।
				20,34,706	71,215	90,443	1,61,657	
				11,17,420	39,110	50,256	89,366	
3	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ऊना	2009-10/ 14.06.17	27,26,62,540	10,92,618	1,25,651	2,01,042	3,26,693	तिमाही में एक फार्म नहीं था।
योग		1,43,52,20,160	12,23,14,591	51,31,851	53,93,952	1,05,25,803		

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ- परिच्छेद 2.5.2)

सांविधिक फार्म-एफके बिना रियायत प्रदान करना

(राशि ₹ में)

अयोग्य घोषितफार्मों की स्वीकृति फार्म-'एफ'

क्रमांक	यूनिट का नाम	निर्धारण वर्ष/निर्धारण तिथि	निर्धारिती का सकल टर्ने ओवर	फार्म एफ के विरुद्ध की गई विक्री	उद्घाटन योग्य कर	मार्च 2019 तक हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 19(i) के अन्तर्गत उद्ग्राह्य व्याज	योग	फार्म को अस्वीकृत करने का कारण
1	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोलन	2014-15/ 30.10.17	20,51,41,29,109	1,12,902	5645	3,952	9,597	एक फार्म में-एक से अधिक केले-डर माह शामिल था।
		2009-10/ 14.03.18	2,89,22,254	25,84,984	3,23,123	5,16,997	8,40120	एक फार्म में प्रतिपर्ण था
		2010-11/ 14.03.18	13,18,24,248	1,58,66,221	19,83,278	28,16,254	47,99,532	चार फार्म में प्रतिपर्ण था
				1,76,96,084	22,12,011	31,41,055	53,53,065	
				66,72,039	8,34,005	11,84,287	20,18,292	
				2,46,55,654	30,81,957	43,76,379	74,58,335	
		योग	20,67,48,75,611	6,75,87,884	84,40,018	1,20,38,923	2,04,78,941	

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ- परिच्छेद 2.23.4.1)

रॉयलटी-रेजिन के विलंबित भुगतान पर रॉयलटी एवं ब्याज का दावा न करना

(राशि ₹ में)

1	रेजिन रॉयलटी एवं ब्याज की अल्प/अवसूली के कारण राजस्व का हानि												
2	अंतर राशि (रेजिन रॉयलटी पर) और ब्याज की अल्प/अवसूली के कारण राजस्व का हानि												
क्रम संख्या	मण्डल का नाम	वर्ष	ब्लॉज की कुल संख्या	के अनुसार कुल रायलटी		रायलटी		बकाया रायलटी पर ब्याज	अंतर राशि [#]			अंतर राशि पर बकाया ब्याज *	
				अस्थायी दरों	अंतिम दरों	वसूल किए गए	बकाया		अंतर राशि	वसूल किए गए	बकाया		
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ञ	ट	ठ
1	बिलासपुर	2014-2017	1,40,572	81,73,970	87,03,941	51,68,484	30,05,486	6,98,567	7,06,653	0	7,06,653	1,13,839	
2	कोटगढ़	2013-2016	31,316	17,68,258	19,43,250	10,03,795	7,64,463	1,60,631	2,18,182	2,18,182	0	11,828	
3	मण्डी	2014-2017	5,51,303	3,13,14,082	3,29,40,476	1,90,55,765	122,58,317	19,48,921	22,42,564	0	22,42,564	3,61,268	
4	ठियोग	2014-2016	16,858	10,00,244	11,13,846	6,26,010	3,74,234	1,11,796	1,36,082	1,36,082	0	12,052	
5	ऊना	2013-2016	97,374	52,82,700	59,76,100	26,41,185	26,41,515	3,91,149	7,97,700	7,97,702	0	42,722	
योग			8,37,423	4,75,39,254	5,06,77,613	2,84,95,239	1,90,44,015	33,11,064	41,01,181	11,51,966	29,49,217	5,41,709	

*कोटगढ़, ठियोग तथा ऊना हेतु अंतर राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज लगा

#यह अंतर राशि केवल 2013-14 और 2014-15 से सम्बन्धित है और भिन्नता का कारण 2016-17 और 2017-18 की अंतिम दरों का अस्थायी दरों की तुलना में कम होना है।

अस्थायी दरों	2013-14/45	2014-15/58	2015-16/65	2016-17/56	2017-18/51
अंतिम दरों	2013-14/58.78	2014-15/75.30	2015-16/65	2016-17/51	2017-18/50
चुकाने योग्य रॉयलटी	घ + झ	5,16,40,435			
चुकाई गई रॉयलटी	च + ञ	2,96,47,205			
बकाया रॉयलटी	छ + ट	2,19,93,232			
ब्याज	ज + ठ	38,52,773			

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ- परिच्छेद 2.23.4.2)

रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर रायल्टी एवं ब्याज का दावा न करना-लकड़ी

(राशि ₹ में)

लकड़ी की रायल्टी एवं उसके ब्याज की अल्प/अवसूली पर रायल्टी एवं ब्याज का दावा न करना							
क्रम संख्या	मण्डल का नाम (वन मण्डल कार्यालय)	वर्ष	खेपों की कुल संख्या	कुल रायल्टी (बकाया)	प्राप्त रायल्टी	वसूली हेतु शेष	ब्याज
1	ठियोग	2014-15 से 2016-17	46	8,46,27,947	1,32,76,211	7,13,51,736	81,74,561
2	पांवटा साहिब	2014-15 से 2016-17	63	5,44,84,121	63,98,331	4,80,85,790	77,14,057
3	ऊना	2016-17	43	50,97,515	25,19,090	25,78,425	1,98,649
4	आनी स्थित लुहरी	2015-18	28	76,12,663	32,31,552	43,81,111	7,61,294
5	बिलासपुर	2016-18	86	1,23,61,161	67,10,025	56,51,136	18,25,054
6	चुराह स्थित सलूणी	2017-18	20	1,18,03,120	20,29,094	97,74,026	14,42,184
7	फिनौर स्थित रिकांगपांओ	2015-18	06	31,82,013	2,05,676	29,76,337	7,00,138
8	कोटगढ़	2015-18	34	78,01,969	3,95,331	74,06,638	13,25,894
9	कुनिहार	2016-18	11	19,73,678	9,86,837	9,86,841	1,50,257
10	नालागढ़	2016-18	17	45,49,783	34,91,187	10,58,596	1,97,461
11	पालमपुर	2016-18	15	12,57,117	6,28,554	6,28,563	95,705
12	सोलन	2016-18	13	25,25,115	3,01,471	22,23,644	2,08,971
योग			382	19,72,76,202	4,01,73,359	15,71,02,843	2,27,94,225

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ परिचय का परिच्छेद 3.1.1)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए वित्तीय विवरणों/लेखओं के अनुसार सारांशित वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम

(कॉलम 5 से 12 के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्रमांक	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूँजी	बकाया दीर्घावधि ऋण	संचित लाभ (+)/हानि (-)	टर्नओवर	कर, लाभांश एवं ब्याज के पूर्व निवल लाभ +)/हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव ¹	निवेश	निवेश पर प्रतिफल	श्रमशक्ति	ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
क. क्रियाशील सरकारी कम्पनियां													
कृषि एवं संबद्ध													
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	18.85	12.98	- 14.25	58.64	3.06	0.97	31.83	0.10	52	0.08
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण लिमिटेड	2017-18	2018-19	38.77	35.55	- 86.55	68.99	- 3.24	- 0.19	74.32	- 0.04	203	2.07
3	हिमाचल प्रदेश राज्य बन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	11.71	-	- 63.02	149.70	- 10.27	- 9.44	11.71	- 0.88	1636	3.14
क्षेत्रवार योग:				69.33	48.53	- 163.82	277.33	- 10.45	- 8.66	117.86	- 0.82	1891	5.29
वित्त													
4	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013-14	2017-18	13.00	-	7.36	2.73	1.07	- 3.46	33.36	0.03	18	0.35
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2014-15	2017-18	12.51	-	1.50	0.67	0.28	- 0.08	9.94	0.03	5	-
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंखक वित्त एवं विकास निगम	2013-14	2016-17	13.02	-	- 4.77	0.68	0.42	0.09	20.58	0.02	9	0.39
क्षेत्रवार योग:				38.53	-	4.09	4.08	1.77	- 3.45	63.88	0.08	32	0.74
अवसंरचना													
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2018-19	25.00	-	-	-	-	-	25.00	-	2	0.35
8	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	30.82	-	50.55	44.93	19.85	-	81.37	0.24	159	-
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016-17	2018-19	0.0003	-	-	-	-	-	0.0003	-	14	-
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
क्षेत्रवार योग:				55.8203	-	50.55	44.93	19.85	-	106.37	0.24	186	0.35
विनियोग													
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	2017-18	2018-19	7.16	5.04	26.11	51.88	9.33	- 1.02	33.27	0.28	111	0.21
क्षेत्रवार योग:				7.16	5.04	26.11	51.88	9.33	- 1.02	33.27	0.28	111	0.21
सेवा													
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	2017-18	2018-19	3.51	-	33.95	1245.96	1.99	14.83	37.46	0.05	801	0.12
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित	2017-18	2018-19	3.72	0.55	6.25	51.47	0.80	-	10.52	0.08	44	-

(कॉलम 5 से 12 के आंकड़े ₹ करोड़ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	2017-18	2018-19	9.25	-	- 15.24	30.84	0.55	- 0.41	- 5.99	- 0.01	36	0.02
15	हिमाचल प्रदेश पर्वटन विकास निगम सीमित	2015-16	2016-17	12.30	-	- 22.08	90.89	2.05	0.09	- 9.78	- 0.21	1747	0.31
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2016-17	2017-18	0.07	-	0.12	-	0.09	- 0.01	0.13	0.71	30	-
17	हिमाचल परामर्श समंठन लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.18	-	1.52	4.42	- 0.82	-	1.70	- 0.48	20	-
18	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329	-
क्षेत्रवार योग:				29.03	0.55	4.52	1423.58	4.66	14.50	34.04	0.14	3007	0.45
कुल क (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सरकारी कम्पनियां)				199.87	54.12	- 78.55	1801.80	25.16	1.37	355.42	- 0.18	5227	7.04
विद्युत													
1	ब्यास घाटी विद्युत निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	300.00	1,153.20	-	-	-	-	1,453.20	-	142	-
2	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2016-17	2018-19	1,670.90	1,924.07	- 36.87	14.71	- 32.35	- 0.92	3,558.10	- 0.01	555	-
3	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित	2017-18	2018-19	286.45	728.13	- 12.14	19.31	- 8.02	- 1.45	1,002.44	- 0.01	195	-
4	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	2016-17	2018-19	653.28	4,561.64	- 2,043.85	6,291.54	- 44.21	- 17.27	3,,171.17	- 0.01	19,911	503.35
क्षेत्रवार योग:				2,910.63	8,367.04	- 2,092.86	6,325.56	- 84.58	- 19.64	9,184.91	- 0.03	20,803	503.35
कुल क (बिजली क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रवार)				3,110.50	8,421.16	- 2,171.41	8,127.36	- 59.42	- 18.27	9,540.33	- 0.21	26,030	510.39
ख. सांविधिक निगम													
वित्त													
1	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	2017-18	2018-19	99.57	123.00	- 166.56	2.55	- 5.50	0.36	222.57	- 0.01	38	7.62
क्षेत्रवार योग:				99.57	123.00	- 166.56	2.55	- 5.50	0.36	222.57	- 0.01	38	7.62
सेवा													
2	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2017-18	2018-19	720.49	201.25	- 1,232.48	1,052.08	- 118.57	- 18.99	921.74	- 0.13	10,279	26.04
क्षेत्रवार योग:				720.49	201.25	- 1,232.48	1,052.08	- 118.57	- 18.99	921.74	- 0.13	10,279	26.04
कुल ख (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सांविधिक निगम)				820.06	324.25	- 1,399.04	1,054.63	- 124.07	- 18.63	1144.31	- 0.14	10,317	33.66
सकल योग (क + ख)				3,930.56	8,745.41	- 3,570.45	9,181.99	- 183.49	- 36.90	10,684.64	- 0.35	36,347	544.05
ग. अकार्यशील सरकारी कम्पनियां													
कृषि एवं संबद्ध													
1	एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	2014-15	17.72	60.15	- 78.23	-	- 0.04	- 5.58	77.87	- 0.04	1	-
क्षेत्रवार योग:				17.72	60.15	- 78.23	-	- 0.04	- 5.58	77.87	- 0.04	1	-
विनिर्माण													
2	हिमाचल प्रदेश वर्सेटेड मिल्ज लिमिटेड	2000-01	2001-02	0.92	-	- 5.44	-	- 0.01	-	0.92	- 0.01	-	-
क्षेत्रवार योग:				0.92	-	- 5.44	-	- 0.01	-	0.92	- 0.01	-	-
सेवा													
3	हिमाचल प्रदेश बेरेरज लिमिटेड	2016-17	2018-19	1.00	-	-	543.97	14.27	- 13.89	1.00	14.27	15	-
सकल योग ग(सभी क्षेत्रवार अकियाशील सरकारी कम्पनियां)				19.64	60.15	- 83.67	543.97	14.22	- 19.47	79.79	14.22	16	-
सकल योग (क + ख + ग)				3,950.20	8,805.56	- 3,654.12	9,725.96	- 169.27	- 56.37	10,764.43	13.87	36,363	544.05

- लेखा टिप्पणियों के प्रभाव सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का निवल प्रभाव शामिल है तथा लाभ (+) में वृद्धि/हानियों में कमी (-) लाभ में कमी/हानि में वृद्धि द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
- निवेश, प्रदत्त पूँजी, मुक्त भण्डार तथा दीर्घावधि उधारों को प्रदर्शित करता है।
- निवेश पर प्रतिफल की गणना लाभांश, कर एवं ब्याज के पूर्व निवेश से निवल लाभ/हानि को विभाजित करके की गई है।
- आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई है।
- क्रम संख्या क-11 पर ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित ने इसके लाभ एवं हानि लेखे नहीं तैयार किए हैं।

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ परिच्छेद 4.8, 4.9 एवं 4.13)

नवीनतम वर्ष हेतु विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के सारांशित वित्तीय परिणाम जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया गया

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	गतिविधि एवं विद्युत क्षेत्र के उपक्रम का नाम	खातों की अवधि	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि	टन्डोवर	प्रदत्त पूँजी	दीर्घावधि ऋण	नियोजित पूँजी	नेटवर्थ ¹	संचित लाभ/हानि
क. उत्पादन										
1	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2016–17	- 32.35	- 32.35	14.71	1,670.90	1,181.72	3,558.10	1,634.03	- 36.87
	उप-योग		- 32.35	- 32.35	14.71	1,670.90	1,181.72	3,558.10	1,634.03	- 36.87
ख. संचरण										
2	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	2017–18	- 8.02	- 6.72	19.31	286.45	728.13	1,002.44	274.31	- 12.14
	उप-योग		- 8.02	- 6.72	19.31	286.45	728.13	1,002.44	274.31	- 12.14
ग. वितरण										
3	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	2016–17	- 44.21	- 44.21	6,291.54	653.28	4,561.64	3,171.07	- 1,390.57	- 2,043.85
	उप-योग		- 44.21	- 44.21	6,291.54	653.28	4,561.64	3,171.07	- 1,390.57	- 2,043.85
घ. अन्य										
4	ब्यास घाटी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	2017–18	-	-	-	300.00	933.40	1453.20	300.00	-
	उप-योग		-	-	-	300.00	933.40	1453.20	300.00	-
	सकल योग		- 84.58	- 83.28	6,325.56	2,910.63	7,404.89	9,184.81	817.77	- 2,092.86

¹ नेटवर्थ प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त भण्डार तथा अधिशेष के कुल जोड़ - संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय हैं।

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ परिचय का परिच्छेद 4.12)

आरंभ से 31 मार्च 2019 तक विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों को प्रदर्शित करने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित																			
इकिवटी	-	-	-	-	-	-	-	79.71	241.32	140.61	75.76	41-80	129.26	252.67	150.50	60.00	160.30	174.66	160.00 1666.59
विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-428.45%	-	-	-550.00	-	-	-	-978.45
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इकिवटी में परिवर्तित ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित																			
इकिवटी	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	45.70	60.00	50.00	5.78	8.00	25.96	32.79	19.51	27.71	40.00 326.45
विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-108.70	-	-	-	-	-	-	-108.70
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इकिवटी में परिवर्तित ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित																			
इकिवटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.53	-	50.00	31.75	75.00	50.00	50.00	17.27	50.00 720.55	
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इकिवटी में परिवर्तित ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-	-	79.71	252.32	186.31	532.29	- 445.35	185.04	292.42	- 298.54	142.79	229.81	219.64	250.00 1,626.44

* यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित संचित हानियों का कुल निवेश और कुल इकिवटी को दर्शाता है।

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ परिचय का परिच्छेद 4.26.1)

22 जल उत्पादन केन्द्रों की स्थापित क्षमता एवं स्थापन वर्ष को प्रदर्शित करने वाले विवरण

(मेगावाट में)

क्रमांक संख्या	परियोजना का नाम	स्थापना का वर्ष	स्थापित क्षमता
जल उत्पादन केन्द्र			
1	लारजी	2006-07	126.00
2	भावा	1989	120.00
3	बस्सी	1970 तथा 81 व 2012-13 के दौरान अद्यतन किया गया	66.00
4	गिरी	1978	60.00
5	घानवी	2000	22.50
6	आन्ध्रा	1987	16.95
7	बनेर	1996	12.00
8	खौली	2007	12.00
9	गज	1996	10.50
10	घानवी- II	2014	10.00
11	बिनवा	1984	6.00
12	थिरोट	1995-96	4.50
13	बाबा	2011	4.50
14	गुम्मा	2000	3.00
15	नोगली	1963, 1969-70 एवं 1974	2.50
16	रॉंगटाँग	1986 एवं 1987	2.00
17	साल- II	1999	2.00
18	चाबा	1913 एवं 1919	1.75
19	रुक्ती	1979 एवं 1980	1.50
20	भूरी सिंह पॉवर हाऊस	1938 एवं 1985	0.45
21	किलाड़	1995-96	0.30
22	होली	2004	3.00
सकल योग			487.45

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ परिचय का परिच्छेद 4.26.8(ii))

अधिक अतिरिक्त खपत दर्शाने वाले विवरण

परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता	संयंत्र की ब्रेणी	मानक (प्रतिशत)	विगत 3 वर्षों के दौरान उत्पादन (मिलियन यूनिट)			अतिरिक्त खपत (मिलियन यूनिट)			विगत 3 वर्षों के दौरान अतिरिक्त खपत (प्रतिशत में)			अधिक अतिरिक्त खपत दर्शाने वाले विवरण			कुल 2016-19				
				2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
भावा	120.00	यूजी एवं एसई	0.700	187.44	493.57	591.47	1.03	2.63	2.99	0.55	0.53	0.51								
घानवी - I	22.50	यूजी एवं एसई	0.700	85.13	78.39	85.12	0.24	0.23	0.27	0.28	0.29	0.32								
स्वती	1.50	एस एवं आरई	0.200	1.08	2.42	2.62	0.03	0.05	0.05	2.78	2.06	1.91	0.027844	0.045156	0.044764	0.117764				
लार्जी	126.00	यूजी एवं एसई	0.700	611.67	610.35	596.75	0.91	1.10	1.20	0.15	0.18	0.20								
गिरी	60.00	एस एवं आरई	0.200	140.59	169.86	215.18	0.717	0.737	0.795	0.51	0.43	0.37	0.435828	0.397272	0.36464	1.19774				
गुम्मा	3.00	एस एवं आरई	0.200	4.63	5.04	5.71	0.04	0.04	0.04	0.86	0.79	0.70	0.030742	0.029918	0.028572	0.089232				
रोंगटौंग	2.00	एस एवं आरई	0.500	0.56	1.03	1.34	0.01	0.01	0.01	1.20	1.20	0.99	0.003903	0.0071615	0.0066105	0.017675				
योग	335.00			1,031.09	1,360.66	1,498.18							0.498317	0.4795075	0.4445865	1.422411				
													₹ /यूनिट में औसत वसूली दर	5.45	5.55	5.88				
													राजस्व की हानि (₹ में)	27,15,827.65	26,61,266.625	26,14,168.62	79,91,262.895			

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ परिचय का परिच्छेद 4.27(ख))

उपभोक्ता द्वारा विद्युत के अनधिकृत उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	यूनिट का नाम	उपभोक्ता का नाम/खाता संख्या	जारी स्वीकृत लोड (किलोवाट)	स्वीकृत लोड/ किलोवाट एप्पीयर में अनुबंध मांग	अवधि/माह	आहरित लोड/किलो वोल्ट एप्प्यूल में एमडी	किलोवोल्ट एप्पीयर में अधिक आहरण	खपत	चुकाई गई ऊर्जा प्रभार (₹)	शास्ति हेतु उद्धरण योग्य अनुपातिक खपत	शास्ति राशि (₹)	टिप्पणी
1	विद्युत उप मण्डल मानपुर	मेसर्स भानु हैल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	56.648	62.94	8/12 से 3/14	148	85.06	10,05,180	46,77,116	57.47 प्रतिशत	26,87,938	यद्यपि स्वीकृत लोड 399.25 किलोवाट था लेकिन जारी लोड 56.647 किलोवाट था तथा जारी लोड से अधिक आहरित लोड अनधिकृत आहरण माना जाएगा।
2	विद्युत उप मण्डल कसूम्पटी	एपोजी यूनिवर्सिटी	40.10	40	4/14 से 3/16	42.9 से 130.97	2.9 से 90.97	7,81,785	46,90,710	4,51,121	23,33,189	विद्युत प्रभार (₹ 1,08,269) - दोगुना प्रभार का उल्लंघन करते हुए तीनगुना प्रभार जो अनुबंध मांग से पहले ही बढ़ी हुई राशि (₹ 4,81,817) में सम्मिलित था
3	विद्युत उप मण्डल ढली	मेसर्स ऐरा इंजीनीयरिंग लिमिटेड	19.4	21.55	2/14, 3/14, 6/14, 9/14, 11/14, 2/15, 3/15, 5/15, 8/15, 9/15, 11/15, 12/15 एवं 2/16	31 से 197	9 से 175	3,93,508	लागू नहीं	लागू नहीं	17,10,667	त्रिणी में परिवर्तन के आधार पर गणना किये गए लघु प्रभारों अर्थात् एकल भाग टैरिफ से दो भाग टैरिफ तथा किलोवोल्ट एप्प्यूल प्रति घण्टां तथा किलोवाट प्रति घण्टां के अंतर के कारण प्रभार सम्मिलित है। (₹ 4,72,209) + शास्ति 126 के अतिरिक्त आहरण के तहत (₹ 18,69,102) + एलवीएसएस (₹ 1,82,882) कम राशि जो पहले से ही प्रभारित की गई (₹ 8,13,526)।

परिशिष्ट 4.6

(संदर्भ परिचय का परिच्छेद 4.29)

मूल अनुबंध मांग के मांग प्रभारों की वसूली एवं उदग्रहण करने में विफलता को दर्शाने वाले विवरण

उपभोक्ता का नाम	अवधि	अनुबंध मांग का 50 प्रतिशत/ न्यूनतम सीमा (किलो वोल्ट एम्पीयरमें)	प्रभारित अनुबंध मांग (किलो वोल्ट एम्पीयरमें)	अंतर (किलो वोल्ट एम्पीयरमें)	अनुबंध मांग का 90 प्रतिशत (किलो वोल्ट एम्पीयरमें)	दर(₹)	राशि (₹)
मेस्सेस के.के. नॉन वूबन	जूलाई 13 से जूलाई 14	525	400	125	112.50	200	2,92,500
	अगस्त 14 से मार्च 16	1,001	400	601	540.90	350	37,86,300
	अप्रैल 16 से मार्च 18	1,001	400	601	540.90	400	49,76,280
	एच.टी-1 एवं एच.टी-2 श्रेणी हेतु मांग प्रभारों की दरों में अंतर (अर्थात 360 किलो वोल्ट एम्पीयर ₹ 150 x 43 माह)						23,22,000
	35,12,240 केवीएच टैरिफ दरों में न्यून अंतर x30 पैसा						10,53,672
							कुल (क) 1,03,23,408
उपभोक्ता का नाम	अवधि	अनुबंध मांग का 50 प्रतिशत/ न्यूनतम सीमा (किलो वोल्ट एम्पीयरमें)	प्रभारित अनुबंध मांग (किलो वोल्ट एम्पीयरमें)	अंतर (किलो वोल्ट एम्पीयरमें)	अनुबंध मांग का 90 प्रतिशत (किलो वोल्ट एम्पीयरमें)	दर(₹)	राशि (₹)
मेस्सेस नाहन फैरो	अगस्त 14 से मार्च 16	1,100	800	300	270	350	18,90,000
	अप्रैल 16 से मार्च 18	1,100	800	300	270	400	24,84,000
	एच.टी-1 एवं एच.टी-2 श्रेणी हेतु मांग प्रभारों की दरों में अंतर (अर्थात 720 किलो वोल्ट एम्पीयर ₹ 150 x 43 माह)						46,44,000
	51,59,572 केवीएच टैरिफ दरों में न्यून अंतर x 30 पैसा						15,47,871
							कुल (ख) 74,70,129
							सकल योग 1,77,93,537

परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ परिच्छेद 5.3)

31 मार्च 2019 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बन्धित इकिवटी एवं बकाया ऋणों की स्थिति प्रदर्शित करने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	विभाग का नाम	नियमित करने का माह एवं वर्ष	वर्ष 2018-19 के अंत पर इकिवटी ¹				वर्ष 2018-19 के अंत पर बकाया दीर्घावधि ऋण			
				हिमाचल प्रदेश सरकार ²	भारत सरकार ³	अन्य	कुल	हिमाचल प्रदेश सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (क)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ड)	(क)	6 (ग)	6 (घ)	6 (ड)
क. कार्यशील सरकारी कम्पनियां											
कृषि एवं सबज्जद											
1	हिमाचल प्रदेश ऐग्रो इंडस्ट्रीज निगम लिमिटेड	बागवानी	सितम्बर, 1970	16.89	1.96	-	18.85	5.04	1.49	-	6.53
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	बागवानी	जून, 1974	31.20	1.50	6.07	38.77	62.63	-	-	62.63
3	हिमाचल प्रदेश बन विकास निगम लिमिटेड	बन	मार्च, 1974	11.71	-	-	11.71	-	-	-	-
क्षेत्र-वार कुल:				59.80	3.46	6.07	69.33	67.67	1.49	-	69.16
वित्त											
4	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा बर्ग वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	जनवरी, 1994	13.00	-	-	13.00	-	-	-	-
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	अप्रैल, 1989	12.41	0.10	-	12.51	-	-	-	-
6	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा बर्ग वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	सितम्बर, 1996	13.02	-	-	13.02	-	-	-	-
क्षेत्र-वार कुल:				38.43	0.10	-	38.53	-	-	-	-
अवसंरचना											
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	लोक निर्माण	जून, 1999	25.00	-	-	25.00	-	-	-	-
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	नवम्बर, 1966	30.82	-	-	30.82	-	-	-	-
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	अगस्त, 2016	-	0.0003	-	0.0003	-	-	-	-
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	जून, 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्र-वार कुल:				55.82	0.0003	-	55.8203	-	-	-	-

¹ इकिवटी में शेयर प्रिलिकेशन धन शामिल है।² हिमाचल प्रदेश सरकार³ भारत सरकार

1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
विनिर्माण											
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	उद्योग	नवम्बर, 1972	7.04	-	0.12	7.16	2.97	-	-	2.97
			क्षेत्र-वार कुल:	7.04	-	0.12	7.16	2.97	-	-	2.97
सेवा											
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	खाद्य एवं आपूर्ति	नवम्बर, 1966	3.52	-	-	3.52	-	-	-	-
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम सीमित	सूचना प्रौद्योगिकी	अक्टूबर, 1984	3.72	-	-	3.72	0.55	-	-	0.55
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	उद्योग	मार्च, 1974	9.22	0.03	-	9.25	-	-	-	-
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन एवं नागरिक उद्योग	सितम्बर, 1972	12.30	-	-	12.30	-	-	-	-
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	तकनीकी शिक्षा	सितम्बर, 2015	0.007	-	-	0.007	-	-	-	-
17	हिमाचल परामर्श सेंगठन लिमिटेड		फरवरी, 1977	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-
18	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	शहरी विकास	जून, 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
		क्षेत्र-वार कुल:	28.767	0.03	0.18	28.977	0.55	-	-	-	0.55
		योग क (सभी क्षेत्रवार सरकारी कम्पनी)	189.857	3.5903	6.37	199.8173	71.19	1.49	-	-	72.68
ख. सांविधिक निगम											
वित्त											
1	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	उद्योग	अप्रैल, 1967	92.98	-	6.59	99.57	77.88	28.28	5.80	111.96
		क्षेत्र-वार कुल:	92.98	-	6.59	99.57	77.88	28.28	5.80	111.96	
सेवा											
2	हिमाचल पथ परिवहन निगम	परिवहन	सितम्बर, 1974	764.05	15.44	-	779.49	-	-	132.87	132.87
		क्षेत्र-वार कुल:	764.05	15.44	-	779.49	-	-	132.87	132.87	
		योग ख (सभी क्षेत्रवार सांविधिक निगम)	857.03	15.44	6.59	879.06	77.88	28.28	138.67	244.83	
ग. अकार्यशील सरकारी कम्पनियां											
कृषि एवं संबद्ध											
1	एग्रो इंडस्ट्रीयल पेकेजिंग इंडिया लिमिटेड	बागवानी	फरवरी, 1987	16.75		0.97	17.72	60.15	-	-	60.15
		क्षेत्र-वार कुल:	16.75		0.97	17.72	60.15	-	-	-	60.15
विनिर्माण											
2	हिमाचल बर्सेटेड मिल्ज लिमिटेड	उद्योग	अक्टूबर, 1974	-	-	0.92	0.92	-	-	-	-
		क्षेत्र-वार कुल:	-	-	0.92	0.92	-	-	-	-	-
सेवा											
3	हिमाचल प्रदेश बैंकरेज निगम	आबकारी एवं कराधान	अप्रैल, 2016	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-
		कुल ग (सभी क्षेत्रवार अकार्यशील सरकारी कम्पनियां)	17.75	-	1.89	19.64	60.15	-	-	-	60.15
		सकल योग(क+ ख + ग)	1,064.637	19.0303	14.85	1,098.5173	209.22	29.77	138.67	377.66	

परिशिष्ट 5.2

(संदर्भ परिच्छेद 5.7)

31 मार्च 2019 तक शेष इक्विटी, ऋण तथा गांरटी के सम्बन्ध में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के मध्य अंतर प्रदर्शित करने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार			हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गांरटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गांरटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गांरटी
1	हिमाचल प्रदेश ऐग्रो इंडस्ट्रीज निगम लिमिटेड	16.89	6.53	-	9.84	-	1.49	7.05	6.53	- 1.49
2	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	13.00	-	21.59	15.87	-	8.83	- 2.87	-	12.76
3	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	13.02	-	5.00	11.27	-	14.50	1.75	-	- 9.50
4	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	7.04	2.97	-	9.89	-	-	- 2.85	2.97	-
5	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	92.98	111.96	-	21.98	4.10	5.80	71.00	107.86	- 5.80
6	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0.001	-	-	-	-	-	0.001	-	-
7	हिमाचल प्रदेश बैंकरेज निगम	1.00	-	-	-	-	-	1.00	-	-
8	हिमाचल पर्यावरण निगम	-	-	187.30	-	-	187.29	-	-	0.01
9	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	-	62.63	2.53	-	30.00	8.00	-	32.63	- 5.47
10	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	-	-	0.42	-	-	0.17	-	-	0.25
11	हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	-	0.55	-	-	-	-	-	0.55	-
12	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	30.82	-	-	34.33	-	-	-3.51	-	-
योग		174.751	184.64	216.84	103.18	34.10	226.08	71.571	150.54	- 9.24

परिशिष्ट 5.3

(संदर्भ परिच्छेद 5.8.1)

राज्य के कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके लेखे बकाया थे, में राज्य सरकार के निवेश को प्रदर्शित करने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	अवधि जब तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया थे	नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखों के अनुसार प्रदत्त पैंची	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया निवेश जिसके लेखे बकाया थे	ऋण	संत्रिभी	कुल	
क. कार्यशील सरकारी कम्पनियां									
1	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013-14	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19	5	13.00	-	-	-	
2	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम		2015-16 2016-17 2017-18 2018-19			-	-	-	
3	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम		2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19			-	0.61	0.61	
4	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	1	9.25	-	4.32	4.32	
5	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2016-17	2017-18 2018-19	2	0.70	-	7.40	7.40	
6	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड		2015-16			-	71.35	71.35	
7	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड		2017-18			-	0.60	0.60	
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिकविकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	1	30.82	-	-	-	
9	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	1	7.15	-	-	-	
10	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विवरण एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	1	38.77	8.99	-	8.99	
11	हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	1	3.72	-	-	-	
12	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016-17	2017-18 2018-19	2	0.0003	-	-	-	
13	हिमाचल प्रदेश ऐग्रो इंडस्ट्रीज निगम लिमिटेड		2017-18			-	6.00	6.00	
14	हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 2017-18 2018-19	3	11.71	-	-	-	
15	हिमाचल प्रदेश परामर्श संगठन लिमिटेड		2017-18			-	-	-	
16	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड		2017-18			-	-	-	
17	शिमला जलप्रबंधन निगम लिमिटेड					-	-	-	
कुल क (कार्यशील सरकारी कम्पनियां)					34	175.4903	8.99	99.18	108.17
ख. कार्यशील सांविधिक निगम									
1	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2017-18	2018-19	1	670.49	-	305.00	305.00	
2	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2017-18	2018-19	1	99.57	-	-	-	
सकल क (कार्यशील सांविधिक निगम)					2	769.06	-	305.00	305.00
सकल योग(क + ख)					36	945.5503	8.99	404.18	413.17

परिशिष्ट 5.4

(संदर्भ परिच्छेद 5.11. 5.13 एवं 5.17)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम वर्ष हेतु अंतिम रूप दिए गए लेखाओं का सारांशित वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण का नाम एवं क्षेत्र	लेखों के वर्ष	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर के पूर्व निवल लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के पश्चात निवल लाभ/हानि	टर्न औवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	नेट वर्थ	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क	कार्यशील सरकारी कम्पनियां									
कृषि एवं संबद्ध										
1	हिमाचल प्रदेश ऐग्रो इंडस्ट्रीज निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	3.06	3.05	58.64	18.85	17.58	4.60	- 14.25
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	- 3.24	- 3.35	68.99	38.77	- 24.24	- 47.78	- 86.55
3	हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	- 10.27	- 10.27	149.70	11.71	- 51.31	- 51.31	- 63.02
क्षेत्र-वार कुल:					- 10.45	- 10.57	277.33	69.33	- 57.97	- 94.49
वित्त										
4	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013-14	2017-18	1.07	1.07	2.73	13.00	20.36	20.36	7.36
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2014-15	2017-18	0.28	0.28	0.67	12.51	14.01	14.01	1.50
6	हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम	2013-14	2016-17	0.42	0.03	0.68	13.02	8.25	8.25	- 4.77
क्षेत्र-वार कुल:					1.77	1.38	4.08	38.53	42.62	42.62
अवसंरचना										
7	हिमाचल प्रदेश सड़क तथा अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2018-19	-	-	-	25.00	25.00	25.00	-
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	19.85	13.90	44.93	30.82	81.37	81.37	50.55
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016-17	2018-19	-	-	-	0.0003	-	-	-
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्र-वार कुल:					19.85	13.90	44.93	55.8203	106.37	106.37
विनिर्णय										
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	9.33	5.65	51.88	7.16	33.27	28.05	20.89
क्षेत्र-वार कुल:					9.33	5.65	51.88	7.16	33.27	28.05
20.89										

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सेवा										
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	1.99	1.28	1245.96	3.51	37.46	37.46	33.95
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.80	0.79	51.47	3.72	10.52	9.97	6.25
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	2017-18	2017-18	0.55	0.08	30.84	9.25	- 5.99	- 5.99	- 15.24
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	2.05	1.40	90.89	12.30	- 9.78	- 9.78	- 22.08
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2016-17	2017-18	0.09	0.09	-	0.01	0.13	0.13	0.12
17	हिमाचल प्रदेश परामर्श संगठन लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.82	-0.82	4.42	0.18	1.70	1.70	1.52
18	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्र-वार कुल:						4.66	2.82	1423.58	28.97	33.49
योग क (सभी क्षेत्रवार सरकारी कम्पनियां)						25.16	13.18	1,801.80	199.8103	158.33
									116.04	- 83.77
ख	सांविधिक निगम									
वित्तीय										
1	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	2017-18	2018-19	-5.50	-5.50	2.55	99.57	56.01	- 66.99	- 166.56
क्षेत्र-वार कुल:						-5.50	-5.50	2.55	99.57	56.01
									- 66.99	- 166.56
सेवा										
2	हिमाचल पश्च परिवहन निगम	2017-18	2018-19	-118.57	- 118.57	1,052.08	720.49	- 310.74	- 511.99	- 1,232.48
क्षेत्र-वार कुल:						- 118.57	- 118.57	1,052.08	720.49	- 310.74
									- 511.99	- 1,232.48
योग ख (सभी क्षेत्रवार सांविधिक निगम)						- 124.07	- 124.07	1,054.63	820.06	- 254.73
									- 578.98	- 1,399.04
योग (क + ख) (सभी क्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियां)						- 98.91	- 110.89	2,856.43	1019.8703	- 96.40
									- 462.94	- 1,482.81
ग	अक्रियाशील सरकारी कम्पनियां									
कृषि एवं संबद्ध										
1	एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	2014-15	- 0.04	- 0.04	-	17.72	- 0.36	- 60.51	- 78.23
क्षेत्र-वार कुल:						- 0.04	- 0.04	-	17.72	- 0.36
									- 60.51	- 78.23
विनिर्माण										
2	हिमाचल वर्सेटेड मिल्ज लिमिटेड	2000-01	2001-02	- 0.01	0.01	-	0.92	- 4.52	- 4.52	- 5.44
क्षेत्र-वार कुल:						- 0.01	0.01	-	0.92	- 4.52
									- 4.52	- 5.44
सेवा										
3	हिमाचल प्रदेश बैंकरेजेज लिमिटेड	2016-17	2018-19	14.27	9.49	543.97	1.00	-	10.49	9.49
क्षेत्र-वार कुल:						14.27	9.49	543.97	1.00	-
									10.49	9.49
योग ग (सभी क्षेत्रवार अकार्यशील सरकारी कम्पनियां)						14.22	9.46	543.97	19.64	- 4.88
									- 65.03	- 74.18
सकल योग(क + ख + ग)						- 84.69	- 101.43	3,400.40	1,039.5103	- 101.28
									- 517.48	- 1,556.99

परिशिष्ट 5.5

(संदर्भ परिच्छेद 5.16)

1999-2000 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों को दर्शाने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

	1999-2000तक	2000-2001	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
कृषि एवं सम्बद्ध																					
हिमाचल प्रदेश ऐंग्रेज इंडस्ट्रीज निगम लिमिटेड																					
इक्विटी	9.841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.891	
व्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	-	2.54	-	-	6.52	-	11.56
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विवरण एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड																					
इक्विटी	10.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.195
व्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25	-	-	-	7.00	5.00	-	14.54	3.55	-	8.00	10.00	50.34
हिमाचल प्रदेश गान्य वन विकास निगम लिमिटेड																					
इक्विटी	11.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.71
व्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योगकृषि एवं सम्बद्ध																					121.696
वित्तीय																					
हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम																					
इक्विटी	1.566	0.40	0.65	0.80	1.20	1.00	0.50	1.20	0.90	1.10	0.86	-	-	0.28	0.54	0.80	0.67	0.54	-	-	13.006
व्याज रहित ऋण	0.01	0.01	-	-	-	-	0.15	-	-	-0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07
हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम																					
इक्विटी	1.252	--	0.10	0.2214	0.30	0.30	0.30	0.40	0.85	0.85	1.08	0.30	1.14	--	0.60	0.65	0.75	0.75	0.80	1.77	12.4134
व्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम																					
इक्विटी	0.75	0.17	0.25	0.40	0.40	0.40	0.49	0.40	0.46	1.02	1.08	1.16	0.50	0.64	1.30	0.53	0.64	0.75	-	1.68	13.02
व्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग वित्तीय																					38.5094
अवसंरचना																					
हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड																					
इक्विटी	5.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
व्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड																									
इकाइटी	29.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.82	
व्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
इकाइटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
व्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																								सकल योग अवसंरचना	55.82
																								विनिर्माण	
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड																									7.04
इकाइटी	4.98	-	-	-	-	-	-	2.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
व्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																								सकल योग विनिर्माण	7.04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
																								सेवाएं	
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड																								3.52	
इकाइटी	3.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
व्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																								विनिर्माण	3.52
हिमाचल प्रदेश राज्य इनैंक्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड																							3.72		
इकाइटी	3.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
व्याज रहित ऋण	0.48	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																								विनिर्माण	1.98
हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम लिमिटेड																							9.22		
इकाइटी	4.09	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
व्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																								विनिर्माण	9.22
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड																						12.30			
इकाइटी	12.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
व्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																								विनिर्माण	12.30
हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम																				0.007	-	-	-	-	0.007
इकाइटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
व्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																								विनिर्माण	0.007
संगठन लिमिटेड																				-	-	-	-	-	-
इकाइटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
व्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

																			सकल योग सेवा	30.747		
सांविधिक निगम वित्त पोषित																						
हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	इकाई	21.58	-	-	-	-	-	-	-	20.00	51.00	-	-	-	-	-	-	-	0.40	92.98		
व्याज रहित ऋण		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																				सकल योग सेवा	92.98	
सांविधिक निगम सेवा																						
हिमाचल पथ परिवहन निगम	इकाई	163.16	11.90	12.00	11.01	26.70	12.30	12.30	12.30	31.49	31.00	42.18	31.92	25.30	44.34	58.00	42.95	41.20	45.00	50.00	59.00	764.05
व्याज रहित ऋण		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				सकल योग सेवा	764.05	
अकार्यशील: कृषि एवं सम्बद्ध																						
एग्री इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	इकाई	16.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.75	
व्याज रहित ऋण		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				सकल योग सेवा	16.75	
हिमाचल प्रदेश बैंकरेज निगम																						
इकाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	
व्याज रहित ऋण		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				सकल योग कृषि एवं सम्बद्ध	17.75	
कुल इकाई	300.044	32.48	13.01	12.4314	28.60	16.06	13.59	14.30	38.31	53.97	117.16	34.61	26.94	45.76	67.49	44.93	43.267	48.04	50.80	62.85	1,064.6424	
कुल व्याज रहित ऋण	0.490	1.51	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.15	0.00	2.25	- 0.10	0.00	0.00	9.50	5.00	2.54	14.54	3.550	6.52	8.00	10.00	63.9500	
सकल योग	300.534	33.99	13.01	12.4314	28.60	16.06	13.74	14.30	40.56	53.87	117.16	34.61	36.44	50.76	70.03	59.47	46.817	54.56	58.80	72.85	1,128.5924	

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghp.cag.gov.in